भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/himachal pradesh/2002

विषय -सूची

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्यायः राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	1
राज्य सरकार का वित्तीय प्रचालन	1.3	1
निधि स्रोत व प्रयुक्ति	1.4	2
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	9
राजस्व व्यय	1.6	10
पूंजीगत व्यय	1.7	12
व्यय की गुणवत्ता	1.8	13
वित्तीय प्रबन्ध	1.9	14
लोक ऋण	1.10	19
अर्थोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्ट	1.11	20
राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक	1.12	22
दूसरा अध्यायः विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण		
परिचय	2.1	30
विनियोग लेखाओं का सार	2.2	30
विनियोग लेखापरीक्षा परिणाम	2.3	31
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	2.4	35
शिक्षा विभाग में व्यय एवं बजट नियंत्रण	2.5	37
तीसरा अध्यायः सिविल विभाग		
प्रवर्ग-क-समीक्षाएं		
योजना विभाग		
स्थानीय जिला योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	3.1	41
ग्रामीण विकास विभाग		
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	3.2	51
ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण आवास स्कीमें)	3.3	66

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रवर्ग-ख लेखापरीक्षा परिच्छेद		
कृषि विभाग		
स्टाफ आवासों पर निरर्थक निवेश	3.4	75
वित्त विभाग (राज्य लॉटरी निदेशालय)		
अनुबन्ध का निरसन किए जाने के कारण परिहार्य दायित्व तथा व्यय	3.5	76
वन कृषि तथा संरक्षण विभाग		
आबकारी शुल्क की अदायगी पर परिहार्य व्यय	3.6	77
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग		
कार्यक्रम निधियों का अनुपयोग	3.7	78
राजस्व विभाग		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का अपवर्तन	3.8	79
हैलिपैड के निर्माणार्थ निधियों का अवरोधन	3.9	79
आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	3.10	80
निधियों का दुरूपयोग	3.11	81
जिला चिकित्सालय, नाहन को बिना माँग के निधियों की संस्वीकृति	3.12	82
परिवहन विभाग		
जाली राजस्व तथा राजस्व घाटा छिपाना	3.13	83
विविध विभाग		
पैंशन से सम्बन्धित लाभों की दोहरी/अप्राधिकृत अदायगी	3.14	84
लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने में विफलता तथा अनुपालना न करना	3.15	84
संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों का अनियमित आहरण	3.16	86
दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि	3.17	87
चौथा अध्यायः निर्माणकार्य व्यय		
प्रवर्ग-क-समीक्षा		
लोक निर्माण विभाग		
लोक निर्माण विभाग एवं जनशक्ति प्रबन्धन की समीक्षा	4.1	89

	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रवर्ग-ख- लेखापरीक्षा परिच्छेद		
लोक निर्माण विभाग		
राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया दावे	4.2	111
आवासीय भवनों पर निरर्थक निवेश	4.3	115
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
पांगी घाटी में परित्यक्त प्रवाह सिंचाई स्कीम पर निष्फल व्यय	4.4	116
मल-व्यवस्था परियोजना पर निरूत्साहित आयोजना एवं निष्पादन के फलस्वरूप निष्फल व्यय	4.5	117
अनुपयुक्त कार्यस्थल के चयन के कारण नलकूपों के निर्माण पर अपव्यय	4.6	118
उठाऊ सिंचाई स्कीम बाड़ी का इसके पूर्ण होने से ही सिंचाई उपलब्ध कराने में विफल रहना	4.7	119
कुलेथ, चम्बा में सेंचक सिंचाई स्कीम पर अपर्याप्त अन्वेषण के कारण निष्फल व्यय	4.8	120
प्रवाह सिंचाई स्कीम, गोसुमा, होरिंग पापा कूहल पर निष्फल व्यय	4.9	121
प्रवाह सिंचाई स्कीम, चारलिंग मैदान पर निष्फल व्यय	4.10	122
लाहौल स्पिति में सिंचाई स्कीमों की अप्रयुक्ति के कारण निष्फल एवं निरर्थक व्यय	4.11	123
उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुण्डलीहार पर निष्फल व्यय	4.12	124
किन्नौर में दोषपूर्ण आयोजना के कारण प्रवाह सिंचाई स्कीम से लाभों की प्राप्ति न होना	4.13	125
एक निगम को अनुचित सहायता तथा निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखने के कारण ब्याज हानि	4.14	126
लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग		
'लोक निर्माण निक्षेपों' के अन्तर्गत बकायों की समीक्षा	4.15	127
पांचवां अध्यायः भण्डार एवं स्टॉक		
गृह विभाग		
भण्डार एवं स्टॉक लेखे	5.1	133
सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग		

	परिच्छेद	पृष्ठ
तार क्रेटों पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय	5.2	136
पाइपों के अविवेकपूर्ण अग्रिम उपार्जन के कारण निधियों का अवरोधन	5.3	137
सामान का फर्जी जारी करना	5.4	138
विविध विभाग		
निष्क्रिय उपस्कर	5.5	139
छठा अध्यायः स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता		
सामान्य	6.1	141
सहकारिता विभाग		
विभाग द्वारा दिए गए अनुदानों तथा ऋणों के अनुश्रवण में कमियां	6.2	143
शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय)		
सरकारी निधियों का अवरोधन	6.3	145
समय पर पुरूषों के छात्रावास का निर्माण न करने के कारण विशेष अनुदान का व्यपगमन	6.4	146
उद्यान विभाग		
डॉ0 वाई0एस0 परमार, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) की कार्यप्रणाली	6.5	147
ग्रामीण विकास विभाग		
निष्फल व्यय तथा निधियों का अवरोधन	6.6	153
शहरी विकास विभाग		
विश्रामगृह भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	6.7	154

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-I	सरकारी लेखे	157
परिशिष्ट-II	अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों को दर्शाने वाली विवरणी	158
परिशिष्ट-III	वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधानों से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	159
परिशिष्ट-IV	अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	160
परिशिष्ट-V	निरन्तर बचतों/आधिक्यों का विवरण	161
परिशिष्ट-VI	मुख्य कारणों सहित महत्वपूर्ण बचतों का विवरण	162
परिशिष्ट-VII	निधियों का अभ्यर्पण	164
परिशिष्ट- VIII	वसूलियों से मुख्य भिन्नताएँ	166
परिशिष्ट- IX	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से सम्बन्धित मामले	167
परिशिष्ट- X	(क) मार्च 2002 के अन्त में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जिलावार व्याप्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	169
	(ख) 1999-2002 के दौरान दुर्बल समूहों की व्याप्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	170
परिशिष्ट- XI	(क) आवास निर्माण के वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	171
	(ख) नमूना जांचित खण्डों में निर्मित आवासों के वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	171
परिशिष्ट- XII	पैंशन के लाभों का दोहरा भुगतान दर्शाने वाली विवरणी	172
परिशिष्ट- XIII	मार्च 2002 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/पैरों का वर्षवार विखण्डन	173
परिशिष्ट- XIV	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में गंभीर अनियमितताएं जिन पर टिप्पणी की गई, दर्शाने वाली विवरणी	174
परिशिष्ट- XV	अवास्तविक आकलन के मामलों को दर्शाने वाली विवरणी	175
परिशिष्ट- XVI	सड़कों/पुलों के निर्माण न करने के कारण उपयोग में न लाई गई सड़कों तथा पुलों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी	176
परिशिष्ट- XVII	उन निकायों व प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।	177

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के प्रथम व द्वितीय अध्याय में 31 मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के संदर्भ में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जांच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं।

3. शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और लोक निर्माण व सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य विभागों सहित विभिन्न विभागों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा, भण्डार तथा स्टॉक की लेखापरीक्षा तथा स्वायत निकायों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित हैं।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणियों वाला प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर इस प्रकार की टिप्पणियों से अन्तर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलें उनमें से है जो वर्ष 2001-2002 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा वे मामले जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके। 2001-2002 की बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहां कहीं आवश्यक है, भी सम्मिलित किए गए हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कुछ चयनित कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों और सरकार के वित्तीय लेन-देनों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2001-2002 के वित्त तथा विनियोग लेखों पर दो अध्याय तथा चार अन्य अध्याय सम्मिलित हैं जो चार समीक्षाओं तथा 40 परिच्छेदों से अन्तर्विष्ट हैं। प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट महत्वपूर्ण समीक्षाओं पर एक सारांश इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया जाता है।

1. राज्य के वित्त पर समीक्षा

- मुख्यतः सरकारी लेखे पर घाटे में उच्च (27 प्रतिशत) वृद्धि के फलस्वरूप 2000-2001 की तुलना में 2001-2002 के दौरान राज्य सरकार की दायितायों में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 1042 करोड़ रू0 की ब्याज अदायगियाँ महत्वपूर्ण रूप से 244 करोड़ रू0 (31 प्रतिशत) बढ़ी। यह मुख्यतः आन्तरिक ऋण पर 153.27 करोड़ रू0 की ब्याज अदायगियों की वृद्धि के कारण थी। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियाँ राजस्व व्यय का 23 प्रतिशत थी।
- निधियाँ (5,356 करोड़ रू0) मुख्यतः राजस्व व्यय (85 प्रतिशत) की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की गई।
- कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2000-2001 में 11 प्रतिशत से सीमांत रूप से बढ़कर 2001-2002 में 12 प्रतिशत हो गया।
- 1997-2002 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य की सहायता राजस्व प्राप्तियों का चार से नौ प्रतिशत के मध्य तथा राजस्व व्यय का चार तथा आठ प्रतिशत के मध्य था।
- प्रेषण, उचंत बकाया, आदि के प्रभाव द्वारा समायोजित लोक ऋण में निवल जमा 1640.43 करोड़ रू0 था। पूंजीगत व्यय (649.80 करोड़ रू0) की पूर्ति तथा विकास एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उधार (30.35 करोड़ रू0) के उपरान्त 960.28 करोड़ रू0 का अधिशेष उत्पादित हुआ। राजस्व घाटे (860.46 करोड़ रू0) की पूर्ति के बाद 99.82 करोड़ रू0 का अधिशेष था।
- 1997-2002 के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में 777 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों में 20 प्रतिशत तथा अन्य दायितायों में 95 प्रतिशत की वृद्धि थी।
- सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास 315 दिन न्यूनतम नकद बकाए का अनुरक्षण नहीं कर सकी तथा 71 दिन में 587 करोड़ रू0 के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए, 229 दिन 2228 करोड़ रू0 की ओवर ड्राफ्टिंग की तथा 15 दिन 223 करोड़ रू0 के कोष बिलों की पुनः कटौती की।

(अध्याय-I)

राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचक

- विश्लेषण दर्शाता है कि ऋणात्मक चालू राजस्व से शेष तथा निवेश पर नगण्य आय ने राज्य की वित स्थिति की संपोषितता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला। गिरते हुए कर के अनुपात ने स्थिति बद्तर कर दी। परिणामतः सरकार को अधिक उधारों का सहारा लेना पड़ा। इसी प्रकार दायिता अनुपात से कम होती हुई परिसंपत्तियों, हानि वहन कर रही इकाइयों की गारंटियों सहित गारंटियों की उच्च राशियों तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों ने राज्यों की

वित्त स्थिति को और भी दुर्बल कर दिया। फलस्वरूप इस वर्ष ब्याज अदायगियाँ 244 करोड़ रू0 (31 प्रतिशत) तक भारी रूप से बढ़ी। यह कर राजस्व से भी 126 करोड़ रू0 बढ़ जाती यदि सीमाशुल्क, संघीय आबकारी शुल्क तथा सेवा शुल्क के संदर्भ में 203 करोड़ रू0 सीधे राज्य के कर राजस्व में जमा न करवा दिए गए होते। निवेशों पर नगण्य आय के कारण सीमित पूंजी व्यय का कोई अच्छा लाभ नहीं था।

(परिच्छेद 1.12)

2. विनियोजन लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

- सरकार द्वारा राज्य विधान सभा द्वारा संस्वीकृत राशियों से सारभूत रूप से किया गया अधिक व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभी नियमित करवाया जाना था। जुलाई 2002 को 1999-2002 के दौरान किया गया 8,341.72 करोड़ का अधिक व्यय नियमित किया जाना था।
- 2001-2002 के दौरान 45 मामलों में 469.17 करोड़ रू0 की बचतें थी। इनमें से प्रत्येक मामले में 50 लाख रू0 तथा इससे अधिक की 24 अनुदानों सहित 32 मामलों में 467.13 करोड़ रू0 की कुल बचतें हुई।
- वर्ष के दौरान 15 मामलों में प्राप्त किए गए कुल 34.89 करोड़ रू0 के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।
- 1999-2002 की अवधि के दौरान नौ अनुदानों तथा एक विनियोजन सहित नौ मामलों में 5 से 1723 प्रतिशत के मध्य सतत बचतें/आधिक्य हुए।
- 15 मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि समस्त बचतों से 19.41 करोड़ रू0 बढ़ गई। इसके अतिरिक्त चार अनुदानों के मामले में 49.02 करोड़ रू0 अभ्यर्पित किए गए यद्यपि व्यय अनुदान से बढ़ गया तथा अभ्यर्पण के लिए कोई बचतें उपलब्ध नहीं थी।
- 43 उप-शीर्ष जिनमें 13 अनुदान/विनियोजन सम्मिलित थे के मामले में 43.10 करोड़ रू0 अविवेक पूर्ण रूप से पुनर्विनियोजित किए गए क्योंकि या तो मूल अनुदान पर्याप्त थे या पुनर्विनियोजन हेतु कोई बचतें उपलब्ध नहीं थी।
- 645 लेखा शीर्षों/उप-शीर्षों में से अगस्त 2002 तक 431 लेखा शीर्षों, उप-शीर्षों (67 प्रतिशत) के सम्बन्ध में बचतों/आधिक्यों के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए।
- 1999-2002 के दौरान तीन विभागों द्वारा विभिन्न स्कीमों/विकास कार्यों आदि के लिए वास्तविक आवश्यकता से पूर्व आहरित किए गए 8.71 करोड़ रू0 में से 5.51 करोड़ रू0 (63 प्रतिशत) या तो निष्पादन इकाइयों (0.65 करोड़ रू0) या बैंकों में जमा (4.86 करोड़ रू0) के रूप में अप्रयुक्त पड़े थे।

(अध्याय-2)

3. स्थानीय जिला योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना

स्कीमों का उद्देश्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों तथा रोजगार अवसरों का सृजन करते हुए स्थानीय महत्व के लघु विकास निर्माण कार्यों का निष्पादन करना था। लेखापरीक्षा में स्कीमों की समीक्षा से निम्नवत् तथ्य उद्‌घाटित हुएः

- 19.11 लाख रू0 तथा 4.84 करोड़ रू0 के मध्य की राशियाँ बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के उपायुक्तों के पास अप्रयुक्त रही तथा बैंकों में रखी गई जिसके फलस्वरूप 2,887 निर्माण कार्यों के लक्ष्य के प्रति केवल 2,429 निर्माण कार्य (84 प्रतिशत) सम्पन्न हुए।

- बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर जिलों में जिला तथा खण्ड स्तर पर विकासात्मक निर्माण कार्यों के शैल्फ तैयार नहीं किए गए तथा ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित 2,887 पृथक्-पृथक् निर्माण कार्य उपायुक्तों द्वारा संस्वीकृत किए गए।

- 1997 तथा 2002 के मध्य स्थानीय जिला योजना निधियों से पहले से वित्तपोषित 263 चल रहे निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के उपायुक्तों द्वारा दिशा-निर्देशों की उपेक्षा करते हुए 65.99 लाख रू0 की अतिरिक्त निधियाँ संस्वीकृत की गई।

- बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के उपायुक्तों ने 305 निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जोकि स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं थे तथा निष्पादक अभिकरणों को 1.25 करोड़ रू0 निस्तारित किए।

- सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 1.44 करोड़ रू0 मूल्य के 87 निर्माण कार्य संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित करवाए गए।

(परिच्छेद 3.1)

4. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

अप्रैल 1999 में प्रारम्भ की गई *स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना* एक पावन कार्यक्रम था जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण, साख, प्रौद्योगिकी संरचना तथा विपणन सुविधायें प्रदान करते हुए ग्रामीण निर्धनों का आत्म सहायता समूहों में संगठन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलू आच्छादित थे। इस स्कीम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिगत परिवार को न्यूनतम 2000 रू0 की निवल मासिक आय सुनिश्चित करते हुए स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:

- आत्म-सहायता दलों के प्रशिक्षण, संरचनात्मक विकास तथा परिक्रामी निधि पर व्यय में कमी 46 तथा 81 प्रतिशत के मध्य थी।

- 10.47 करोड़ रू0 की लागत पर 400 हाईड्रैम्ज़ की संस्थापना के लिए एक विशेष परियोजना भली-मान्ति सोच विचार करके तैयार नहीं की गई थी।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों के अपेक्षित 50 प्रतिशत आच्छादन के प्रति नौ जिलों में वास्तविक आच्छादन 25 तथा 49 प्रतिशत के मध्य था। इसी प्रकार महिलाओं के अपेक्षित 40 प्रतिशत आच्छादन के प्रति चार जिलों में वास्तविक आच्छादन 16 तथा 35 प्रतिशत के मध्य था।

- नौ खण्डों में 123 लाभग्राहियों जिनके नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं थे, को 41.86 लाख रू० की सहायता निस्तारित की गई।

(परिच्छेद 3.2)

5. ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण आवास स्कीमें)

भारत सरकार की स्कीम *इन्दिरा आवास योजना* का लक्ष्य ग्रामीण आवास समस्या का सामना करना है। स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य तथा प्रहार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की आवास आवश्यकताओं का समाधान करना था। स्कीम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित की गई लेखापरीक्षा समीक्षा से निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

- निधियाँ निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब के फलस्वरूप 2.58 करोड़ रू० कम निस्तारित किए गए परिणामतः स्कीम के अन्तर्गत 1,170 लाभग्राही सहायता से वंचित रहे।

- 1999-2002 के दौरान 15 खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा 618 लाभग्राहियों को 61.80 लाख रू० की अदायगी की गई जबकि लाभग्राहियों ने न तो अपने आवासों में शौचालयों का निर्माण किया था और न ही धुंआ रहित चूल्हों का निर्माण किया जैसाकि स्कीम के अन्तर्गत अपेक्षित था।

- 2,065 लाभग्राहियों जिन्होंने 1997-2002 के दौरान मुख्य रूप से बसे हुए स्थानों पर अपने आवासों का निर्माण किया था को 51.62 लाख रू० की अधिक वित्तीय सहायता निस्तारित की गई।

(परिच्छेद 3.3)

6 लोक निर्माण विभाग तथा जनशक्ति प्रबन्धन की समीक्षा

लोक निर्माण विभाग विभिन्न सरकारी विभागों की सड़कों, पुलों तथा भवनों (आवासीय तथा अनावासीय) की योजना, निर्माण एवं अनुरक्षण तथा स्थानीय निकायों, लोक उपक्रमों, बोर्डों आदि की ओर से निक्षेप निर्माण कार्यों के रूप में सिविल अभियान्त्रिकी निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। सड़कों और पुलों का निर्माण विभाग का मुख्य कार्य है। राज्य के 16,997 गांवों को जोड़ने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सैक्टरों के अन्तर्गत विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण प्रारम्भ किया गया। प्रति 100 वर्ग कि०मी० 70.13 कि०मी० तथा प्रति 1,000 जनसंख्या के 7.55 कि०मी० का सड़क घनत्व प्रदान किए जाने के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कुल 39,045 कि०मी० लम्बी सड़क की आवश्यकता का निर्धारण किया गया। 22,634 कि०मी० लम्बी बनाई गई सड़क में से 11,286 कि०मी० लम्बी सड़क का उपयोग केवल अच्छे मौसम में ही किया जा सकता था। तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना ही सड़कों का निर्माण किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मुख्य तथ्य निम्नवत हैं :

- बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए। 1999-2002 के दौरान निरन्तर आधिक्य हुए जिसका राज्य के राजस्व घाटे में अंशदान रहा।

- धर्मपुर मण्डल में जून 2000 में अधिशेष घोषित किए गए 1,397 दिहाड़ीदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में 35 लाख रू0 निस्तारित करने में सरकार द्वारा विफल रहने के फलस्वरूप कामगारों की छंटनी नहीं हो पाई तथा उन्हें 5.02 करोड़ रू0 की मजदूरी की परिहार्य अदायगी करनी पड़ी।

- मार्च 2002 तक अर्की, बड़सर, बिलासपुर-II, कल्पा, करसोग, कुल्लू, कुमारसैन, मण्डी, निरमण्ड, पालमपुर, राजगढ़, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सुन्दरनगर मण्डलों द्वारा निर्माणार्थ प्रारम्भ किए गए 952 सड़क निर्माण कार्यों में से 644 निर्माण कार्य 83.45 करोड़ रू0 का व्यय करने के बाद अपूर्ण पड़े थे। 24 सम्पन्न निर्माण कार्यों के मामले में 3.47 करोड़ रू0 तथा 157 चल रहे निर्माण कार्यों के मामले में 29.59 करोड़ रू0 की लागत अधिक आई। इन मामलों में चार से 349 मास के मध्य का समय अधिक लगा।

- चम्बा, कल्पा, कांगड़ा, काजा, कुमारसैन तथा सुन्दरनगर मण्डलों द्वारा सात पुलों तथा तीन सड़कों के निर्माण पर किया गया 3.96 करोड़ रू0 का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि विभिन्न कारणों से इनका उपयोग नहीं किया जा सका।

- 66 सड़कों तथा दो पुलों के निर्माण पर किया गया 10.62 करोड़ रू0 का निवेश निरर्थक रहा, क्योंकि विभाग की विभिन्न चूकों के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण रहे।

- अर्की, बिलासपुर-II, करसोग, कुंल्लू-I, कुमारसेन, निरमण्ड, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-II, सोलन तथा सुन्दरनगर मण्डलों में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा बसे गांवों की शिनाख्त किए बिना अनुसूचित जाति संघटक योजना के अन्तर्गत 1999-2002 के दौरान 169 सड़कों के निर्माण पर 6.36 करोड़ रू0 व्यय किए गए।

- अर्की, बड़सर, बिलासपुर-II, कल्पा, कुल्लू, कुमारसैन, मण्डी, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सुन्दरनगर मण्डलों के द्वारा 1999-2002 के दौरान सडकों के अनुरक्षण पर 71.53 करोड़ रू0 नियत किए गए मानकों से अधिक व्यय किए गए।

(परिच्छेद 4.1)

7. डा0 वाई0 एस0 परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) की कार्य प्रणाली

डा0 वाई0 एस0 परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) की स्थापना शिक्षा की बागवानी, वानिकी तथा सम्बद्ध शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के लेखों तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जाँच से निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

- अपने कर्मचारियों तथा दिहाड़ी पर नियुक्त कामगारों को 1996-2002 के दौरान आवास किराया भत्ता/सचिवालय भत्ता के संदर्भ मे बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा 1.63 करोड़ रू0 की अधिक अदायगी एवं अग्राह्य तथा अनियमित अदायगी की गई।

- सोलन तथा नौणी के मध्य सरकारी तथा निजी परिवहन सुविधायें उपलब्ध होने के बावजूद बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने रियायती पास के आधार पर अपने कर्मचारियों को

परिवहन सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए अपनी बसें चलाई तथा 1997-फरवरी 2002 के मध्य 70 लाख रू0 की हानि उठाई।

- पर्याप्त तथा नियमित जलापूर्ति उपलब्ध न होने के कारण हयूमिडिफाईअर संस्थापित न करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा में दिसम्बर 1996 में 44.28 लाख रू0 की लागत पर संस्थापित पहले से निर्मित पाँच प्रशीतन भण्डार वॉक-इन-चैम्बर प्रयुक्त नहीं किए जा सके।

- जनवरी 1990- सितम्बर 1991 के दौरान चार संविदाकारों को कार्य सौंपे जाने की तिथि के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने के लिए सौंपे गए पाँच अपूर्ण निर्माण कार्यों पर किया गया 27.26 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 6.5)

8 राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के बकाया दावे

- सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मन्त्रालय से राष्ट्रीय उच्चमार्गों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के बकाया दावे 1980 में 1.55 लाख रू0 से बढ़कर जुलाई 2001 तक 33.70 करोड़ रू0 हो गए।

- राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों, पण्डोह तथा सोलन में 4.07 करोड़ रू0 के दावे रोक लिए गए क्योंकि सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मन्त्रालय से न्यायालय आज्ञप्ति/मध्यस्थता पंचाट आदि की संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

- चार उच्चमार्ग मण्डलों (जोगिन्द्रनगर, पण्डोह, रामपुर तथा सोलन) द्वारा किए गए 2.98 करोड़ रू0 की राशि के दावे प्राक्कलनों की संस्वीकृति के अभाव में रोक लिए गए।

- 14 भवन तथा सड़क मण्डलों (बैजनाथ, धर्मशाला, फतेहपुर, जस्सूर, ज्वाली, कांगड़ा, कुल्लू-II, मण्डी-II, नूरपुर, पालमपुर, शिमला-I, शिमला-II, सुन्दरनगर तथा ठियोग) द्वारा तीन राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों (जोगिन्द्रनगर, पण्डोह तथा सोलन) को हस्तांतरित 10.80 करोड़ रू0 के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु अक्तूबर 1998 के उपरान्त प्रयास नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 4.2)

9. 'लोक निर्माण निक्षेपों' के अन्तर्गत बकाया की समीक्षा

- 'लोक निर्माण निक्षेपों' के अन्तर्गत मार्च 1996 के अन्त में 64.74 करोड़ रू0 का बकाया मार्च 2002 के अन्त में बढ़ कर 177.07 करोड़ रू0 हो गया, जिससे 174 प्रतिशत की वृद्धि इंगित हुई।

- सिवरेज़ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन मण्डल, शिमला द्वारा पाईपों जिनकी निर्माण कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं थी के उपार्जन से पूर्व 1.61 करोड़ रू0 के आहरण के फलस्वरूप 1998-99 के लिए बजट आबंटन का अनियमित उपयोग हुआ तथा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकायों में 1.43 करोड़ रू0 की सीमा तक वृद्धि हुई।

- आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डल, शिमला द्वारा 1996-2000 के दौरान विभिन्न संविदाकारों के बिलों से 15.66 लाख रू0 की राशि के बिक्री कर की कटौती को सरकारी खाते में जमा

करने के लिए राज्य आबकारी तथा कराधान विभाग को जमा करने की बजाय निक्षेप शीर्ष में जमा किया गया। इसके फलस्वरूप राजस्व छिपाया गया तथा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकाए एकत्रित हुए।

- चार लोक निर्माण मण्डलों (बैजनाथ, चम्बा, मण्डी-I तथा शिमला-III) तथा दो सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डलों (देहरा तथा हमीरपुर) में 120 निर्माण कार्यों पर प्राप्त हुए निक्षेपों से 1.82 करोड़ रू0 अधिक व्यय किए गए, जिसके लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

- शिमला सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल-II में 1.54 करोड़ रू0 की राशि के निर्माण कार्यों के लिए निक्षेपों के बकाए फरवरी 2002 के अन्त तक अप्रयुक्त पड़े थे।

(परिच्छेद 4.15)

10. गृह विभाग के भण्डार तथा स्टॉक लेखे

पुलिस विभाग के भण्डार तथा स्टॉक लेखों की समीक्षा से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुए:

- पुलिस निक्षेप निधि के अन्तर्गत 5.15 करोड़ रू0 की अव्ययित राशि का 8 इकाइयों में कम आहरण करके 1997-2002 के दौरान समायोजन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप वर्षानुवर्ष विशाल राशियाँ सामान्य बजट प्रक्रिया के बाहर रखी गई।

- 'राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत संस्वीकृत 11.76 करोड़ रू0 में से 47.70 लाख रू0 का सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय कम्प्यूटरों, फर्नीचर की खरीद, ई0पी0ए0बी एक्स के संस्थापन आदि के लिए अपवर्तित किया गया जो कि स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं था।

(परिच्छेद 5.1)

11. निधियों का अवरोधन

- जिला चिकित्सालय, नाहन में अतिरिक्त स्थान के निर्माणार्थ 1.04 करोड़ रू0 की आवश्यकता के प्रति निष्पादक अभिकरण को 1.76 करोड़ रू0 की निधियाँ निस्तारित की गई जोकि पूर्णरूप से प्रयुक्त नहीं की गई क्योंकि आबंटन बिना माँग के किया गया था।

(परिच्छेद 3.12)

- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य मण्डल, रिकांगपिओ द्वारा मार्च 2001 के अन्तिम दो दिनों में आहरित किए गए 3.46 करोड़ रू0 में से 3.36 करोड़ रू0 हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम के पास सरकारी खाते के बाहर अप्रयुक्त पड़े थे जिसके फलस्वरूप उन्हें अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा सरकार को 22 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.14)

- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्च 1999 में निस्तारित किए गए 1.41 करोड़ रू0 अवरूद्ध पड़े थे क्योंकि छात्रावास का निर्माण ही प्रारम्भ नहीं किया गया।

(परिच्छेद 6.3)

12. निरर्थक निवेश

- सरकार द्वारा आवश्यकता का निर्धारण किए बिना हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड से कंदरोड़ी (कांगड़ा जिला) में आवासीय प्रयोजनार्थ खरीदे गए 21 आवासों के फलस्वरूप 66.81 लाख रू0 का निरर्थक निवेश हुआ।

  (परिच्छेद 4.3)

- उपस्करों की प्राप्ति के साथ भवनों के निर्माण की समकालिकता से ग्रस्त उपार्जन योजना, प्रशिक्षित स्टॉफ की तैनाती, समय पर मरम्मतें करवाना, इत्यादि की ओर अपर्याप्त ध्यान के परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों द्वारा 70.79 लाख रू0 की लागत पर प्राप्त उच्च मूल्य के उपस्करों की प्रयुक्तता नहीं हुई।

  (परिच्छेद 5.5)

13. निष्फल/निरर्थक व्यय

- कम्पनी को 90 दिन का नोटिस दिए बिना अनुबन्ध का रद्द करना विभाग के अविवेक पूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 3.85 करोड़ रू0 की परिहार्य दायिता तथा 79.55 लाख रू0 का व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 3.5)

- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पांगी घाटी (चम्बा जिला) में 10.5 किलोमीटर लम्बी प्रवाह सिंचाई स्कीम की संभाव्यता स्थापित करने में सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग की विफलता के फलस्वरूप 16.15 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 4.4)

- रिकांगपिओ कस्बे के लिए मल-प्रवाह परियोजना के संदर्भ में निरूत्साहित योजना तथा निष्पादन के फलस्वरूप असाधारण विलम्ब हुआ तथा इसकी 229 प्रतिशत लागत बढ़ी। सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल, रिकांगपिओ द्वारा मल-प्रवाह परियोजना सम्पन्न होने के दो वर्ष उपरान्त भी इसे चालू नहीं किया गया तथा आवासों के साथ जोड़ा नहीं गया था जिससे 1.86 करोड़ रू0 का निरर्थक निवेश हुआ।

  (परिच्छेद 4.5)

- भू-जल संगठन, ऊना द्वारा स्थल तथा अभिकल्प का अनुमोदन करवाए बिना सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य मण्डल, सुन्दरनगर द्वारा धंद्रास, कंडियाह तथा ट्रोट (मण्डी जिला) में तीन नलकूपों के निर्माण के फलस्वरूप 26.51 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 4.6)

- उठाऊ सिंचाई स्कीम, बाड़ी (मण्डी जिला) की दोषपूर्ण जाँच तथा अभिकल्प के फलस्वरूप पम्पिंग मशीनरी को क्षति पहुंचने के अतिरिक्त 22.46 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 4.7)

- ग्राम पंचायत, कुलेथ (चम्बा जिला) में 3,124 मीटर लम्बी सेंचक सिंचाई स्कीम की पाईप लाइन के संरेखण में ग्लेशियर युक्त स्थानों को सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा ध्यान न किए जाने तथा अपर्याप्त जाँच के फलस्वरूप 21.32 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 4.8)

- खेतों में बाड़ न लगाने, चक विकास कार्यों तथा विशेष मरम्मतों के निष्पादन में विलम्ब से पिन घाटी (लाहौल तथा स्पिति जिला) में प्रवाह सिंचाई स्कीम, चारलिंग मैदान को अकार्यात्मक कर दिया, जिसके फलस्वरूप 46.25 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 4.10)

- सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुंडलीहार (कांगड़ा जिला) के पम्प हाऊस के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में विफल रहने के फलस्वरूप 1.16 करोड़ रू0 का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

  (परिच्छेद 4.12)

- सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग, चम्बा तथा केलांग द्वारा तार के क्रेट उपलब्ध करवाने के लिए बनी बनाई अंतः संयोजक श्रृंखलाएं उपलब्ध तथा उपयोग करने में विफल रहने के फलस्वरूप 20.07 लाख रू0 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 5.2)

- नगर निगम, शिमला निधियों की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त/प्रतिस्थापन मदों के मूल्यों को अन्तिम रूप देने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप एक विश्रामघर के निर्माण पर जून 1997 तक 23.71 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

  (परिच्छेद 6.7)

14. अन्य रोचक बातें

- सात विभागों के नौ आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा दोहरे बिल तैयार करके पैंशन लाभों की 14.50 लाख रू0 की दोहरी/अप्राधिकृत अदायगियाँ की गई।

  (परिच्छेद 3.14)

- मार्च 2001 को सहकारिता विभाग की 121 चूककर्ता समितियों से ऋणों की वसूली योग्य राशि 3.71 करोड़ रू0 थी। इसमें से सात जिलों में परिसमापन के अन्तर्गत 26 समितियों के प्रति 45.20 लाख रू0 बकाया थे। 37 मामलों में समितियों से 20.12 लाख रू0 का दण्ड ब्याज वसूली योग्य था।

  (परिच्छेद 6.2.2)

- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में लड़कों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण न करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत 31.50 लाख रू0 के अनुदान का व्यपगमन हुआ।

  (परिच्छेद 6.4)

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त का सिंहावलोकन

1.1 परिचय

यह अध्याय वित्त लेखे में निहित सूचना के आधार पर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को विवेचित करता है। यह विश्लेषण राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय, व्यय की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रबन्ध की प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में सरकार की वित्तीय क्षमता के विश्लेषण को दर्शाने वाला एक प्रवर्ग भी निहित है जो कि वित्त लेखे में निहित सूचना व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई अन्य सूचना के आधार पर विकसित कतिपय अनुपातों व सूचकांकों पर आधारित है। इस अध्याय में प्रयुक्त कतिपय संकल्पनाएं परिशिष्ट-I में व्याख्यायित हैं।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति अचल परिसम्पत्तियों अर्थात शासन के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों आदि का विस्तृत लेखाकरण नहीं करती है तथापि सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों व उसके द्वारा वहन किए गए व्यय में से सृजित परिसम्पत्तियों को अवश्यमेव उजागर करते हैं। प्रदर्शन-I (पृष्ठ 3) 31 मार्च 2001 की तदनुरूपी स्थिति के साथ-साथ 31 मार्च 2002 को दायित्वों और परिसम्पत्तियों का सार देता है। इस विवरणी के दायित्वों में मुख्यतः वह धन सम्मिलित होता है जिसमें राज्य सरकार देनदार होती है जैसे कि आन्तरिक उधार, भारत सरकार से ऋण व अग्रिम, लोक लेखे, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से ओवरड्राफ्ट व आरक्षित निधियों से प्राप्तियां हैं और परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। प्रदर्शन-I प्रदर्शित करता है कि 2001-2002 के दौरान दायित्व 17 प्रतिशत बढ़ गए जबकि परिसम्पत्तियां केवल 12 प्रतिशत बढ़ीं। ये परिवर्तन मुख्यतः सरकारी लेखे में घाटे में उच्च वृद्धि (27 प्रतिशत) के कारण थे। परिणामतः सरकार की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई।

1.3 राज्य सरकार के वित्तीय प्रचालन

1.3.1 प्रदर्शन-II (पृष्ठ 4-5) राज्य सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों को वर्णित करता है। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (3,716 करोड़ रू0) से राजस्व व्यय (4,576 करोड़ रू0) बढ़ गया जिससे 860 करोड़ रू0 का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (1,119 करोड़ रू0), कर-भिन्न राजस्व (198 करोड़ रू0), संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश (122 करोड़ रू0) तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (2277 करोड़ रू0) शामिल थे। कर राजस्व के मुख्य स्रोत बिक्री कर, व्यापार आदि (32 प्रतिशत), राज्य आबकारी (21 प्रतिशत), वाहनों पर कर (12 प्रतिशत) तथा पदार्थों व सेवाओं पर कर व शुल्क (6 प्रतिशत), संघीय आबकारी शुल्क (10 प्रतिशत), सीमा शुल्क (7 प्रतिशत) थे। कर भिन्न राजस्व में मुख्यतः सामान्य सेवाएं (16 प्रतिशत), आर्थिक सेवाएं (63 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं (17 प्रतिशत) शामिल थीं।

1.3.2 प्रेषण, उचन्त शेष आदि के प्रभाव से यथासमायोजित लोक ऋण में निवल वृद्धि 1,640.43 करोड़ रू0 थी। इससे पूंजीगत व्यय (649.80 करोड़ रू0), विकासात्मक व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार (30.35 करोड़ रू0) की पूर्ति के पश्चात् 960.28 करोड़ रू0 का अधिशेष सृजित हुआ। 860.46 करोड़ रू0 के राजस्व घाटे के पश्चात् 99.82 करोड़ रू0 का अधिशेष था।

1.3.3 राज्य सरकार की प्राप्तियों व व्यय से सम्बद्ध वित्तीय प्रचालन प्रदर्शन-II में निहित सूचना तथा प्रदर्शन-IV (पृष्ठ 7) में प्रस्तुत 1997-98 से 2001-2002 तक के पांच वर्षों के समय श्रृंखला आंकड़ों के संदर्भ में निम्नांकित परिच्छेदों में विवेचित हैं।

1.4 निधि स्रोत व प्रयुक्ति

1.4.1 प्रदर्शन-III (पृष्ठ 6) चालू व पिछले वर्ष में निधि स्रोतों व प्रयुक्ति की स्थिति देता है। मुख्य निधि स्रोत सरकार की राजस्व प्राप्तियां, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां, लोक ऋण व लोक लेखे की प्राप्तियां हैं। ये मुख्यतः राजस्व व पूंजीगत व्यय एवं विकासात्मक प्रयोजनों हेतु उधार पर प्रयुक्त की गई थीं। यह स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की निधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनका सापेक्ष अंश 2000-2001 के 61 प्रतिशत से बढ़कर 2001-2002 में 69 प्रतिशत हो गया जो कि मुख्यतः सीमा शुल्क (82 करोड़ रूपए), संघीय आबकारी शुल्क (113 करोड़ रूपए) तथा सेवा-कर (8 करोड़ रूपए) से सम्बन्धित 203 करोड़ रू0 राज्य राजस्व प्राप्ति में जमा करवाने के कारण था। तथापि लोक लेखे की निवल प्राप्तियां मुख्यतः उचन्त एवं विविध लेनदेनों तथा जमा एवं अग्रिमों में कमी के कारण वर्ष 2000-2001 के 714.08 करोड़ रू0 से काफी घटकर वर्ष 2001-2002 में 187.60 करोड़ रू0 हो गई। इस अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियां 24 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई।

निधियां मुख्यतः राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त की गई थी जिनका अंश कुल उपलब्ध निधि के 87 प्रतिशत से घटकर 85 प्रतिशत हो गया तथा राजस्व प्राप्तियों (69 प्रतिशत) के अंश से अधिक रही। इससे निश्चित रूप से 860.46 करोड़ रू0 का राजस्व घाटा हुआ। तथापि कुल उपलब्ध निधियों में से पूंजीगत व्यय 11 प्रतिशत से न्यूनतम बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया और विकास प्रयोजनों हेतु उधार एक प्रतिशत रह गया।

प्रदर्शन -I
31 मार्च 2002 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए) (करोड़ रुपए)

31 मार्च 2001 को राशि		दायित्व	31 मार्च 2002 को राशि		31 मार्च 2001 को राशि		परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2002 को राशि	
2932.69		आन्तरिक ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट छोड़कर)		4309.87	5342.92		सकल पूंजीगत परिव्यय		5992.73
	935.42	ब्याज वाले बाजार ऋण	1299.32			1178.81	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1383.54	
	0.17	ब्याजरहित बाजार ऋण	0.17			4164.11	अन्य पूंजीगत व्यय	4609.19	
	576.37	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	651.76		252.35		ऋण व अग्रिम		253.43
	8.45	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	8.15			64.31	ऊर्जार्थ ऋण	64.31	
	229.68	राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	319.36			84.38	अन्य विकास ऋण	92.32	
	43.89	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	34.35			103.66	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	96.80	
	1046.71	अन्य संस्थाओं से ऋण	1431.09		..		उचन्त एवं विविध शेष		5.28
	92.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	92.00		0.16		अग्रिम		0.16
		केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को विशेष प्रतिभूति देना	473.67*		21.74		नकद		23.56
3045.18		केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम		2842.84		21.45	कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	23.27	
	65.02	1984-85 से पूर्व के ऋण	57.77			0.24	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	0.24	
	2236.39	आयोजनेतर ऋण	2009.72			0.05	नकद शेष निवेश लेखा	0.05	
	584.87	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	658.93		3188.92				
	0.45	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	0.40				सरकारी लेखे में घाटा		4049.38
	48.45	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	49.35			1891.68	31 मार्च 2001 तक संचित घाटा	3174.85	
	110.00	अर्थोपाय अग्रिम	66.67				जोड़ें		
5.00		आकस्मिकता निधि		5.00		1283.17	(i) चालू वर्ष का घाटा	860.46	
2001.32		लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि		2208.29		14.07	(ii) अन्य विविध समायोजन आदि	14.07	
20.34		उचन्त एवं विविध शेष		..					
573.63		जमा		445.04					
26.55		भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट		275.27					
41.77		आरक्षित निधियां		138.76					
75.78		भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		(-)22.21					
83.83		प्रेषण शेष		121.68					
8806.09		जोड़		10324.54	8806.09		जोड़		10324.54

* 1999-2001 के लिए लघु बचत संग्रहण अंश के रूप में शीर्ष 6004-01-102 से स्थानान्तरित किया गया 197.98 करोड़ रु0 सम्मिलित है।

प्रदर्शन-II
वर्ष 2001-2002 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रूपए) (करोड़ रूपए)

प्राप्तियां					संवितरण					
2000-2001				2001-2002	2000-2001		आयोजनेतर	योजनागत	कुल	2001-2002
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		प्रवर्ग-क राजस्व								
3045.58		**I-राजस्व प्राप्तियां**		3715.80		**I-राजस्व व्यय**				4576.26
	728.42	(i)कर राजस्व	1118.79		1613.65	सामान्य सेवाएं	1896.81	44.98	1941.79	
	176.96	(ii) कर-भिन्न राजस्व	198.33		1561.01	सामाजिक सेवाएं	863.08	680.68	1543.76	
	330.34	(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	121.84		879.94	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	473.56	403.97	877.53	
	889.74	(iv) आयोजनेतर अनुदान	1124.76		263.06	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	125.09	134.42	259.51	
	740.92	(v) राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	965.20		236.32	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	134.87	73.05	207.92	
	179.20	(vi) केन्द्रीय व केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	186.88		8.54	सूचना एवं प्रसारण	4.64	3.23	7.87	
					14.39	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.15	11.48	14.63	
1283.17		**II- प्रवर्ग ख को ले जाया गया राजस्व घाटा**		860.46	13.06	श्रम एवं श्रम कल्याण	8.86	3.73	12.59	
					142.50	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	110.48	50.05	160.53	
					3.20	अन्य	2.43	0.75	3.18	
					1133.67	**आर्थिक सेवाएं**	**611.57**	**458.34**	**1069.91**	
					444.10	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	217.29	223.30	440.59	
					138.86	ग्रामीण विकास	28.67	51.95	80.62	
					54.69	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	29.83	20.83	50.66	
					135.43	ऊर्जा	83.76	2.59	86.35	
					68.29	उद्योग एवं खनिज	4.98	34.34	39.32	
					224.73	परिवहन	235.90	67.15	303.05	
					2.03	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	..	1.41	1.41	
					65.54	सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.14	56.77	67.91	
					20.42	**सहायता अनुदान व अंशदान**	**2.87**	**17.93**	**20.80**	
4328.75		जोड़		4576.26	4328.75	जोड़	3374.33♣	1201.93	4576.26	4576.26#
		प्रवर्ग-ख-पूंजीगत								
(-)66.51		**III- स्थाई अग्रिम व नकद शेष निवेश लेखे आदि सहित नकद शेष**		(-) 54.05	548.71▲	पूंजीगत परिव्यय	(-) 0.01	649.81	649.80	649.80▲
					19.33	सामान्य सेवाएं	0.25	8.05	8.30	
					228.00	सामाजिक सेवाएं	0.37	269.27	269.64	
					24.81	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.17	41.01	41.18	
					36.64	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	..	18.41	18.41	
					164.16	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	..	207.39	207.39	

♣ इसमें केन्दीय प्रायोजित स्कीमों (सामान्य सेवाएं 3.09 करोड़ रू0; सामाजिक सेवाएं 2.44 करोड़ रू0; सामान्य आर्थिक सेवाएं: 0.04 करोड़ रू0) से सम्बद्ध आयोजनेतर व्यय के 5.57 करोड़ रू0 सम्मिलित हैं।

ये शुद्ध आंकड़े हैं जिनमें राजस्व व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

▲ ये शुद्ध आंकड़े हैं जिनमें पूंजीगत व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियां शामिल नहीं हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.19	सूचना एवं प्रसारण	..	0.04	0.04	
					1.70	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	..	2.25	2.25	
					0.40	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.20	0.15	0.35	
					0.10	अन्य	..	0.02	0.02	
					301.38	**आर्थिक सेवाएं**	(-)0.63	372.49	371.86	
					13.51	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	(-)0.63	16.39	15.76	
					0.13	ग्रामीण विकास	..	..	..	
					43.20	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	..	45.21	45.21	
					..	ऊर्जा	..	164.18	164.18	
					1.61	उद्योग एवं खनिज	..	0.13	0.13	
					240.78	परिवहन	..	145.04	145.04	
					2.15	सामान्य आर्थिक सेवाएं	..	1.54	1.54	
27.36		**IV-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां**		29.27	40.27	**III- संवितरित ऋण व अग्रिम**				30.35
	..	विद्युत परियोजनाओं से	..		2.66	विद्युत परियोजनाओं हेतु			..	
	19.20	सरकारी कर्मचारियों से	19.87		31.87	सरकारी कर्मचारियों को			14.03	
	8.16	अन्य से	9.40		5.74	अन्य को			16.32	
					1283.17	**IV-नीचे लाया गया राजस्व घाटा**				860.46
1557.20		**V-लोक ऋण प्राप्तियां**		1587.93♦	414.03	**V-लोक ऋण की चुकौती**				164.37
	1226.60	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1465.30		46.73	अर्थोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्टों को छोड़कर आंतरिक ऋण			88.12	
					16.84	ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन			(-)248.72♣	
	330.60	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	122.63		350.46	केन्द्रीय सरकार को ऋणों व अग्रिमों की चुकौती			324.97	
3878.50		**VI-लोक लेखा प्राप्ति**		3733.11	3164.42	**VI-लोक लेखा संवितरण**				3545.51
	691.88	लघु बचत व भविष्य निधि	761.04		436.68	लघु बचत व भविष्य निधि			554.07	
	63.39	आरक्षित निधियां	169.77		114.10	आरक्षित निधियां			72.78	
	1146.32	जमा व अग्रिम	737.41		976.97	जमा व अग्रिम			866.01	
	265.28	उचन्त व विविध	162.83		(-)103.06	उचन्त व विविध			188.44	
	1711.63	प्रेषण	1902.06		1739.73	प्रेषण			1864.21	
					(-) 54.05	**VII- अन्त में नकद शेष**				45.77
					21.44	कोषागारों व स्थानीय प्रेषण में नकदी			23.27	
					0.24	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष			0.24	
					(-)75.78	रिजर्व बैंक में जमा			22.21	
					0.05	नकद शेष निवेश			0.05	
5396.55				5296.26	5396.55					5296.26

♦ 1999-2001 के लिए लघु बचत संग्रहण अंश के रूप में शीर्ष 6004-01-102 से स्थानान्तरित किया गया, 197.78 करोड़ रू0 सम्मिलित है।

♣ 2814.33 करोड़ रू0 की प्राप्तियां तथा 2565.61 करोड़ रू0 का संवितरण दर्शाती हैं।

प्रदर्शन-III

स्रोत व निधि प्रयुक्ति

(करोड़ रूपए)

2000-2001			स्रोत	2001-2002	
3045.58		1.	राजस्व प्राप्तियां		3715.80
27.36		2.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली		29.27
1193.01		3.	ओवरड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋणों❀ में वृद्धि		1423.56
714.08		4.	लोक लेखे से शुद्ध प्राप्तियां		187.60
	255.20		लघु बचत, भविष्य निधि आदि में वृद्धि	206.97	
	169.35		जमा व अग्रिमों में वृद्धि	(-)128.60	
	(-)50.71		आरक्षित निधियों में कमी	96.99	
	368.34		उचन्त व विविध लेन-देनों का शुद्ध प्रभाव	(-)25.61	
	(-)28.10		प्रेषण लेन देनों का शुद्ध प्रभाव	37.85	
4980.03			जोड़		5356.23

2000-2001			प्रयुक्ति		2001-2002
4328.75		1.	राजस्व व्यय		4576.26
40.27		2.	विकास व अन्य प्रयोजनों के लिए उधार		30.35
548.71		3.	पूंजीगत व्यय		649.80
49.84		4.	ओवरड्राफ्ट में कमी		..
12.46		5.	इति नकद शेष में वृद्धि		99.82
4980.03			जोड़		5356.23

प्रदर्शन-I,II व III की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूर्वगामी विवरणियों के सारांशित लेखे वित्त लेखे की विवेचना व व्याख्या के साथ पढ़े जाने हैं।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकदाधार पर होने के कारण प्रदर्शन-I में प्रदर्शित सरकारी खाते का घाटा वाणिज्यिक लेखापद्धति में प्रोदभूत आधार के विपरीत नकदाधार पर स्थिति दर्शाते हैं। परिणामतः भुगतानयोग्य या प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास या स्टॉक आंकड़ों में भिन्नता आदि जैसी मदें इन लेखाओं में प्रदर्शित नहीं होती।

3. उचन्त एवं विविध शेष जारी किए गए लेकिन भुगतान न किए गए बैंक राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य बकाया पड़े समायोजन आदि शामिल हैं।

4. लेखाओं में प्रदर्शित व रिजर्व बैंक के पास जमा के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों में 275.55 करोड़ रू0 (शुद्ध क्रेडिट) का असमायोजित अन्तर था। 0.04 करोड़ रू0 (शुद्ध डेबिट) के अन्तर का समाधान हो चुका था तथा 275.51 करोड़ रू0 के अन्तर का समाधान प्रतीक्षित था (मई 2002)।

❀ *भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।*

प्रदर्शन-IV
राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आंकड़े

(करोड़ रुपए)

		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02
खण्ड क. प्राप्तियां						
1.	राजस्व प्राप्तियां	2170	2312	3715	3046	3716
(i)	कर राजस्व	476 (22)	572 (25)	620 (17)	729(24)	1119(30)
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	171 (36)	197 (34)	233 (38)	302(41)	355(32)
	राज्य आबकारी	159 (34)	185 (33)	199 (32)	209(29)	236(21)
	वाहन कर	16 (3)	17 (3)	28 (4)	61(8)	133(12)
	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	19 (4)	22 (4)	25 (4)	29(4)	34(3)
	विद्युत कर व शुल्क	7 (2)	28 (5)	*	28(4)	8(-)
	भू-राजस्व	2 (-)	1 (-)	6 (1)	4(1)	52(5)
	माल व यात्री कर	97 (20)	115 (20)	105 (17)	43(6)	34(3)
	पदार्थों व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	5 (1)	7 (1)	24 (4)	53(7)	64(6)
	सीमा शुल्क	–	–	–	–	82(7)
	संघीय आबकारी शुल्क	–	–	–	–	113(10)
	सेवा कर	–	–	–	–	8(1)
(ii)	कर-भिन्न राजस्व	222 (10)	206 (9)	1056 (28)	177(6)	198(6)
(iii)	संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	651 (30)	727 (31)	921 (25)	330(11)	122(3)
(iv)	भारत सरकार से सहायता अनुदान	821 (38)	807 (35)	1118 (30)	1810(59)	2277(61)
2.	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	–	–	–	–	–
3.	कुल राजस्व तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)	2170	2312	3715	3046	3716
4.	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	18	29	531	27	29
5.	लोक ऋण प्राप्तियां	828	1642	1477	1557	1588
	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	112(14)	357(22)	859(58)	1227(79)	1465(92)
	अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	–	819(50)	–	–	–
	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम#	716(86)	466(28)	618(42)	330(21)	123(8)
6.	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+5)	3016	3983	5723	4630	5333
7.	आकस्मिक निधि प्राप्तियां	–	4	–	–	–
8.	लोक लेखा प्राप्तियां	3512	4054	4932	3878	3733
9.	राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	6528	8041	10655	8508	9066
खण्ड ख-व्यय/संवितरण						
10.	राजस्व व्यय	2699	3334	3821	4329	4576
	योजनागत	842(31)	1006(30)	1073(28)	1282(30)	1202(26)
	आयोजनेतर	1857(69)	2328(70)	2748(72)	3047(70)	3374(74)
	सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	842(31)	1088(33)	1447(38)	1614(37)	1942(42)
	सामाजिक सेवाएं	994(37)	1265(38)	1376(36)	1561(36)	1543(34)
	आर्थिक सेवाएं	852(32)	967(29)	978(26)	1134(26)	1070(23)
	सहायता अनुदान व अंशदान	11	14	20	20(1)	21(1)
11.	पूंजीगत व्यय	541	584	554	549	650
	योजनागत	544(100)	584(100)	557(100)	554(100)	650(100)
	आयोजनेतर	(-)3	–	(-)3	(-)5	–
	सामान्य सेवाएं	20(4)	21(4)	34(6)	19(3)	8(1)

* केवल 21 लाख रु0।

\# भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित हैं।

		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02
	सामाजिक सेवाएं	144(27)	178(30)	201(36)	228(42)	270(42)
	आर्थिक सेवाएं	**377(69)**	**385(66)**	**319(58)**	**302(55)**	**372(57)**
12.	**ऋणों व अग्रिमों का संवितरण**	**151**	**85**	**60**	**40**	**30**
13.	**जोड़ (10+11+12)**	**3391**	**4003**	**4435**	**4918**	**5256**
14.	**लोक ऋण की चुकौती**	484	165	995	414	164
	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	10(2)	17(10)	28(3)	47(11)	88(54)
	अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	421(87)	--	717(72)	17(4)	(-)249 (-152)
	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम#	53(11)	148(92)	250(25)	350(85)	325(198)
15.	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**	**--**	**4(2)**	**--**	**--**	**--**
16.	**समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)**	**3875**	**4172**	**5430**	**5332**	**5420**
17.	**आकस्मिकता निधि का संवितरण**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18.	**लोक लेखा संवितरण**	**3212**	**3368**	**5091**	**3164**	**3546**
19.	**राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)**	**7087**	**7540**	**10521**	**8496**	**8966**
खण्ड-ग. घाटे						
20.	राजस्व घाटा (1-10)	529	1022	106	1283	860
21.	राजकोषीय घाटा (3+4-13)	1202	1662	189	1845	1511
22.	प्राथमिक घाटा (21-23)	830	1164	(-)408	1047	469
खण्ड-घ. अन्य सामग्री						
23.	**ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)**	**372**	**498**	**597**	**798**	**1042**
24.	राजस्व बकाया[α] (कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	170(24)	224(29)	189(11)	261(29)	264(20)
25.	स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	205	175	167	213	169
26.	प्राप्त किए हुए अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट (दिन)	43	119	253	185	300
27.	अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.97	2.23	6.69	4.96	9.16
28.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद♠	8837	10696	11983	12942	13977
29.	बकाया ऋण (वर्षान्त)	4337	6418	7104	8621	10220
30.	बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त)	1634	1869	1886	3804	4418
31.	प्रत्याभूति की गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	2357	2507	2897	4268	5112
32.	अधूरी परियोजनाओं की संख्या	87	39	25	17	3
33.	अधूरी परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	58	42	35	30	4

नोटः कोष्ठकों में प्रदत्त आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष की सकल से प्रतिशतता (पूर्णांक)दर्शाते हैं।

\# *भारत सरकार से अर्थोपाय अग्रिम सहित।*

α *स्रोतः सम्बद्ध वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) का परिच्छेद 1.5*

♠ *सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़ों का स्रोतः हिमाचल प्रदेश सरकार का आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग। आंकड़ों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है। वर्ष 2001-02 हेतु 1999-2000 के प्रति 2000-01 के दौरान आठ प्रतिशत की वृद्धि पर निकाले गए हैं।*

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्तियों तथा कर एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं। उनका सापेक्ष अंश आकृति-I में प्रदर्शित है। 2001-2002 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 2000-2001 के स्तर से 22 प्रतिशत बढ़ी। यह मुख्यतः वाहन कर में 2000-2001 में 8 प्रतिशत से 2001-2002 में 12 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी, भू-राजस्व 2000-2001 में 1 प्रतिशत से 2001-2002 के दौरान 5 प्रतिशत बढ़ा तथा राज्य राजस्व प्राप्ति में सीमा शुल्क (7 प्रतिशत), संघीय आबकारी शुल्क (10 प्रतिशत) तथा सेवाकर (1 प्रतिशत) जमा हुआ था।

आकृति-I
राजस्व प्राप्तियां 2001-2002
(करोड़ रूपए)

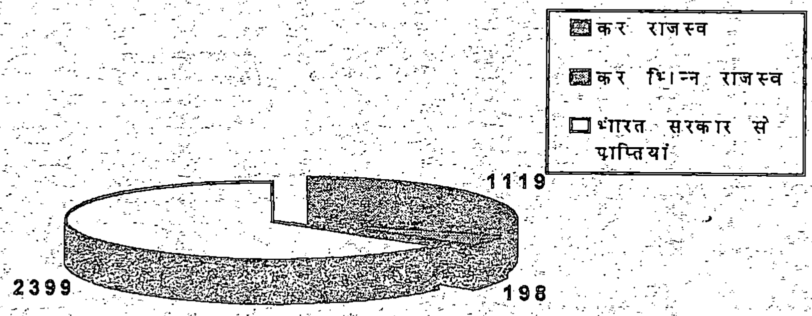

1.5.2 *कर-राजस्व*

2001-2002 में कर राजस्व में 53 प्रतिशत की वृद्धि के कारण कुल राजस्व में कर राजस्व का अंश 2000-01 में 24 प्रतिशत से बढ़कर 2001-2002 में 30 प्रतिशत हो गया। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि बिक्री कर, व्यापार, आदि के सापेक्ष अंशदान तथा राज्य आबकारी में 2000-2001 में 70 प्रतिशत से 2001-2002 में 53 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट आई।

1.5.3 *कर-भिन्न राजस्व*

कर-भिन्न राजस्व जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों का छः प्रतिशत था, वर्ष 2000-2001 के दौरान 177 करोड़ रू0 से बढ़कर वर्ष 2001-2002 के दौरान 198 करोड़ रू0 रह गया।

1.5.4 *संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान*

वर्ष के दौरान संघीय करों व शुल्कों (आय एवं निगम कर आदि) में राज्यांश 63 प्रतिशत तक घट गया। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 2000-2001 के 11 प्रतिशत से घटकर 2001-2002 में 3 प्रतिशत हो गया। 1997-2002 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का औसतन 65 प्रतिशत संघीय करों व शुल्कों में राज्य के अंश तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के कारण था। यद्यपि वर्ष 2001-2002 के दौरान अंशदान में कमी 64 प्रतिशत थी जो प्रत्यक्ष रूप से सीमा शुल्क (82 करोड़ रू0), संघीय आबकारी शुल्क (113 करोड़ रू0) तथा सेवाकर (8 करोड़ रू0) राज्य

राजस्व प्राप्ति में 203 करोड़ रू0 जमा करने के कारण थी। तथापि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 467 करोड़ रू0 की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राज्य सरकार के कुल व्यय* में से अधिकांश व्यय (88 प्रतिशत) राजस्व व्यय था तथा 1997-98 के दौरान इसका भाग 83 प्रतिशत से बढ़ गया। जबकि आयोजनेतर राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं वर्ष 2000-2001 की तुलना में वर्ष 2001-2002 में योजनागत राजस्व व्यय में 6 प्रतिशत की गिरावट आई जैसा कि आकृति 2 में प्रदर्शित है।

आकृति 2
योजनागत व आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि
(करोड़ रूपए)

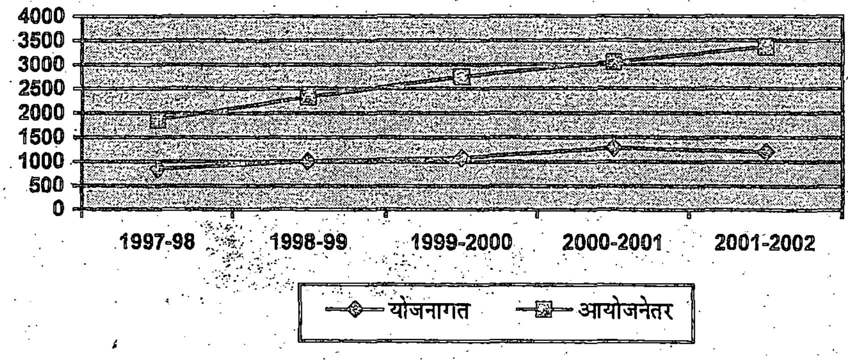

(करोड़ रूपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
योजनागत	842	1006	1073	1282	1202
आयोजनेतर	1857	2328	2748	3047	3374

1.6.2 सैक्टरबद्ध विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय 1997-98 के 842 करोड़ रू0 से 131 प्रतिशत बढ़कर 2001-2002 में 1942 करोड़ रू0 हो गया। आर्थिक सेवाओं व सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि 1997-2002 के दौरान क्रमशः 26 व 55 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं के अंश में 1997-1998 में 37 प्रतिशत से 2001-2002 में 3[illegible] प्रतिशत गिरावट आई तथा आर्थिक सेवाओं में 1997-1998 में 32 प्रतिशत से 2001-2002 में 23 प्रतिशत की गिरावट आई।

1.6.3 ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान 1997-98 के 372 करोड़ रू0 से तीव्र गति से 180 प्रतिशत बढ़कर 2001-2002 में 1042 करोड़ रू0 हो गया। ब्याज भुगतान 2000-2001 के भुगतान की तुलना में 244 करोड़ रू0 (31 प्रतिशत) से बढ़ गया, यदि सीमा शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क आदि के 203 करोड़ रू0 कर राजस्व में जमा न किये जाते तो ब्याज भुगतान कर राजस्व से 126 करोड़ रू0 बढ़ जाना था। ब्याज भुगतान में

---

* राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय

वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण पर ब्याज भुगतान में 153.27 करोड़ रू0 की वृद्धि के कारण थी। इन वर्षों में राज्य सरकार के राजस्व व्यय में 23 प्रतिशत का ब्याज भुगतान था। इनका विवेचन इस प्रवर्ग के वित्तीय सूचकों में दिया गया है।

1.6.4 स्थानीय निकायों व अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2001-2002 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान विभिन्न निकायों आदि को दी गई सहायता की मात्रा निम्नवत् थीः-

तालिकाः1.1

(करोड़ रूपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	66.60	56.16	68.84	74.13	88.47
नगर निगम व नगर पालिकाएं	31.75	23.52	16.77	29.99	18.66
जिला परिषद व पंचायती राज संस्थाएं	20.45	18.76	20.57	85.75	36.25
विकास अभिकरण	48.68	49.30	21.94	8.14	9.84
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	3.89	0.37	0.11	0.10	..
अन्य संस्थाएं	33.40	26.61	39.20	14.67	15.87
जोड़	204.77	174.72	167.43	212.78	169.09
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ह्रास (-) की प्रतिशतता	(+) 55	(-) 15	(-) 4	(+)27	(-) 21
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में सहायता	9	8	4	7	5
राजस्व व्यय पर सहायता की प्रतिशतता	8	5	4	5	4

2000-2001 की तुलना में 2001-2002 के दौरान विकासशील अभिकरणों, एवं अन्य संस्थानों को सहायता में 1.70 करोड़ रू0 तथा 1.20 करोड़ रू0 की अंशतः वृद्धि हुई। 2000-2001की तुलना में 2001-2002 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को दी गई समग्र सहायता में 21 प्रतिशत की कमी हुई। 1997-2002 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य को सहायता राजस्व प्राप्तियों की 4 तथा 9 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय की 4 तथा 8 प्रतिशत के मध्य रही।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम

सरकार सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सहकारिताओं, गैर सरकारी संस्थाओं आदि को विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण एवं अग्रिम प्रदान करती है। 1997-98 से 2001-2002 तक के पांच वर्षों की स्थिति इस प्रकार थी।

तालिका: 1.2

(करोड़ रूपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-2002
अथशेष	521.53	654.30	709.94	239.44	252.35
वर्ष में प्रदत्त राशि	151.04	84.93	60.26	40.27	30.35
वर्ष में चुकता की गई राशि	18.27	29.29	530.76	27.36	29.27
अन्तिम शेष	654.30	709.94	239.44	252.35	253.43
निवल वृद्धि/कमी(-)	132.77	55.64	(-) 470.50	12.91	1.08
प्राप्त ब्याज	3.48	4.36	158.13	14.55	6.88

ऋणों के बारे में, जिनके विस्तृत लेखों को विभागीय अधिकारियों द्वारा रखा जाता है, 31 मार्च 2002 को दिए गए ऋणों के प्रति कुल वसूली योग्य अतिदेय राशि उपलब्ध सूचनानुसार (जुलाई 2002) 6.85 करोड़ रू0 थी जिसमें ब्याज के 3.49 करोड़ रू0 भी सम्मिलित थे। बकायों का मुख्य भाग सहकारिता विभाग (5.12 करोड़ रू0) के अन्तर्गत "सहकारी सभाओं को ऋण", तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (1.31 करोड़ रू0) को ऋण से सम्बन्धित था।

1.7 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय से परिसम्पत्ति सृजन होता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिसम्पत्तियां सरकार से बाहर की संस्थाओं या उपक्रमों अर्थात् लोक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों तथा ऋणों व अग्रिमों आदि में निवेशित धन से बढ़ती है। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2000-2001 के 11 प्रतिशत के प्रति 2001-02 में 12 प्रतिशत बढ़ गया। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि अधिकांश पूंजीगत व्यय (99 प्रतिशत) आर्थिक व सामाजिक सेवाओं पर तथा योजनागत पक्ष में हुआ।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 सरकार विभिन्न कार्यकलापों पर धन खर्च करती है जो कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से लेकर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के विनियमन कार्यों तक होता है। सरकारी व्यय मोटे तौर पर योजनागत एवं आयोजनेतर तथा राजस्व व पूंजीगत में वर्गीकृत किया जाता है। योजनागत व पूंजीगत व्यय सामान्यतः परिसम्पत्ति सृजन से सम्बद्ध होता है जबकि आयोजनेतर व राजस्व व्यय को स्थापना, अनुरक्षण सेवाओं पर हुए व्यय के साथ अभिज्ञात किया जाता है। अतएव सामान्य परिभाषा में योजनागत व पूंजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में अंशदायी माना जा सकता है।

1.8.2 सार्वजनिक अपव्यय, निधि अपवर्तन तथा अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधि भी पर्याप्तरूपेण व्यय की गुणवत्ता पर असर डालेगी। इसी प्रकार व्ययस्वरूप लेखाबद्ध करने पर लोक लेखे में निक्षेप शीर्ष में हस्तान्तरित निधि भी व्यय की गुणवत्ता में निर्णायक समझी जा सकती है। चूंकि व्यय वास्तव में सम्बद्ध वर्ष में नहीं किया गया, अतः उसे उस वर्ष के व्ययांकड़ों से निकाल देना चाहिए। आर्थिक व सामाजिक सेवाओं के प्रतिकूल सामान्य सेवाओं के व्यय में वृद्धि एक अन्य संभावी सूचक है।

1.8.3 निम्नांकित तालिका इन द्योतकों की प्रवृत्ति की सूची दर्शाती है।

तालिका:1.3

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-2002
1. प्रतिशतता के रूप में योजनागत व्यय					
-राजस्व व्यय	31	30	28	30	26
- पूंजीगत व्यय	100	100	100	100	100
2. पूंजीगत व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	17	15	13	11	12
3. सामान्य सेवाओं पर व्यय					
-पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)	4	4	6	3	1
-राजस्व व्यय (प्रतिशतता)	31	33	38	37	42
4. नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पता लगे अपव्यय व निधि अपवर्तन आदि की राशि (करोड़ रूपए)	1	5	86	79	68
5. अपूर्ण परियोजनाओं पर अपारिश्रमिक व्यय (करोड़ रूपए)	58	42	35	30	4

यह देखा जाएगा कि राजस्व में योजनागत व्यय का अंश 1997-98 के 31 प्रतिशत से घटकर 2001-2002 में 26 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय का अंश 1997-98 के 17 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में 12 प्रतिशत रह गया।

1.9 वित्तीय प्रबन्ध

सरकार में वित्तीय प्रबन्ध का मुद्दा कार्यक्षमता, मितव्ययिता, प्रभावशीलता व उसके राजस्व व व्यय क्रियाकलापों से सम्बद्ध होना चाहिए। इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्याय इन मुद्दों से सम्बद्ध हैं और विशेषकर नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आधारित सरकार के व्यय से सम्बद्ध हैं। कुछ अन्य ऐसे परिमाप इस प्रवर्ग में विवेचित है जिन्हें लेखाओं तथा सरकार की अन्य सम्बद्ध वित्तीय सूचना से पृथक किया जा सकता है।

1.9.1 निवेश व प्रतिफल

निवेशों के सैक्टरबद्ध ब्यौरे व सम्बद्ध प्रतिष्ठानों की संख्या निम्नांकित थीं:-

तालिका: 1.4

(करोड़ रूपए)

सैक्टर	प्रतिष्ठानों की संख्या	निवेशित पूंजी	
		31.03.2002 को	2001-2002 के दौरान
सांविधिक निगम/बोर्ड	6	504.12	38.53
सरकारी कम्पनियां	20	807.90	165.31
संयुक्त स्टॉक कम्पनियां	14	0.10	..
सहकारी संस्थाएं	♣	71.42	0.89
जोड़	40	1383.54	204.73

विगत पांच वर्षों में निवेशों तथा लाभांश व ब्याज के माध्यम से वसूल किए गए प्रतिफलों के ब्यौरे निम्नांकित थेः-

तालिका: 1.5

(करोड़ रूपए)

वर्ष	वर्षान्त में निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल की प्रतिशतता	सरकारी उधार पर ब्याज दर
1997-98	858.38	0.24	0.028	13.75/13.05
1998-99	972.66	0.54	0.055	12.50
1999-2000	1104.77	0.59	0.053	11/12.25
2000-2001	1178.81	0.61	0.052	10.50/12.00
2001-2002	1383.54	0.89	0.064	8.00/10.35

इस प्रकार यद्यपि सरकार बाजार से उच्च दरों पर उधार ले रही थी लेकिन सरकारी कम्पनियों आदि में उसके निवेश से खास प्रतिफल प्राप्त नहीं हुए।

♣ राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2002 को 3 अपूर्ण परियोजनाएं थीं जिनमें 4 करोड़ रू0 अवरूद्ध थे। 31 मार्च 2001 (ब्यौरे प्रदर्शन IV में है) की तुलना में यह स्थिति सुधार ली गई थी। यद्यपि वर्ष 2000-2001 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 2001-2002 के दौरान 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.9.3 बकाया राजस्व

2000-2001 की बकाया राशियों की तुलना में इस वर्ष के दौरान संग्रहणार्थ बकाया राजस्व एक प्रतिशत बढ गया। लम्बित बकाया 1997-2002 (प्रदर्शन IV) में राज्य सरकार द्वारा जुटाए गए राजस्व का 11 प्रतिशत तथा 29 प्रतिशत के बीच था।

1.9.4 घाटा

(क) सरकारी लेखाओं में घाटा आय व व्यय के बीच आए अन्तर को प्रकट करता है। घाटे की प्रकृति सरकार की वित्तीय प्रबन्ध प्रक्रिया की महत्वपूर्ण सूचक है। इसके अतिरिक्त घाटे को वित्तपोषित करने के तरीके तथा इस ढंग से जुटाई गई निधि की प्रयुक्ति सरकार की वित्तीय बुद्धिमता की महत्वपूर्ण परिचायक है। इस प्रवर्ग की विवेचना घाटे की तीन संकल्पनाओं अर्थात् राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे व प्राथमिक घाटे से सम्बद्ध है।

(ख) राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे को राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) पर राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रदत्त निवल ऋणों सहित) की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतानों को कम करके राजकोषीय घाटा है। निम्नांकित प्रदर्शन 2001-2002 में सरकारी लेखे में घाटे का विवरण प्रस्तुत करता है:-

प्रदर्शन-V
सरकार के समग्र वित्तीय लेनदेन

(करोड़ रूपए)

समेकित निधि				
प्राप्ति	राशि		संवितरण	राशि
राजस्व	3716	राजस्व घाटाः 860	राजस्व	4576
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	—		पूंजी	650
ऋणों व अग्रिमों की वसूली	29		ऋण व अग्रिम संवितरण	30
उप-जोड़	3745	सकल राजकोषीय घाटा 1511	उप-योग	5256
लोक ऋण	1588		लोक ऋण चुकौती	164
जोड़	5333	क. समेकित निधि पर घाटा 87		5420
लोक लेखा				
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	761		लघु बचत, भविष्य निधि आदि	554
निक्षेप एवं अग्रिम	737		निक्षेप एवं अग्रिम	866
आरक्षित निधियां	170		आरक्षित निधियां	73
उचन्त एवं विविध	163		उचन्त एवं विविध	189
प्रेषण	1902		प्रेषण	1864
कुल लोक लेखा	3733	ख. लोक लेखा द्वारा वित्तपोषित समेकित निधि में घाटा: 187	कुल लोक लेखा	3546
नकद शेष में वृद्धि (क-ख): 100				

यह तालिका प्रदर्शित करती है कि 860 करोड़ रू0 का राजस्व घाटा अंशतः ऋणों व अग्रिमों (29 करोड़ रू0) की निवल वसूली तथा अंशतः उधारों से पूरा किया गया। 1,511 करोड़ रू0 का राजकोषीय घाटा लोक ऋण (1,424 करोड़ रू0) की निवल लब्धियों तथा अंशतः लोक लेखे से अधिशेष द्वारा वित्तपोषित किया गया। वर्ष 2000-2001 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व घाटा 423 करोड़ रू0 (33 प्रतिशत) तक घट गया। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा भी 2000-01 में 1,845 करोड़ रू0 में से 334 करोड़ रू0 (18 प्रतिशत) घटकर 2001-02 में 1511 करोड़ रू0 हो गया। वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का 57 प्रतिशत था।

(ग) उधार ली गई निधियों की प्रयुक्ति (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल उधार को प्रकट करता है। ये उधार राजस्व घाटे की पूर्ति, पूंजीगत व्यय करने तथा विकासात्मक व अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इन प्रयुक्तियों का सापेक्षिक अनुपात राज्य सरकार की वित्तीय बुद्धिमत्ता व उसके कार्यकलापों की ग्राह्यता को इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए सतत उधार दीर्घकाल में ग्राह्य नहीं होगा। निम्नांकित तालिका हिमाचल प्रदेश सरकार की विगत पांच वर्षों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका: 1.6

अनुपात	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-2002
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	0.44	0.62	0.56	0.70	0.57
पूंजीगत व्यय/ राजकोषीय घाटा	0.45	0.35	2.93	0.30	0.43
निवल ऋण/ राजकोषीय घाटा	0.11	0.03	(-) 2.49	◊	♣
कुल	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

यह अवलोकित होगा कि वर्ष 2000-01 में उधार ली गई 57 प्रतिशत निधियां राजस्व व्यय की पूर्ति पर प्रयुक्त हुई।

1.9.5 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियां

(क) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा जुटाए गए ऋणों व शेयर पूंजी की चुकौती जैसे कुछ दायित्वों के निर्वहन तथा उनके द्वारा ब्याज भुगतान व न्यूनतम लाभांश के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतियां दी जाती हैं। वे राज्य की आकस्मिक देयताएं होती हैं। राज्य के विधानमण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अन्तर्गत कोई ऐसा कानून पारित नहीं किया है जिसमें राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा प्रत्याभूतियां देने की अधिकतम

◊ 0.007

♣ *0.0007*

सीमा निर्धारित हो। प्रदर्शन-IV प्रदर्शित करता है कि 1997-2002 में सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की राशियां 2,357 करोड़ रू0 से बढ़कर 5,112 करोड़ रू0 (117 प्रतिशत वृद्धि) हो गई। प्रत्येक वर्ष के अन्त में बक़ाया पड़ी राशियां भी बढ़ गई थीं। 2001-2002 में 1.16 करोड़ रू0 गारण्टी कमीशन के रूप में प्राप्त हुए थे जबकि 31 मार्च 2002 को सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से वसूली हेतु 5.95 करोड़ रू0 की गारण्टी कमीशन बक़ाया था।

(ख) प्रत्याभूतियों को जारी करना एवं उनका प्रबन्ध

सरकारी विभागों द्वारा प्रत्याभूति उपलब्ध करवाने की पद्धति का पाँच[1] प्रशासनिक विभागों के अन्तर्गत सात[2] निगमों जिनमें 1996-2002 के दौरान 476.60 करोड़ रू0 की प्रत्याभूतियाँ दी गई थी के अभिलेखों की नमूना-जाँच द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई।

(i) अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग ने सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों तथा प्रत्याभूति शुल्क के संग्रहण एवं वचनबद्धता प्रभारों का कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया। ऋणग्राही संस्थाओं से प्रत्याभूतियों की सूचना/विवरण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा संगृहीत किए जा रहे थे तथा तत्पश्चात् इन्हें प्रत्येक वर्ष के वित्त लेखे में समाविष्ट करने हेतु समेकित किया जा रहा था। वित्त विभाग या प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रत्याभूति का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था। प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रत्याभूतियां स्वतः दी जा रही थीं। ऋण ग्राही संस्थाओं की उधार लौटाने की क्षमता, ऋणों की मोहलत के लिए निक्षेप निधि का सृजन, प्रत्याभूति शुल्क एवं वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान तथा प्रत्याभूति का उपयोग न किए जाने वाले अंश के निरस्तीकरण को सुनिश्चित नहीं किया गया/उस पर निगाह नहीं रखी गई। अनुसंधान अधिकारी (वित्त विभाग) ने बताया (मई 2002) कि ऋणग्राही संस्थाओं की उधार लौटाने की क्षमता के निर्धारण हेतु कोई कार्यविधि लागू नहीं की जा सकी क्योंकि उनमें से अधिकांश संस्थाएं हानि वहन कर रही थीं। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विहित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया था।

(ii) हानि वहन करने वाली इकाइयों को प्रत्याभूतियाँ

(क) सरकार ने कई हानि वहन करने वाली इकाईयों को ऋण हेतु प्रत्याभूति दे रखी थी। ऐसी कुछ संस्थाओं का विवरण निम्नांकित हैः-

तालिकाः 1.7

(करोड़ रूपए)

क्र0	संस्था का नाम	31 मार्च 2001 को बक़ाया प्रत्याभूतियां	मार्च 2001 के अन्त तक हानि	अभ्युक्ति
1.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	42.85	34.76	वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखे प्रक्रियाधीन बताए गए (मई 2002)।
2.	हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	1.38	0.44	
3.	हि0प्र0 राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	0.24	0.54	
4.	हि0प्र0 वित्तीय निगम	74.42	5.52	
5.	हि0प्र0 कृषि उद्योग निगम	0.75	4.14	
6.	हि0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	175.52	1.52	
	जोड़	295.16	46.92	

[1] *खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग तथा कल्याण विभाग।*

[2] *स्वास्थ्य प्रणाली निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वर्ग एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम।*

(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा प्रत्याभूति के प्रति प्राप्त 674.63 करोड़ रू0 के ऋण मार्च 2002 तक बकाया थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम ने 1996-2001 के दौरान 30.07 करोड़ रू0 की हानि उठाई लेकिन उसने 1996-97 से अनुगामी वर्षों के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था।

सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग/प्रबन्ध निदेशक ने इन हानियों को क्रियाकलापों को बढ़ावा देने, कर्मचारियों की अधिक संख्या तथा भारी स्थापना प्रभारों, वेतन के परिशोधन एवं रॉयल्टी दरों में वृद्धि से सम्बद्ध किया। तथापि सरकार ने ऐसी बीमार इकाइयों को दी गई प्रत्याभूति के जोखिम कारक को कम करने के लिए कोई पग नहीं उठाए।

(iii) क्रियाविधि सम्बन्धी अनियमितताएं

(क) 1996-98 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा प्रयुक्त 35 करोड़ रू0 की नकद उधार सीमा के लिए वन एवं संरक्षण विभाग द्वारा प्रदत प्रत्याभूति के लिए मन्त्रीमण्डल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। बैंकों/निगम को संस्वीकृति सूचित करते समय वित्त विभाग से भी परामर्श नहीं किया गया था। वन सचिव ने बताया (मई 2002) कि मंत्रीमण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जा रही थी। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूर्वानुमोदन अपेक्षित था।

(ख) चार संस्थाओं ने सरकार की प्रत्याभूति के प्रति जुलाई 1995- सितम्बर 2002 के दौरान 131.68 करोड़ रू0 के ऋण लिए। यह पाया गया कि उन्होंने 1.46 करोड़ रू0 के प्रत्याभूति शुल्क व वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान नहीं किया, जैसा कि निम्नांकित है।

तालिकाः 1.8

(करोड़ रूपए)

क्र0	संस्था का नाम	ली गई प्रत्याभूति की राशि	प्रत्याभूति शुल्क तथा वचनबद्धता की राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	112.00	1.34	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने सरकार की प्रत्याभूति के प्रति कांगड़ा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक, धर्मशाला से ऋण का लाभ उठाया (जुलाई-सितम्बर 2000)।
2.	कृषि उद्योग पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	13.00	0.08	सरकार ने जुलाई 1995 में प्रत्याभूति दी।
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड	6.00		सरकार ने राज्य सहकारिता बैंक से एचपी एमसी तथा हिमफैड के पक्ष में क्रमशः पाँच करोड़ रू0 तथा दो करोड़ के नकद उधार सीमा का प्रस्ताव अनुमोदित किया (मार्च 1999)। तथापि मूलधन तथा उस पर ब्याज की चुकौती हेतु चूक प्रत्याभूति विलेख एचपीएमसी के साथ एक करोड़ रू0 तथा हिमफैड के साथ छः करोड़ रू0 में निष्पादित किए गए (मार्च 1999)। इस प्रकार करार की शर्तें कार्यान्वित नहीं की गई थी। एचपीएमसी ने केवल 68.36 लाख रू0 के ऋणों का लाभ उठाया।
4.	हिमाचल प्रदेश विपणन एवं विधायन निगम लिमिटेड	0.68	0.04	
	जोड़ः	131.68	1.46	

यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा कृषि उद्योग पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड ने बताया (जुलाई 2002) कि निधि अभाव के कारण ये प्रभार चुकाए नहीं जा सके, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं विधायन निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड ने बताया (जुलाई 2002) कि इन प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त करने का मामला सरकार के साथ चल रहा था। ये उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि इन प्रभारों का भुगतान स्थगित नहीं किया जा सकता।

1.10 लोक ऋण

भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि कोई राज्य अपने विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा, यदि है, के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारतीय क्षेत्र में उधार ले सकता है। राज्य विधानमण्डल द्वारा ऐसी सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया गया था। विगत पांच वर्षों के अन्त में राज्य सरकार के कुल दायित्वों के ब्यौरे निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं। इन पांच वर्षों में सरकार के कुल दायित्व 136 प्रतिशत बढ़ गए थे। यह आन्तरिक ऋण में 777 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों में 20 प्रतिशत तथा अन्य दायित्वों में 95 प्रतिशत वृद्धि के कारण था। 2001-2002 में सरकार ने आठ प्रतिशत से 10.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरों पर मुक्त बाजार से 376.21 करोड़ रू0 उधार लिए थे।

तालिकाः 1.9

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व♣	कुल दायित्व (ऋण)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात♠
1997-98	523	2379	2902	1435	4337	0.49
1998-99	1683	2697	4380	2038	6418	0.60
1999-2000	1796	3065	4861	2243	7104	0.59
2000-2001	2959	3045	6004	2617	8621	0.67
2001-2002	4585	2843	7428	2792	10220	0.73

♣ *अन्य दायित्वों में लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां व निक्षेप आदि शामिल हैं।*

♠ *संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े अपनाने के कारण गत वर्ष के आंकड़ों में भिन्नता आई।*

लोक ऋण से जुटाई गई निधि, चुकौती की राशि तथा उपलब्ध निवल निधि निम्नांकित तालिका में दी गई है:

तालिकाः 1.10

(करोड़ रूपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-2002
आन्तरिक ऋण#					
-प्राप्ति	112	357	859	1227	1465
-चुकौती (मूलधन + ब्याज)	66	86	141	311	503
-उपलब्ध निवल निधि	46 (41)	271 (76)	718 (84)	916(75)	962(66)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम*					
-वर्ष में प्राप्ति	716	366	179	221	(-) 64
-चुकौती (मूलधन + ब्याज)	273	380	429	464	515
-उपलब्ध निवल निधि	443 (62)	(-)14 (-4)	(-) 250 (-) 140	(-) 243 (-) 110	(-) 579 (-) 208
अन्य दायित्व					
-वर्ष में प्राप्ति	2119	2298	2389	1777	1547
-चुकौती + प्रदत्त ब्याज	1919	1798	2299	1531	1557
-उपलब्ध निवल निधि	200 (9)	500 (22)	90 (4)	246(14)	(-)10(-1)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

यह स्पष्ट होगा कि भारत सरकार से उधार व अन्य दायित्वों के विषय में चुकौती दायित्व पूरा करने पर निवेश व अन्य व्यय के लिए राशि उपलब्ध नहीं थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्षानुवर्ष बकाया ऋण बढ़ता जा रहा है, लोक ऋणों के माध्यम से निधियों की निवल उपलब्धता और भी घटती जा रही थी।

1.11 अर्थोपाय अग्रिम व ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार ने 55 लाख रू० का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बैंक के पास रखना था। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम सीमा से गिर जाए तो कमी को बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा करना था। इसके अलावा यथावश्यक होने पर बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी दिए जाते हैं। अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने का मतलब यह था कि सरकार की पावती व खर्चे में सही तालमेल नहीं था। नकद शेष में कमी की पूर्ति के लिए भारत सरकार के कोषागार बिलों पर भी पुनर्छूट दी जाती है।

 # ये बाजार से उधार तथा संस्थागत उधार को प्रकट करते हैं जिनमें अर्थोपाय अग्रिम व भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष शामिल नहीं है।

** भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर।*

राज्य सरकार ने 1997-2002 वर्षों में निम्नांकित सीमा तक बैंक के पास न्यूनतम शेष रखाः

तालिकाः 1.11

वर्ष	दिवसों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष रखा गया		ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने वाले दिनों की संख्या	उन दिवसों की संख्या जिनमें भारत सरकार के खजाना बिलों पर पुनर्छूट दी गई
	कोई अग्रिम प्राप्त किए बिना	अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके		
1997-98	135	34	9	187
1998-99	108	81	38	138
1999-2000	67	81	172	45
2000-2001	88	82	103	92
2001-2002	50	71	229	15

राज्य सरकार द्वारा 1997-98 से 2001-02 तक लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों व ओवरड्राफ्टों तथा उनके ऊपर प्रदत्त ब्याज के ब्यौरे नीचे सारणीकृत थेः-

तालिकाः 1.12

(करोड़ रूपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-2002
(1) अर्थोपाय अग्रिम					
(i) वर्ष में लिए गए अग्रिम (सकल)	218.05	564.91	650.58	848.22	586.57
(ii) वर्षान्त में बकाया अग्रिम	33.67	59.07	59.00	92.00	92.00
(iii) प्रदत्त ब्याज	0.24	0.74	3.29	2.60	5.36
(2) ओवरड्राफ्ट					
(i) वर्ष के दौरान लिए गए ओवरड्राफ्ट (सकल)	1428.88	1724.76	1508.41	728.73	2227.75
(ii) वर्षान्त में बकाया ओवरड्राफ्ट	—	793.56	76.40	26.55	275.27
(iii) प्रदत्त ब्याज	0.73	1.49	3.40	2.36	3.80
(3) भारत सरकार के खजाना बिलों की पुनर्छूट					
(i) वर्ष में पुनर्छूट प्राप्त बिलों की राशि	2824.53	1532.18	627.28	2631.47	222.60
(ii) प्रदत्त ब्याज	2.06	2.26	0.92	1.68	0.45

1.12 राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के सूचकांक

1.12.1 सरकार या तो वर्तमान गतिविधि के स्तर को बनाए रख सकती है या गतिविधि के स्तर को बढ़ा सकती है। गतिविधि के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी होगा कि वित्तीय साधन कहां तक स्थिर हैं। इसी तरह अगर सरकार गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्तीय साधनों के लचीलेपन की जांच करना उपयुक्त होगा तथा सरकार की बढ़ी प्रक्रिया में दोष भी प्रहार्य होगा। सारी राज्य सरकारें मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाए रखती हैं जो वार्षिक विकास योजनाओं को स्पष्ट करती हैं तथा राज्य बजट में ज्यादातर प्रावधित होती हैं। मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि आयोजनेतर व्यय सरकार के मौजूदा गतिविधि* स्तर बनाए रखने को दर्शाता है जबकि योजनागत व्यय गतिविधि के विस्तार को स्पष्ट करता है। इन दोनों गतिविधियों में साधन गतिशीलता और बढ़ती सरकारी प्रहार्यता अपेक्षित है। संक्षिप्त में सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को स्थिरता, लचीलापन, दुर्बलता और पारदर्शिता की परिभाषा के रूप मे वर्णित किया जा सकता है। यह शब्दावली निम्नानुसार परिभाषित हैं:

(i) ***स्थिरताः***

स्थिरता वह अवस्था है जिसमें सरकार मौजूदा कार्यक्रमों को बनाए रखती है तथा ऋण बोझ को बढ़ाए बगैर वर्तमान लेनदार की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

(ii) ***लचीलापनः***

लचीलापन वह अवस्था है जिसमें सरकार बढ़ती बचनवद्धताओं के उत्तर में अपने राजस्वों को बढ़ा कर या ऋण बोझ को ज्यादा करके अपने वित्तीय स्रोतों को बढ़ाती हैं।

(iii) ***दुर्बलताः***

दुर्बलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार निर्भर करती है। इसलिए वह अपने नियंत्रण या प्रभाव के बाहर दोनों घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय निधि स्रोतों पर दुर्बल होती है।

(iv) ***पारदर्शिताः***

यह भी वित्तीय सूचना विषय है जो सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है। यह मुख्यतः वार्षिक वित्तीय विवरणिका (बजट) तथा लेखों को सम्मिलित करता है। बजट के सम्बन्ध में जरूरी मापदण्डों में समय पर प्रस्तुति है जो बजट प्रक्रिया की निपुणता और आकलनों की परिशुद्धता को दर्शाती है। लेखों के बारे में समयबद्ध प्रस्तुति जिसके लिए सीमा निर्धारित है तथा लेखों की पूर्णता मुख्य कसौटी होगी।

1.12.2 वित्त लेखों में उपलब्ध सूचनाएं स्थिरता, लचीलापन और दुर्बलता को निकालने के लिए प्रयोग की जा सकती है जो वित्त लेखों से निकाली हुई कुछ अक्षांकों/अनुपातों के रूप में दर्शाई जा सकती है। ऐसे अंक्षाकों/अनुपातों की सूची इस अध्याय के अनुलग्नक में दी गई है। 1997-98 से 2001-2002 की अवधि में निम्न तालिका इन अंक्षाकों/अनुपातों के स्वभाव को दर्शाती है:

* योजनावधि के अन्त में योजनागत को आयोजनेतर के इस विशेष रूप से स्थानान्तरण में अपवाद हैं।

तालिकाः 1.13

हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए वित्त सूचक

(1)	1997-98 (2)	1998-99 (3)	1999-2000 (4)	2000-2001 (5)	2001-2002 (6)
स्थिरता					
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रू0)	(-) 330	(-) 761	(-) 105	(-)921	(-)811
प्राथमिक घाटा (करोड़ रू0)	830	1164	(-) 408	1047	469
ब्याज अनुपात	0.17	0.21	0.12	0.26	0.28
पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां	0.61	0.62	0.31	0.32	0.40
कुल कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.13	0.12	0.13	0.08	0.09
राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशतता)	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06
लचीलापन					
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रू0)	(-) 330	(-) 761	(-) 105	(-)921	(-)811
पूंजीगत चुकौती/पूंजीगत उधार	0.07	0.10	0.09	0.09	0.13
राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.51	0.65	0.63	0.69	0.73
दुर्बलता					
राजस्व घाटा (करोड़ रू0)	529	1022	106	1283	860
राजकोषीय घाटा (करोड़ रू0)	1202	1662	189	1845	1511
प्राथमिक घाटा (करोड़ रू0)	830	1164	(-)408	1047	469
प्राथमिक घाटा/राजकोषीय घाटा	0.69	0.70	(-)2.16	0.57	0.31
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.44	0.62	0.56	0.70	0.57
बकाया प्रत्याभूतियां/राजस्व प्राप्तियां	0.75	0.81	0.51	1.25	1.19
परिसम्पत्तियां/दायिताएं	0.85	0.73	0.74	0.64	0.61

टिप्पणीः 1. राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+शुद्ध ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियों -ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में संगणित किया गया है।

2. पूंजीगत परिव्यय बनाम पूंजीगत प्राप्तियों के अनुपात में हर आन्तरिक ऋण♣+भारत सरकार♣ से ऋण व अग्रिम+लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि से शुद्ध प्राप्तियों + राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए प्राप्त चुकौती-राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के रूप में लिया गया है।

3. वर्ष 2001-2002 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सरकार ने संगणित नहीं किया तथा इसलिए आंकड़े आठ प्रतिशत की औसतन वृद्धि पर संगणित किए गए हैं।

* संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े अपनाने के कारण गत वर्ष के आंकड़ों से भिन्नता आई जैसाकि राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था।

♣ अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट छोड़कर।

1.12.3 राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था के लिए इन अक्षांकों/अनुपातों का तात्पर्य निम्नलिखित परिच्छेदों में विवेचित है।

स्थिरता

(i) चालू राजस्व से शेष

राजस्व प्राप्तियों में से योजना सहायता अनुदान और आयोजनेतर राजस्व व्यय घटाकर इसको चालू राजस्व शेष की व्याख्या दी गई है। एक वास्तविक चालू राजस्व शेष यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय के लिए अपने राजस्व से अधिशेष है। तालिका दर्शाती है कि 1997-2002 के दौरान राज्य सरकार का चालू राजस्व शेष ऋणात्मक था जो यह दर्शाता है कि चालू राजस्व से अधिशेष उत्पन्न करने में राज्य असमर्थ था। वर्ष के दौरान स्थिति में अल्पमात्र सुधार हुआ था।

(ii) ब्याज अनुपात

ब्याज अनुपात उच्च होने से नये ऋण तथा अपनी राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने के लिए सरकार की सेवा समर्थता कम होती है।

हिमाचल प्रदेश के विषय में ब्याज अनुपात 2000-2001 में 0.26 से 2001-2002 में 0.28 तक की अल्पमात्र वृद्धि हुई परन्तु 1997-2002 के दौरान समग्र चित्र यह इंगित करता है कि पूर्व उधारों में ब्याज भुगतान ने गम्भीर रूप धारण कर लिया था और सरकार के कार्यक्रम सम्बन्धी व्यय में मुख्य बाधक बन गया था। 2001-2002 में सकल बकाया ऋण की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा प्रदर्शित भारित औसत लागत 11.06 प्रतिशत* थी तथा अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक है। यह ऋण स्थिरता में बाधक हो सकती थी।

(iii) पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां

यह अनुपात दर्शाता है कि पूंजी निर्माण के लिए किस सीमा तक पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग हुआ है। लम्बी अवधि के लिए एक से कम का अनुपात ग्राह्य नहीं है जिससे यह सूचित होता है कि पूंजीगत प्राप्ति के एक भाग का अपवर्तन अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिए किया जा रहा है। इसके विपरीत एक से ज्यादा का अनुपात यह दर्शाएगा कि पूंजीगत निवेश राजस्व अधिशेष से भी किया जा रहा है। इस अनुपात का प्रवृत्ति विश्लेषण राज्य सरकार के राजकोषीय निष्पादन पर प्रकाश डालता है। एक बढ़ती प्रवृत्ति का अर्थ निष्पादन में सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में अनुपात यह प्रदर्शित करते हुए एक से कम रहा कि इन सब वर्षों में पूंजीगत प्राप्तियों का बड़ा भाग राजस्व व्यय को पूरा करने पर प्रयुक्त किया गया।

(iv) कर प्राप्ति बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद

कर प्राप्तियों में राज्य कर तथा केन्द्रीय करों का राज्यांश शामिल होता है। परवर्ती को राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगताए केन्द्रीय करों के रूप में भी देखा जा सकता है। कर प्राप्तियों में स्थिरता का आभास होता है परन्तु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की कर प्राप्ति का अनुपात लोचशीलता में निहित होगा। जबकि कम अनुपात का अर्थ होता है कि सरकार ज्यादा कर लगा सकती है तथा इसकी लोचशीलता, उच्च अनुपात वित्त स्रोतों की सीमा को ही इंगित नहीं करती परन्तु लोचहीनता की तरफ भी संकेत देती है।

---

* चालू वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान बकाया ऋण औसत की तुलना में 2001-2002 में ब्याज भुगतानों की प्रतिशतता।

समय श्रेणी विश्लेषण से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल कर प्राप्तियों का अनुपात 1997-2002 में 0.08 -0.13 की सीमा में रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात 2000-2001 के 0.06 से बढ़कर 2001-2002 में 0.08 हो गया। यह अनुपात सुझाव देता है कि राज्य के कुल कर संग्रहण के प्रति राज्य के अपने करों का अंशदान महत्वहीन था यद्यपि सीमा शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियों को वर्ष के दौरान प्रत्यक्षतः राजस्व प्राप्तियों में जमा करने के कारण इसने 2001-2002 के दौरान अल्प वृद्धि हुई। राज्य करों की कम दर के मध्य नजर राज्य सरकार को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भारी मात्रा (जो महंगा पड़ता है) में ऋण लेना पड़ा। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व संग्रहण का अनुपात बनाये रखा होता तो इसकी वित्तीय कठिनाइयां कम हुई होती। इस प्रकार, राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए सहायता अनुदानों पर अत्यधिक आश्रित दिखाई पड़ता है।

(v) निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल नियोजित पूंजी के उपार्जन का अनुपात है। एक उच्च निवेश पर प्रतिफल स्थिरता का सुझाव देता है।

परिच्छेद 1.9.1 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में सरकारी निवेशों पर प्रतिफल को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मामले में निवेश पर प्रतिफल लगभग नगण्य था और 1997-2002 में 0.03 और 0.06 प्रतिशत के मध्य था। चूंकि उधार निधियों से निवेश किया जाता है, नगण्य प्रतिफल इन्हें अस्थिर बना देता है।

लचीलापन

(vi) पूंजी चुकौती बनाम पूंजी उधार

यह अनुपात दर्शाएगा कि पूंजी चुकौती के उपरान्त किस सीमा तक पूंजीगत ऋण निवेश के लिए उपलब्ध है। कम अनुपात से निवेश और अन्य व्यय के लिए पूंजी उपलब्धता अधिक होती है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात वर्ष 1997-2002 के दौरान 0.07-0.13 के मध्य था।

(vii) ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार का कुल आंतरिक स्रोत आधार है जो ऋण सेवा में प्रयोग किया जा सकता है। ऋण/सकल घरेलू राज्य उत्पाद का बढ़ता हुआ अनुपात ऋण दायित्वों को पूरा करने व इस कारण से ऋण दाता के बढ़ते हुए जोखिम से राज्य की घटती क्षमता को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1997-98 में 0.51 से 2001-2002 में 0.73 तक बढ़ गया। विश्लेषण दर्शाता है कि इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की तुलना में राज्य का ऋण अधिक तेजी से बढ़ा (औसतन) तथा इस प्रकार अस्थिर था।

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा

राजस्व प्राप्तियों के प्रति अधिक राजस्व व्यय राजस्व घाटा होता है तथा ऋणों आदि द्वारा वित्तपोषित किए राजस्व व्यय को प्रदर्शित करता है। प्रत्यक्षतः राजस्व घाटा जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक राज्य कमजोर होगा। राजकोषीय घाटा सभी ऋणों के पूर्ण योग को प्रकट करता है। राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा दर्शाएगा कि सरकार के ऋण किस सीमा तक अनुत्पादित राजस्व व्यय के वित्त प्रबन्ध के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः अनुपात जितना ज्यादा होगा राज्य की

स्थिति उतनी ही खराब होगी क्योंकि यह इंगित करेगी कि चुकौती समर्थता को बढ़ाए बगैर राज्य का ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है।

2001-2002 के दौरान 57 प्रतिशत उधार राजस्व व्यय में प्रयुक्त किये गये थे जबकि 1997-98 में यह 44 प्रतिशत था। यह प्रतिकूल प्रवृत्ति है क्योंकि इससे पूंजीगत व्यय के लिये उधार ली गई निधियों की कुछ भी राशि बचती नहीं है।

(ix) *प्राथमिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा*

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगियां घटाकर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुपात की कीमत जितनी कम होगी पूंजीगत निवेश के लिए निधियों की उपलब्धता उतनी ही कम होगी।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात पिछले सभी पांच वर्षों में एक से कम रहा जो अधिक दुर्बलता का सूचक है क्योंकि पूंजी का प्रयोग परिसम्पत्तियों की वृद्धि के बजाय राजस्व घाटे के लिए किया जा रहा था।

(x) *प्रत्याभूतियां बनाम राजस्व प्राप्तियां*

सरकार द्वारा जारी किए कॉम्फर्ट पत्रों सहित बकाया प्रत्याभूतियां राज्य सरकार के जोखिम अनाश्रयता का रहस्योदघाटन करती हैं तथा उनकी तुलना सरकार के भुगतान करने की समर्थता अर्थात् राजस्व प्राप्तियों से की जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति कुल बकाया प्रत्याभूतियों का अनुपात राज्य सरकार की दुर्बलता की मात्रा दर्शाएगा।

हिमाचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 1997-98 के 0.75 से 2001-2002 में 1.19 तक बढ़ा। यह अनुपात दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ राजस्व प्राप्तियों से बढ़ गई। यह प्रवृत्ति राज्य के वित्त की दुर्बलता में वृद्धि तथा उच्च जोखिम अनाश्रयता को दर्शाती है।

(xi) *परिसम्पत्तियां बनाम दायित्व*

यह अनुपात मूल रूप से वित्तीय परिसम्पत्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित है जैसे कि प्रदर्शनी-I में दर्शाया गया है और सरकार की सम्पन्नता की ओर इंगित करता है। एक से ज्यादा का अनुपात इंगित करता है कि राज्य सरकार सम्पन्न (परिसम्पत्तियां दायित्वों से ज्यादा हैं) है जबकि एक से कम का अनुपात इसका विपरीतार्थक होगा।

यह अनुपात 1997-98 में 0.85 से 2001-2002 में 0.61 तक नीचे आ गया जो दुबर्लता में वृद्धि का सूचक है क्योंकि पूंजी परिसम्पत्तियों की वृद्धि के बजाए राजस्व घाटे के लिए प्रयोग की जा रही थी।

पारदर्शिता

(xii) *बजट*

बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करने तथा उनके अनुमोदन में कोई देरी नहीं हुई। यह विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

तालिकाः 1.14

तैयारी	भेजने का मास	अनुमोदन मास
बजट	09.03.2001	28.03.2001
अनुपूरक	27.02.2002	05.03.2002

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट आकलन तथा वास्तविक व्यय में भिन्नताओं और बजट सम्बन्धी प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा व्यय पर नियंत्रण का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह घाटे के बजट एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है जैसा कि प्रत्येक वर्ष अधिकतर राशियों के निरन्तर प्रत्यादान (अभ्यर्पण) व अन्तिम संशोधित अनुदान द्वारा प्रमाणित है। अंतिम संशोधित अनुदान तथा वास्तविक व्यय के बीच पर्याप्त भिन्नताएं (आधिक्य/बचत) निरन्तर थीं। 1999-2000 से कुछ अनुदानों के मामले में अधिक व्यय की अनियमितताएं लम्बित है जैसा कि प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.3.2 (क) में विवरणित है।

(xiii) लेखे

यह पाया गया था एक से आठ खजानों, एक से सात सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों तथा एक से दो भवन एवं सड़क मण्डलों के लेखे लम्बित थे जिसके कारण उन्हें लेखाओं में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह 3 से 41 वन मण्डलों/कार्यालयों के लेखों की प्रस्तुति विलम्बित थी। परिणामतः 2001-2002 के दौरान उन्हें मासिक नकद लेखों में शामिल नहीं किया गया।

1.12.4 निष्कर्ष

विश्लेषण दर्शाता है कि प्रतिकूल चालू राजस्व से बकाए तथा निवेश पर नगण्य प्रतिफल ने राज्य वित्त की स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। घटते हुए कर अनुपात ने स्थिति को बदतर बना लिया है। परिणामतः सरकार को बढ़-चढ़ कर उधार लेना पड़ा जिससे इसकी समग्र ऋणग्रस्ता बढ़ गई। इसी प्रकार दायित्व के अनुपात में घटती हुई परिसम्पत्तियाँ, घाटे में चल रही इकाइयों को प्रत्याभूति सहित प्रत्याभूतियों की अधिक राशियों तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे ने राज्य वित्त को काफी कमजोर बना लिया है। परिणामतः इस वर्ष ब्याज भुगतान भी पर्याप्त रूप में बढ़कर 244 करोड़ रू0 (31 प्रतिशत) हो गया। यह कर राजस्व से भी 126 करोड़ रू0 बढ़ जाना था यदि सीमा शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के 203 करोड़ रू0 प्रत्यक्षतः राज्य के कर राजस्व में जमा नहीं किए जाते। सीमित पूंजीगत व्यय का निवेश पर नगण्य प्रतिफल के कारण कोई खास लाभ नहीं था।

अनुलग्नक

(संदर्भ परिच्छेद 1.12.2; पृष्ठ 23)

सूचकांकों/अनुपातों की सूची व उनकी गणना का आधार

सूचकांक/अनुपात		गणना आधार
स्थिरता		
चालू राजस्व से शेष	चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां (-) सभी योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्ष 1601-02,03,04 के अन्तर्गत) तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा (-) ब्याज भुगतान
ब्याजानुपात		ब्याज भुगतान (-) ब्याज प्राप्तियां
		कुल राजस्व प्राप्तियां (-) ब्याज प्राप्तियां
	पूंजीगत परिव्यय	पूंजीगत व्यय वित्त लेखे की विवरण सं0 2 के अनुसार
पूंजीगत परिव्यय बनाम पूंजीगत प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां	विविध पूंजीगत प्राप्तियां (=) आन्तरिक ऋण* + भारत सरकार से ऋण व अग्रिम* + लघु बचत, भविष्य निधि आदि से शुद्ध प्राप्ति+राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की प्राप्त चुकौती-राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण
कुल कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों व शुल्कों से राज्यांश
राज्य कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	राज्य कर प्राप्तियां	वित्त लेखे की विवरणी 10
लचीलापन		
चालू राजस्व से शेष		यथोपरि
पूंजीगत चुकौतियां बनाम पूंजीगत उधार	पूंजीगत चुकौतियां	मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के अधीन संवितरण (-) दोनों मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों की चुकौती
	पूंजीगत उधार	मुख्य शीर्ष 6003 व 6004 के अधीन वृद्धि (-) दोनों मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिमों/ ओवरड्राफ्टों की वृद्धि
अपूर्ण परियोजनाएं		प्रदर्शन IV
कुल कर प्राप्तियां बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल कर प्राप्तियां	राज्य कर प्राप्तियां + संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश
ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद	ऋण	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.10
दुर्बलता		
राजस्व घाटा		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.9.5(ख)
राजकोषीय घाटा		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिच्छेद 1.9.5(ख)
प्राथमिक घाटा बनाम राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
कम्फर्ट पत्र सहित कुल बकाया प्रत्याभूतियां बनाम सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां	बकाया प्रतिभूतियां राजस्व प्राप्तियां	प्रदर्शन IV प्रदर्शन II
परिसम्पत्तियां बनाम दायित्व	परिसम्पत्तियां व दायित्व	प्रदर्शन I

* *अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट छोड़कर*

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण

विनियोग लेखे 2001-2002 पर एक नज़र

अनुदानों की कुल संख्याः 31

कुल प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

तालिकाः 2.1

(करोड़ रूपए)

प्रावधान	राशि	व्यय	राशि
मूल पूरक	5977.35 219.50		
कुल समग्र प्रावधान	**6196.85**	**कुल समग्र व्यय**	**8693.04**
घटाएं-व्यय की कटौती में अनुमानित वसूलियां	317.02	घटाएं-व्यय की कटौती में वास्तविक वसूलियां	457.94
कुल निवल प्रावधान	**5879.83**	**कुल निवल व्यय**	**8235.10**

दत्तमत तथा प्रभारित प्रावधान एवं व्यय

तालिकाः 2.2

(करोड़ रूपए)

	प्रावधान		व्यय	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	3926.49	1170.88	3948.08	1050.77
पूंजीगत	771.07	328.41	713.28	2980.91
कुल समग्र	**4697.56**	**1499.29**	**4661.36**	**4031.68**
घटाएं-व्यय की कटौती में वसूलियां	317.02	..	457.94	..
कुल निवल	**4380.54**	**1499.29**	**4203.42**	**4031.68**

2.1 परिचय

बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोग लेखे प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं जिनमें सरकार द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए वास्तविक व्यय अर्थात् उन विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशियों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के अन्तर्गत है तथा संविधान के प्रावधानों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला व्यय सही प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, व्यवस्थाओं तथा निदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखाओं का सार

वर्ष 2001-2002 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नांकित थी:

तालिका 2.3

(करोड़ रुपए)

	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	जोड़	वास्तविक व्यय@	बचत(-)/आधिक्य (+)
दत्तमत I राजस्व	3805.19	121.31	3926.50	3948.08	(+)21.58
II पूंजीगत	665.37	91.22	756.59	682.93	(-)73.66
III ऋण व अग्रिम	11.79	2.68	14.47	30.35	(+)15.88
कुल दत्तमत	4482.35	215.21	4697.56	4661.36	(-)36.20
प्रभारित IV राजस्व	1168.80	2.08	1170.88	1050.77	(-)120.11
V पूंजीगत	--	2.21	2.21	2.21	--
VI लोक ऋण	326.20	--	326.20	2978.70*	(+)2652.50
कुल प्रभारित	1495.00	4.29	1499.29	4031.68	(+)2532.39
सकल योग	5977.35	219.50	6196.85	8693.04	(+)2496.19

* इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त ओवरड्राफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती के 1979.04 करोड़ रू0 तथा 586.57 करोड़ रू0 शामिल हैं।

5977.35 करोड़ रू0 की मूल अनुदानें तथा विनियोगों के प्रति वर्ष 2001-2002 के दौरान 219.50 करोड़ रू0 के अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग प्राप्त हुए। 2689.96 करोड़ रू0 के समग्र आधिक्य तथा 193.77 करोड़ रू0 की बचतें थीं। इस प्रकार, पूंजीगत-II (दत्तमत) तथा राजस्व-IV (प्रभारित) के अन्तर्गत 93.30 करोड़ रू0 के अनुपूरक अनुदानें तथा विनियोग अधिक थे।

@ *ये सकल आंकड़े हैं जिनमें व्यय अर्थात् राजस्व व्यय: 422.60 करोड़ रू0; पूंजीगत व्यय: 35.34 करोड़ रू0 की कटौती में समायोजित वसूलियां शामिल हैं।*

2.3 विनियोग लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.1 अनुदानों/विनियोगों में बचत/आधिक्य

2496.19 करोड़ रू0 का निवल आधिक्य 45 मामलों में बचत तथा 22 मामलों में आधिक्य के परिणाम था जैसे कि नीचे प्रदर्शित है:-

तालिकाः 2.4

(करोड़ रूपए)

	बचत		आधिक्य		निवल बचत (-)/आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
दत्तमत	206.00 (24 अनुदानों में)	143.02 (17 अनुदानों में)	227.59 (7 अनुदानों में)	85.23 (9 अनुदानों में)	(+)21.59	(-)57.79
प्रभारित विनियोग	120.15 (4 विनियोगों में)	...	0.04 (4 विनियोगों में)	2652.50 (2 विनियोगों में)	(-)120.11	(+)2652.50

2.3.2 (क) गत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान पर आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोग पर आधिक्य के लिए राज्य विधायिका द्वारा नियमन प्राप्त करें। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 तक के लिए 5376.36 करोड़ रू0 के अधिक व्यय का राज्य विधायिका द्वारा नियमन (जुलाई 2002) किया जाना अपेक्षित था। 2000-01 के दौरान अधिक किए गए व्यय के लिए स्पष्टीकरण सरकार द्वारा लोक लेखा समिति को जुलाई 2002 तक नहीं भेजे गए थे जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिकाः 2.5

(करोड़ रूपए)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग संख्या	आधिक्य राशि
1999-2000	14	4,7,8,9,10,12,17,18,20,23,27,28,29 तथा 31	3316.82
2000-2001	17	1,4,5,8,9,10,12,,13,14,15,17,20,23,24, 28,29 तथा 31	2059.54
	जोड़		5376.36

नियमित न किए गए अधिक व्यय के लिए स्पष्टीकरण भेजने में विफलता तथा अधिक विलम्ब के कारण अजांचित रही वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) 2001-2002 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्व प्रवर्ग में 7 अनुदानों में कुल आधिक्य 227.59 करोड़ रू0 तथा चार विनियोगों में 0.04 करोड़ रू0 था जबकि पूंजी प्रवर्ग में 9 अनुदानों में 85.23 करोड़ रू0 तथा दो विनियोगों में 2652.50 करोड़ रू0[#] के आधिक्य थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत इन आधिक्यों (निम्नांकित विवरण) का नियमन अपेक्षित था:-

तालिका: 2.6

(रूपयों में)

क्र0	अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि
	अनुदानें			
	राजस्व (दत्तमत)			
1.	5-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,42,11,99,000	1,66,45,84,750	24,33,85,750
2.	10-लोक निर्माण	1,55,30,58,000	2,03,23,56,155	47,92,98,155
3.	13-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	82,44,11,000	99,20,68,611	16,76,57,611
4.	17-सड़कें व पुल	2,44,26,98,000	2,52,81,76,899	8,54,78,899
5.	24-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9,23,04,000	9,79,94,206	56,90,206
6.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	2,90,75,00,000	3,93,93,21,406	1,03,18,21,406
7.	31-जनजातीय विकास	1,71,82,35,200	1,98,08,80,682	26,26,45,482
	जोड़	10,95,94,05,200	13,23,53,82,709	2,27,59,77,509
	प्रभारित			
8.	01-विधानसभा	14,12,000	17,37,830	3,25,830
9.	05-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	..	70,228	70,228
10.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,69,899	9,99,899	30,000
11.	16-वन एवं वन्य प्राणी	19,323	19,324	1
	जोड़	24,01,222	28,27,281	4,26,059
	पूंजीगत (दत्तमत)			
12	05-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	6,76,000	7,85,000	1,09,000
13.	11-कृषि	32,22,67,000	47,67,44,527	15,44,77,527
14.	15-आयोजन एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	24,50,07,000	28,31,15,138	3,81,08,138
15.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	1,87,02,000	2,06,00,000	18,98,000
16.	23-जल एवं विद्युत विकास	1,15,55,01,000	1,64,18,00,000	48,62,99,000
17.	24-मुद्रण एवं लेखन सामग्री		7,99,702	7,99,702
18.	28-जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	1,73,61,74,000	1,89,65,51,724	16,03,77,724
19.	29-वित्त	13,10,01,000	14,02,74,978	92,73,978
20.	30-विविध सामान्य सेवाएं	1,38,01,000	1,47,85,787	9,84,787
	जोड़	3,62,31,29,000	4,47,54,56,856	85,23,27,856
	प्रभारित			
21.	28-जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	11,09,152	11,09,202	50
22.	29-वित्त	3,26,19,43,000	29,78,69,59,888	26,52,50,16,888
	जोड़	3,26,30,52,152	29,78,80,69,090	26,52,50,16,938

आधिक्य के कारण जुलाई 2002 तक सरकार द्वारा प्रेषित नहीं किए थे।

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्राफ्टों तथा अर्थोपाय अग्रिमों की चुकौती के 1979.04 करोड़ रूपये तथा 586.57 करोड़ रूपये शामिल हैं।

2.3.3 मूल बजट तथा अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2001-2002 के दौरान प्राप्त समग्र अनुपूरक अनुदान तथा विनियोग मूल अनुदानों तथा विनियोगों का 4 प्रतिशत था।

2.3.4 अनावश्यक/आधिक्यपूर्ण/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

(क) राजस्व प्रवर्ग में 12 मामलों में 28.20 करोड़ रू0 तथा पूंजीगत प्रवर्ग में तीन मामलों में 6.69 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान पूर्णतया अनावश्यक था क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, प्रत्येक मामले में बचत 50 लाख रू0 से अधिक थी जैसाकि परिशिष्ट-II में इंगित है।

(ख) 7 मामलों में 26.76 करोड़ रू0 की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रति 46.80 करोड़ रू0 की अनुपूरक अनुदानें प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रत्येक मामले में 59 लाख रू0 से अधिक, 20.04 करोड़ रू0 की सकल बचत हुई। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट-III में दिए गए हैं।

(ग) 8 मामलों में 96.24 करोड़ रू0 (राजस्वः 20.61 करोड़ रू0; पूंजीगतः 75.63 करोड़ रू0) का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जैसा कि परिशिष्ट-IV में वर्णित है, जिससे प्रत्येक मामले में 8 करोड़ रू0 से अधिक राशि अनावृत्त रहते हुए कुल मिलाकर 258.53 करोड़ रू0 का आधिक्यपूर्ण व्यय हुआ।

2.3.5 सतत बचतें/आधिक्य

1999-2002 के दौरान पाँच मामलों में व्यय कुल प्रावधान की तुलना में सतत रूप से 5 प्रतिशत से कम था जबकि चार अन्य मामलों में यह सतत रूप से प्रावधान से 5 प्रतिशत से अधिक था। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट-V में दिए गए हैं।

2.3.6 महत्वपूर्ण बचतें

दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत 349.02 करोड़ रू0 तथा प्रभारित विनियोगों के अन्तर्गत 120.15 करोड़ रू0 की अन्तिम बचतों में से 24 अनुदानों में 467.13 करोड़ रू0 (32 मामले) की सकल बचत हुई जिनमें प्रत्येक मामले में 50 लाख रू0 से कम बचत नहीं थी जिसका ब्यौरा सरकार द्वारा दिए गए बचतों के मुख्य कारणों सहित परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

2.3.7 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान या विनियोग में बचतों को वर्ष के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना उनका पता चलने के तत्काल बाद सरकार को अभ्यर्पित की जानी चाहिए जब तक कि ऐसी बचतें कुछ अन्य इकाइयों के अधीन आधिक्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित न हो। बचतों को भविष्य के संभावित आधिक्यों हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

यद्यपि यह देखा गया कि दस मामलों में 330.25 करोड़ रू0 (प्रत्येक मामले में 1 करोड़ रू0 तथा अधिक की बचतें) की उपलब्ध बचतों के मुकाबले 161.69 करोड़ रू0 की समग्र बचत या तो पूर्ण रूप से अभ्यर्पित नहीं की गई थी या बिल्कुल भी अभ्यर्पित नहीं की गई थी। 15 मामलों में अभ्यर्पित राशि समग्र बचत से 19.41 करोड़ रू0 बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त चार अनुदानों में 49.02 करोड़ रू0 अभ्यर्पित किए गए थे जबकि व्यय अनुदान से अधिक था और अभ्यर्पण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी। सम्बद्ध विवरण परिशिष्ट-VII में दिए गए हैं।

इन सभी मामलों में राशियां वर्ष के अन्तिम मास में अभ्यर्पित की गई थी। ये उदाहरण व्यय पर अप्रभावी अनुश्रवण तथा नियंत्रण के परिचायक थे।

2.3.8 बचतों/आधिक्यों के लिए स्पष्टीकरण देने में विफलता

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियंत्रण अधिकारियों को इस अपेक्षा के साथ भेज दिए जाते हैं कि सामान्य तथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण शीर्षों/उपशीर्षों के अन्तर्गत भिन्नताओं को स्पष्ट करें।

645 शीर्षों/उपशीर्षों के मामले में वर्ष 2001-2002 हेतु विनियोग लेखे सम्बन्धी भिन्नताओं के लिए इस प्रकार के स्पष्टीकरण आवश्यक थे परन्तु अगस्त 2002 तक 431 शीर्षों/उपशीर्षों (67 प्रतिशत) के मामलों में ये प्राप्त नहीं हुए।

2.3.9 वसूलियों की प्रवृत्ति

अनुदान मांगें एक विशिष्ट वर्ष में किए जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं और व्यय की कमी के रूप में ली जाने वाली वसूलियों को उसके नीचे पाद टिप्पणियों में अलग से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार विनियोग लेखों में भी वसूलियों को उसके परिशिष्ट में पृथक से दर्शाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के लेखाओं की जांच में पाया गया कि राजस्व प्रवर्ग में 255.35 करोड़ रू0 के बजट आकलनों के प्रति वास्तविक वसूलियां 422.60 करोड़ रू0 थी। पूंजी प्रवर्ग में 61.67 करोड़ रू0 के बजट आकलनों के प्रति 35.34 करोड़ रू0 की वास्तविक वसूलियां व समायोजन थे। इस प्रकार राजस्व प्रवर्ग में व्यय की कमी हेतु 167.25 करोड़ रू0 की वसूलियां कम बताई गई थी तथा पूंजीगत प्रवर्ग में 26.33 करोड़ की सीमा तक अधिक बताई गई थी। मुख्य भिन्नताओं का ब्यौरा जो मूल आकलनों का 34 प्रतिशत से अधिक तथा प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 से कम नहीं है, परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

2.3.10 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

अनुदान या विनियोग को उन उपशीर्षों या मानक उद्देश्यों (प्राथमिक इकाइयों के नाम से अभिज्ञात) में विभक्त किया जाता है जिनमें इसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधि-पुनर्विनियोग किसी अनुदान या विनियोग में इसकी प्राथमिक इकाइयों के मध्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो सकता है। निधि-पुनर्विनियोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि इकाई जिससे निधियां स्थानान्तरित की जानी हैं, में विनियोग का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाएगा या कथित इकाई के विनियोग में बचत की जा सकती है।

13 अनुदानों/विनियोगों से सम्बद्ध 43 मामलों (उपशीर्षों) में 43.10 करोड़ रू0 की राशि का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि

(क) उपशीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान जिनमें पुनर्विनियोग (10.45 करोड़ रू0) द्वारा निधियां स्थानान्तरित की गई थी, पर्याप्त थे और फलतः पुनर्विनियोग राशि अप्रयुक्त रही तथा

(ख) वे शीर्ष जिनसे निधियां (32.65 करोड़ रू0) स्थानान्तरित की गई थी उनमें पुनर्विनियोग हेतु कोई भी बचत उपलब्ध नहीं थी।

सम्बद्ध ब्यौरे परिशिष्ट-IX में समाविष्ट हैं।

2.4 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

मुख्यतः बजट अनुदानों के व्यपगमन से बचने के लिये वास्तविक आवश्यकता से पूर्व आहरित 8.71 करोड़ रू0 में से 5.51 करोड़ रू0 बैंक खाते आदि में अप्रयुक्त पड़े हुये थे।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 में यह अनुबंध है कि कोष से कोई धन तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इसकी तत्काल संवितरण या स्थाई अग्रिम में से संवितरित निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यकता न हो। कोष से उन कार्यों के निष्पादनार्थ भी जिनकी पूर्णता में बहुत समय लगने की संभावना हो अग्रिमों के आहरण की स्वीकृति नहीं है। अव्ययित किसी भी राशि को तुरन्त कोष में लौटाया जाना चाहिए। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को किसी साधारण एवं विशेष नियमों से अप्रयुक्त निधियों को बैंक/डाकखानों में जमा कराने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था।

मत्स्य, ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभागों के तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ (मई 2001-जनवरी 2002) कि 1999-2000 तथा 2001-2002 के मध्य जागरूकता केन्द्र, आदि को स्थापित करने, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, टाऊन हॉल के विनिर्माण तथा सिद्धपुर स्थित महाशीर मत्स्य फार्म को स्थापित करने के लिये उनके द्वारा 8.71 करोड़ रू0 आहरित किये गये थे जिसमें से दिसम्बर 2001 तक 5.51 करोड़ रू0 (63 प्रतिशत) या तो निष्पादित अभिकरणों (65.45 लाख रू0) या बैंक के पास जमा के रूप में (486.01लाख रू0) अप्रयुक्त पड़े हुये थे जैसाकि नीचे विवरणित हैः

तालिकाः 2.7

(लाख रूपए)

क्र0 सं0	विभाग/कार्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी)	आहरित राशि	आहरण का मास/वर्ष	प्रयोजन	अप्रयुक्त राशि	विभाग द्वारा दिए गए कारण
	मत्स्य विभाग					
1.	निदेशक मत्स्य, बिलासपुर	17.50	1999-2000	जागरूकता केन्द्र आदि को स्थापित करना	15.45	निदेशक ने बताया (जून 2002) कि उपायुक्त, बिलासपुर को बिलासपुर में उपयुक्त स्थल पर मत्स्यशाला एवं जागरूकता केन्द्र को स्थापित करने हेतु 14.35 लाख रू0 निस्तारित किये गये थे (मार्च 2001)।
	ग्रामीण विकास विभाग					
2.	खण्ड विकास अधिकारी, केलाँग	20.00	1999 तथा 2000 प्रत्येक में 10 लाख रू0	कार्यालय भवन का निर्माण	18.25	खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2000) कि निधियां, भवन के निर्माण हेतु पहले अनुमोदित कार्यस्थल के परिवर्तन के कारण प्रयुक्त नहीं की जा सकी। राशि जून 2002 तक बैंक में पड़ी थी

क्र0	विभाग/कार्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी)	आहरित राशि	आहरण का मास/वर्ष	प्रयोजन	अप्रयुक्त राशि	विभाग द्वारा दिए गए कारण
	राजस्व विभाग					
3.	उपायुक्त, मण्डी	633.60	अप्रैल तथा मई 2001	प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण	327.00	जिला योजना अधिकारी ने बताया (जनवरी 2002) कि राशि बजट अनुदान के व्यपगत से बचने के लिये आहरित की गई थी। उसने आगे बताया (जून 2002) कि निधियां निष्पादित अभिकरणों को निस्तारित की गई थी।
		100.00	मार्च 2001	सिद्धपुर में महाशीर मत्स्य फार्म को स्थापित करने के लिये	100.00	जिला योजना अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001) कि राशि बजट अनुदान के व्यपगत से बचने के लिये आहरित की गई थी। राशि बैंक में रखी गई थी। 30.25 लाख रू0 निर्माण कार्यों के लिये निस्तारित किये गये थे (मार्च 2002)।
		50.00	मार्च 2001	मण्डी में टाऊन हॉल के निर्माण के लिये	40.76	जिला योजना अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001) कि राशि बजट अनुदान के व्यपगत से बचने के लिये आहरित की गई थी। निर्माण कार्य प्रगतिरत होने को बताया गया (जून 2002)।
		50.00	मार्च 2001	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, (छात्र) मण्डी का निर्माण	50.00	राशि बजट अनुदान के व्यपगत से बचने के लिये आहरित की गई थी। तथा राशि लोक निर्माण विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। कार्य को प्रगतिरत बताया गया (जून 2002)।
	जोड़	871.10			551.46	

बैंकों में सरकारी स्कीम की निधियों के ऐसे अप्राधिकृत जमा के अति अनियमित होने के अतिरिक्त इसके फलस्वरूप स्कीमों का निष्पादन भी न हो पाया/निष्पादन में विलम्ब हुआ। अतः सरकार के आदेशों का उल्लघंन करने में अनियमित कार्य के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मामले में अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है।

मामला मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

2.5 शिक्षा विभाग में व्यय एवं बजट नियंत्रण

2.5.1 परिचय

माध्यमिक शिक्षा के लिए निधियों का विभिन्न मुख्य शीर्षों* के अन्तर्गत अनुदान संख्या 8- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति तथा अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास के माध्यम से विभाग के बजट में प्रावधान किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा का निदेश विभागाध्यक्ष है तथा वह प्रशासनिक विभाग के माध्यम से बजट अनुमानों को तैयार करने तथा वित्त विभाग को प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होता है। बजट अनुमानों की निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रणाधीन 1,706 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 12 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा देख-रेख की जाती है।

1998-2001 की अवधि के लिए बजट अनुमानों को तैयार करना तथा व्यय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा द्वारा जून-जुलाई 2002 के दौरान निदेशालय स्तर पर की गई समीक्षा में निम्नलिखित बातें उद्घाटित हुईः

2.5.2 बजट तथा व्यय

पूर्वोक्त दो अनुदानों के अन्तर्गत 1998-2001 के दौरान आबंटित निधियों की समग्र स्थिति तथा उनके प्रति किया गया व्यय निम्नांकित थाः

तालिकाः 2.8

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत(-)
अनुदान संख्या-8			
योजना			
1998-1999	92.98	121.13	(+)28.15 (30)
1999-2000	137.12	187.07	(+)49.95 (36)
2000-2001	144.31	203.94	(+)59.63 (41)
आयोजनेतर			
1998-1999	242.32	241.02	(-)1.30
1999-2000	223.49	228.36	(+)4.87
2000-2001	265.56	263.22	(-)2.34
अनुदान संख्या-31			
योजना			
1998-1999	8.33	7.91	(-)0.42
1999-2000	10.71	14.61	(+)3.90 (36)
2000-2001	14.40	16.79	(+)2.39 (17)
आयोजनेतर			
1998-1999	7.25	7.28	(+)0.03
1999-2000	5.99	5.55	(-)0.44
2000-2001	7.44	7.33	(-)0.11
जोड़	1159.90	1304.21	(+)144.31

टिप्पणीः (कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं)
स्रोतः विभागीय आंकड़े

* 2075-विविध सामान्य सेवायें, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति तथा 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

यह पाया गया कि 1998-99 में अनुदान संख्या 31 में 0.42 करोड़ रू0 की बचत को छोड़कर, दोनों अनुदानों के योजना प्रवर्ग में 1998-2001 के दौरान सतत आधिक्य 17 तथा 41 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार बजट अनुमानों को वास्तविक आधार पर बनाया नहीं गया था।

2.5.3 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट अनुमानों का प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा से उद्‌घाटित हुआ कि 1998-2001 के दौरान कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बजट अनुमानों को प्रस्तुत नहीं किया जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका: 2.9

वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कुल संख्या		आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या जिन्होंने बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत किया	
	योजना	आयोजनेतर	योजना	आयोजनेतर
1998-99	1243	1676	408(835)	542(1134)
1999-2000	1323	1692	655(668)	610(1082)
2000-2001	1426	1706	715(711)	638(1068)

कोष्ठक में आंकड़े उन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या को दर्शाते हैं जिन्होंने बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं किया

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने बताया (जून 2002) कि विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से बजट अनुमानों की प्राप्ति के अभाव में बजट प्रस्तावों को निदेशालय के पूर्ववर्त्ती वर्षों के बजट प्रस्तावों के आधार पर बनाया गया था। चूककर्ता आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तथा बजट प्रस्तावों को वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

2.5.4 बजट विवरणियों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

1998-2001 के दौरान विभिन्न बजट विवरणियां जैसेकि आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों के बजट अनुमानों की विवरणियां तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की अन्तिम विवरणियां बजट नियमावली में निर्धारित तिथियों पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई थी। व्यक्तिगत मामलों में विलम्ब 20 तथा 120 दिनों के मध्य था। इस प्रकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा पूर्वोक्त नियमावली के प्रावधानों का पालन करने में विफल हुआ।

2.5.5 नियंत्रण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना

बजट नियमावली के अन्तर्गत महत्वपूर्ण नियंत्रण अभिलेखों जैसेकि संस्वीकृति पंजिका, विनियोगों का बही लेखा तथा दायिता पंजिका को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा बनाया नहीं गया था। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा पूर्वोक्त अभिलेखों के अभाव में विश्वसनीय अनुमानों को तैयार तथा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सका। जबकि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने तथ्यों को स्वीकारते हुए इन अभिलेखों को न बनाने के लिए कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.5.6 अवास्तविक आकलन

1998-2001 के दौरान शीर्ष "2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक स्कूलों, 01. माध्यमिक स्कूलों (योजना) के अन्तर्गत व्यय आबंटित निधियों से बहुत अधिक बढ़ गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका: 2.10

(करोड़ रूपए)

वर्ष	प्रावधित बजट	व्यय	बजट से अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
1998-1999	49.77	64.50	14.73	30
1999-2000	65.15	96.06	30.91	47
2000-2001	67.42	107.04	39.62	59

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने बताया (जून 2002) कि आधिक्य नए स्कूलों के खोलने/पदोन्नति, मंहगाई भत्ते में वृद्धि तथा वेतनमानों के संशोधन के कारण था जिसके लिए सरकार ने निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया था। तर्क मान्य नहीं है क्योंकि इन कारणों का पूर्वानुमान किया जा सकता था तथा तद्नुसार बजट की माँग की जा सकती थी।

2.5.7 अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगों में अतिरिक्त निधियों के लिए सहमत प्रावधानों का सम्मिलित न करना

योजना विभाग ने निजि महाविद्यालयों को आर्थिक सहायता तथा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 1998-99 तथा 2000-01 के दौरान 3.58 करोड़ रू0 (1998-99:1.39 करोड़ रू0 तथा 2000-2001:2.19 करोड़ रू0) की अतिरिक्त निधियों का प्रावधान किया। यह प्रावधान विभाग की अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगों में समाविष्ट किए जाने थे। तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगों में उनको सम्मिलित किए बिना अतिरिक्त निधियों में से व्यय किया। इसके फलस्वरूप 3.58 करोड़ रू0 का अधिक व्यय हुआ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने बताया (जून 2002) कि निस्तारित की गई अतिरिक्त निधियां चूक के कारण अनुपूरक माँगों में समाविष्ट नहीं की जा सकी। इस प्रकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व्यय पर अनुश्रवण/नियन्त्रण करने में असफल रहा।

2.5.8 सामान्य भविष्य निधि लेखे से अधिक आहरण

सामान्य भविष्य निधि के नियमों के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमा के अन्दर प्रत्याहरण को संस्वीकृत कर सकता है बशर्ते कि अभिदाता सामान्य भविष्य निधि लेखे में उसके नामे में जमा राशि से सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कराने की स्थिति में हो।

अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि 2000-2002 के दौरान 11 मामलों में संवितरण अधिकारियों ने अभिदाताओं को उनके सामान्य भविष्य निधि लेखों में पर्याप्त शेषों के बिना सामान्य भविष्य निधि लेखों से 2.99 लाख रू0 का अधिक आहरण अनुमत किया। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने बताया (जून 2002) कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी ही अधिक आहरणों के लिए उत्तरदायी थे क्योंकि उनके द्वारा मामलों को प्रस्तुत करने/संस्वीकृति प्रदान करने से पूर्व संविक्षा करना अपेक्षित था जिसके लिए उनको समय-समय पर चेतावनियाँ दी गई थी।

सिविल विभाग

प्रवर्ग-क

समीक्षाएं

		पृष्ठ
♣	स्थानीय जिला योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	41-50
♣	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	51-65
♣	ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण आवास योजना)	66-74

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

प्रवर्ग-क-समीक्षा

योजना विभाग

3.1 स्थानीय जिला योजना तथा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना

मुख्यबातें

जिला/खण्ड स्तर पर विकास कार्यों का कोई शैल्फ तैयार नहीं किया गया तथा उपायुक्तों द्वारा विकास समितियों के अनुमोदन के बिना ही निर्माण कार्य संस्वीकृत कर दिए गए। 1997-2002 के दौरान अव्ययित निधियां 19.11 लाख रू0 तथा 4.83 करोड़ रू0 के मध्य थी। 1997-2002 के दौरान तीन जिलों में संस्वीकृत किए गए 2,887 निर्माण कार्यों में से वास्तविक रूप में 2,429 निर्माण कार्य (84 प्रतिशत) ही सम्पन्न किए गए। तीन जिलों में 25 निष्पादन अभिकरणों के पास 2 करोड़ रू0 अव्ययित पड़े रहे, जिसके फलस्वरूप विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाए तथा इस प्रकार स्कीमों के उद्देश्य निष्फल रहे। स्कीमों का निर्धारित ढंग से अनुश्रवण नहीं किया गया। इनका प्रभाव निर्धारित करने के लिए स्कीमों का मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

** *बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर जिलों में जिला तथा खण्ड स्तर पर विकास कार्यों का कोई शैल्फ तैयार नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित 2,887 विभिन्न निर्माण कार्य उपायुक्तों द्वारा संस्वीकृत किए गए।*

[परिच्छेद 3.1.4 (i) तथा 3.1.7]

** *1997-2002 के दौरान प्रतिवर्ष मार्च के अन्त में 19.11 लाख रू0 से 4.84 करोड़ रू0 के मध्य की अव्ययित निधियां इस पर उपचित 23.41 लाख रू0 के ब्याज सहित उपायुक्तों के पास पड़ी रही तथा इन्हें कोष में प्रत्यार्पित नहीं किया गया, जैसाकि दिशानिर्देशों में परिकल्पित था। इसी अवधि के दौरान बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर जिलों में 25 निष्पादन अभिकरणों के पास 2 करोड़ रू0 का अप्रयुक्त बकाया भी कोष में जमा नहीं करवाया गया।*

[परिच्छेद 3.1.6(ख)]

** *उपायुक्तों द्वारा संस्वीकृत 2,887 निर्माण कार्यों के प्रति 25 कार्य निष्पादन अभिकरणों द्वारा फरवरी 2002 तक केवल 2,429 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए। शेष 458 निर्माण कार्य निर्धारित अनुसूचित समय में पूर्ण नहीं किए गए।*

[परिच्छेद 3.1.7(i)]

** *स्थानीय जिला योजना निधियों में से पहले से ही वित्तपोषित चल रहे 263 निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए तीन उपायुक्तों द्वारा दिशानिर्देशों की उपेक्षा करते हुए 1997 तथा 2002 के मध्य 65.99 लाख रू0 की अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत की गई।*

[परिच्छेद 3.1.7(iii)]

** *305 निर्माण कार्य, जिनका स्कीम के अन्तर्गत निष्पादन अनुमत नहीं था, संस्वीकृत और निष्पादित किए गए जिसके लिए उपायुक्तों द्वारा निष्पादन अभिकरणों को 1.25 करोड़ रू0 निस्तारित किए गए।*

[परिच्छेद 3.1.7 (iv)]

** *सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए 1.44 करोड़ रू0 मूल्य के 87 निर्माणकार्य संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित करवाए गए।*

(परिच्छेद 3.1.8)

3.1.1 परिचय

जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य में 1984-85 में स्थानीय जिला योजना स्कीम प्रारम्भ की गई। सरकार ने 1994 में स्थानीय जिला योजना के अन्तर्गत एक अन्य स्कीम " विकास में जन सहयोग" प्रारम्भ की। स्थानीय जिला योजना के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण तथा शहरी लाभभोगियों द्वारा क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत अंशदान अग्रिम में जमा करवाया जाना था। 1999-2000 में स्थानीय जिला योजना स्कीम बंद कर दी गई तथा जनवरी 2000 में एक नई स्कीम " विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" प्रारम्भ की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा सदस्य को 1999-2000 के दौरान 15 लाख रू0 तक तथा 2000-01 से 20 लाख रू0 तक विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए सिफारिश करने की छूट थी।

इन स्कीमों का उद्देश्य स्थानीय महत्व के लघु विकासात्मक कार्यों का निष्पादन करना था, जो सामुदायिक परिसम्पत्तियों तथा रोजगार अवसरों का सृजन करके स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। ऐसे निर्माण कार्यो में सरकारी शिक्षा संस्थाओं के भवन, ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमें, लघु सिंचाई स्कीमें तथा बहुद्देशीय सामुदायिक केन्द्र आदि सम्मिलित थे। इन स्कीमों के लिए प्रतिवर्ष बजट व्यवस्था राज्य योजना में से की जानी थी।

3.1.2 संगठनात्मक ढांचा

इन स्कीमों के लिए राज्य स्तर पर प्रधान सलाहकार-एवं-सचिव (योजना) विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी थे। राज्य स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्त नियन्त्रक अधिकारी थे। स्कीम का कार्यान्वयन खण्ड विकास अधिकारियों, लोकनिर्माण विभाग/सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभागों के अधिशासी अभियन्ताओं तथा नगरपालिकाओं आदि के माध्यम से किया जाना था।

3.1.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

प्रधान सलाहकार-एवं-सचिव (योजना) , तीन उपायुक्तों (बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर), 13 खण्ड विकास अधिकारियों[1], लोक निर्माण विभाग, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग के 8 अधिशासी अभियन्ताओं[2], एक अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, नाहन तथा तीन नगरपालिकाओं[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच के आधार पर 1997-1998 से 2001-2002 तक की अवधि की स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण फरवरी से अप्रैल 2002 तक किया गया। 1997-2002

---

1 *बैजनाथ, भवारना, बिलासपुर देहरा, घुमारवीं, लम्बागांव, झंडूता, नगरोटा बगवां, नाहन, पच्छाद, पंचरूखी, परागपुर तथा पांवटा साहिब।*

2 *बिलासपुर मण्डल-I, II, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य, धर्मशाला मण्डल लोक निर्माण विभाग, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य राजगढ़, नाहन लोक निर्माण विभाग, सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य तथा अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नाहन*

3 *बिलासपुर, धर्मशाला तथा नाहन*

के दौरान स्कीम पर किए गए व्यय के इक्कतीस प्रतिशत की नमूना जाँच की गई। नमूना जाँच के परिणामों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.1.4 योजना

स्थानीय जिला योजना स्कीमों के अन्तर्गत उपायुक्त को जिला के विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा निष्पादन हेतु खण्डवार योजना के आधार पर स्कीम के अन्तर्गत प्रारम्भ किए जाने वाले खण्डवार निर्माण कार्यों से अन्तर्विष्ट विकासात्मक निर्माणकार्यों का एक शैल्फ तैयार करना अपेक्षित था। विकासात्मक निर्माण कार्यो का शैल्फ जिला योजना, विकास तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रन पुनर्रीक्षण समिति (समिति) की बैठक में अनुमोदित किया जाना था तथा बाद में उपायुक्त ने विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृति प्रदान करनी थी।

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आए:-

(i) नमूना जांच किए गए किसी भी जिला/खण्ड में विकासात्मक निर्माण कार्यों का कोई शैल्फ तैयार नहीं किया गया। सारा वर्ष जब भी खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए तो उपायुक्तों ने उन्हें अनुमोदित किया। उपायुक्तों ने बताया (फरवरी-मार्च 2002) कि निर्माण कार्यों की स्वीकृति में होने वाले विलम्ब के परिहारार्थ निर्माण कार्यों का शैल्फ तैयार नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया।

(ii) कांगड़ा तथा बिलासपुर के उपायुक्तों ने समितियों की सिफारिश के बिना ही स्थानीय जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत विकासात्मक निर्माण कार्य संस्वीकृत किए। समिति की अक्तूबर 1998 में उपायुक्त कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन में केवल एक बैठक हुई। उपायुक्त, बिलासपुर ने बताया (मार्च 2002) कि चूंकि समिति का गठन जनवरी 2000 में किया गया था, अतः निर्माण कार्यों का शैल्फ अनुमोदित नहीं करवाया जा सका। उपायुक्त, कांगड़ा ने कारण सूचित नहीं किए (मार्च 2002)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि समितियों द्वारा निर्माण कार्यो के शैल्फ के अनुमोदन के उपरांत ही उपायुक्तों द्वारा निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जाने थे।

3.1.5 निधीयन पद्धति

राज्य सरकार द्वारा स्कीमें पूर्ण रूप से अर्थपोषित थी। योजना विभाग द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु निधियां सम्बन्धित जिलों के उपायुक्तों को दी गई थी जिन्हें आगे सम्बन्धित निष्पादन अभिकरणों अर्थात् खण्ड विकास अधिकारियों, अधिशासी अभियन्ताओं, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई तथा जनस्वास्थ्य विभाग तथा नगरपालिकाओं आदि को निस्तारित किया गया।

3.1.6 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(क) स्थानीय जिला योजना तथा विकास में जन सहयोग के लिए 1997-2002 के दौरान 86.89 करोड़ रू0 के बजट प्रावधान के प्रति 86.42 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त् 1999-2002 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन हेतु 22.90 करोड़ रू0 के बजट प्रावधान के प्रति 22.90 करोड़ रू0 का व्यय किया गया।

(ख) 1997-2002 (फरवरी 2002 तक) के दौरान नमूना जाँच किये गये तीन जिलों में उपायुक्तों के अभिलेखों के अनुसार निधियों का आवंटन तथा किया गया व्यय निम्नवत् था।

तालिका: 3.1

(लाख रू0)

वर्ष	आदि शेष	योजना विभाग द्वारा आवंटित निधियां	उपायुक्तों के पास उपलब्ध निधियां	उपायुक्तों द्वारा निष्पादन अभिकरणों को वितरित निधियां	उपायुक्तों के पास अव्ययित बकाए
1997-98					
स्थानीय जिला योजना	115.60	681.94	797.54	314.03	483.51
विकास में जन सहयोग	222.49	300.40	522.89	345.75	177.14
1998-1999					
स्थानीय जिला योजना	483.51	231.35	714.86	473.60	241.26
विकास में जन सहयोग	177.14	227.54	404.68	220.18	184.50
1999-2000					
स्थानीय जिला योजना	241.26	217.70	458.96	315.24	143.72
विकास में जन सहयोग	184.50	306.86	491.36	347.26	144.10
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	शून्य	375.00	375.00	22.43	352.57
2000-2001					
स्थानीय जिला योजना	143.72	103.47	247.19	173.84	73.35
विकास में जन सहयोग	144.10	335.06	479.16	327.16	152.00
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	352.57	250.00	602.57	521.88	80.69
2001-2002					
स्थानीय जिला योजना	73.35	...	73.35	54.24	19.11
विकास में जन सहयोग	152.00	246.54	398.54	233.49	165.05
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	80.69	...	80.69	66.62	14.07
योग स्थानीय ज़िला योजना		1234.46	...	1330.95	
योग विकास में जन-सहयोग		1416.40	...	1473.84	
योग विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना		625.00	...	610.93	
योग:		3275.86		3415.72	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा में निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

(i) निधियों को प्रयुक्त/ का प्रत्यर्पण न करना

स्थानीय जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत आवंटित निधियों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जाना था तथा वित्त वर्ष के अन्त में अव्ययित निधियाँ/बचतें, यदि कोई हों, को लेखों के प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत कोष में जमा करवाना अपेक्षित था। तथापि यह पाया गया कि 1997-2000 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में 19.11 लाख रू0 से 4.84 करोड़ रू0 के मध्य की राशियां उपायुक्तों के पास बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी रही। 1997-2002 के दौरान अव्ययित बकाया तथा उस पर उपचित 23.41 लाख रू0 का ब्याज दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकारी लेखे को प्रत्यर्पित नहीं किया गया तथा अगले वर्ष को अग्रेनीत कर दिया गया। उपायुक्तों ने निधियों के अप्रयुक्त रहने का कारण निधियों की विलम्ब से प्राप्ति तथा निष्पादन अभिकरणों द्वारा समय पर निर्माण कार्यों के सविस्तृत प्राक्कलनों को अन्तिम रूप न देना बताया (फरवरी 2002) । उपायुक्त, कांगड़ा, सिरमौर तथा खण्ड विकास अधिकारियों ने आगे बताया कि अब उपचित ब्याज सरकारी लेखे में जमा करवा दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अन्त में अव्ययित राशि कोष में जमा करवाई जानी थी।

इसके अतिरिक्त तीन जिलों में नमूना जाँचित 25 निष्पादन अभिकरणों को 1997-2002 के दौरान निस्तारित 20.02 करोड़ रू0 में से फरवरी 2002 तक 18.02 करोड़ रू0 उपयोग किए गए। निष्पादन अभिकरणों ने बताया (फरवरी-मार्च 2002) कि 2 करोड़ रू0 की बकाया राशि का अप्रयुक्त रहने का कारण मुख्यतः स्कीमों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, पंचायतों द्वारा रूचि का अभाव प्रदर्शित करना, स्थल विवाद तथा श्रम समस्याएँ तथा इसके अतिरिक्त निर्माणकार्यों का अभी भी प्रगति पर होना था। उपायुक्तों तथा निष्पादन अभिकरणों के उत्तर तर्क-संगत नहीं हैं, क्योंकि अव्ययित राशि कोष में जमा करवाई जानी थी। इसके अतिरिक्त निधियों का उपयोग न करने के कारण लोग अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

यह भी पाया गया कि निष्पादन अभिकरणों द्वारा उपायुक्तों को निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रतिवेदन नहीं भेजे गए। इस प्रकार उपायुक्त जो कि नियन्त्रण अधिकारी थे, को निर्माण कार्य जिनके लिए निधियां निस्तारित की गई थी की वास्तविक प्रगति और न ही निष्पादन अभिकरणों के पास पड़े अव्ययित बकायों का कोई ज्ञान नहीं था।

(ii) अग्राह्य व्यय

स्कीमों के अनुसार लेखन-सामग्री की लागत, पैट्रोल, तेल तथा स्नेहकों के प्रभार तथा प्राक्कलनों के बनाने की लागत को पूर्ण करने हेतु आयुक्त स्थानीय जिला योजना के अन्तर्गत कुल आबंटन का एक प्रतिशत तथा विकास में जन-सहयोग के अन्तर्गत 0.75 प्रतिशत आकस्मिक व्यय के रूप में प्रयुक्त करने हेतु सक्षम थे। अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि उपायुक्तों ने 1997-2002 के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों में से 14.61 लाख रू0 की कटौती की तथा इन मदों पर 1.80 लाख रू0 व्यय किए। उपायुक्तों द्वारा 12.81 लाख रू0 की शेष राशि मजदूरी, कम्प्यूटर के क्रय, फोटोस्टेट मशीन तथा मशीनरी एवं उपस्करों की अनुरक्षण संविदा पर व्यय किए गए, यद्यपि ये मदें स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थी। उपायुक्तों ने बताया (फरवरी-मार्च 2002) कि किया गया व्यय योजना सैल के लिए निधियों की व्यवस्था न करने, विकासात्मक स्कीमों के प्रभावशाली अनुश्रवण तथा कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रय की गई मदें थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, चूंकि इन मदों पर किया गया व्यय स्कीमों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं था।

(iii) पूर्व-संस्थापित निधि में से अंशदानों की अदायगी

"विकास में जन-सहयोग" स्कीम के अन्तर्गत एक विशेष निर्माण कार्य के लिए स्वैच्छिक अंशदान जनता द्वारा सहन किया जाना है। स्कूल भवन निधियों, रेडक्रास या मन्दिरों के चढ़ावे आदि जैसी किसी पूर्व-संस्थापित निधियों से लोक अंशदान कठोर रूप से निषेधित था।

अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि प्रधान सलाहकार (योजना) ने राजकीय महाविद्यालय, धर्मशाला में विद्यार्थी गतिविधि केन्द्र चरण-I तथा -II के निर्माण हेतु "विकास में जन सहयोग" के अन्तर्गत मार्च 1997 के दौरान 76.92 लाख रू0 संस्वीकृत किए जिसके लिए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्कीमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपायुक्त, कांगड़ा को भवन के निर्माण हेतु अक्तूबर 1996 तथा अप्रैल 2000 में माता-पिता-अध्यापक संघ निधियों में से 21.75 लाख रू0 की अंशदान के रूप में अदायगी की।

उपायुक्त, कांगड़ा ने बताया (फरवरी-2002) कि महाविद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में कोई भी यह बात नहीं कही गई थी कि अंशदान की अदायगी माता-पिता अध्यापक संघ से सम्बन्धित निधियों से की गई थी। उपायुक्त का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 1996-2000 के दौरान माता-पिता अध्यापक संघ की निधियों में एकत्रित हुई निधियों तथा उस पर उपचित ब्याज का ब्यौरा महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों में दिया गया था।

3.1.7 निर्माण कार्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धियाँ

नमूना जांचित निष्पादन अभिकरणों द्वारा 1997-2002 (फरवरी, 2002 तक) के दौरान प्रारम्भ किए गए तथा सम्पन्न किए गए निर्माण कार्यों के ब्यौरे नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं-

तालिका: 3.2

(लाख रूपए)

अवधि	संस्वीकृत किए गए निर्माण कार्य	संस्वीकृत/ निस्तारित राशि	सम्पन्न किए गए निर्माण कार्यों की संख्या		अपूर्ण निर्माण कार्यों की संख्या		बैंकों में पड़ा बकाया
			संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	
1997-98							
स्थानीय जिला योजना	579	243.60	552	232.30	28	7.46	3.84
विकास में जन सहयोग	244	252.94	234	167.97	9	74.96	10.01
1998-99							
स्थानीय जिला योजना	373	219.18	337	194.87	36	15.52	8.79
विकास में जन सहयोग	206	198.76	196	178.84	10	16.21	3.71
1999-2000							
स्थानीय जिला योजना	231	136.95	184	97.11	52	18.89	20.95
विकास में जन सहयोग	127	181.31	115	150.73	7	19.00	11.58
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	21	9.12	21	9.12	..	..	..
2000-2001							
स्थानीय जिला योजना	212	74.57	146	43.88	70	11.86	18.83
विकास में जन सहयोग	155	215.52	119	144.98	32	38.84	31.70
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	627	306.37	495	219.32	132	48.18	38.87
2001-2002							
स्थानीय जिला योजना	11	10.75	4	2.48	7	6.93	1.34
विकास में जन सहयोग	92	142.56	18	16.44	74	75.73	50.39
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	9	10.62	8	10.31	1	0.25	0.06
योग	2887	2002.25	2429	1468.35	458	333.83	

पाठशाला भवनों, ग्रामीण सड़कों, बहुद्देशीय सामुदायिक केन्द्रों तथा ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों जैसे निर्माण कार्य निष्पादन अभिकरणों द्वारा निष्पादित किए गए। स्थानीय जिला योजना स्कीम वर्ष 1999-2000 के दौरान बन्द कर दी गई। तथापि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उपायुक्तों द्वारा 2000-02 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत 85.32 लाख रू0 मूल्य के 223 निर्माण कार्य उनके पास अव्ययित पड़ी निधियों में से संस्वीकृत किए गए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नवत् तथ्य उद्‌घाटित हुएः

(i) निर्माण कार्यों के समापन में विलम्ब

स्कीम के अन्तर्गत निष्पादन हेतु केवल व्यवहार्य निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जाने थे जिन्हें वित्त वर्ष या संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जा सकता था। निष्पादन अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्‌घाटित हुआ कि 1997-2002 (फरवरी 2002 तक) के दौरान संस्वीकृत 2,887 निर्माण कार्यों में से निष्पादन अभिकरणों द्वारा 2,429 कार्य सम्पन्न किए गए थे, तथा शेष 458 कार्य प्रगति पर थे (मार्च 2002)। इनमें से 376 निर्माण कार्य जिन पर पहले ही 2.51 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका था विगत एक से चार वर्षों से अपूर्ण थे जिससे लाभग्राही अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

इसके अतिरिक्त दो खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्‌घाटित हुआ कि 17.83 लाख रू0 की लागत पर 33 निर्माण कार्य (नगरोटा भगवां: 31, पांवटा साहिब:2) 1997 तथा 2001 के मध्य प्रारम्भ किए गए। तथापि सितम्बर 1997 तथा अप्रैल 2000 के मध्य 13.76 लाख रू0 का व्यय करने के उपरान्त निर्माण कार्य परित्यक्त कर दिया गया था तथा एक से चार वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे। अतः 13.76 लाख रू0 के व्यय तथा 4.07 लाख रू0 के अव्ययित बकाए ने लाभभोगियों को अपेक्षित लाभों से वंचित रखा।

निष्पादन अभिकरणों ने बताया (फरवरी-अप्रैल 2002) कि निर्माण कार्यों में विलम्ब भू-विवादों, निधियों के अभाव, पंचायतों द्वारा विकासात्मक कार्यों में रूचि न लेना आदि के कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए था। इस प्रकार निष्पादन अभिकरण स्कीमों में परिकल्पित समापन की नियत अवधि का पालन करने में विफल रहे।

(ii) तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलनों के बिना निर्माणकार्यों की संस्वीकृति

स्थानीय जिला योजना स्कीमों के अनुसार सक्षम तकनीकी अधिकारी/प्राधिकारी से तकनीकी रूप से करवाए गए पूर्व अनुमोदित प्राक्कलनों के बिना निधियों का आवंटन/संस्वीकृति निषेध है। तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2.30 करोड़ रू0 के मार्गों, पैदल चलने वाले पुलों, पाठशाला भवनों, महिला मण्डल भवनों, सम्पर्क मार्गों आदि का निर्माण जैसे 374 कार्य दो उपायुक्तों (कांगड़ा तथा बिलासपुर) द्वारा 1997-2002 के मध्य तकनीकी प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना संस्वीकृत किए गए। उपायुक्त, बिलासपुर ने बताया (मार्च 2002) की निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के परिहारार्थ बिना प्राक्लनों के निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। उपायुक्त, कांगड़ा ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की। उपायुक्त, बिलासपुर का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्माण कार्य संस्वीकृत किए जाने थे।

(iii) चल रहे निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय जिला योजना निधियों का अनियमित व्यय

दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय जिला योजना के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्य अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना प्रत्येक अवस्था में केवल संस्वीकृत निधियों में सम्पन्न करवाने अपेक्षित थे।

यह पाया गया कि स्थानीय जिला योजना निधियों से पहले से ही अर्थपोषित 263 चल रहे निर्माण कार्यों को सम्पन्न करवाने के लिए 1997 तथा 2002 के मध्य सम्बन्धित निष्पादन अभिकरणों के अनुरोध पर बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के उपायुक्तों ने 65.99 लाख रू0 की अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत की। उपायुक्तों ने बताया (फरवरी, मार्च 2002) कि स्थानीय जिला योजना से अतिरिक्त निधियां संस्वीकृत की गई, क्योंकि इन कार्यों को पूर्ण करना जिलों के हित में था ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उपायुक्तों का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह स्कीमों के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

(iv) अग्राह्य निर्माण कार्यों की संस्वीकृति

1997-2002 के दौरान बिलासपुर, कांगड़ा तथा सिरमौर के उपायुक्तों द्वारा 1.25 करोड़[4] रू0 के मार्गों, कार्यालय भवनों आदि के 305 अग्राह्य निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए तथा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निष्पादन अभिकरणों को निधियाँ संस्वीकृत की गई। उपायुक्तों ने बताया (फरवरी-मार्च 2002) कि लोगों की मौलिक आवश्यकताओं जिनके लिए कोई विशिष्ट या चिन्हित निधियां उपलब्ध नहीं थी, को मध्यदृष्टि रखते हुए ये कार्य संस्वीकृत किए गए। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य स्कीमों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थे।

(v) निर्माण कार्य प्रारम्भ न करना

स्थानीय जिला योजना स्कीम के अन्तर्गत निष्पादन हेतु केवल व्यवहार्य कार्य ही संस्वीकृत किए जाने थे और उन्हें उसी वित्त वर्ष या संस्वीकृति जारी करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना अपेक्षित था।

नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1997-2001 के दौरान संस्वीकृत 34.49 लाख रू0 की लागत के 27 कार्य (बिलासपुर 9 निर्माण कार्यः 12.68 लाख रू0, कांगड़ा 17 निर्माण कार्यः 21.50 लाख रू0 तथा सिरमौर 1 निर्माण कार्यः 0.30 लाख रू0) फरवरी 2002 को अभी प्रारम्भ किए जाने थे।

3.1.8 संविदाकारों के माध्यम से निर्माण कार्यों का अप्राधिकृत निष्पादन

निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायतों के माध्यम से श्रमिक नियोजित करके विभागीय रूप से किया जाना था, ताकि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार तथा मजदूरी के पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि स्कीमों के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन् करते हुए 1997-1998 तथा 2001-2002 के मध्य 1.44 करोड़ रू0 मूल्य के 87 निर्माण कार्य संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित करवाए गए। निष्पादन अभिकरणों ने बताया (फरवरी-मार्च 2002) कि कुशल श्रमिकों के अभाव के कारण निर्माण कार्य संविदाकारों द्वारा सम्पन्न करवाए गए। उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि कार्यों का निष्पादन सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाना था।

---

4 *बिलासपुर 11 निर्माणकार्यः 8.95 लाख रूपये ; कांगड़ा 221 निर्माण कार्यः 88.53 लाख रूपये तथा सिरमौर 73 निर्माण कार्यः 27.73 लाख रूपये*

3.1.9 समापन प्रमाणपत्रों का प्रस्तुत न करना

1997-2002 के दौरान सम्पन्न किए गए 2.74 करोड़ रू0 मूल्य के 494 निर्माण कार्यों के समापन प्रमाणपत्र 8 निष्पादन अभिकरणों[5] द्वारा उपायुक्तों को नहीं भेजे गए थे जिसके फलस्वरूप इन्हें उपायुक्तों द्वारा प्रधान सलाहकार योजना को भी नहीं भेजा गया जैसा कि दिशा-निर्देशों में अपेक्षित था।

3.1.10 सृजित परिसम्पत्तियों का पंचायतों को हस्तान्तरित न किया जाना

यह पाया गया कि नमूना जांचित 25 इकाईयों में 1997-1998 तथा 2001-2002 के दौरान स्थानीय जिला योजना विकास में जन सहयोग/विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना निधियों में से 14.68 करोड़ रू0 की राशि की परिसम्पत्तियां सृजित की गई, परन्तु इन्हें सम्बन्धित पंचायतों/विभागों/अभिकरणों को सौंपा नहीं गया था (मार्च 2002) जैसा कि अपेक्षित था।

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (फरवरी-अप्रैल 2002) कि परिसम्पत्तियों को सौंपने की प्रथा का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि अधिकांश निर्माण कार्यों का निष्पादन सम्बन्धित पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में परिसम्पत्तियां सौंपी/हस्तान्तरित की जायेंगी। खण्ड विकास अधिकारियों की यह दलील तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि परिसम्पत्तियों का कब्जा उनके अनुरक्षण हेतु सम्बन्धित अभिकरणों को दिया जाना चाहिए था।

3.1.11 निर्माण कार्यों का निरीक्षण

स्कीम के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए निर्माण कार्यों के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु सन्तोषजनक रूप से चल रहे निर्माण कार्यों के मौके पर निरीक्षण हेतु अधिकारी उत्तरदायी थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया तथा विनिर्देशों के अनुसार सन्तोषजनक स्थिति से प्रगति पर थे। निरीक्षण की एक अनुसूची जो प्रत्येक पर्यवेक्षीय स्तर के कर्मी के लिए क्षेत्रीय भ्रमण की न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करता था, को योजना विभाग द्वारा निम्नवत् रूप से बनाया गया था:-

क्रमांक	निरीक्षण हेतु प्राधिकृत अधिकारी	निर्धारित निरीक्षण की प्रतिशतता
1.	खण्ड विकास अधिकारी/कनिष्ट अभियंता (विकास)	100
2.	जिला योजना अधिकारी	15
3.	उप मण्डलाधिकारी (सिविल)	10
4.	अतिरिक्त उपायुक्त	5
5.	उपायुक्त	4
6.	राज्य योजना विभाग से अधिकारी	1

5 बैजनाथ, बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता, नगरोटा बगवां, नाहन, पंचरूखी तथा पांवटा साहिब

नमूना-जांचित जिलों में खण्ड विकास अधिकारियों, जिला योजना अधिकारियों, उप-मण्डलीय मैजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेटों तथा उपायुक्तों द्वारा निरीक्षण के कोई अभिलेख अनुरक्षित/ उपलब्ध नहीं करवाए गए। तथापि, जिला योजना अधिकारी, कांगड़ा की 2001-2002 की अवधि तथा नाहन की 1997-2002 की अवधि की निरीक्षण टिप्पणियां उपलब्ध थी।

सम्बन्धित उपायुक्तों तथा खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (फरवरी 2002) कि निर्माण कार्यों का निरीक्षण दौरे के दौरान किया गया। प्रधान सलाहकार (योजना) ने बताया (फरवरी 2002) कि स्कीम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के क्षेत्रीय निरीक्षण योजना विभाग (राज्य मुख्यालय) के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे,किन्तु ऐसे निरीक्षणों से सम्बन्धित विशिष्ट अभिलेखों का कोई अनुरक्षण नहीं किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, क्योंकि ध्यान में आई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु निरीक्षणों के अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए था।

3.1.12 अनुश्रवण, प्रतिवेदन तथा मूल्यांकन

स्कीमों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण राज्य स्तर पर प्रधान सलाहकार, योजना विभाग तथा जिला स्तर पर उपायुक्तों द्वारा किया जाना था। प्रत्येक जिले के उपायुक्तों को प्रत्यक्ष तथा वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए प्रधान सलाहकार (योजना) को प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई, अक्तूबर, जनवरी तथा अप्रैल तक त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने अपेक्षित थे। नमूना-जांचित जिलों के अभिलेखों का अवलोकन करने से उद्घाटित हुआ कि किसी भी उपायुक्त ने 1997-1998 से 2001-2002 तक ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए थे। उपायुक्तों ने बताया (फरवरी 2002) कि मासिक बैठकों में निदेश देने के बावजूद भी निष्पादन अभिकरण ये प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

स्कीमों के प्रभाव तथा जिला/राज्य के समस्त विकास हेतु इसके योगदान का निर्धारण करने के लिए विभाग या किसी अन्य अभिकरण द्वारा 1997-2002 के दौरान स्कीमों का कोई मूल्याँकन नहीं किया गया।

3.1.13 निष्कर्ष

निष्पादन अभिकरणों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों के शैल्फ अनुमोदित करने हेतु जिलों में पुनरीक्षण समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गईं। स्कीमों का शैल्फ तैयार करने तथा उन्हें समितियों से अनुमोदित करवाने के बावजूद उपायुक्तों द्वारा पृथक-पृथक रूप से विभिन्न निर्माण कार्य संस्वीकृत किए गए। उपायुक्तों तथा निष्पादन अभिकरणों के पास विकास निधियां अप्रयुक्त पड़ी रही तथा वर्ष के अन्त में अव्ययित बकायों को कोष में जमा नहीं करवाया गया, जैसा कि निर्धारित था। त्रैमासिक प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजे गए। स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान स्कीम दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया। जिला तथा राज्य स्तर पर स्कीमों के कार्यान्वयन का, अनुश्रवण नहीं किया गया तथा स्कीमों का प्रभाव जानने के लिए स्कीमों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

ये तथ्य मई 2002 में सरकार को सूचित किए गए ; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002) ।

ग्रामीण विकास विभाग

3.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

मुख्य बातें

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य 1999-2004 में निर्धन परिवारों के 30 प्रतिशत सदस्यों को आच्छादित करना था। तीन वर्षों अर्थात् 1999-2002 के आनुपातिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए थे तथा 43 प्रतिशत की कमी थी। समाज के दुर्बल समूहों को सम्मिलित करने में कमी थी। सम्भावी स्वरोजगारियों की शिनाखत करने हेतु तीन सदस्यीय दल का गठन नहीं किया गया तथा एक ही बार में शिनाख्त नहीं की गई। मौलिक गतिविधियों के चयन तथा प्रत्येक मौलिक गतिविधि के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में विसंगतियां ध्यान में आई। आर्थिक इमदाद के अप्राधिकृत रूप से तथा अधिक निस्तारित करने के मामले दृष्टि में आए। 10.47 करोड़ रू0 के 400 हाईड्राम्ज संस्थापित करने के लिए एक विशेष परियोजना भली-भान्ति विचार करके प्रारम्भ नहीं की गई थी। कार्यक्रम का पर्याप्त अनुश्रवण नहीं किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् थे।

** *आत्म-सहायता समूहों के प्रशिक्षण, संरचना विकास तथा परिक्रामी निधि पर व्यय में कमी 46 तथा 81 प्रतिशत के मध्य थी।*

(परिच्छेद 3.2.5 (क)(iv))

** *1999-2002 के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निस्तारित किए गए 19.36 करोड़ रू0 में से केवल 2.46 करोड़ रू0 प्रयुक्त किए जा सके तथा शेष 16.90 करोड़ रू0 पांच जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़े थे। एक विशेष परियोजना के अन्तर्गत 1.45 करोड़ रू0 के क्रय किये गये 151 हाईड्रामों में से (2000-2001) 1.25 करोड़ रू0 की लागत के 130 हाईड्राम अनुपयुक्त सर्वेक्षण तथा दो समरूप परियोजनाओं के आच्छादित कर जाने के कारण संस्थापित नहीं किए गए।*

(परिच्छेद 3.2.5 (ख) तथा 3.2.8 (क))

** *1999-2002 के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों को आच्छादित करने में 43 प्रतिशत की कमी थी, जबकि जिलावार कमी की प्रतिशतता 28 तथा 64 के मध्य थी।*

(परिच्छेद 3.2.6 (क) (i))

** *कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों के अपेक्षित 50 प्रतिशत आच्छादन के प्रति नौ जिलों में वास्तविक आच्छादन 25 तथा 49 प्रतिशत के मध्य था। इसी प्रकार महिलाओं के लिए अपेक्षित 40 प्रतिशत आच्छादन के प्रति चार जिलों में वास्तविक आच्छादन 16 तथा 35 प्रतिशत के मध्य था।*

(परिच्छेद 3.2.6 (क) (ii))

** *लाभग्राही स्वरोजगारियों का वर्ष के दौरान एक ही बार में चयन नहीं किया गया। नौ खण्डों में ऐसे 123 लाभग्राहियों को 41.86 लाख रू0 की इमदाद निस्तारित की गई जिनके नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं थे।*

(परिच्छेद 3.2.6 (ख) (i) तथा(v))

** *पहले के 622 "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास" से सम्बन्धित दलों का न तो सुदृढ़ीकरण किया गया और न ही इन्हें आत्म-सहायता दलों में रूपान्तरित किया गया, जैसा कि अपेक्षित था। इन दलों को भूतकाल में परिक्रामी निधि के रूप में निस्तारित किए गए 1.20 करोड़ रू0 या तो "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास" से सम्बन्धित दलों के सदस्यों या बैंकों के पास रहे।*

(परिच्छेद 3.2.7(ii))

3.2.1 परिचय

ग्रामीण निर्धनता की समस्या का सामना करने के लिए समय-समय पर अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। कार्यक्रमों की बहुलता, उपयुक्त सामाजिक मध्यस्थता का अभाव, इन कार्यक्रमों में अपेक्षित संयोजनों का अभाव तथा कार्यान्वयन का अधिकतर पृथक-पृथक रूप से कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्त होने से सम्बन्धित होने के कारण संपोषित आय उत्पादन से सम्बन्धित मूल समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। हिमाचल प्रदेश में 1994-99 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 22.89 करोड़ रू0 का व्यय करने के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 2.59 लाख (1994-95) से बढ़कर 2.86 लाख (1998-99) हो गई। 1995-99 के दौरान स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को 58.30 लाख रू0 की लागत पर प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए 2,182 युवाओं को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था। स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1999 से पहले के छः[1] स्वरोजगार कार्यक्रमों का स्वरोजगार ग्रामीण योजना के रूप में पुनर्गठन किया गया। यह एक पावन कार्यक्रम था जिसमें ग्रामीण निर्धनों का आत्म-सहायता समूहों में गठन, प्रशिक्षण, साख, प्रौद्योगिकी, संरचना तथा विपणन सुविधाओं जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को आच्छादित किया गया था।

3.2.2 लक्ष्य तथा उद्देश्य

स्वर्ण-जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी संख्या में लघु प्रतिष्ठान संस्थापित करना था ग्रामीण निर्धनों की सम्भावना पर आधारित थी। इसका उद्देश्य इमदाद प्राप्त परिवारों को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार की निवल मासिक आय बैंक साख तथा सरकारी सहायता के सम्मिश्रण के माध्यम से आय उत्पादित परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करने पर चुकौती के अतिरिक्त न्यूनतम 2000 रू0 हो। दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्त में स्वरोजगारियों को इमदाद का निस्तारण तब किया जाएगा जब वे नियत की गई किस्तों की संख्या के अनुसार समस्त ऋण की चुकौती कर दें। स्कीम के प्रारम्भ होने से अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक खण्ड में 30 प्रतिशत निर्धन परिवारों को आच्छादित करने का प्रयास था, बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

3.2.3 संगठनात्मक ढांचा

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को कार्यान्वित करने का समस्त उत्तरदायित्व आयुक्त-एवं सचिव (ग्रामीण विकास) पर था, जिसे राज्य स्तर पर निदेशक-एवं-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास (निदेशक) द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी। राज्य स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्त जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के मुख्य निष्पादन अधिकारी थे, को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में परियोजना निदेशक (अतिरिक्त उपायुक्त) तथा परियोजना अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। खण्ड विकास अधिकारी खण्ड/आधारभूत स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी थे।

---

[1] *एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (ii) आत्म रोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास, (iv) ग्रामीण कारीगरों को सुधारीकृत औजारों की किट की आपूर्ति (v) गंगा कल्याण योजना तथा (vi) मिलियन वैल स्कीम*

3.2.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति

1999-2002 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन का राज्य के 12 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में से तीन[2] में तथा 75 विकास खण्डों में से उन्नीस[3] में ग्रामीण विकास विभाग निदेशालय में लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2001-अप्रैल 2002) में पुनरीक्षण किया गया। 34 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आच्छादित करने के लिए कार्यक्रम पर व्यय किए गए बत्तीस प्रतिशत व्यय की नमूना जाँच की गई।

3.2.5 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(क) स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना निधीयन केन्द्र तथा राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया। 1 अप्रैल 1999 को पूर्वकालिक कार्यक्रमों के अव्ययित बकाए का स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एकीकरण किया गया तथा तदनुसार उसका उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त कुल स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन की 15 प्रतिशत निधियां भारत सरकार द्वारा स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए पृथक रखी गई। भारत सरकार द्वारा साख गतिशीलता (बैंक साख तथा सरकारी इमदाद) के संदर्भ में वित्तीय लक्ष्य भी नियत किए गए। राज्य को निधियों का केन्द्रीय आवंटन राज्य में निर्धनता के प्रभाव क्षेत्र पर आधारित था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रत्यक्ष रूप से निस्तारित की गई।

निधियों के आवंटन की तथा भारत सरकार एवं राज्य द्वारा वास्तविक रूप से निस्तारण तथा उसके प्रति किए गए व्यय की वर्षवार स्थिति निम्नवत् थीः-

तालिकाः 3.3

(करोड़ रूपए)

वर्ष	आवंटित निधियां			निस्तारित निधियां			व्यय	निस्तारण से किया गया अधिक व्यय
	केन्द्र	राज्य	योग	केन्द्र	राज्य	योग		
1999-2000	5.80	1.93	7.73	4.76	1.59	6.35	6.67	0.32
2000-2001	4.94	1.65	6.59	2.46	0.82	3.28	7.71	4.43
2001-2002	2.86	0.95	3.81	2.86	0.72	3.58	7.65	4.07
योग							22.03	

स्रोतः विभागीय आंकड़े

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

2 *कांगड़ा, सोलन तथा ऊना*

3 *बैजनाथ, भवारना, देहरा, इन्दौरा, कांगड़ा, लम्बागांव, नगरोटा बगवां, नगरोटा सूरियां, प्रागपुर तथा रैत (जिला कांगड़ा), धर्मपुर, कण्डाघाट, कुनिहार, नालागढ़ तथा सोलन (जिला सोलन), अम्ब, बंगाणा, गगरेट तथा ऊना (जिला ऊना)*

(i) 1999-2002 के दौरान व्यय का आधिक्य 0.32 करोड़ रू0 तथा 4.43 करोड़ रू0 के मध्य था। अधिक व्यय की पूर्ति स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एकीकृत पूर्वकालिक स्कीमों से सम्बन्धित 6.51 करोड़ रू0 के अव्ययित बकायों से की गई।

(ii) राज्य सरकार ने जुलाई 2002 तक स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के लिए वर्ष 2001-2002 का 0.98 करोड़ रू0 का अपना अंशदान निस्तारित नहीं किया था। निदेशक ने बताया (जुलाई 2002) कि योजना विभाग द्वारा सहमति के अभाव में निधियां निस्तारित नहीं की जा सकी।

(iii) 2001-2002 के दौरान नमूना जांचित जिलों तथा खण्डों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 1.40 करोड़ रू0 की राशि की निधियों की कमियां ध्यान में आईं। निधियों की कमियों की पूर्ति हेतु परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कांगड़ा द्वारा एक बन्द हो चुकी राज्य योजना स्कीम "गांधी कुटीर योजना" से 47.50 लाख रू0 अपवर्तित किए गए तथा खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़ द्वारा अन्य स्कीमों से स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को 18.31 लाख रू0 अपवर्तित किए गए तथा ऐसे मामले जिन्हें 74.42 लाख रू0 की सहायता (इमदाद घटक) की आवश्यकता थी वे निधियों के अभाव में 14 खडों[4] में लम्बित पड़े हुए थे।

(iv) 1999-2002 के दौरान स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के चार संघटकों पर 22.03 करोड़ रू0 की राशि व्यय की गई। तथापि प्रत्येक संघटक पर व्यय के निर्धारित अनुपात का राज्य के किसी भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अनुसरण नहीं किया गया। 1999-2002 के दौरान व्यय की निर्धारित सीमा तथा किए गए वास्तविक व्यय की संघटकवार स्थिति निम्नवत् थीः

तालिकाः 3.4

(करोड़ रूपए)

क्र0	संघटक का नाम	कुल आवंटन के प्रति व्यय की निर्धारित प्रतिशतता	अपेक्षित व्यय	वास्तविक व्यय	अन्तर (+) आधिक्य (-) कमी	अन्तर की प्रतिशतता	आवंटन के प्रति व्यय की वास्तविक प्रतिशतता
1.	प्रशिक्षण निधि	10	2.20	0.42	(-) 1.78	81	1.9
2.	संरचनात्मक निधि	20	4.40	2.37	(-) 2.03	46	10.8
3.	परिक्रामी निधि	10	2.20	0.92	(-) 1.28	58	4.2
4.	आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपदान	60	13.23	18.32	(+) 5.09	38	83.1
	योग		22.03	22.03			

स्रोतः विभागीय आंकड़े

4 *बैजनाथः 12 लाख रू0; कांगड़ाः 7.38 लाख रू0; लम्बागांवः 7 लाख रू0; नगरोटा वगवां 1.90 लाख रू0; नगरोटा सूरियां: 4 लाख रू0; प्रागपुरः 2.60 लाख रू0 तथा रैतः 3.99 लाख रू0 (जिला कांगड़ा), धर्मपुरः 2 लाख रू0; कंडाघाटः 1.50 लाख रू0 तथा कुनिहारः 6 लाख रू0 (जिला सोलन) तथा अम्बः 12.05 लाख रू0; बंगाणाः 4 लाख रू0; गगरेटः 5 लाख रू0 तथा ऊनाः 5 लाख रू0 (जिला ऊना)*

आत्म-सहायता दलों के लिए तीन संघटकों अर्थात् प्रशिक्षण, संरचना विकास तथा परिक्रामी निधि पर व्यय में कमी क्रमशः 81,46 तथा 58 प्रतिशत थी, जबकि इमदाद संघटक पर व्यय निर्धारित अनुपात से 38 प्रतिशत तक बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त दिशानिर्देशों में परिकल्पित कुल आवंटन के 60 प्रतिशत के प्रति 83.1 प्रतिशत इमदादों पर खर्च किया गया। परिणामतः स्वरोजगारियों की पर्याप्त कुशलता का विकास नहीं किया गया, स्वरोजगारियों की आवश्यकताओं के अनुकूल पर्याप्त संरचना का सृजन नहीं किया गया तथा आत्म-सहायता दलों का क्षमता निर्माण पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया।

निदेशक ने स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के विभिन्न संघटकों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा व्यय की निर्धारित प्रतिशतता का अनुरक्षण न करने के बारे अनभिज्ञता प्रकट की। इससे यह इंगित हुआ कि निदेशालय स्तर पर समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया।

(v) राज्य सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत 1998-99 के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , कुल्लू तथा नाहन प्रत्येक को सहायता अनुदान का 15.79 लाख रू0 का राज्यांश पृथक-पृथक रूप से संस्वीकृत (21 फरवरी 2000) तथा निस्तारित कियां। संस्वीकृति पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना तथा कोषाधिकारी ऊना को सम्बोधित/पृष्ठांकित नहीं किया गया। तथापि, संस्वीकृति पत्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम सोलन के स्थान पर गलत रूप से ऊना उल्लिखित किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना द्वारा फरवरी 2000 में 15.79 लाख रू0 की राशि का प्रत्याहार किया गया। कोषाधिकारी, ऊना भी अप्राधिकृत प्रत्याहार पर आपत्ति करने में विफल रहा। अन्ततः यह राशि एक वर्ष तक बैंक में रखने के बाद फरवरी 2001 में कोष में जमा करवा दी गई। एक वर्ष तक सरकारी धन सरकारी खाते के बाहर रखने के अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अर्जित 0.63 लाख रू0 का ब्याज भी सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया।

परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना ने अप्राधिकृत प्रत्याहार का कारण संस्वीकृति पत्र में टंकण-त्रुटि बताया (दिसम्बर 2001)। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि संस्वीकृति पत्र न तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना को सम्बोधित था और न ही इसकी प्रति कोषाधिकारी, ऊना को पृष्ठांकित की गई थी।

(ख) 1999-2002 के दौरान स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निस्तारित की गई निधियां निम्नवत् थी:-

तालिका:3.5

(करोड़ रू0)

वर्ष	विशेष परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की लागत	निस्तारित की गई निधियां			व्यय	31 मार्च 2002 को अप्रयुक्त निधियां
			केन्द्र	राज्य	योग		
1999-2000	1	10.47	2.44	0.81	3.25	1.60	1.65
2000-2001	1	8.40	1.23	0.41	1.64	0.55	1.09
2001-2002	4	46.87	11.59	2.88	14.47	0.31	14.16
योग	6	65.74	15.26	4.10	19.36	2.46	16.90

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1999-2002 के दौरान स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा विशेष परियोजनाओं के लिए निस्तारित किए गए 19.36 करोड़ रू0 में से केवल 2.46 करोड़ रू0 व्यय किए गए थे जबकि 16.90 करोड़ रू0 की शेष राशि अप्रैल 2002 तक पाँच जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों[5] के पास अव्ययित पड़ी थी।

निदेशक ने अप्रयुक्तता का कारण भारत सरकार से 2001-2002 के बिल्कुल अन्त में निधियों का प्राप्त होना बताया (अप्रैल 2002)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दो परियोजनाओं के लिए 1999-2001 के दौरान निस्तारित किए गए 4.89 करोड़ रू0 में से 2.74 करोड़ रू0 अप्रैल 2002 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

(ग) 1999-2002 के लिए साख गतिशीलता हेतु भारत सरकार द्वारा नियत किए गए लक्ष्यों तथा उनके प्रति वास्तविक उपलब्धियों की स्थिति निम्नवत् थीः

तालिका:3.6

(करोड़ रूपए)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी(-) आधिक्य (+)
1999-2000	20.00	22.23	(+) 2.23
2000-2001	20.00	22.10	(+) 2.10
2001-2002	20.00	26.39	(+) 6.39

स्रोतः विभागीय आंकड़े

3.2.6 कार्यक्रम कार्यान्वयन

(क) प्रत्यक्ष उपलब्धियां

अप्रैल 1999 से प्रारम्भ करते हुए पाँच वर्षों में प्रत्येक खण्ड में मुख्यतः 30 प्रतिशत निर्धन लोगों को आच्छादित करना स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना के अन्तर्गत लक्ष्य था। कार्यक्रम के प्रारम्भ से तीसरे वर्ष के अन्त में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जिलावार आच्छादन की स्थिति अनुबन्ध x-(क) में दी जाती है।

5 *बिलासपुरः 1.09 करोड़ रूपये; हमीरपुरः 2.94 करोड़ रूपये; मण्डीः 4.82 करोड़ रूपये; शिमलाः 5.30 करोड़ रूपये तथा सोलनः 2.75 करोड़*

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

(i) उपलब्धियों में कमी

राज्य में लक्ष्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धियों में 43 प्रतिशत की महत्वपूर्ण समग्र कमी थी, जबकि जिलावार कमी की प्रतिशतता 28 तथा 64 के मध्य थी।

निदेशक ने कमी का कारण 1999-2000 के दौरान स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रारम्भ करने पर संस्थात्मक प्रबन्ध तथा दिशा-निर्देशों में पाँच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 30 प्रतिशत परिवारों के आनुपातिक आच्छादन के प्रावधान का न किया जाना बताया (अप्रैल 2002)।

(ii) कमजोर वर्गों का कम आच्छादन

स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धनों में विशेषतया कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। तद्नुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा विकलांगों के आच्छादन के लिए भारत सरकार द्वारा मानक स्वरोजगारियों का क्रमशः50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत नियत किए गए थे। 1999-2002 के दौरान कमजोर वर्गों के आच्छादन की स्थिति परिशिष्ट-X (ख) में दी जाती है।

यह देखा गया कि तीन जिलों[6] में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आच्छादन मानकों के अनुसार था, जबकि नौ जिलों[7] में आच्छादन 25 तथा 49 प्रतिशत के मध्य था। चार जिलों[8] में महिला लाभग्राहियों का आच्छादन 16 तथा 35 प्रतिशत के मध्य था। 1999-2002 के दौरान 2,944 विकलाँग व्यक्तियों में से केवल 99 विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई। पांच जिलों में स्कीम के अन्तर्गत किसी विकलांग का आच्छादन नहीं किया गया। सात जिलों[9] में प्रतिशतता 0.06 तथा 2.04 के मध्य थी।

निदेशक को इन कमजोर वर्गों के कम आच्छादन के कारण ज्ञात नहीं थे। तथापि खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001-अप्रैल 2002) कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां निगम से कम ब्याज दरों पर इमदाद लेने को प्राथमिकता दी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्वरोजगारियों के लिए 10,000 रूपए तक की इमदाद की व्यवस्था थी।

(ख) तीन जिला विकास अभिकरणों तथा 19 खण्डों में स्कीम के कार्यान्वयन की नमूना जांच के दौरान निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

(i) सम्भावी स्वरोजगारियों की शिनाख्त न करना

खण्ड विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि, बैंकर तथा सम्बन्धित पंचायत के प्रधान से अन्तर्विष्ट एक तीन सदस्यीय दल ने पंचायत के प्रत्येक बसे हुए स्थान का दौरा करना था। दल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से उन व्यक्तियों को सुनिश्चित करना था जो उल्लिखित मूल गतिविधि के अन्तर्गत आच्छादित किए जा सकते थे। स्वरोजगारी एकल व्यक्ति या समूह हो सकते थे। तथापि बल समूह दृष्टिकोण पर ही दिया जाना था।

---

6 किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति तथा ऊना

7 बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा ऊना

8 चम्बा, किन्नौर, कुल्लू तथा लाहौल एवं स्पिति

9 बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

नमूना जांचित उन्नीस खण्डों में यह पाया गया कि सम्भावी स्वरोजगारियों की शिनाख्त करने के लिए कोई भी ऐसा दल गठित नहीं किया गया। इस प्रकार एक ही समय में स्वरोजगारियों की शिनाख्त नहीं की गई, जैसा कि अपेक्षित था। स्वरोजगारियों की शिनाख्त न करने के कारण एक वर्ष के लिए चयनित स्वरोजगारियों की अन्तिम सूची मुद्रित नहीं करवाई गई और ग्राम पंचायत को अगली ग्रामसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई, जैसाकि दिशा-निर्देशों में अपेक्षित था।

खण्ड विकास अधिकारी ने उपर्युक्त् तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (दिसम्बर 2001-अप्रैल 2002) कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों के व्यक्तियों को इमदाद प्रदान करवाई गई जो जागरूकता शिविरों के फलस्वरूप स्वयं इमदाद हेतु आगे आए।

(ii) मूल गतिविधियों का चयन

स्थानीय संसाधनों, लोगों की अभिरूचि एवं कुशलता पर आधारित एक खण्ड स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति ने उन 8-10 गतिविधियों का चयन करना था, जो स्वरोजगारियों द्वारा अगले पाँच वर्षों में प्रारम्भ की जा सकती थी। इनमें से प्रति खण्ड चार-पाँच गतिविधियों का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबन्ध निकाय से अन्तिम रूप से अनुमोदन करवाने हेतु जिला समिति द्वारा चयन/अनुमोदन किया जाना था। अन्तिम चयन की प्रक्रिया तीन मास में पूर्ण की जानी थी तथा दो वर्षों के बाद मूल गतिविधियों का पुनरीक्षण किया जाना था।

तीन नमूना जांचित जिलों में यह पाया गया कि प्रत्येक खण्ड की मूल गतिविधियां जनवरी 2000 तथा जून 2000 के मध्य सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अनुमोदित की गई, जबकि विभिन्न गतिविधियों को प्रारम्भ करने हेतु स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान करना पहले ही अप्रैल-जून 1999 में प्रारम्भ किया जा चुका था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा तथा सोलन ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अनुबन्ध निकाय से मूल गतिविधियों की सूची अनुमोदित नहीं करवाई थी। कांगड़ा जिला में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा खण्ड स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति को साथ लिए बिना मूल गतिविधियों की शिनाख्त तथा उनका अनुमोदन किया गया। परियोजना अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2001) कि समय की कमी के कारण गतिविधियों के सम्बन्ध में खण्डों से सूचना दूरभाष पर प्राप्त की गई। मूल गतिविधियों का दो वर्ष के उपरांत पुनरीक्षण नहीं किया गया था, जैसाकि अपेक्षित था। इस प्रकार स्वरोजगारियों के निवेश से अच्छी आय प्राप्त करने का स्कीम का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया।

(iii) परियोजना प्रतिवेदन तैयार न करना

प्रशिक्षण, साख, प्रौद्योगिकी, संरचना तथा विपणन जैसे विभिन्न तत्वों को इंगित करते हुए प्रत्येक गतिविधि तथा प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक-पृथक रूप से खण्ड स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने अपेक्षित थे। जिला स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा अनुमोदन होने पर अन्तिम रूप से अनुमोदन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबन्ध निकाय के समक्ष गतिविधिवार परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने थे।

कांगड़ा तथा ऊना जिलों में गतिविधियों के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे। प्रत्येक मूल गतिविधि के लिए परियोजना प्रतिवेदनों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि एक मूल गतिविधि के अन्तर्गत एक खण्ड में स्वरोजगारियों की किस प्रकार सहायता की गई।

इन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के परियोजना अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2001-फरवरी 2002) कि खण्डों से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि परियोजना अधिकारी खण्ड स्तरीय स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति के सदस्यों में से एक सदस्य था तथा कार्यक्रम की प्रगति के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी था।

(iv) बैंकों द्वारा ऋणों की संस्वीकृति में विलम्ब

दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि बैंक ऋण संस्वीकृत करने के लिए स्वरोजगारियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन से अधिक नहीं लेंगे।

(क) नमूना-जांचित समस्त उन्नीस खण्डों में यह पाया गया कि स्वरोजगारियों को समय पर ऋण निस्तारित करने तथा ऋण की चुकौती पर निगरानी रखने के लिए किसी पद्धति का विकास नहीं किया गया था। चार खण्डों[10] में बैंकों को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से ऋण निस्तारित करने में विलम्ब एक से 18 मास के मध्य था, जबकि शेष 15 खण्डों में इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। तथापि खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि बैंकों द्वारा स्वरोजगारियों के ऋण निस्तारित करने में सामान्यतया एक से दो मास लिए जाते थे।

(ख) बारह खण्डों[11] में 167 लाभग्राहियों को 1999-2002 के दौरान संस्वीकृत 45.13 लाख रू0 (ऋणः 33.24 लाख रू0 तथा इमदादः 11.89 लाख रू0) के ऋणों के मामले बैंकों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को यह कहकर वापिस कर दिए गए कि लाभग्राही ऋण लेने के इच्छुक नहीं थे। इससे यह इंगित हुआ कि लाभग्राहियों को कार्यक्रम के लाभों के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं किया गया।

(v) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को सहायता

स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु परिवारों की शिनाख्त का आधार ग्रामसभा द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जनगणना के माध्यम से शिनाख्त किए गए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची था।

नौ खण्डों[12] में यह पाया गया कि 1999-2002 के दौरान ऐसे 123 व्यक्तियों को 41.86 लाख रू0 (इमदादः 8.75 लाख रू0 तथा ऋणः 33.11 लाख रू0) की सहायता निस्तारित की गई जिनके नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की अनुमोदित सूची में नहीं पड़ते थे।

(vi) इमदाद का अधिक निस्तारण

गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के स्वरोजगारियों के लिए इमदाद की अनुमत दर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत थी, बशर्ते इसकी अधिकतम सीमा 7500 रू0 हो। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के स्वरोजगारियों के लिए यह दर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 10,000 रू0, जो भी कम हो, थी। आत्म-सहायता दलों (प्रत्येक दल 10 से 20 सदस्यों से अन्तर्विष्ट) के लिए इमदाद की दर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत थी जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रू0 थी।

---

10 *धर्मपुर, कुनिहार, नालागढ़ तथा बंगाणा*

11 *बैजनाथ, देहरा, इन्दौरा, कांगड़ा, लम्बागांव, नगरोटा बगवां, परागपुर, रैत (जिला कांगड़ा), धर्मपुर (जिला सोलन), अम्ब, गगरेट तथा ऊना (जिला ऊना)*

12 *देहरा, कांगड़ा, नगरोटा बगवां तथा रैत (जिला कांगड़ा) तथा धर्मपुर, कण्डाघाट, कुनिहार, नालागढ़ तथा सोलन (जिला सोलन)*

दो जिलों (कांगड़ा तथा सोलन) के नौ खण्डों[13] में यह पाया गया कि 1999-2002 के दौरान 215 स्वरोजगारियों में से 70 स्वरोजगारियों (14 दलों में जिनमें से प्रत्येक दल 5 स्वरोजगारियों का था) को आत्म-सहायता दलों को अनुमत इमदाद की दर पर 17.50 लाख रू0 (1.25 लाख रू0 प्रतिदल) की इमदाद संस्वीकृत की गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स्वरोजगारी अकेले व्यक्ति थे और उन्हें 5.76 लाख रू0 की इमदाद संस्वीकृत की जानी थी। इस प्रकार 11.74 लाख रू0 की इमदाद निर्धारित सीमा से अधिक संस्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वर्गों से सम्बन्धित शेष 145 व्यक्ति स्वरोजगारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों को अनुमत दरों पर 3.36 लाख रू0 अधिक संस्वीकृत किए गए। इस प्रकार 215 स्वरोजगारियों को 15.10 लाख रू0 अधिक निस्तारित किए गए।

(viii) इमदाद का दुरूपयोग

यदि एक नियत अवधि जो लॉक-इन अवधि के नाम से जानी जाती है, से पूर्व ऋण की पूर्णरूप से चुकौती हो चुकी हो तो स्वरोजगारी इमदाद के किसी भी लाभ के हकदार नहीं थे। अधिकतम लॉक-इन अवधि तीन वर्ष की थी।

यह पाया गया (अप्रैल 2002) कि जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कण्डाघाट (जिला सोलन) द्वारा जनवरी 2000 में एक सैंटरो कार खरीदने के लिए पाँच स्वरोजगारियों के पक्ष में 3.10 लाख रू0 (ऋण:1.85 लाख रू0 तथा इमदाद :1.25 लाख रू0) की आर्थिक सहायता संस्वीकृत की गई। खण्ड विकास अधिकारी, कण्डाघाट द्वारा बैंक को फरवरी 2000 में 1.25 लाख रू0 (प्रत्येक स्वरोजगारी को 0.25 लाख रू0 की दर से) की इमदाद निस्तारित की गई। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि कार जनवरी 2000 में खरीदी गई तथा पाँच सदस्यों में से एक के नाम पर निजी वाहन के रूप में पंजीकृत की गई। रूचिकर बात यह रही कि लाभग्राहियों द्वारा 3.10 लाख रू0 के ऋण की समस्त राशि तथा इस पर ब्याज लॉक-इन अवधि (जनवरी 2003) से पूर्व सात मास के उपरान्त अगस्त 2000 में जमा करवा दिया गया। बैंक ने इसके साथ-साथ उसी दिन उन्हें 1.25 लाख रू0 की इमदाद निस्तारित कर दी। स्वर्ण-जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदने हेतु इमदाद संस्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं था। फिर कार का स्वामी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार का सदस्य नहीं हो सकता था। इस प्रकार 3.10 लाख रू0 की आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया।

3.2.7 आत्म सहायता दलों का गठन

स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक गतिशीलता से सम्बन्धित प्रक्रिया के माध्यम से आधारभूत स्तर पर निर्धन व्यक्तियों को संगठित करना था ताकि वे अपना संगठन बना सकें जिसमें वे पूर्ण तथा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित सभी विषयों पर निर्णय ले सकें। 10 से 20 सदस्यों से अन्तर्विष्ट आत्म सहायता दलों को मुख्यतः विकास की तीन अवस्थाओं अर्थात् (i) दलों का बनाना, (ii) समूह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने हेतु परिक्रामी निधि के माध्यम से पूंजी निर्माण करना तथा (iii) आय उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियां प्रारम्भ करना, से गुजरना था।

उन्नीस नमूना-जांचित खण्डों में 1999-2002 के मध्य 605 आत्म सहायता दलों का गठन किया गया।

---

13. *देहरा, कांगड़ा, नगरोटा बगवां तथा रैत (जिला कांगड़ा) तथा धर्मपुर, कण्डाघाट, कुनिहार, नालागढ़ तथा सोलन (जिला सोलन)*

इन आत्म सहायता दलों की अवस्थावार स्थिति निम्नवत् थी:

तालिका 3.7

वर्ष	लक्षित आत्म सहायता दल	आत्म सहायता दल जिनका गठन किया गया (दल निर्माण अवस्था)	ग्रेड I की अवस्था पार करना	दूसरी अवस्था में प्रवेश (पूंजी निर्माण)	प्राप्त की गई परिक्रामी निधि		ग्रेड II की अवस्था पार करना	तीसरी अवस्था में पहुंचना (आय-उत्पादन अवस्था)	प्राप्त की गई आर्थिक सहायता	
					आत्म सहायता दलों की सं0	राशि (लाख रू0)			आत्म सहायता दलों की सं0	राशि (लाख रू0)
1999-2000	निर्धारित नहीं किए गये	142	स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा श्रेणीकरण नहीं किया गया	24	24	4.61	स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा श्रेणीकरण नहीं किया गया	3	3	9.46
2000-2001	-तदैव-	307	-तदैव-	192	192	19.16	-तदैव-	92	92	265.08
2001-2002	-तदैव-	156	-तदैव-	65	65	8.72	-तदैव-	168	168	398.13
योग		605		281	281	32.49		263	263	672.67

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आये:

(i) तीन जिलों में 1999-2002 के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आच्छादित कुल 6,644 लाभभोगियों में से 3917 (59 प्रतिशत) व्यक्ति थे, जबकि शेष 2,727 (41) प्रतिशत) आत्म सहायता दल थे। इससे यह इंगित हुआ कि समूह दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया।

(ii) स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रारम्भ होने पर पूर्वकालिक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित समूहों को पहले सुदृढ़ करना था तथा उसके उपरान्त विद्यमान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित समूहों का रूपान्तरण करके नए आत्म सहायता दलों का गठन किया जाना था। तीन नमूना जांचित जिलों के 19 खण्डों में 1 अप्रैल 1999 को 729 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सन्बन्धित समूह थे जिन्हें परिक्रामी निधि के रूप में 1.40 करोड रू0 दिए गए थे। 1999-2002 के दौरान केवल 107 समूहों का आत्म सहायता समूहों में रूपान्तरण किया गया, जबकि शेष 622 समूह जिन्हें भूतकाल में परिक्रामी निधि के रूप में 1.20 करोड़ रू0 दिए गए, का न तो सुदृढ़ीकरण किया गया और न ही उन्हें सक्रिय किया गया। 1.20 करोड़ रू0 की समस्त राशि या तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित समूहों के सदस्यों के पास या बैंकों के पास रही।

खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2001-अप्रैल 2002) कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित समूहों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें आत्म सहायता दलों में रूपान्तरित नहीं किया जा सका क्योंकि विद्यमान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों से सम्बन्धित समूहों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10 सदस्यों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त् कुछ मामलों

में गरीबी रेखा को पार करने के सम्बन्ध मे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित समूहों के सदस्यों की परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया गया था।

इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी 622 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास से सम्बन्धित समूहों का पुनर्गठन/सक्रिय करने में विफल रहे।

(iii) दो जिलों (कांगड़ा तथा ऊना) में 12 खण्डों[14] में 1999-2002 के दौरान 115 आत्म सहायता दलों को 2.76 करोड़ रू0 (ऋणः 1.93 करोड़ रू0 तथा इमदादः 0.83 करोड़ रू0) की सहायता निस्तारित की गई, परन्तु क्षमता निर्माण के लिए पारिक्रामी निधि का निस्तारण नहीं किया गया था। इसके विपरीत दो जिलों (कांगड़ा तथा सोलन के) 14 खण्डों[15] में 134 आत्म सहायता दल जिन्हें 2000-2002 में 13.38 लाख रू0 की परिक्रामी निधि जारी की गई, ऋण तथा इमदाद के रूप में इमदाद परिक्रामी निधि के निस्तारित करने की तिथि से छः से 18 मास के उपरान्त भी जारी नहीं की गई थी।

3.2.8 विशेष परियोजनाएं

ग्रामीण निर्धनों के संगठन, समर्थन संरचना की व्यवस्था, प्रोद्योगिकी, विपणन, प्रशिक्षण आदि या इन के सम्मिश्रण के संदर्भ में दीर्घकालीन प्रोत्साहन योग्य स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मार्च, 2000 तथा मार्च 2002 के दौरान राज्य को 65.74 करोड़ रू0 की छः विशेष परियोजनाएं संस्वीकृत की। अप्रैल 2002 को परियोजनावार ब्योरे निम्नवत् थेः

तालिका 3.8

(करोड़ रुपए)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का महीना	परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि	परियोजना लागत	निस्तारित की गई निधियां			मार्च 2002 तक किया गया व्यय	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियां
					केन्द्र	राज्य	योग		
1.	हिमाचल प्रदेश में हाईड्राम्स का संस्थापन	मार्च 2000	2 वर्ष	10.47	2.44	0.81	3.25	1.60	1.65
2	बिलासपुर जिला में खुम्ब की खेती, फूलों की खेती तथा रेशम उत्पादन अपनाने के द्वारा ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक उत्थापन के लिये सोने की खानें	सितम्बर 2000	5 वर्ष	8.40	1.23	0.41	1.64	0.55	1.09
3	ग्रामीण माल का विपणन	मई 2001	2 वर्ष	9.15	2.89	0.96	3.85	0.20	3.65

[14] बैजनाथ, भवारना, इन्दौरा, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, नगरोटा सूरियां, परागपुर रैत (जिला कांगड़ा), अम्ब, बंगाणा, गगरेट तथा ऊना (जिला ऊना)

[15] भवारना, देहरा, इन्दौरा, कांगड़ा, लम्बागांव, नगरोटा बगवां, नगरोटा सूरियां, परागपुर तथा रैत (जिला कांगड़ा), धर्मपुर, कण्डाघाट, कुनिहार, नालागढ़ तथा सोलन (जिला सोलन)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का महीना	परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि	परियोजना लागत	निस्तारित की गई निधियां			मार्च 2002 तक किया गया व्यय	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास पड़ी अप्रयुक्त निधियां
					केन्द्र	राज्य	योग		
4	सोलन जिला में दुधारू पशुधन सुधार	नवम्बर 2001	5 वर्ष	8.87	2.15	0.71	2.86	0.11	2.75
5.	मण्डी जिला में कृषि में अपवर्तन के द्वारा ग्रामीण विकास	मार्च 2002	4 वर्ष	13.85	3.61	1.21	4.82	शून्य	4.82
6.	हमीरपुर जिला में रेशमोत्पादन तथा डेयरी विकास के द्वारा आत्मनिर्भरता	मार्च 2002	2 वर्ष	15.00	2.94	निस्तारित नहीं	2.94	शून्य	2.94
	योग			86.74	15.26	4.10	19.36	2.40	16.80

निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

(क) राज्य में सारा वर्ष तीव्रगति से बहने वाली नदियों की सिंचाई क्षमता का सदुपयोग करने हेतु मार्च 2000 में भारत सरकार द्वारा 10.47 करोड़ रू0 लागत की "400 हाईड्राम्स* की संस्थापना" एक विशेष परियोजना संस्वीकृत की गई। यह परियोजना दो वर्ष में पूर्ण की जानी थी तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग से सम्बन्धित 3000 किसानों को सहायता प्रदान की जानी थी। हाईड्राम्स का संस्थापन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों के दलों के लिए था। प्रत्येक दल को 0.40 लाख रू0 का ऋण संस्वीकृत किया जाना था तथा 0.29 लाख रू0 (स्वैच्छिक श्रम के रूप में) अपना अंशदान भी देना था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शिमला हाईड्राम्स की संस्थापना के लिए निधियां प्राप्त करने तथा उन्हें आगे अन्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा हिमऊर्जा[17] को हस्तान्तरित करने के लिए एक नोडल अभिकरण था। 3.25 करोड़ रू0 (केन्द्र का अंशः 2.44 करोड़ रू0 तथा राज्यांशः 0.81 करोड़ रू0) की प्रथम किस्त मार्च-अप्रैल, 2000 में प्राप्त हुई। इसमें से 1.60 करोड़ रू0 हाईड्राम्स के उपार्जन पर प्रयुक्त किए गए तथा शेष 1.65 करोड़ रू0 अप्रयुक्त पड़े थे। 2000-2001 में हिम उर्जा द्वारा उपार्जित तथा नौ जिलों[18] के विभिन्न खण्ड विकास अधिकारियों को संवितरित 151 हाईड्रामों में से 2000-2002 के दौरान चार जिलों[19] में 21 हाईड्रामों का संस्थापन किया गया। 1.25 करोड़ रू0 की लागत के शेष 130 हाइड्रामों का संस्थापन किया जाना है।

इसके अतिरिक्त तीन नमूना-जांच किए गए जिलों तथा अन्य जिलों से मांगी गई सूचना से यह पाया गया कि उपार्जित किए गए 151 हाइड्रामों में से 73 हाईड्रामों का कुल्लू तथा शिमला जिलों में

हाईड्रम्सः अपनी शक्ति के द्वारा उठाऊ क्षेत्रों में पानी उठाने के लिये यान्त्रिक साधन

17 *राज्य सरकार विकास ऊर्जा अभिकरण जिसे हाईड्रम्स के संस्थापन में विशेषज्ञता प्राप्त है।*

18 *बिलासपुरः 17; चम्बाः 5; कांगड़ाः 15; कुल्लूः 28; मण्डीः 21; शिमलाः 45; सिरमौरः 5; सोलनः 8 तथा ऊनाः 7*

19 *बिलासपुरः 7; चम्बाः 1; मण्डीः 11 तथा ऊनाः 2*

संस्थापन किया जाना था। ये हाईड्राम संस्थापित नहीं किए गए क्योंकि 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम " बंजर भूमि तथा सीमान्त भूमि का विकास" के अन्तर्गत 5.65 करोड़ रू0 की एक पृथक परियोजना दिसम्बर 1999 में इन दो जिलों के लिये पहले ही संस्वीकृत की जा चुकी थी तथा मार्च 2000 तक पश्चायुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 68 (कुल्लू: 21 तथा शिमला:47) हाईड्राम पहले ही संस्थापित किए जा चुके थे। दो समरूप स्कीमों के आच्छादित होने के कारण प्रथमोक्त स्कीम के अन्तर्गत हाईड्राम संस्थापित नहीं किए गए। इस प्रकार 1.78 करोड़ रू0 के 68 हाईड्राम संस्थापित करने की बहुत कम सम्भावना है।

कुल्लू तथा शिमला जिलों में किसानों के दल गठित न होने, किसानों द्वारा ऋण लेने तथा अपना अंशदान देने की अनिच्छुकता तथा परियोजनाओं के आच्छादित कर जाने से इंगित हुआ कि परियोजना का समुचित सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ख) सितम्बर 2000 मई 2001 में संस्वीकृत बिलासपुर जिला में ग्रामीण निर्धनों की परियोजना के आर्थिक उत्थापन का कार्यान्वयन तथा हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण माल का विपणन बहुत धीमी गति पर था। 5.49 करोड़ रू0 की प्राप्ति के प्रति मार्च 2002 तक 0.75 करोड़ रू0 उपयोग किए गए तथा शेष 4.74 करोड़ रू0 का अभी उपयोग किया जाना था। निदेशक ने कार्यान्वयन की धीमी गति का कारण परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व तैयारी प्रक्रिया में समय का व्यर्थ होना बताया (अप्रैल 2002)।

3.2.9 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

(i) खण्ड/जिला स्तर पर स्वर्ण-जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समितियां जो आधारभूत स्तर पर योजना, कार्यान्वयन, समीक्षा तथा दोष निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी थी, की मास में एक बैठक होनी अपेक्षित थी। यह पाया गया कि 1999-2002 के दौरान 13 खण्डों[20] में 314 बैठकों के प्रति 123 बैठकें हुई। इस प्रकार 61 प्रतिशत की कमी थी। शेष छः खण्डों (कांगड़ा जिला) में कोई बैठकें नहीं हुई, क्योंकि खण्ड स्वर्ण-जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समितियां गठित नहीं की गई। इसी प्रकार दो जिलों (कांगड़ा तथा सोलन) में राज्य स्तरीय स्वर्ण-जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समिति ने 1999-2002 के दौरान अपेक्षित 101 बैठकों के प्रति 31 बैठकें की। अतः 69 प्रतिशत की गिरावट रही। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ऊना ने की गई मासिक बैठकों की संख्या प्रकट करने वाले अभिलेख/ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए।

परियोजना अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारियों ने कमी का कारण बहुमुखी गतिविधियों के कारण समय की कमी तथा प्राधिकारियों से उपयुक्त अनुदेश न मिलने के कारण कांगड़ा जिला के छः खण्डों में खण्ड स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समितियों का गठन न करना बताया (दिसम्बर 2001-अप्रैल 2002)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों में पहले से ही अनुदेश विद्यमान थे।

(ii) कार्यक्रम की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी राज्य स्तरीय समिति की बैठक कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से लेकर नहीं हुई थी। इस प्रकार राज्य स्तर पर कार्यक्रम की प्रणाली तथा निष्पादन पर निगरानी नहीं रखी गई।

---

[20] *भवारना, कांगड़ा, लम्बा गांव तथा नगरोटा बगवां (जिला कांगड़ा), धर्मपुर, कण्डाघाट, कुनिहार, नालागढ़ तथा सोलन (जिला सोलन), अम्ब, बंगाणा, गगरेट तथा ऊना (जिला ऊना)*

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वरोजगारियों ने गरीबी रेखा को पार कर लिया है स्फीत्यात्मक आय के उत्पादन के लिए उनकी परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन की प्रगति का निरन्तर रूप से अनुसरण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाना था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, खण्डों तथा बैंकों के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा परियोजना की प्रगति के बारे अपनी अभ्युक्तियां अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक स्वरोजगारी को विकास पत्रिकाएं देनी अपेक्षित थी जिनका अनुरक्षण नहीं किया गया था। स्वरोजगारियों की परिसम्पत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन भी अभियान के आधार पर किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया था। नमूना-जांचित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों खण्डों में कार्यक्रम का अपेक्षित अनुसरण तथा अनुश्रवण नहीं किया गया था।

(iv) खण्ड/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का गुणवत्ता अनुश्रवण सुनिश्चित करने की दृष्टि से सहायता प्राप्त परिवारों का विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षणों के माध्यम से दिशा-निर्देशों में प्रत्यक्ष अनुश्रवण की अनुसूची की सिफ़ारिश की गई थी। नमूना-जांचित खण्डों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुसूची के प्रति वास्तविक रूप से किए गए क्षेत्रीय निरीक्षणों की संख्या दर्शाने वाले अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों की संख्या निर्धारित नहीं की थी।

(v) अप्रैल 2002 तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन नहीं करवाए गए थे।

3.2.10 समूचे निष्पादन का निष्कर्ष

सम्भावी लाभग्राहियों की शिनाख्त के संदर्भ में मूल गतिविधियों का चयन तथा प्रत्येक मूल गतिविधि के परियोजना प्रतिवेदनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के योग्य मामलों में सहायता प्रदान की जाए। पांच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 30 प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वार्षिक लक्ष्य नियत न करने तथा प्रत्यक्ष उपलब्धी में 43 प्रतिशत की कमी से कार्यक्रम का निकृष्ट कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण इंगित हुआ। स्वरोजगारियों को बैंकों द्वारा सहायता निस्तारित करने तथा ऋण की चुकौती पर निगरानी न करने से कार्यक्रम का कुप्रबन्ध इंगित हुआ। स्वरोजगारियों को सहायता निस्तारित करने में व्यापक अनियमितताएं ध्यान में आई। अनुपयुक्त सर्वेक्षण के कारण विशेष स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना परियोजनाओं के अन्तर्गत हाइड्राम्स संस्थापित न करना 10.47 करोड़ रू0 की विशेष परियोजनाओं की निकृष्ट योजना का संकेत था। खण्ड तथा जिला स्तरीय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियों की मासिक बैठकों के आयोजन में कमी थी। जिला स्तरीय स्वर्ण- जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियों की बैठकें नहीं की गई। स्वरोजगारियों द्वारा सृजित परिसंम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन तथा आवधिक मूल्यांकन नहीं किया गया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया गया जैसाकि निर्धारित था। इस प्रकार राज्य में कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावशाली रूप से नहीं किया गया तथा गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार कार्यक्रम में कोई सुधार नहीं हुआ था।

ये तथ्य जून 2002 में सरकार के ध्यान में लाए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.3 ग्रामीण आवास (इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य ग्रामीण आवास स्कीमें)

मुख्य बातें

1997-2002 के दौरान स्कीम के अन्तर्गत आवासों के निर्माण के लिए नियत किए गए लक्ष्य पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किए गए तथा निधियां अप्रयुक्त रही। इस प्रकार यह पाया गया कि निधियों के अपवर्तित करने के कारण लाभग्राही अपेक्षित लाभों से वंचित रहे। साख-एवं-इमदाद स्कीम के अन्तर्गत निस्तारित की गई निधियां वास्तविक आबंटन से बहुत कम थी जिसके फलस्वरूप आवासों के निर्माण में कमी आई। ग्रामीण आवास, स्कीम के अनुश्रवण के लिए तन्त्र/प्रक्रिया का विकास नहीं किया गया था।

** *27.95 करोड़ रू0 के कुल आबंटन के प्रति भारत सरकार ने 1997-2002 के दौरान केवल 25.37 करोड़ रू0 निस्तारित किए जिसके फलस्वरूप 2.58 करोड़ रू0 कम निस्तारित किए गए जिससे 1,170 लाभग्राही सहायता से वंचित रहे।*

(परिच्छेद 3.3 क.5 (ii))

** *भूकंप का शिकार हुए/बाढ से प्रभावित लोगों के लिए 85.10 लाख रू0 की निधियां भारत सरकार के अनुमोदन के बिना लक्ष्य दलों के आवासों पर साधारण ढंग से व्यय की गई।*

.(परिच्छेद 3.3 क 5(iii))

** *1999-2002 के दौरान 15 खण्ड विकास अधिकारियों ने 618 लाभग्राहियों को 61.80 लाख रू0 की अदायगी की थी, जबकि लाभग्राहियों ने न तो ग्रामीण शौचालयों का निर्माण किया था और न ही अपने गृहों में धुआं रहित चूल्हे ही संस्थापित किए थे*

(परिच्छेद 3.3 क 7 (ख) (i) (ख))

** *1997-2002 के दौरान 378 लाभग्राही 60.89 लाख रू0 की प्रारम्भिक किस्तें प्राप्त करने के उपरांत बकाया राशि लेने के लिए पुनः नहीं आए और इस प्रकार इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं था कि उन्होंने अपने घरों का निर्माण कर लिया था।*

(परिच्छेद 3.3 क 7 (ख) (ii))

** *51.62 लाख रू0 की अधिक वित्तीय सहायता उन 2,065 लाभग्राहियों को निस्तारित की गई जिन्होंने 1997-2002 के दौरान मुख्य आवासीय क्षेत्रों में अपने घरों का निर्माण कर लिया था।*

(परिच्छेद 3.3 क 7 (ख) (iii))

3.3.1 परिचय

राज्यों द्वारा छः केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण आवास स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा था। ये (i) इन्दिरा आवास योजना (ii) साख-एवं इमदाद स्कीम (iii) समग्र आवास योजना (iv) ग्रामीण आवास तथा निवास स्थान विकास के लिए नवीकरण योजना (v) ग्रामीण भवन केन्द्र तथा (vi) प्रधानमन्त्री ग्रामोद्योग योजना (ग्रामीण आवास) हैं। इन स्कीमों में से ग्रामीण आवास स्कीम का राज्य में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा था।

3.3.2 संगठनात्मक ढांचा

आयुक्त-एवं सचिव
(स्कीमों के कार्यान्वयन तथा समन्वय का समूचा उत्तरदायित्व)
↓
उपायुक्त (12)
↓
परियोजना अधिकारी (12)
↓
खण्ड विकास अधिकारी (75)

(टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े जिलों/खण्डों को इंगित करते हैं)

3.3.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

निदेशक के अभिलेखों की नमूना-जाँच से संपूरक पाँच[1] जिलों के 19[2] खण्डों में 1997-1998 से 2001-02 की अवधि के लिए स्कीम के कार्यान्वयन का लेखापरीक्षा में पुनरीक्षण किया गया। 35.31 करोड़ रू0 के कुल व्यय में से 17.21 करोड़ रू0 (48.80 प्रतिशत) के व्यय की नमूना-जाँच की गई।

क इन्दिरा आवास योजना

मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा स्वतन्त्र करवाये गये बन्धुआ मजदूरों से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनता को आवासों के निर्माणार्थ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1985-86 में राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में इन्दिरा आवास योजना प्रारम्भ की गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों तथा गैर-अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित निर्धन लोगों को आच्छादित करने के लिए 1993-94 से इन्दिरा आवास योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया बशर्ते गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लाभग्राही इन्दिरा आवास योजना आबंटन का 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं करेंगे। 1995-96 के बाद युद्ध में मारे गए सशस्त्र तथा अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए भी स्कीम के लाभों का विस्तार किया गया है। तीन प्रतिशत आवास ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शारीरिक तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए आरक्षित हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए सहायता की उच्चतम सीमा नये निर्माण के लिये पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रू0 प्रति आवास तथा मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रू0 प्रति आवास थी। कच्चे मकान की अर्ध-पक्के/पक्के आवास में उन्नयन के लिए सहायता की उच्चतम सीमा 10,000 रू0 थी।

3.3.4 केन्द्रीय सहायता के निस्तारण की रीति

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यय केन्द्र तथा राज्य द्वारा मार्च 1999 तक 80 : 20 के अनुपात में विभाजित किया गया तथा अप्रैल 1999 से यह अनुपात परिवर्तित करके 75 : 25 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्कीम का प्रावधान किया गया कि केन्द्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा दो किस्तों में निस्तारित की जानी थी। पहली किस्त वित्त वर्ष के प्रारम्भ में निस्तारित की जानी थी बशर्ते कि गत वर्ष में दूसरी किस्त का दावा किया और वह निस्तारित की गई हो। जिला ग्रामीण

---

1 *बिलासपुर, मण्डी, सिरमौर, हमीरपुर तथा शिमला।*

2 *घुमारवीं, झण्डूता, सदर बिलासपुर, भोरंज, नदौन, नाहन, पाँवटासाहिब, सँगड़ाह, पच्छाद, बसंतपुर, मशोबरा, रामपुर ठियोग, मण्डी सदर, गोपालपुर, धर्मपुर, सुन्दरनगर, करसोग, बिजड़ी।*

विकास अभिकरणों को नीचे दी गई शर्तों को पूर्ण करने पर उनके अनुरोध पर दूसरी किस्त का निस्तारण किया जाना थाः

उपलब्ध निधियों का साठ प्रतिशत अर्थात् वर्ष का आदि शेष तथा राज्यांश सहित वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को दूसरी किस्त के लिए आवेदन करने के समय प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास आदि शेष 31 मार्च 1999 तक जिला आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए तथा तदोपरान्त आदि शेष का अनुमत अग्रेनीत कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया।

3.3.5 वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

1997-2002 के दौरान स्कीम पर किया गया वर्षवार वित्तीय परिव्यय तथा व्यय निम्नवत् थाः

तालिकाः 3.9

(लाख रूपए)

वर्ष	आबंटन			आदिशेष	निस्तारित की गई निधियाँ		वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध निधियाँ (अर्जित ब्याज के अतिरिक्त)	व्यय	बचत(-) आधिक्य (+) (प्रतिशतता)
	केन्द्र	राज्य	योग		केन्द्र	राज्य			
1997-98	476.72	119.20	595.92	110.54	471.38	129.57	711.49	452.00	(-)259.49 (36.47)
1998-99	780.95	195.17	976.12	259.49	733.24	169.56	1162.29	786.96	(-)375.33 (32.29)
1999-2000	515.00	171.66	686.66	375.33	449.39	154.53	979.25	931.12	(-)48.13 (4.9)
2000-2001	515.00	171.66	686.66	48.13	443.90	139.23	631.26	657.52	(+)26.26 (4)
2001-2002	507.06	169.02	676.08	(-) 26.26	439.41	161.82	574.97	703.09	(+)128.12 (22.28)
योग	2794.73	826.71	3621.44		2537.22	754.71		3530.69	

स्रोतः विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नवत् तथ्य उद्घाटित हुएः

(i) 1997-2000 के दौरान बचतें 4.9 से 36.47 के मध्य थीं, जबकि 2000-2002 के दौरान अधिक व्यय 4 से 22 प्रतिशत के मध्य था। निदेशक ने बताया (अप्रैल 2002) कि बचतें मुख्यतः दूसरी किस्त के विलम्ब अर्थात् वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में प्राप्त होने के कारण थीं तथा 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान किए गए अधिक व्यय की पूर्ति अन्य स्कीमों से निधियों का अपवर्तन करके की गई।

(ii) 1997-2002 के दौरान 27.95 करोड़ रू0 के कुल केन्द्रीय आबंटन के प्रति राज्य को 25.37 करोड़ रू0 की राशि निस्तारित की गई जिसके फलस्वरूप 2.58 करोड़ रू0 का कम निस्तारण हुआ। निदेशक ने केन्द्रीय सहायता के निस्तारण में कमी का कारण मुख्यतः दूसरी किस्त के निस्तारण के लिए प्रस्तावों का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना तथा कुछ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास ग्राह्य सीमा से अधिक अग्रेनीत का होना बताया (मई 2002) ।

इस प्रकार दूसरी किस्त के निस्तारण के लिए प्रस्तावों का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना तथा अनुमत से अधिक अग्रेनीत के फलस्वरूप 2.58 करोड़ रू0 का कम निस्तारण हुआ तथा परिणामतः स्कीम के अन्तर्गत 1,170 लाभग्राहियों को सहायता से वंचित रखा गया।

(iii) स्कीम में यह प्रावधान था कि इन्दिरा आवास योजना निधियों के बैंक लेखों के निक्षेपों पर उपचित ब्याज इन्दिरा आवास योजना संसाधनों का एक भाग समझा जाएगा। अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा विभिन्न बचत बैंक लेखों में जमा इन्दिरा आवास योजना निधियों पर 1997-2002 के दौरान उपचित 23.97 लाख रू0 का ब्याज अप्रयुक्त पड़ा था।

(iv) दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल इन्दिरा आवास योजना आबंटनों का न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के आवासों के निर्माण/उन्नयन के लिए प्रयुक्त किया जाना था। निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1997-2002 के दौरान 35.31 करोड़ रू0 के कुल व्यय में से केवल 19.54 करोड़ रू0 (55.35 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों पर व्यय किए गए। इस प्रकार 1.64 करोड़ रू0 (4.65 प्रतिशत) का गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लक्षित दलों को अपवर्तन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पाँच जिलों के अभिलेखों की नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर व्यय का अनुपात 53 : 47 था जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं था।

निदेशक ने बताया (मई 2002) कि इन्दिरा आवास योजना दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

1997-2002 के दौरान नमूना जांच किए गए पांच जिलों में प्राप्त तथा प्रयुक्त की गई निधियों की स्थिति निम्नवत् थीः

तालिका: 3.10

(लाख रूपए)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम	लक्षित आवासों की संख्या		लक्ष्य के अनुसार अपेक्षित निधियां			प्राप्त की गई निधियां			प्रयुक्त की गई निधियां	आधिक्य (+) बचत (-) (प्रतिशतता)
	नये	उन्नयन	नये	उन्नयन	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़		
बिलासपुर	818	254	179.96	25.40	205.36	149.75	44.86	194.61	228.34	(+)33.73
मण्डी	1700	340	374.00	34.00	408.00	340.77	87.05	427.82	482.41	(+)34.59
हमीरपुर	741	175	163.02	17.50	180.52	122.49	35.44	157.93	182.23	(+)24.30
सिरमौर	2162	845	475.64	84.50	560.14	417.87	130.47	548.34	585.25	(+)36.91
शिमला	1115	269	245.30	26.90	272.20	162.45	44.75	207.20	242.61	(+)35.41
जोड़	6536	1883	1437.92	188.30	1626.22	1193.33	342.57	1535.90	1720.84	(+)184.94

स्रोतः विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः

(i) नमूना-जाँच किए गए जिलों के अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि 1997-2002 के दौरान प्राप्त निधियों से 1.85 करोड़ रू0 का व्यय अधिक किया गया। परियोजना अधिकारियों ने बताया (मई 2002) कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अन्य स्कीमों से निधियों के अपवर्तन तथा व्यय की गलत रिपोर्टिंग के कारण अधिक व्यय किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं । क्योंकि परियोजना अधिकारी स्कीम की वित्तीय उपलब्धियों का अनुश्रवण करने में विफल रहे।

(ii) 1997-2002 के दौरान 8419 आवासों (नया निर्माणः 6,536 तथा उन्नयनः 1,883) के निर्माण/उन्नयन के लिए अपेक्षित 16.26 करोड़ रू0 (नया निर्माणः 14.38 करोड़ रू0 तथा उन्नयनः 1.88 करोड़ रू0) के प्रति केवल 15.36 करोड़ रू0 केन्द्र (11.93 करोड़ रू0) तथा राज्य (3.43 करोड़ रू0) सरकारों द्वारा निस्तारित किए गए। इस प्रकार केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा 90.32 लाख रू0 कम निस्तारित किए गये। परियोजना अधिकारियों ने निधियों के कम निस्तारण का कारण दूसरी किस्त के लिए प्रस्तावों के विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा कटौति अधिरोपित करना बताया।

(iii) 1998-99 के दौरान नमूना जांच किए गए पाँच जिलों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1.22 करोड़ रू0 (केन्द्रीय अंशः 97.98 लाख रू0 तथा राज्यांशः 24.51 लाख रू0) की अतिरिक्त निधियां प्रदान की गई। केन्द्रीय अंश निस्तारित करते समय भारत सरकार ने विशेष रूप से कहा कि निधियों का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से सम्बन्धित भूकंप पीड़ितों/बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए किया जाना चाहिए तथा दिशा-निर्देशों के प्रावधानों से कोई विचलन अनुमत नहीं था।

अभिलेखों की नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ कि भूकम्प/बाढ़ से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की शिनाख्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। चार जिलों में 85.10 लाख रू0 (केन्द्रीय अंशः 68.07 लाख रू0 तथा राज्यांशः 17.03 लाख रू0) की राशि का उपयोग सामान्य रीति से लक्षित दलों के आवासों के निर्माण के लिए किया गया तथा भूकम्प पीड़ितों/बाढ़ग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिए कोई निधियां प्रयुक्त नहीं की गई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (हमीरपुर तथा शिमला) ने बताया कि व्यय को नियमित करने से सम्बन्धित मामला सक्षम अधिकारी के साथ उठाया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नाहन पहले ही भारत सरकार के साथ मामला उठा चुका था (दिसम्बर 2001) । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिलासपुर ने व्यय को नियमित करवाने हेतु कार्रवाई नहीं की थी, फरवरी 2002 तक 85.10 लाख रू0 का व्यय नियमित नहीं करवाया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डी ने बाढ़/भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास पर 37.39 लाख रू0 व्यय किए।

(iv) स्कीम के अन्तर्गत कुल निधियों का तीन प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से सम्बन्धित शारीरिक तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लाभ के लिए व्यय किए जाने थे। 1997-2002 के दौरान 35.31 करोड़ रू0 के कुल व्यय में से 9.02 लाख रू0 (0.26 प्रतिशत) इस प्रयोजनार्थ 41 आवासों के निर्माण पर व्यय किए गए। इसके फलस्वरूप शारीरिक तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त लाभग्राहियों के लिए 440 आवासों के निर्माण हेतु 96.90 लाख रू0 का कम व्यय हुआ।

निदेशक ने बताया (मार्च 2002) कि लाभग्राहियों के चयन के संदर्भ में अनुदेशों की पुनरावृत्ति की जा रही थी।

3.3.6 लाभग्राहियों का चयन

राज्य सरकार द्वारा जारी (अगस्त 1997) अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि लाभग्राहियों के चयन की प्रक्रिया जनवरी तथा फरवरी मास में प्रारम्भ की जानी थी तथा प्रत्येक वर्ष मार्च के अन्त तक पूर्ण की जानी थी। यह पाया गया कि सभी 19 नमूना जांच किए गए खण्डों में लाभग्राहियों के चयन में एक से

नौ मास के मध्य का विलम्ब था। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जनवरी-फरवरी 2002) कि यह विलम्ब ग्राम सभाओं की बैठकें समय पर आयोजित न करने के कारण था।

इसके अतिरिक्त स्कीम में यह व्यवस्था थी कि लाभग्राहियों का चयन करते समय ग्राम सभाएं निर्धारित अग्रताओं का पालन करेंगी। यह पाया गया कि निर्धारित अग्रताओं की उपेक्षा करते हुए नमूना जांचित खण्डों द्वारा 4,273 लाभग्राहियों का चयन उन परिवारों तक सीमित था जो या तो आवास रहित थे या जिनके आवास रहने के लिए असुरक्षित थे या जिनके पास पर्याप्त आवास स्थान नहीं था। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जनवरी/फरवरी 2002) कि ग्राम सभाओं द्वारा लाभग्राहियों का चयन करते समय अग्रता से सम्बन्धित पहलू दृष्टि में नहीं रखा गया।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का चयन किया जाना था। नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 15.30 लाख रू0 (खण्ड विकास अधिकारी, सदर मण्डीः 11.56 लाख रू0 तथा खण्ड विकास अधिकारी, भोरंजः 3.74 लाख रू0) की अदायगी उन 73 लाभग्राहियों (सदर मण्डीः 56 तथा भोरंजः17) को की गई जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार नहीं थे। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जनवरी 2002) कि लाभग्राहियों का चयन सम्बन्धित पंचायतों की ग्राम सभाओं द्वारा किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वित्तीय सहायता की अदायगी केवल स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों को की जानी थी।

3.3.7 प्रत्यक्ष निष्पादन

(क) राज्य स्तर पर नियत किए गए लक्ष्यों तथा उनके प्रति उपलब्धियों का वर्षवार विखण्डन परिशिष्ट-XI के अनुसार था।

अनुबन्ध यह दर्शाता है कि 1997-2002 के दौरान आवास-निर्माण के लिए लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 7 तथा 32 प्रतिशत के मध्य थी। निदेशक ने कमी का कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित कटौती तथा पूर्व वर्षों के अव्ययित बकाए का अधिक अग्रेनीत करना बताया (मई 2002) । यह दलील तर्क-संगत नहीं है, क्योंकि 1997-2000 के दौरान निधियां अप्रयुक्त रहीं।

(ख) पांच जिलों में नमूना जांच किए गए खण्डों में 1997-2002 के दौरान आवासों के निर्माण के लिए लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी भी परिशिष्ट-XI में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 3 तथा 29 प्रतिशत के मध्य थी।

खण्ड विकास अधिकारियों ने इस कमी का कारण विलम्ब से निधियों का प्राप्त होना तथा ग्राम पंचायतों द्वारा लाभग्राहियों के चयन एवं लाभग्राहियों की सूची को अन्तिम रूप देने में विलम्ब आदि बताया (मई-जून 2002) । खण्ड विकास अधिकारियों की दलील तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उन्हें स्कीम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में निम्नवत् तथ्य ध्यान में आएः-

(i)(क) स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में 4000 रू0 की तीसरी किस्त निस्तारित करने से पूर्व शौचालयों तथा धुआं-रहित चूल्हों का निर्माण किया जाना था। खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1997-2002 के दौरान ऐसे 1,400 लाभग्राहियों को 56 लाख रू0 की अदायगी की गई जिन्होंने धुआं-रहित चूल्हों तथा शौचालयों का प्रतिष्ठापन/निर्माण नहीं किया था।

(ख) दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि अप्रैल 1999 से इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का 20 प्रतिशत 10,000 रू0 प्रति इकाई की दर से निष्प्रयोज्य कच्चे आवासों को अर्ध-पक्का/पक्के आवासों में रूपान्तरित करने पर प्रयुक्त किए जाएगें। रूपान्तरण के अन्तर्गत प्रत्येक आवास में शौचालय तथा धुआं रहित चूल्हे की व्यवस्था सम्मिलित करना आवश्यक था। नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि 1999-2002 के दौरान 15 खण्ड विकास अधिकारियों ने 618 लाभग्राहियों को 61.80 लाख रू0 का भुगतान किया था, जबकि लाभग्राहियों ने न तो ग्रामीण शौचालयों का निर्माण किया और न ही अपने आवासों में धुआं रहित चूल्हों का प्रतिष्ठापन ही किया।

खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (मई-जून 2002) कि उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि स्कीम में पहले ही आवश्यक अनुदेशों की व्यवस्था की गई थी।

(ii) स्कीम के अन्तर्गत लाभग्राहियों को इस आशय के अनुबन्ध बंधपत्र निष्पादित करने अपेक्षित थे कि यदि उन्होंने निर्माण प्रारम्भ नहीं किया या प्रारम्भिक किस्तें प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण का परित्याग करते हैं तो लाभग्राहियों से 18 प्रतिशत के ब्याज सहित अदा की गई राशि की वसूली की जाएगी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सभी नमूना जांचित खण्डों में 1997-2002 के दौरान 378 लाभग्राही 60.89 लाख रू0 की राशि की प्रारम्भिक किस्तें प्राप्त करने के उपरान्त बकाया राशि लेने नहीं आए और इस प्रकार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह प्रकट कर सके कि उन्होंने स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त सहायता से अपने आवासों का निर्माण किया था। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (जनवरी से मार्च 2002) कि चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं (जून 2001) या तो वह आवासों का निर्माण पूर्ण करें या राशि का प्रत्यर्पण करें। इस प्रकार चूककर्ताओं के विरूद्ध समय पर/पर्याप्त कार्रवाई करने में विफल रहने के फलस्वरूप स्कीम का प्रयोजन निष्फल हो जाने के अतिरिक्त 60.89 लाख रू0 की सरकारी निधियों का दुरूपयोग हुआ। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी निधियों के उपयोग का अनुश्रवण करने तथा वसूली के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे।

(iii) स्कीम के अन्तर्गत निर्माण सहायता की उच्चतम सीमा निम्नवत् थी:

शौचालय तथा धुआं रहित चूल्हों सहित आवास का निर्माण	19,500 रू0
संरचना तथा सांझी सुविधाएं प्रदान करने की लागत	2,500 रू0

यदि आवासों का निर्माण झुण्डों/लघु निवास स्थानों में किया जाता है तो संरचना तथा सांझी सुविधाओं के लिए प्रदान किए गए 2,500 रू0 लाभग्राही को आवास के निर्माण के लिए नहीं दिए जाने चाहिए।

18 खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 1997-2002 के दौरान निर्मित किए गए 3,313 आवासों में से 2,065 आवासों का निर्माण मुख्य रूप से बसे हुए गांवों (लघु निवास स्थान) में किया गया तो भी लाभग्राहियों को 19,500 रू0 प्रति इकाई के स्थान पर वित्तीय सहायता की पूर्ण राशि का निस्तारण किया गया। इसके फलस्वरूप लाभग्राहियों को 51.62 लाख रू0 की अधिक अदायगी हुई। खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (मई 2002) कि ऐसा अनभिज्ञता के कारण हुआ तथा आधिक्य को नियमित करवाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

3.3.8 आवासों की सूची का अनुरक्षण न किया जाना

नमूना जांच किए गए खण्ड विकास अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि स्कीम के अन्तर्गत निर्मित आवासों की पूर्णसूची का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था जिसका स्कीम के प्रारम्भ होने से अनुरक्षण नहीं किया गया। इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2001-मार्च 2002) कि भविष्य में सूची का अनुरक्षण करने हेतु प्रयास किए जायेंगे।

ख. साख-एवं-इमदाद स्कीम

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिनका इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आच्छादन नहीं किया गया क्योंकि वे या तो पात्रता के परिक्षेत्र में नहीं पड़ते थे या उपलब्ध बजट के द्वारा अधिरोपित सीमाओं के कारण उन्हें वर्जित किया गया था। इन परिवारों को सम्मिलित करने के लिए ग्रामीण आवासों के लिए एक "साख-एवं-इमदाद स्कीम" जो कि आंशिक रूप से साख तथा आंशिक रूप से इमदाद पर आधारित है का अप्रैल 1999 से भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रारम्भ किया गया।

स्कीम के अन्तर्गत एक ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय केवल 32,000 रू0 तक हो एक लक्षित दल है। इमदाद अंश 10,000 रू0 तक सीमित है तथा प्रत्येक मामले में ऋण की अधिकतम राशि जिसे वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है 40,000 रू0 है। इमदाद अंश केन्द्र तथा राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में विभक्त किया जाता है।

(i) वित्तीय निष्पादन

1999-2002 के दौरान वर्षवार वित्तीय परिव्यय तथा उसके प्रति किया गया व्यय निम्नवत् थाः

तालिका: 3.11

(लाख रूपए)

वर्ष	आदि शेष	आवंटन			निस्तारित की गई निधियां			कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) प्रतिशतता
		केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़			
1999-2000		32.85	10.95	43.80	16.43	5.50	21.93	21.93	शून्य	(-)21.93 (100)
2000-2001	21.93	30.70	10.23	40.93	20.68	5.72	26.40	48.33	37.30	(-) 11.03 (22)
2001-2002	11.03	11.73	3.91	15.64	2.35	1.96	4.31	15.34	19.88	(+)4.54
जोड़		75.28	25.09	100.37	39.46	13.18	52.64		57.18	

स्रोतः विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जाएगा किः

(i) 1999-2002 के दौरान 100.37 लाख रू0 (केन्द्रः 75.28 लाख रू0 तथा राज्य 25.09 लाख रू0) के कुल आबंटन के प्रति जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को 52.64 लाख रू0 (केन्द्रः 39.46 लाख रू0 तथा राज्यः 13.18 लाख रू0) का निस्तारण किया गया, जिसके फलस्वरूप 47.73 लाख रू0 का कम निस्तारण हुआ। निदेशक ने बताया (मई 2002) कि निधियों के कम निस्तारण के कारण भारत सरकार को दूसरी किस्त के लिये विलम्ब से प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। इस प्रकार 47.73 लाख रू0 के कम निस्तारण के कारण स्कीम के अन्तर्गत 477 लाभग्राहियों को सहायता से वंचित रखा गया।

(ii) 1999-2000 के दौरान 21.93 लाख रू0 (100 प्रतिशत) तथा 2001-2002 में 11.03 लाख रू0 (22 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे, जिन्हें परियोजना अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बचत बैंक खातों में रखा गया। इसके अतिरिक्त स्कीम के लिए निस्तारित 52.64 लाख रू0 की कुल निधियों में से निदेशक द्वारा 27 लाख रू0 वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में निस्तारित किए गए।

(iii) लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

1999-2002 के दौरान निर्माण हेतु 1,002 आवासों का लक्ष्य नियत किया गया, जिसके प्रति केवल 460 आवासों का निर्माण किया गया। इस प्रकार 542 आवासों (54 प्रतिशत) का कम निर्माण हुआ। निदेशक ने कमी का कारण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग न करना तथा भारत सरकार द्वारा निधियों का कम निस्तारण बताया (मई 2002)।

3.3.9 अनुश्रवण

किसी भी स्तर पर ग्रामीण आवास स्कीमों का अनुश्रवण करने के लिए किसी तन्त्र/प्रक्रिया का विकास नहीं किया गया और न ही सरकार द्वारा कोई निरीक्षण अनुसूची ही निर्धारित की गई। राज्य स्तर पर समन्वयी समिति का भी गठन नहीं किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए। निदेशक ने तथ्य स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2002) कि इन स्कीमों का राज्य स्तर पर सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा उपायुक्तों/परियोजना अधिकारियों, ग्रामीण जिला विकास प्राधिकरण के साथ मासिक/तिमाही बैठकों में पुनरीक्षण किया जा रहा है।

3.3.10 मूल्याँकन

स्कीम का प्रभाव जानने हेतु विभाग द्वारा ग्रामीण आवास स्कीमों के प्रारम्भ होने से कोई मूल्याँकन अध्ययन नहीं किया गया।

मई 2002 में ये तथ्य सरकार के ध्यान में लाए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

तीसरा अध्याय

प्रवर्ग-ख

लेखापरीक्षा परिच्छेद

प्रवर्ग-ख- लेखापरीक्षा परिच्छेद

कृषि विभाग

3.4 स्टाफ आवासों पर निरर्थक निवेश

36.74 लाख रू0 के निवेश पर निर्मित आवास स्टाफ 6 से 11 वर्षों की अवधियों के मध्य तक अप्रयुक्त रहे।

वित्तीय आयुक्त (विकास) -एवं-कृषि उत्पादन आयुक्त ने विश्व बैंक साहाय्यित प्रशिक्षण, विस्तार परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के 3.32 करोड़ रू0 के (सितम्बर 1988) तथा 3.11 करोड़ रू0 (जुलाई 1993) के स्टाफ आवासों का निर्माण अनुमोदित किया। इन स्टाफ आवासों का निर्माण 1988 तथा 1996 के मध्य किया गया।

कृषि उप-निदेशक, ऊना तथा पालमपुर के अभिलेखों की नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ (मार्च 2001 तथा दिसम्बर 2001) कि 36.74 लाख रू0 की लागत पर जून 1991 तथा फरवरी 1996 के मध्य निर्मित किए गए 16 आवास (ऊना जिला: 10 तथा कांगड़ा जिला:6) खाली पड़े हुए थे, क्योंकि उन स्थानों पर कोई भी स्टाफ तैनात नहीं किया गया था जहां पर इन आवासों का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कांगड़ा जिला में निर्मित आवास उनके निर्माण से लेकर अब तक कभी भी आबंटित नहीं किए गए थे। अतिरिक्त कृषि निदेशक (उत्तर क्षेत्र) ने मई 2001 में स्वीकार किया कि इन अनधिवासित भवनों की स्थिति बिगड़ती जा रही थी।

निदेशक, कृषि विभाग ने बताया (मार्च 2002) कि आवासीय भवनों का निर्माण प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा था और परियोजना अवधि के दौरान पदों की अधिकतम संख्या भरी गई। मार्च 1994 में परियोजना पूर्ण हो जाने पर अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये स्टाफ के प्रत्यावर्तन तथा पदों उन्नतियों/सेवा निवृतियों के कारण रिक्त हुये पदों को नहीं भरा गया। यह उत्तर इस तथ्य को इंगित करता है कि आवासों का निर्माण दीर्घकालीन आधार पर उनकी उपयोगिता का समुचित निर्धारण किए बिना किया गया।

इस प्रकार स्टाफ आवासों के निर्माण पर किया गया 36.74 लाख रू0 का निवेश निरर्थक रहा। विभाग ने इन आवासों का उपयोग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे।

अप्रैल 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

वित्त विभाग (राज्य लॉटरी निदेशालय)

3.5 अनुबन्ध का निरसन किए जाने के कारण परिहार्य दायित्व तथा व्यय

अनुबन्ध के उपबन्धों का अनुसरण किए बिना इसे निरसन किए जाने से सम्बन्धित अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 3.85 करोड़ रू0 की परिहार्य दायिता तथा 79.55 लाख रू0 का व्यय हुआ।

राजस्व उत्पन्न करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 1995 को एक कम्पनी के साथ "ऑन लाईन लॉटरी सिस्टम" संस्थापित करने के लिए एक अनुबन्ध किया। अनुबन्ध की धारा-26 के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए जाने की तिथि के 18 मास के भीतर ऑन लाईन लॉटरी सिस्टम आरम्भ करने के लिये संरचना का संस्थापन किया जाना था तथा इसके बाद 10 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिये लॉटरी वाणिज्यिक रूप से प्रारम्भ की जानी थी तदानुसार, कम्पनी द्वारा 1 अगस्त 1996 तक संरचना का संस्थापन अपेक्षित था। अनुबन्ध की धारा-27.2 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि कोई पार्टी अनुबन्ध की किसी महत्वपूर्ण शर्त का पालन करने में विफल रहती है तो दोनों में से किसी भी पार्टी को 90 दिन का लिखित नोटिस देकर इस अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार होगा। पूर्वोक्त अनुबन्ध की धारा-4 के अनुसार कम्पनी ने सरकार के पास 5 करोड़ रू0 जमा करवाए (अक्तूबर 1995)। नवम्बर 1995 में विभाग कम्पनी के अनुरोध पर 18 मास की अवधि को 24 मास की अवधि में संशोधित करने के लिए सहमत हो गया। यह संशोधन कम्पनी की सुविधा के अनुसार अनुपूरक अनुबन्ध में सम्मिलित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अगस्त 2001) कि न तो कम्पनी अनुपूरक अनुबन्ध हेतु आगे आई और न ही विभाग ने इस कम्पनी के साथ इस मामले का अनुसरण किया। इस प्रकार अनुबन्ध अपने मूलरूप में रहा जिसके अनुसार 1 अगस्त 1996 की अन्तिम तिथि तक आवश्यक संरचना का संस्थापन कार्य किया जाना था। इसके अतिरिक्त 90 दिन का लिखित नोटिस जारी करने की बजाय विभाग ने कम्पनी को सूचित किया (जनवरी 1997) कि क्योंकि सरकार ने अपनी " ऑन लाईन लॉटरी" के लिये विश्व निविदाएं आमन्त्रित करने का निर्णय लिया था, अतः कम्पनी के साथ किया गया अनुबन्ध (जनवरी 1995) का निरसन हो गया है। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि जब भी निविदाएं आमन्त्रित की जाएगी कम्पनी द्वारा जमा राशि का निविदा जमा के प्रति समायोजन कर दिया जाएगा। अनुबन्ध निरसन किए जाने पर व्यथित कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका की (जनवरी 1997) जिसने इस पर कार्रवाई करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति की (मई 1997)। मध्यस्थ ने अपने अन्तिम पंचाट में आख्यापन किया (अप्रैल 2001) कि कम्पनी ने कोई अनुबन्ध भंग नहीं किया तथा सरकार द्वारा अनुबन्ध का समापन अवैध था। यह भी आख्यापन किया गया कि सरकार को निदेश दिए जायें कि वह पंचाट की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक कम्पनी को 5 करोड़ रू0 ब्याज सहित प्रत्यार्पित करे तथा 18 प्रतिशत की भविष्य वार्षिक ब्याज की दर सहित क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रू0 जमा करवाए। तदनुसार विभाग ने 5 करोड़ रू0 सहित 8.85 करोड़ रू0 उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास जमा करवाए (जून 2001)। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता/मध्यस्थ को अदा किया गया शुल्क तथा अन्य विविध व्यय आदि के रूप में 79.55 लाख रू0 व्यय किए गए। जुलाई 2001 में पंचाट के विरूद्ध आपत्तियां फाईल करने पर उच्च न्यायालय ने अन्तिम तिथि तक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता बैंक में सावधि जमा रसीद के रूप में राशि जमा करने के आदेश दिए। कम्पनी को राशि का निस्तारण नहीं किया गया था तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन बताया गया (फरवरी 2002)।

कम्पनी को 90 दिन का लिखित नोटिस दिए बिना अनुबन्ध निरसन किए जाने से सम्बन्धित विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 3.85 करोड़ रू0 का परिहार्य दायित्व तथा 79.55 लाख रू0 का व्यय हुआ।

उप-निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी ने पहले अगस्त 2001 में बताया था कि अनुबन्ध की धारा-27 के अनुसार नोटिस अपेक्षित नहीं था, क्योंकि समय बीत जाने पर 1 अगस्त 1996 को अनुबन्ध निरस्त हो गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा अनुबन्ध के प्रावधान लागू नहीं किए गए।

मार्च 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

वन कृषि तथा संरक्षण विभाग

3.6 आबकारी शुल्क की अदायगी पर परिहार्य व्यय

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में आबकारी शुल्क की अदायगी की छूट से सम्बन्धित प्रावधान की अनभिज्ञता के फलस्वरूप 17.54 लाख रू0 का परिहार्य व्यय हुआ।

केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय आबकारी शुल्क दर सूची, 2000-2001 परियोजना को संभरित सभी वस्तुओं, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित हैं, को आबकारी शुल्क के उद्ग्रहण से छूट* प्रदान करता है, बशर्ते कार्यान्वयन प्राधिकारी कार्यपालक प्रधान एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि पूर्वोक्त वस्तुएं परियोजना के निष्पादन के लिए अपेक्षित थी तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए परियोजना का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित कंडी परियोजना के नाम से जानी जाने वाली एकीकृत जलशाला विकास परियोजना (हिल्ज-II) का परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, सोलन द्वारा अपने सहायक परियोजना निदेशकों, नाहन, नालागढ़, नूरपुर तथा ऊना द्वारा 1999-2000 से कार्यान्वयन किया गया।

सहायक परियोजना निदेशकों के अभिलेखों की नमूना-जांच (जून-अगस्त 2001) से उद्घाटित हुआ कि 2000-2001 के दौरान कंटीली तार, यू-कीलें, सीमेण्ट, पालीथीन बैग, जस्ती एम.एस. पाईपें आदि जैसा माल खरीदते समय सहायक परियोजना निदेशकों, नाहन, ऊना, नालागढ़ तथा नूरपुर द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों के विपरीत 16.57 लाख रू0 के आबकारी शुल्क की अदायगी की गई। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर/सामान्य बिक्री कर के रूप में भी 0.97 लाख रू0 की अदायगी की गई।

क्योंकि परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन अभिकरण द्वारा वित्तपोषित तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने के नाते दोहरी शर्तों को पूर्ण करती थी, अतः निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके आबकारी शुल्क आदि की अदायगी का परिहार किया जाना चाहिए था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा ऐसा करने में विफल रहने के फलस्वरूप आबकारी शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर/ सामान्य बिक्री कर की अदायगी पर 17.54 लाख रू0 का परिहार्य व्यय हुआ।

---

* सामान्य छूट संख्या 73

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (जनवरी 2002) तथा परियोजना निदेशक ने इस विफलता का कारण आबकारी शुल्क की छूट के लिए अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में अनभिज्ञता का होना बताया।

अप्रैल 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

3.7 कार्यक्रम निधियों का अनुपयोग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर ने 1998-2002 के दौरान मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों के उपचार एवं पुनर्वास हेतु स्कीम का निष्पादन नहीं किया तथा 40.25 लाख रू0 की राशि बैंक में अव्ययित रही।

भारत सरकार ने 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया। मार्गदर्शी आधार पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा बिलासपुर जिला का चयन किया गया। भारत सरकार ने प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर को 1998-99 से 2001-2002 के दौरान 50 लाख रू0[*] निस्तारित किए। यह राशि स्टाफ के वेतनों, औषधियों/लेखन-सामग्री, आकस्मिकताओं, उपस्करों, वाहनों तथा प्रशिक्षण देने एवं कर्मशालाओं के आयोजन पर व्यय की जानी थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ (अक्तूबर 2001) कि केवल 9.75 लाख रू0 स्कीम के निष्पादन पर व्यय किए गए थे तथा 40.25 लाख रू0 का बकाया जनवरी 2002 तक बचत खाते में पड़ा हुआ था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2001) कि चिकित्सालय में नियमित मनोरोग विज्ञानी तथा स्टाफ के तैनात न किए जाने के कारण निधियां प्रयुक्त नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त उन्होंने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को सूचित किया (मार्च 2002) कि स्टाफ के तैनात न किए जाने के कारण कार्यक्रम के क्रियाकलापों में बाधायें पड़ रही थी। इसके फलस्वरूप 40.25 लाख रू0 की कार्यक्रम निधियों का अवरोधन हुआ।

फरवरी 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

[*] *1998-1999 : 15.66 लाख रू0 ; 1999-2000 : 13.50 लाख रू0; 2000-2001: 0.05 लाख रू0 तथा 2001-2002 : 20.79 लाख रू0।*

राजस्व विभाग

3.8 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का अपवर्तन

30 लाख रू0 की राशि की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कांगड़ा तथा हमीरपुर के उपायुक्तों द्वारा अपवर्तन किया गया।

राज्य में 1993-94 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम का कार्यान्वयन किया गया। निर्माण कार्य/कार्यों का नाम विनिर्दिष्ट किए बिना एक मुश्त राशि निस्तारित करने के लिए स्कीम में कोई प्रावधान नहीं हैं। संस्वीकृत निर्माण कार्यों का एक नोडल विभाग द्वारा तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निरीक्षण/अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित है।

उपायुक्त, कांगड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच तथा उपायुक्त, हमीरपुर से एकत्रित सूचना से उद्घाटित हुआ (सितम्बर 2001 तथा अप्रैल 2002) कि तीन संसद सदस्यों के सुझावों पर उपायुक्तों ने निर्माण कार्यों की प्रकृति जिन पर राशि व्यय की जानी थी विनिर्दिष्ट किए बिना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों में से 30 लाख रू0 राज्य में प्राकृतिक आपदा हेतु संस्वीकृत किए (अगस्त 2000 तथा जनवरी 2001) तथा इस राशि की मुख्यमंत्री राहत निधि में अदायगी की (सितम्बर 2000 तथा जनवरी 2001)। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ब्यौरों के अभाव में बाद में यह निर्धारित करने हेतु भी कोई उपाय नहीं था कि निर्माण कार्य विकासात्मक प्रकृति के थे तथा इनकी प्राकृतिक आपदा द्वारा नष्ट होने के रूप में शिनाख्त की गई थी तथा ये निर्माण कार्य लोकोपयोगिता के पुनः स्थापन हेतु आवश्यक थे। इस प्रकार स्कीम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम निधियों का अपवर्तन किया गया तथा इन्हें सरकारी लेखे से बाहर रखा गया। इस मामले में सामान्य वित्तीय तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया भी लागू नहीं की गई जैसाकि स्कीम के अन्तर्गत अपेक्षित था।

कांगड़ा तथा हमीरपुर के उपायुक्तों ने बताया (फरवरी 2002 तथा अप्रैल 2002) कि संस्वीकृतियां स्पष्ट थी कि राशियां संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों में परिभाषित निर्माण कार्यों पर व्यय की जाएंगी तथा निष्पादित निर्माण कार्यों के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र लिए जायेंगे। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि संस्वीकृति आदेशों से स्पष्ट था कि स्कीम के प्रावधानों के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों की शिनाख्त किए बिना हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लिए निधियों की व्यवस्था की गई।

मई 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.9 हैलिपैड के निर्माणार्थ निधियों का अवरोधन

कार्यान्वयन हेतु निस्तेज दृष्टिकोण तथा योजना के अभाव के फलस्वरूप चम्बा जिला में कुंडली नामक स्थान पर हैलिपैड के निर्माणार्थ 45.79 लाख रू0 की निधियों का अवरोधन हुआ।

सरकार ने चम्बा जिला में कुंडली नामक स्थान पर हैलिपैड के निर्माणार्थ 45.79 लाख रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 1999)। निदेशक, पर्यटन तथा सिविल विमानन ने 45.79 लाख रू0 उपायुक्त, चम्बा के पास जमा करवाए (मार्च 2000) जिसने हैलिपैड का

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु समस्त राशि का अधिशाषी अभियंता, सलूनी मण्डल को निस्तारण किया (मार्च 2000 से अक्तूबर 2001)।

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2001) तथा निदेशक, पर्यटन तथा सिविल विमानन से प्राप्त सूचना (अप्रैल 2002) से उद्‌घाटित हुआ कि अक्तूबर 2000 में सलूनी मण्डल द्वारा हैलिपैड के लिए केवल पहुंच-मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किया गया था। इसके बाद वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग को वन-भूमि का हस्तान्तरण न करने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया। पहुंच मार्ग का निर्माण 300 मीटर की लम्बाई तक किया गया तथा मार्च 2002 तक 1.63 लाख रू0 का व्यय किया गया था।

उपायुक्त, चम्बा ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (मार्च 2001) कि हैलिपैड के निर्माण की अत्यावश्यकता को मध्यदृष्टि रखते हुए भूमि का हस्तान्तरण किए बिना राशि का लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों को निस्तारण किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 (ख) (3) में यह व्यवस्था है कि व्यय किए गए समस्त प्रभारों का आहरण एवं भुगतान तत्काल किया जाए तथा निधियों के अभाव के कारण भुगतान रोका नहीं जाए तथा अन्य वर्ष के अनुदान से इसका भुगतान अनुमत नहीं किया जाए। इस नियमावली के नियम 2.10 (ख)(5) में यह भी व्यवस्था है कि कोष से किसी भी राशि का तब तक आहरण न किया जाए जब तक यह तत्काल संवितरण के लिए अपेक्षित न हो। तथापि, इस मामले में राशि का आहरण अग्रिम में किया गया, यद्यपि समुचित प्राक्कलनों तथा निर्माण से पूर्व पूर्ण की जाने वाली अन्य औपचारिकताओं के अभाव में इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय करने की कोई सम्भावना नहीं थी। इस प्रकार राशि अभ्यर्पित करने से सम्बन्धित सही मार्ग का अनुसरण करने की बजाय अनुदान को केवल प्रयुक्त किया गया दर्शाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारम्भ करने की अत्यावश्यकता के आधार पर अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अतिलंघन इसका बहाना नहीं हो सकता।

इस प्रकार स्कीम के कार्यान्वयन हेतु निस्तेज दृष्टिकोण, नियमों तथा प्रक्रियाओं का अपर्याप्त सम्मान तथा योजना के अभाव के फलस्वरूप 44.16 लाख रू0 का अवरोधन हुआ।

मई 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.10 आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

क्षेत्रीय चिकित्सालय, सोलन के निर्माण तथा साधूपुल स्थित कृत्रिम झील के विकास हेतु आहरित किए गए 70 लाख रू0 में से 63.33 लाख रू0 अप्रयुक्त पड़े थे।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियमों 2.10 (5) तथा 2.10 (ii) में यह निर्धारित है कि कोष से तब तक किसी धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसकी तत्काल संवितरण या किसी भी स्थायी अग्रिम से संवितरित निधियों की आपूर्ति हेतु आवश्यकता न हो। ऐसे निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए भी कोष से अग्रिमों का आहरण करना अनुमत नहीं है, जिन्हें पूर्ण करने में बहुत अधिक समय लगने की सम्भावना है। किसी भी अव्ययित बकाए का शीघ्रतापूर्वक कोष में अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित है।

(क) उपायुक्त, सोलन के अभिलेखों की नमूना-जांच (जून 2001) तथा मार्च 2002 में प्राप्त सूचना से उद्‌घाटित हुआ कि साधूपुल में एक झील के विकास हेतु सरकार द्वारा 20 लाख रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 1999)। तदनुसार जिला योजना

अधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई-एवं-जन स्वास्थ्य मण्डल, सोलन के पास निर्माण कार्य के निष्पादनार्थ 45 लाख रू0 जमा करवाए (नवम्बर 1999 से अप्रैल 2000)।

अधिशासी अभियन्ता ने झील के विकास के लिए अश्वनी नदी पर एक बांध के निर्माणार्थ रूड़की विश्वविद्यालय को 0.32 लाख रू0 में भू-वैज्ञानिक अध्ययन सौंपे (जनवरी 2001)। विश्वविद्यालय ने एक स्थल का सविस्तृत अन्वेषण करने का सुझाव दिया (फरवरी 2001)। तदोपरान्त सविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, हमीरपुर को सौंपा गया (मार्च 2001), जिसने जून 2001 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इतने में परियोजना के प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के एक भाग के रूप में समन्वेषी अस्थायी मिट्टी के बांध का निर्माण कार्य फरवरी 2001 में सोलन मण्डल द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया था। अस्थायी जलाशय की लागत सहित सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर 6.67 लाख रू0 का व्यय किया गया। अधिशासी अभियंता, सिंचाई-तथा जनस्वास्थ्य मण्डल, सोलन द्वारा लौटाया गया 38.33 लाख रू0 की राशि का बकाया उपायुक्त, सोलन द्वारा एक बचत बैंक खाते में जमा करवाया गया था (मार्च 2002)।

साधुपुल स्थित झील के विकास के संदर्भ में लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया (अप्रैल 2002) कि क्षेत्र की एक कृषक समिति के माध्यम से कृत्रिम झील के निर्माण तथा अनुरक्षण का प्रस्ताव था, परन्तु इस संदर्भ में सरकार के कोई स्पष्ट अनुदेश नहीं थे। इस प्रकार 1999-2000 में तत्काल आवश्यकता के बिना 45 लाख रू0 के आहरण के फलस्वरूप 38.33 लाख रू0 का अवरोधन हुआ था।

(ख) उपायुक्त, सोलन द्वारा क्षेत्रीय चिकित्सालय, सोलन के निर्माणार्थ 25 लाख रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (अप्रैल 2000)। तद्नुसार अधिशासी अभियन्ता, मार्ग तथा भवन मण्डल, सोलन के पास भवन के निर्माणार्थ 25 लाख रू0 जमा करवाए गए (अप्रैल 2000)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 2002) कि अप्रैल 2002 तक भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा लोक निर्माण विभाग के पास 25 लाख रू0 की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी।

अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन ने बताया (अप्रैल 2002) कि रेखाचित्र तैयार कर लिए गए हैं तथा निर्माण कार्य तीन मास के भीतर प्रारम्भ कर दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अप्रैल 2000 से 25 लाख रू0 की राशि के अवरोधन के अतिरिक्त आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है।

मई 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.11 निधियों का दुरूपयोग

जिला ऊना में 18.81 लाख रू0 की आपदा निधियों का उपयोग उन निर्माण कार्यों की व्यय पूर्ति हेतु किया गया जो प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित नहीं थे।

मुख्यमन्त्री राहत निधि के उपयोग तथा हिमाचल प्रदेश आपात राहत नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली अनुग्राहिक राहत को अनुपूरक करने के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों (सितम्बर 2000) के अनुसार झूलों, पैदल चलने वाले मार्गों, खच्चरों द्वारा चलने वाले मार्गों, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासों आदि जैसी मदों के निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता निस्तारित की जानी थी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आपात राहत नियमावली में प्राकृतिक आपदा के कारण 10,000 रू0

से ऊपर राशि के प्रत्येक क्षतिग्रस्त मामले की राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने की व्यवस्था है।

उपायुक्त, ऊना के अभिलेखों की नमूना-जाँच (सितम्बर-अक्तूबर 2001) से उद्घाटित हुआ कि सरकार द्वारा मुख्यमन्त्री राहत निधि से उपायुक्त को निस्तारित किए गए (दिसम्बर 2000) 50 लाख रू0 में से 18.81 लाख रू0 मार्च 2001 तथा सितम्बर 2001 के मध्य 29 निष्पादन अभिकरणों को सरकारी भवनों/आवासों के नवीकरण, खेल के मैदानों को समतल करने, जल टंकियों, स्कूटर/साईकिल स्टैंडों के निर्माण, दन्त निदानशालाओं के उन्नयन, कार पार्किंग/कार गैरजों आदि के लिए निस्तारित किए गए, जो कि दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 52 निर्माण कार्य जिनके लिए निधियां निस्तारित की गई थीं, में से 49 कार्यों की अनुमानित लागत 10,000 रू0 या इससे अधिक थी। इन निर्माण कार्यों की क्षति का निर्धारण करने हेतु राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, जैसा कि अपेक्षित था।

उपायुक्त ने बताया (अक्तूबर 2001) कि ये निर्माण कार्य मूल निर्माण कार्य नहीं थे परन्तु ये भारी वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित कर सके कि ये निर्माण कार्य बाढ़/वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए थे। फिर निर्माण कार्यों की प्रकृति से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य थे।

इस प्रकार ऐसे निर्माण कार्यों, जो कि मुख्यमन्त्री राहत निधि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थे, को निष्पादित किए जाने के फलस्वरूप 18.81 लाख रू0 की राशि की निधियों का दुरूपयोग हुआ।

मार्च 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.12 जिला चिकित्सालय, नाहन को बिना मांग के निधियों की संस्वीकृति

बिना माँग के 62.48 लाख रू0 की फालतू निधियां निस्तारित की गई, जिसके फलस्वरूप निधियां सरकारी खाते के बाहर रहीं तथा परिणामतः 14.81 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय, नाहन में 1.04 करोड़ रू0 के अतिरिक्त स्थान का निर्माण प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया (जून 1997)। 1998-99 से 2000-2001 तक बजट आबंटन 25.50 लाख रू0 था। योजना विभाग द्वारा क्षेत्रक विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत उपायुक्त, नाहन को 1.50 करोड़ रू0 की अतिरिक्त निधियां इस शर्त सहित प्रदान की गई (मार्च 1999) कि कार्य की गति आदि को मध्यदृष्टि रखते हुए कार्यान्वयन अभिकरण को निधियों का निस्तारण किया जाए तथा निर्माण कार्य का नाम परिवर्तित करके स्वर्ण जयन्ती चिकित्सालय, नाहन का निर्माण कर दिया जाए।

उपायुक्त, नाहन के अभिलेखों की नमूना-जाँच (दिसम्बर 2001-जनवरी 2002) से उद्घाटित हुआ कि उपायुक्त ने 1.50 करोड़ रू0 का आहरण किया (मार्च 1999) तथा इसे बैंक में जमा करवा दिया तथा तदोपरान्त अप्रैल 1999 तथा सितम्बर 2000 के मध्य निष्पादक अभिकरण को 1.50 करोड़ रू0 में से 86.63 लाख रू0 निस्तारित किए। निर्माण कार्य अन्तिम चरण में था (जनवरी 2002) तथा 98.56 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका था तथा 62.48 लाख रू0 का अधिशेष छोड़ते हुए 14.48 लाख रू0 विद्युत लिफ्ट की सुविधा, आदि के लिए रखे गए थे।

उपायुक्त नाहन ने बताया (जनवरी 2002) कि उसके कार्यालय द्वारा निधियों की माँग नहीं की गई थी तथा बजट अनुदान के व्यपगमन के परिहार हेतु आबंटित निधियों का आहरण किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि वित्तीय नियमावली में यह व्यवस्था है कि कोष से धन का आहरण तब

तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसकी तत्काल संवितरण के लिए आवश्यकता न हो तथा 62.48 लाख रू0 का अव्ययित बकाया तत्काल कोष में अभ्यर्पित किया जाना अपेक्षित था। स्पष्ट है कि उपायुक्त, नाहन तथा निष्पादक अभिकरण से माँग के बिना निधियां निस्तारित की गई जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1999 से मार्च 2002 तक 62.48 लाख रू0 की फालतू निधियां सरकारी खाते के बाहर रखते हुए 14.81 लाख रू0♠ के ब्याज की हानि हुई।

अप्रैल 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

परिवहन विभाग

3.13 फर्जी राजस्व तथा राजस्व घाटा छिपाना

यात्री बीमा स्कीम निधि के वैयक्तिक खाते लेखे में एकत्रित निधियों को अप्राधिकृत रूप से प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा करने के फलस्वरूप 70.04 करोड़ रू0 का जाली राजस्व हुआ।

यात्रियों को ले जाने के लिए राज्य में पंजीकृत और/या अनुज्ञप्त यात्रा मोटर वाहनों तथा ठेका मोटर वाहनों में यात्रा करते समय दुर्घटनाओं के शिकार हुए यात्रियों को अनुग्रही अदायगी हेतु राज्य सरकार ने यात्री बीमा स्कीम प्रारम्भ की (नवम्बर 1977)। आयुक्त (अब निदेशक), परिवहन द्वारा प्रारम्भ किया जाने वाला एक यात्री बीमा स्कीम फंड का सृजन किया गया तथा यात्रा करने वाले यात्रियों पर यात्री तथा माल कर के 20 प्रतिशत की दर से अधिभार उद्ग्रहीत किया जाना था। दुर्घटना का शिकार हुए लोगों या उनके आश्रितों को इस निधि से समय-समय पर निर्धारित दरों पर अदायगी की जानी थी।

यात्री कर पर अधिभार यात्रियों से एकत्रित किया जाता है तथा प्राप्तिशीर्ष "0042-माल तथा यात्री कर 02-यात्री कर पर अधिभार" में जमा किया जाता है। बाद में प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर निधियां सेवा शीर्ष "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 01-बीमा स्कीम 01-यात्री कर पर अधिभार" से "8448-स्थानीय निधियों की जमा 01-यात्री बीमा स्कीम" शीर्ष के अन्तर्गत यात्री बीमा स्कीम फंड को आबंटित/अंतरित की जाती हैं। जनवरी 2002 तक निधि के अन्तर्गत 70.39 करोड़ रू0 की कुल राशि संचित हो गई थी। फरवरी 2002 में आयुक्त-एवं-सचिव, परिवहन ने निदेशक, परिवहन को अनुग्रही अदायगियों के संदर्भ में तत्काल दायिताएं निष्पादित करने हेतु अग्रदाय के रूप में 25 लाख रू0 रखने के निदेश दिए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि परिवहन विभाग ने अग्रदाय के रूप में 25.34 लाख रू0 रखने के उपरान्त "0041-वाहनों पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत 70.04 करोड़ रू0 जमा करवाए (फरवरी 2002)।

क्योंकि समय-समय पर यात्रियों से एकत्रित अधिभार की राशि सम्बन्धित वर्षों में पहले ही राजस्व के रूप में ली गई थी, अतः प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत 70.04 करोड़ रू0 के जमा के फलस्वरूप 70.04 करोड़ रू0 का जाली राजस्व हुआ।

निदेशक, परिवहन ने बताया (मई 2002) कि विशेष सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार के निदेशानुसार वैयक्तिक खाता लेखे में पड़ी राशि का सरकारी प्राप्ति राशि में अपवर्तन किया गया।

♠ *12.40 प्रतिशत की औसत ब्याज दर जिस पर एच0पी0 आर0आई0डी0 ने सरकार के लिए नॉन-एस0एल0आर0 बांड उठाए जिसमें से 62.48 लाख रूपये के बचत बैंक खाते पर 4.5 प्रतिशत की ब्याज दर घटाई गई।*

जुलाई 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

विविध विभाग

3.14 पैंशन से सम्बन्धित लाभों की दोहरी/अप्राधिकृत अदायगी

अक्तूबर 1999 तथा दिसम्बर 2000 के दौरान सात विभागों के नौ आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा पैंशन से सम्बन्धित लाभों के संदर्भ में 14.50 लाख रू0 की दोहरी अदायगी की गई।

वित्तीय नियमावली में यह व्यवस्था है कि वेतन, भत्तों, आकस्मिक तथा अन्य व्यय के बिल का आहरण करने वाला व्यक्ति किसी भी अधिभार, धोखेबाजी तथा दुर्विनियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। अतः उसे विभिन्न वित्तीय नियन्त्रणों, जिन्हें लागू करने की उससे प्रत्याशा की जाती है, के संदर्भ में उसे स्वयं को परिचित करना चाहिए ताकि वह गबन किए जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रयास का तुरन्त पता लगा सके तथा उसे उन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जहां पर रिसन की सम्भावना हो। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोष से आहरित सभी राशियों की रोकड़-बही में प्रविष्टियां की गई हैं, उसे प्रतिमास की 15 दिनांक तक कोषाधिकारी से विगत मास के दौरान आहरण किए गए सभी बिलों की एक सूची प्राप्त करके रोकड़-बही में इन राशियों को खोजना चाहिए।

कार्यालय वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा व हकदारी) में मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान तथा पैंशन के रूपान्तरण से सम्बन्धित वाऊचरों की प्रविष्टियाँ किए जाने के दौरान यह पाया गया (अक्तूबर 1999-अगस्त 2002) कि सात विभागों के नौ आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा पैंशन अदायगी आदेशों द्वारा प्राधिकृत राशि से पैंशन लाभों के संदर्भ में 14.50 लाख रू0 का अधिक आहरण किया गया था जिसका ब्यौरा परिशिष्ट- XII में दिया गया है। राशि का आहरण उसी राशि के बिलों/बिल की दूसरी प्रति तैयार करके किया गया था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (अक्तूबर 2001) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा 3.72 लाख रू0 सरकारी लेखे में जमा करवाए गए (मार्च 2002)। आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियां का पालन न करने के फलस्वरूप सेवा-निवृत्त हुए व्यक्तियों के संदर्भ में 14.50 लाख रू0 का दोहरा/अप्राधिकृत आहरण हुआ।

जुलाई 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.15 लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने में विफलता तथा अनुपालना न करना

लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा आपत्तियों का उत्तर न देने के कारण उत्तरदायित्व नहीं निभाया गया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेन-देनों की नमूना-जांच करने तथा निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बन्धित अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है। जब निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई महत्वपूर्ण अनियमितताओं का मौके पर समाधान नहीं हो पाता तो अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक प्रति सहित ये प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित किये जाते हैं। वित्तीय नियमावली/सरकार के आदेशों में यह व्यवस्था है कि निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार सुधारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए

महालेखाकार द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का कार्यपालक द्वारा शीघ्र उत्तर दिया जाये तथा निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियों, विसंगतियों, आदि के संदर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। कार्यालयाध्यक्षों अन्य उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट आपत्तियों का अनुपालन करना तथा दोषों एवं चूकों का शीघ्र शोधन करना तथा उनकी अनुपालना से सम्बन्धित प्रतिवेदन महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा गम्भीर अनियमिततायें भी विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाई जाती हैं। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुश्रवण हेतु लम्बित प्रतिवेदनों के संदर्भ में लम्बित प्रतिवेदनों का एक प्रतिवेदन प्रधान सचिव (वित्त) को भेजा जाता है।

प्राथमिक शिक्षा (130 आहरण तथा संवितरण अधिकारी), सहकारिता (23 आहरण तथा संवितरण अधिकारी), तथा गृह रक्षा, सिविल रक्षा एवं अग्निशामक सेवाएं (10 आहरण तथा संवितरण अधिकारी) विभागों से सम्बन्धित 1965-66 से दिसम्बर 2001 के दौरान 163 आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि जून 2002 के अन्त में 613 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 2014 परिच्छेद बकाया थे। इनमें से 613 परिच्छेदों से अन्तर्विष्ट 297 निरीक्षण प्रतिवेदन 10 वर्षों से अधिक समय से असमायोजित पड़े थे। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति का वर्णन परिशिष्ट- XIII में दिया गया है।

यद्यपि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किए जाने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्राथमिक उत्तर प्राप्त होने अपेक्षित थे, किन्तु अक्तूबर 1999 तथा दिसम्बर 2001 के मध्य जारी 69 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 69 कार्यालयों (प्राथमिक शिक्षाः 68 तथा सहकारिता:01) से उत्तर प्राप्त नहीं हुए। परिणामतः परिशिष्ट-XIV में वर्णित प्राथमिक शिक्षा सहकारिता तथा गृह रक्षा, सिविल रक्षा व अग्निशामक सेवाएं विभागों से सम्बन्धित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा अवगत नहीं हैं।

प्राथमिक शिक्षा, सहकारिता तथा गृह रक्षा, सिविल रक्षा एवं अग्निशामक सेवाएं विभागों के संदर्भ मे लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सम्बन्धित कार्यालयाध्याक्षों तथा विभागाध्यक्षों अर्थात निदेशक प्राथमिक शिक्षा, पंजीयक, सहकारी समितियां तथा महाआदेशक, गृहरक्षा, सिविल रक्षा एवं अग्निशामक सेवायें ने निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की एक बहुत बड़ी संख्या के संपूर्ण उत्तर नहीं भेजे जो कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं के संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में उनकी विफलता को प्रकट करता है। इस प्रकार वे अपना उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहे। प्रधान सचिव (वित्त) को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजे जा रहे थे, परन्तु वित्त विभाग द्वारा कोई ठोस पग नहीं उठाए गए।

पूर्वोक्त विफलता के कारण चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध पर्याप्त कार्रवाई भी नहीं की जा सकी जिससे निरन्तर रूप से गम्भीर अनियमितताएं तथा सरकार को हानि होती रही, यद्यपि इन्हें लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार को मामले की छानबीन करनी चाहिए तथा वह सुनिश्चित करें कि (क) वे कर्मचारी जो निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का उत्तर भेजने में विफल रहते हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए, (ख) समयबद्ध रीति से हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक अदायगियों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाए तथा (ग) विभाग की लेखापरीक्षा आपत्तियों का समुचित उत्तर सुनिश्चित करने के लिए किसी पद्धति का विकास किया जाए।

जून 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.16 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर अग्रिमों का अनियमित आहरण

दावों में विलम्ब के परिहार हेतु आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं के लिए अग्रिमों का आहरण "संक्षिप्त आकस्मिक बिलों" पर किया जाना अपेक्षित है बशर्ते नियन्त्रण अधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षरों तथा उन्हें आगे महालेखाकार को प्रेषित करने के लिए नियन्त्रण अधिकारियों को "संविस्तृत आकस्मिक बिल" प्रस्तुत किए जाएं। इसके अतिरिक्त आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा किसी नए "संक्षिप्त आकस्मिक बिल" का तब तक आहरण नहीं किया जा सकता जब तक विगत मास के दौरान आहरित किए गए "संक्षिप्त आकस्मिक बिलों" का नियन्त्रण अधिकारियों को "संविस्तृत आकस्मिक बिल" प्रस्तुत करके उनका समायोजन नहीं करवा लिया जाता।

खाद्य तथा आपूर्ति विभाग व पर्यटन तथा विमानन विभाग के पाँच आहरण तथा संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ (जून 2002) कि इन आहरण तथा संवितरण अधिकारियों ने भू-क्षतिपूर्ति, हवाई अड्डों का विस्तार, हैलिपैडों, सरायों,* प्रसाधनों के निर्माण, पर्यटन परिसरों के सौन्दर्य में वृद्धि, मेलों तथा उत्सवों का आयोजन, गेहूं के उपार्जन, अन्न के संचयन एवं भाण्डागारण तथा इमदाद के संवितरण, आदि के संदर्भ में व्यय की पूर्ति हेतु लेखों के अन्तिम शीर्षों को व्यय डेबिट करके 1999-2002 के दौरान 211 "संक्षिप्त आकस्मिक बिलों" के माध्यम से 37.70 करोड़ रू0 का आहरण किया।

30 जून 2002 तक ऐसे आहरणों तथा उनके समायोजन के ब्यौरे निम्नवत् हैं :

तालिका: 3.12

(करोड़ रुपए)

क्र0 स0	विभाग का नाम	आहरण तथा संवितरण अधिकारियों की संख्या	आहरित किए गए संक्षिप्त आकस्मिक बिल		प्रस्तुत किए गए संविस्तृत आकस्मिक बिल		प्रतीक्षित संविस्तृत आकस्मिक बिल	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	पर्यटन	2	189	31.27	55	1.56	134	29.71
2.	खाद्य तथा आपूर्ति	3	22	6.43	14	0.64	8	5.79
	योग	5	211	37.70	69	2.20	142[1]	35.50

* आगंतुकों को अस्थायी आवास प्रदान करने हेतु भवन

1

	बिल	राशि (करोड़ रूपये में)
1999-2000	73	27.00
2000-2001	36	4.52
2001-2002	33	3.98
योग	**142**	**35.50**

उपनिदेशक, पर्यटन तथा सिविल विमानन व उप-नियन्त्रक (वित्त तथा लेखा), खाद्य तथा आपूर्ति विभाग ने "संक्षिप्त आकस्मिक बिलों" के असमायोजन का कारण निष्पादक अभिकरणों से लेखों/उपयोगिता प्रमाणपत्रों का प्राप्त न होना बताया (जून 2002)। उप-निदेशक, सिविल तथा विमानन विभाग द्वारा यह भी बताया गया (जून 2002) कि "संक्षिप्त आकस्मिक बिलों" पर अग्रिम आहरण करने के लिए किसी भी अधिकारी को आहरण तथा संवितरण अधिकारी घोषित नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त "संक्षिप्त आकस्मिक बिलों" का आहरण फार्म एस0टी0आर0 31 की बजाये फार्म एच0पी0टी0आर0 5 में किया जा रहा था। अग्रिमों के समायोजन हेतु सविस्तृत आकस्मिक बिल महालेखाकार को प्रस्तुत करने की बजाय संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों का समायोजन कोषों के माध्यम से किया गया। यह भी पाया गया कि दो आहरण तथा संवितरण अधिकारियों (पर्यटन तथा सिविल विमानन: 1 व खाद्य तथा आपूर्ति: 1) ने संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के माध्यम से पहले आहरित राशियों के संदर्भ में संविस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत किए बिना 1999-2002 के दौरान 148 संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के माध्यम से 36.35 करोड़ रू0 की राशि आहरित की।

जुलाई 2002 में मामला सरकार के ध्यान में लाया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

3.17 दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि

मार्च 2002 के अन्त तक लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित सरकारी धन के दुर्विनियोजन, गबन, इत्यादि से सम्बन्धित मामलों जिन पर जून 2002 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी, की स्थिति निम्नवत् थीः

तालिकाः 3.13

(लाख रू0)

ब्यौरे	मामलों की संख्या	राशि
31 मार्च 2001 तक प्रतिवेदित तथा 30 जून 2001 तक बकाया मामलों की संख्या	70	125.09
2001-2002 के दौरान प्रतिवेदित मामले	03	8.96
जून 2002 तक निपटाए गये मामले	10	3.50
30 जून 2002 को बकाया मामले	63	130.55

इनमें से माल की कमी, उत्खनन एवं आग के दौरान दुर्घटनाएँ, कूहलों/पुलों, भवनों के बह जाने, रोकड़, मशीनरी, तारकोल, विस्फोटकों, एम0एस0प्लेटों, जी0आई0 पाईपों की चोरी, आदि से सम्बन्धित 17 मामले (अंतर्ग्रस्त राशिः 7.23 लाख रू0) 20 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। 56 लाख रू0 के छब्बीस मामले लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे ; 27.56 लाख रू0 के तेरह मामले सिंचाई एवं जन-स्वास्थय विभाग तथा 1.35 लाख रू0 के पाँच मामले वन कृषि तथा संरक्षण विभाग से सम्बन्धित थे। इन तीन विभागों में बकाया 44 मामलों में से 56.38 लाख रू0 के 31 मामलों में विभागीय जाँच अभी पूर्ण होनी प्रतीक्षित थी (तीन वर्ष तकः तीन मामलेः अंतर्ग्रस्त राशिः 43.77 लाख

रू0; तीन वर्षों से अधिक किन्तु पाँच वर्षों तकः चार मामलेः अन्तर्ग्रस्त राशिः शून्य* पाँच वर्षों से अधिक किन्तु 10 वर्ष तकः छः मामले; अन्तर्ग्रस्त राशिः 6.10 लाख रू0; 10 वर्षों से अधिक किन्तु 15 वर्षों तकः 10 मामले; अन्तर्ग्रस्त राशिः 3.83 लाख रूपए; 15 वर्षों से अधिक किन्तु 20 वर्षों तकः दो मामलेःअन्तर्ग्रस्त राशिः 0.26 लाख रू0 तथा 20 वर्षों से अधिकः छः मामलेःअन्तर्ग्रस्त राशिः 2.42 लाख रू0)।

समयबद्ध रीति से मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त पग उठाने की आवश्यकता है।

* *मामले प्रतिवेदित किये गए थे परन्तु विभाग द्वारा हानि की राशि की सूचना नहीं दी गई थी।*

प्रवर्ग-क

समीक्षा

		पृष्ठ
♣	लोक निर्माण विभाग एवं जनशक्ति प्रबन्धन की समीक्षा	89-110

चौथा अध्याय

निर्माणकार्य व्यय

प्रवर्ग-क- समीक्षा

लोक निर्माण विभाग

4.1 लोक निर्माण विभाग एवं जनशक्ति प्रबन्धन की समीक्षा

मुख्य बातें

80 किलोमीटर/100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक की अखिल भारतीय औसतन सघनता के प्रति राज्य सरकार फरवरी 2002 तक 40.66 कि0मी0/100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल की सड़क सघनता को प्राप्त कर सकी। 22,634 किलोमीटर लम्बी निर्मित सड़कों में से 11,286 कि0मी0 लम्बी सड़कों का उपयोग केवल साफ मौसम के दौरान किया जा सका। सड़कों का निर्माण तकनीकी संस्वीकृति लिए बिना किया गया तथा सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित मानकों से बहुत अधिकता थी। बहुत संख्या में सड़क कार्य विभिन्न कारणों के कारण अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप बेकार निवेश हुआ तथा लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा। सड़कों के निष्पादन का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया था। अभिलेखों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत् थे:

** *बजट आकलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाये गये थे। 1999-2002 के दौरान राजस्व प्रवर्ग में निरन्तर आधिक्य पाया गया जिससे राज्य सरकार के राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।*

(परिच्छेद 4.1.4 (क))

** *धर्मपुर मण्डल में जून 2000 में अधिशेष घोषित किये गये 1,397 दैनिक भोगी कर्मचारियों को 35 लाख रू0 के क्षतिपूर्ति भुगतान का निस्तारण न करने के कारण कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जा सकी तथा उन्हें 5.02 करोड़ रू0 के वेतन का भुगतान करना पड़ा था।*

(परिच्छेद 4.1.5 (ग)(iv)(ग))

** *17 मण्डलों द्वारा मार्च 2002 तक निर्माणार्थ 952 सड़क निर्माण कार्यों में से 644 निर्माण कार्य 83.45 करोड़ रू0 का व्यय करने के पश्चात् अधूरे रहे। क्रमशः 24 सम्पूर्ण किये गये कार्यों के सम्बन्ध में 3.47 करोड़ रू0 तथा 157 प्रगतिरत कार्यों के सम्बन्ध में 29.59 करोड़ रू0 की लागत अधिक बढ़ गई । इन मामलों में समय की वृद्धि चार तथा 349 मास के मध्य थी।*

(परिच्छेद 4.1.6 (ग))

** *सात पुलों तथा तीन सड़कों के निर्माण पर किया गया 3.96 करोड़ रू0 का व्यय निष्फल रहा क्योंकि विभिन्न कारणों से इनका उपयोग नहीं किया जा सका।*

(परिच्छेद 4.1.6 (च))

** 66 सड़कों तथा दो पुलों के निर्माण पर 10.62 करोड़ रू0 का निवेश बेकार रहा क्योंकि विभाग की विभिन्न चूकों के कारण कार्य अधूरे रहे।

(परिच्छेद 4.1.6 (छ))

** 11 मण्डलों में 1999-2002 के दौरान अनुसूचित जाति संघटक योजना के अन्तर्गत 169 सड़कों के निर्माण पर 6.36 करोड़ रू0 अनुसूचित जाति की प्रधानता वाले बसे हुए गांवो की पहचान किये बिना व्यय किये गये।

(परिच्छेद 4.1.6 (ञ)(i))

** 15 मण्डलों द्वारा 1999-2002 के दौरान सड़कों के अनुरक्षण पर 71.53 करोड़ रू0 निर्धारित मानदण्डों से अधिक व्यय किये गये।

(परिच्छेद 4.1.6 (ठ) (ii))

4.1.1 परिचय

लोक निर्माण विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों के लिए सड़कों, पुलों एवं भवनों (आवासीय तथा गैर आवासीय) की योजना, निर्माण तथा अनुरक्षण तथा स्थानीय निकायों, लोक उपक्रमों, बोर्डों आदि की ओर से निक्षेप कार्यों के रूप में सिविल अभियान्त्रिकी कार्यों के निष्पादन-हेतु उत्तरदायी होता है। सड़कों एवं पुलों का निर्माण विभाग का मुख्य कार्य होता है। 16,997 गावों (पृथक गांवो को छोड़ कर) को जोड़ने वाली मोटर योग्य सड़कों की कुल लम्बाई 39,045 किलोमीटर आंकी गई थी। सड़कों का निर्माण कार्य केन्द्र (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) तथा राज्य सैक्टर (राज्य उच्च मार्ग, जिला सड़कें तथा अन्य ग्रामीण सड़कें) दोनों ने उठाया था।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् था:

वित्तायुक्त एवं सचिव (लो0नि0वि0)
↓
प्रमुख अभियन्ता
↓

↓	↓	↓	↓
मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय उच्च मार्ग)	मुख्य अभियंता (केन्द्रीय जोन)	मुख्य अभियंता (उत्तर जोन)	मुख्य अभियंता (दक्षिण जोन)

↓
अधीक्षण अभियन्ता
↓
अधिशासी अभियन्ता

4.1.3 लेखापरीक्षा व्याप्ति

नमूना-जांच (फरवरी-अप्रैल 2002) द्वारा कुछ कार्यकलापों को आवृत्त करते हुए विभाग के भवनों एवं सड़क स्कन्ध की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियंता (उत्तर क्षेत्र) धर्मशाला के कार्यालयों में 1999-2002 की अवधि के लिए "बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय नियंत्रण

प्रणाली" तथा "मानव संसाधन प्रबन्धन" तथा 71 में से 15 मण्डलों[1] से सम्बद्ध अभिलेखों की जांच की गई। उसी अवधि के लिए अन्य 17 मण्डलों[2] में "कार्यक्रम क्रियान्वयन" तथा "सामग्री प्रबन्धन" के स्वरूप की समीक्षा की गई। इसे प्रमुख अभियन्ता द्वारा भेजी गई सूचना तथा विभिन्न अन्य मण्डलों के आवधिक निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों द्वारा सम्पूरित किया गया। लेखापरीक्षा में उपरोक्त अवधि के लिए विभाग को कुल व्यय का लगभग 27 प्रतिशत आवृत्त था। लेखापरीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना आगामी परिच्छेदों में की गई है।

4.1.4 बजट प्रक्रिया तथा व्यय नियंत्रण

सरकारी भवनों, सड़कों तथा पुलों के निर्माण, मरम्मत अनुरक्षण के लिए निधियों का चार अनुदानों[3] के अधीन विभिन्न मुख्य लेखाशीर्षों[4] के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभागों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में बजट नियंत्रण 1999-2000 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। 2000-2001 से आगे विभिन्न विभागाध्यक्षों को पूंजीगत शीर्षो के सम्बन्ध में नियंत्रण प्राधिकारी घोषित किया गया। अधीक्षण अभियंता अपने नियन्त्रणाधीन मण्डलों के नियंत्रणाधिकारी होने के नाते बजट प्रस्तावों को सम्बद्ध क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के माध्यम से प्रमुख अभियंता को भेजते हैं, जो बजट आकलनों को तैयार करने तथा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होता है।

(क) बजट प्रावधान तथा व्यय

1999-2002 की अवधि के लिए विभाग का कुल व्यय (2,144 करोड़ रू0) राज्य सरकार के कुल व्यय (13,468 करोड़ रू0) का 16 प्रतिशत था। 1999-2002 के दौरान विभाग को आबंटित निधियों तथा उनके प्रति किये गये व्यय की समग्र स्थिति निम्नवत् थी:

तालिका: 4.1

(करोड़ रू0)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		अन्तर आधिक्य (+) बचत (-)	
	योजना	आयोजनेतर	योजना	आयोजनेतर	योजना	आयोजनेतर
1999-2000						
राजस्व	12.63	299.88	13.04	415.43	(+) 0.41	(+) 115.55
पूंजीगत	290.22	..	293.81	..	(+) 3.59	..
2000-2001						
राजस्व	13.03	321.50	12.91	424.26	(-) 0.12	(+) 102.76
पूंजीगत	279.33	0.14	253.99	..	(-) 25.34	(-) 0.14
2001-2002						
राजस्व	86.92	387.61	84.44	465.32	(-) 2.48	(+) 77.71
पूंजीगत	240.98	..	180.69	..	(-) 60.29	..
योग	**923.11**	**1009.13**	**838.88**	**1305.01**	**(-) 84.23**	**(+) 295.88**

स्रोतः विनियोग लेखे आंकड़े

1 *धर्मपुर, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, कड़छम, कसौली, नुरपुर, पाँवटासाहिब, रामपुर, सलूणी, शिमला, सोलन, टौणी देवी, ठियोग तथा ऊना।*

2 *अर्की, बड़सर, बिलासपुर, कल्पा, करसोग, कुल्लू, कुमारसेन, मण्डी, निरमण्ड, पालमपुर, राजगढ़, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सुन्दरनगर।*

3 *10-लोक निर्माण कार्य, 17-सड़कें एवं पुल, 28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा श्रम विकास तथा 31-जनजातीय विकास।*

4 *"2059", "2216", "3054", "4059", "4216" तथा "5054"*

1999-2002 के दौरान आयोजनेतर के अन्तर्गत राजस्व प्रवर्ग में आधिक्य 20 तथा 39 प्रतिशत के मध्य था तथा इस अवधि के दौरान राज्य सरकार को निरंतर राजस्व घाटा हुआ। बजट आकलन भी वास्तविक आधार पर नहीं बनाये गये थे।

नमूना-जांच किये गये मण्डलों में निम्न तथ्य भी पाये गयेः

(i) 2000-2002 के दौरान घुमारवीं मण्डल में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संस्वीकृत बजट के प्रति व्यय का आधिक्य 29 तथा 132 प्रतिशत के मध्य था। 2000-2001 के दौरान तीन मण्डलों[5] में राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत बचतें 16 तथा 180 प्रतिशत के मध्य थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च-अप्रैल 2002) कि आधिक्य/बचतें कार्य प्रभारित स्टॉफ के नियमितीकरण तथा कम कार्य निष्पादन के कारण थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य प्रभारित स्टॉफ के नियमितीकरण का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था तथा व्यय करने से पहले निधियों का प्रावधान किया जा सकता था।

(ii) बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार योजना से आयोजनेतर के लिए तथा विलोमतः पुनर्विनियोजन स्वीकार्य नहीं हैं। यह पाया गया है कि तीन मण्डलों[6] में अधिशासी अभियंताओं द्वारा 1999-2001 के दौरान 71.28 लाख रू0 का व्यय योजना से आयोजनेतर शीर्षों को स्थानान्तरित किया गया।

(iii) 1999-2002 के दौरान चार मण्डलों[7] में ठेकेदारों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए किए जाने वाले भुगतान को प्रदर्शित करने वाले 79.31 लाख रू0 साखपत्र के अभाव में रोक दिये गये तथा लोक निर्माण निक्षेपों के प्रति-क्रेडिट द्वारा अन्तिम लेखाशीर्षों को प्रभारित किए गये। इसके फलस्वरूप बजट का जाली उपयोग हुआ तथा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकायों में वृद्धि हुई।

अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी-अप्रैल 2002) कि यह साखपत्रों की कम प्राप्ति के कारण किया गया। वास्तविकता यह है कि निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था।

(iv) शिमला विद्युत मण्डल-II के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पाया गया (फरवरी 2002) कि 1985-2000 के दौरान नव-निर्मित भवनों के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 3 करोड़ रू0 का अग्रिम दिया गया तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों/कार्यपूर्णता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति तक "विविध निर्माण अग्रिम" शीर्ष के अन्तर्गत रखने के बजाये अन्तिम लेखाशीर्षों को प्रभारित किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को अग्रिम दी गई निधियों में से 2.74 करोड़ रू0 के उपयोगिता प्रमाणपत्र/कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र फरवरी 2002 तक प्राप्त नहीं हुए थे। अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2002) कि ऐसी अनियमितताओं का भविष्य में परिहार किया जाएगा।

(v) ठियोग मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जाँच में पाया गया (अप्रैल 2002) कि 1993-2002 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से बिक्री कर की काटी गई 19.36 लाख रू0 की राशि को सरकारी खाते को क्रेडिट करने के लिए इसे राज्य आबकारी तथा कराधान विभाग को प्रेषण करने के बजाये निक्षेप शीर्ष को क्रेडिट किया गया। इसके फलस्वरूप राजस्व का संगोपन हुआ तथा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकायों का संचयन हुआ।

---

5 *धर्मपुर, धर्मशाला तथा सलूणी।*

6 *नुरपुर, सोलन तथा टौणी देवी।*

7 *घुमारवीं, हमीरपुर, कसौली तथा ठियोग।*

(ख) अवास्तविक आकलन

(i) यह पाया गया कि 1999-2002 के दौरान प्रमुख अभियंता द्वारा निधियों का आकलन चार लेखाशीर्षो में वास्तविक व्यय की तुलना में 14 से 252 प्रतिशत तक कम तथा पाँच लेखाशीर्षों में 10 से 96 प्रतिशत तक अधिक किया गया था जैसाकि परिशिष्ट -XV में विवरणित है। प्रमुख अभियंता ने बताया (मई 2002) कि क्षेत्रीय इकाइयों को अनुदेश दे दिये गये हैं तथा भविष्य में बजट आकलन वास्तविकता के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

(ii) निम्नलिखित मामलों में 1999-2001 के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा मांगे गए बजट तथा वित्त विभाग द्वारा आबंटित किए गए बजट में 28 तथा 97 प्रतिशत के मध्य अन्तर था जैसाकि नीचे विवरणित है:

तालिका: 4.2

(लाख रूपए)

लेखाशीर्ष	वर्ष	प्रमुख अभियंता द्वारा मांगा गया बजट	वित्त विभाग द्वारा आबंटित बजट	व्यय	अन्तर
अनुदान संख्या-28 जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास					
2216-आवास (i) 04,05 तथा 06 (21-अनुरक्षण) (आयोजनेतर)	2000-2001	560.00	236.00	253.00	324.00 (58)
अनुदान संख्या 17-सड़कें एवं पुल					
3054-सड़कें एवं पुल-03-337	1999-2000	37.00	1.00	1.00	36.00 (97)
अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण					
2059-लोक निर्माण 08-001-052	2000-2001	625.00	447.00	447.00	178.00 (28)
2059-लोक निर्माण-80-052-01	2000-2001	122.00	45.00	14.00	77.00 (63)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

यह अवास्तविक आकलन का सूचक था।

(ग) बजट सम्बन्धी विवरणियों को प्रस्तुत करने में विलम्ब/प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1999-2002 के दौरान बजट आकलनों, आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की विवरणी तथा अनुपूरक विनियोग के लिए प्रस्तावों को प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करने में 6 से 120 दिनों तक का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि नाम सम्बन्धी 1999-2002 के लिए नामावलियाँ वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई तथा रिक्त पदों के लिये किये गये 1.14 करोड़ रू0 के प्रावधान सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के अन्तिम दिन अभ्यर्पित तथा अन्य लेखाशीर्षों को पुनः विनियोजित किए गये। दायित्व रजिस्टरों के अनुरक्षण न करने के कारण दायित्व विवरणी भी वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं की गई, जो कि अपेक्षित था। इस प्रकार प्रमुख अभियन्ता पर्याप्त बजट सम्बन्धी नियंत्रण करने में विफल रहा।

(घ) व्यय नियंत्रण प्रणाली तथा अपरिचालन साख-पत्र स्कीम

राज्य सरकार ने निधियों के आहरण को नियमित करने तथा उनके प्रति व्यय को सीमित करने के लिए "साखपत्र" स्कीम आरम्भ की (सितम्बर 1981)। स्कीम के अन्तर्गत, मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अपने अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं के साथ परामर्श करके त्रैमासिक आधार पर निधियों का निर्धारण करना अपेक्षित है। इस प्रकार निर्धारित की गई माँग वित्त विभाग को सूचित की जाएगी जो विशेष त्रैमासिक अवधि के दौरान मुख्य अभियन्ताओं द्वारा व्यय की जाने वाली राशियों को निर्धारित तथा सूचित करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1999-2002 के दौरान प्रमुख अभियंता द्वारा अपने आंचलिक, वृत्त तथा मण्डलीय कार्यालयों के साथ परामर्श करके निधियों की माँग को भी निर्धारित नहीं किया था जो कि अपेक्षित था। वित्त विभाग को निधियों की माँग संस्वीकृत बजट की निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर भेजी गई। 1999-2002 के दौरान इन माँगों को वित्त विभाग को प्रस्तुत करने में पाँच से 38 दिनों तक की अवधि का विलम्ब था। यह भी पाया गया कि प्रमुख अभियन्ता ने 2001-2002 को दूसरी तिमाही से त्रैमासिक माँगों को भेजना बन्द कर दिया तथा वित्त विभाग (अक्तूबर 2001, जनवरी तथा फरवरी 2002 के अतिरिक्त) को मासिक माँगे प्रस्तुत की। इस प्रकार उपयुक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग द्वारा पूर्ण साखपत्रों का निस्तारण नहीं हुआ तथा एक तिमाही का साखपत्र आगामी तिमाहियों में प्राधिकृत किया गया। इस प्रकार साखपत्र तदर्थ आधार पर जारी किया गया था।

4.1.5 मानव संसाधन प्रबन्धन

(क) स्टॉफ स्थिति

मार्च 2002 तक विभाग के 353 कार्यालय[8] थे। 31 मार्च 2002 तक विभाग के स्टॉफ की विभिन्न श्रेणियों की स्वीकृत पद संख्या निम्नवत् थी:-

_तालिका: 4.3_

(संख्या में)

स्टॉफ वर्ग	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत	रिक्त	प्रतिशतता कमी
तकनीकी	2444	2201	243	10
गैर-तकनीकी	2193	2090	103	5
चतुर्थ श्रेणी	1365	1205	160	12
योग	6002	5496	506	

स्रोतः विभागीय आंकड़े

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 2002) कि 1989 से सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण खाली पदों को नहीं भरा जा सका।

---

8 *प्रमुख अभियन्ता:1; मुख्य अभियन्ता:4; मुख्य वास्तुकार:1; वृत्तः 19; मण्डल:71; उपमण्डल:254 तथा भू-अर्जन अधिकारी:3 ।*

(ख) निर्धारित मानकों से अधिक खोले गये कार्यालय/मण्डल

(i) पंजाब लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) नियमावली जिसे राज्य सरकार ने अपनाया है के प्रावधानों के अनुसार वृत्तों, मण्डलों तथा उप-मण्डलों का खोला जाना विभाग की सुचारू एवं सफल कार्य-प्रणाली के लिए तीन से चार मण्डलों के लिए एक वृत्त तथा तीन से चार उप-मण्डलों के लिए एक मण्डल के निर्धारित मापदण्ड पर आधारित होना अपेक्षित था। उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत, सरकार ने छः मण्डलों के लिए तीन वृत्त[9] बनाये। इसी प्रकार, केवल 17 उप-मण्डलों (3 मण्डल प्रत्येक एक उप-मण्डल पर तथा 7 मण्डल प्रत्येक 2 उप मण्डलों के ऊपर) के लिए 10 मण्डल[10] कार्य कर रहे थे।

(ii) सरकार के निदेशों (मई 1988) के अनुसार एक मण्डल के सृजन के लिए मानकों (कार्य घटक[11]) को प्रत्येक दो वर्षों बाद तथा जब भी औद्योगिक मूल्य सूचक में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो संशोधित किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि इन मानकों को सरकार/विभाग द्वारा संशोधित नहीं किया गया।

(iii) कार्य प्रभारित स्टॉफ की तैनाती

(क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (अप्रैल 1994) के अनुसरण में सरकार ने दैनिक भोगी कर्मचारियों को जिन्होंने नामावलियों पर 10 वर्ष या अधिक की लगातार सेवा एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिनों के साथ 31 दिसम्बर 1993 तक पूर्ण कर ली थी को कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति हेतु जनवरी 1994 से प्रभावी एक स्कीम का सूत्रपात किया। दैनिक वेतन भोगी आधार पर आगे के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जानी थी। स्कीम को सम्बद्ध मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रचालित किया जाना था।

(ख) मार्च 1998 तक सृजित 29,240 कार्य प्रभारित पदों के प्रति 22,940 पदों का उपयोग किया गया तथा 6,300 पद अप्रयुक्त रहे। इन पदों के सृजन के लिए सरकार द्वारा मानक नहीं बनाये गये थे तथा मण्डलों को इनके आबंटन हेतु निश्चित मापदण्ड का निर्धारण नहीं किया गया था। इन पदों को तदर्थ आधार पर आबंटित किया गया था तथा विभागीय कार्यों पर उनकी सेवाओं की सर्वोत्तम प्रयुक्ति को सुनिश्चित करने हेतु कोई भी युक्ति नहीं बनाई गई थी। प्रमुख अभियन्ता के पंजीयक ने स्थिति की पुष्टि की तथा बताया (अप्रैल 2002) कि पदों को क्षेत्रीय इकाइयों को उनकी माँग के अनुसार आबंटित किया गया था। तर्क मान्य नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसी कोई भी माँग नहीं की गई/अभिलेख में नहीं थी।

(ग) 30,000 अधिशेष दैनिक वेतन भोगी तथा कार्य प्रभारित बेलदारों की उपयोगिता की दृष्टि से सरकार ने प्रमुख अभियन्ता को निर्माण/मरम्मत तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध सात प्रकार के कार्यों को विभागीय रूप से इन मजदूरों के द्वारा करने तथा केवल अति दुर्लभ मामलों में इस शर्त की ढील देने के निदेश दिये (मई 1999)। सरकारी निदेशों के विपरीत, 1999-2002 के दौरान 11 मण्डलों[12] में 919 निर्माण तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य अपेक्षित छूट प्राप्त किये बिना 68.47 करोड़ रू0 के व्यय पर ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये गये। इस प्रकार विभागीय श्रमिकों का पूर्ण उपयोग नहीं

---

9 *यांत्रिकी वृत्त, शिमला:2 मण्डल; राष्ट्रीय उच्च मार्ग वृत्त, नारकण्डा तथा शाहपुरः प्रत्येक 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल।*

10 *बंगाणा, डोडरा क्वार, कुल्लू-II; मैडिकल कॉलेज, शिमला; नाहन; नालागढ़; पालमपुर; रोहडू; सरकाघाट तथा तकलेच।*

11 *भवन एवं सड़क मण्डलः 1.40 करोड़ रू0; यांत्रिकी मण्डलः 0.60 करोड़ रू0 तथा विद्युत मण्डलः 0.48 करोड़ रू0।*

12 *बड़सर, भावानगर, बिलासपुर, धर्मपुर, हमीरपुर, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, सरकाघाट, टौणी देवी तथा ठियोग।*

किया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी-अप्रैल 2002) कि स्टॉफ की कमी/कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण कार्यों को ठेकेदारों से निष्पादित कराया गया। कथन मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने पहले ही मानकों से अधिक कार्य प्रभारित स्टॉफ/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को तैनात किया था तथा विद्यमान स्टॉफ की पुनः संरचना तथा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था।

(iv) दैनिक वेतन भोगी स्टॉफ की तैनाती

(क) स्कीम के अनुसार, 1 जनवरी 1994 को अथवा उसके पश्चात् कोई भी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य पर नहीं लगाया जाना था। 1 जनवरी 1994 को विभाग में 42,932 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक थे जिन्हें स्कीम की शर्तों को पूरा करने की शर्त पर नियमित किया जाना था। इनमें से 29,240 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को 31 मार्च 1998 तक कार्य प्रभारित कर्मचारियों में रूपांतरित किया गया जिससे शेष 13,692 श्रमिक नियमितिकरण के लिए बाकी रह गये। प्रमुख अभियन्ता ने विधानसभा को बताया (दिसम्बर 1999) कि 31 मार्च 1999 को 40,394 दैनिक वेतन भोगी श्रमिक थे। इस प्रकार विभाग ने जनवरी 1994 से मार्च 1999 तक की अवधि के दौरान 26,702 अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को तैनात किया था। इन मामलों में वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था जो कि अपेक्षित था। अप्रैल 1999 से मार्च 2002 के दौरान नियुक्त किये गये दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के बारे सूचना प्रमुख अभियंता के पास उपलब्ध नहीं थी।

प्रमुख अभियंता ने बताया (अप्रैल 2002) कि श्रमिकों को विराम के आधार पर 89 दिनों के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी (जनवरी 1993) अनुदेशों के अनुसार कार्य की आवश्यकता को देखकर लगाना पड़ा था तथा उनमें से कुछ ने वर्ष में 240 दिन पूरे कर लिए थे तथा उन्हें निरन्तर लगाये रखना पड़ा था। इन श्रमिकों की निरन्तर नियुक्ति ने स्कीम में निहित शर्तों को पूरा करने पर इन्हें कार्य प्रभारित कमर्चारियों में रूपांतरित किए जाने के लिए पात्र बनाया।

(ख) चार नमूना-जांच किये गये मण्डलों[13] में अधिशासी अभियन्ताओं ने 7,420 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों (1999-2000 : 1,749; 2000-2001: 3,021एवं 2001-2002: 2,650) को नामावलियों पर लगाया था तथा वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, जोकि अपेक्षित था, 10.94 करोड़ रू0 के (1999-2000 : 2.30 करोड़ रू0 ; 2000-2001: 4.33 करोड़ रू0 तथा 2001-2002 : 4.31 करोड़ रू0) वेतन का भुगतान किया।

(ग) धर्मपुर मण्डल (मण्डी जिला) में अधिशासी अभियन्ता द्वारा जून 2000 से अधिशेष घोषित किये गये 1,397 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को न तो हटाया गया था और न ही उन्हें अन्य मण्डलों में स्थानान्तरित करने के प्रयास किये गये, जैसाकि अपेक्षित था। अधिशासी अभियंता ने अधिशेष श्रमिकों की कटौती हेतु एक मामला भेजा (अक्तूबर 2001) तथा उनको क्षतिपूर्ति की अदायगी हेतु 35 लाख रू0 की राशि की माँग की। प्रमुख अभियन्ता द्वारा निधियां उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी मध्य उन्हें जून 2000 से मार्च 2002 तक की अवधि के लिए 5.02 करोड़ रू0 के वेतन का भुगतान किया गया। उनके द्वारा किये गये कार्य का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 2002) कि श्रमिकों के स्थानान्तरण अथवा कटौती के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि इस प्रयोजन हेतु मांगी गई निधियां प्राप्त नहीं हुई। विभाग की इस प्रकार की कार्रवाई से वित्तीय औचित्य का अभाव हुआ। विभाग द्वारा वेतन के कारण प्रतिमास 22.82 लाख रू0 के आवर्ती दायित्व को भी उठाना पड़ा था।

---

[13] *धर्मपुर, सलूणी, सरकाघाट तथा टौणी देवी।*

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में पदों का न भरा जाना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जनजातीय क्षेत्रों[14] के छः मण्डलों[15] में 1999-2002 के दौरान कनिष्ठ अभियन्ताओं के 16 से 20 पद सरकार के जुलाई 1998 के अनुदेशों के उल्लंघन में तीन से 36 महीनों के लिए रिक्त रहे। इस प्रकार कनिष्ठ अभियन्ताओं की तैनाती न करने के कारण जनजातीय क्षेत्रों में कार्य प्रभावित हुआ।

(ङ.) प्रशिक्षण

1999-2002 के दौरान विभाग में तैनात किये गये तकनीकी एवं गैर-तकनीकी जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण न तो प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया गया और न ही उनकी प्रवीणता का अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रमुख अभियन्ता ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2002)। ऐसा न करने के लिए अप्रैल 2002 में मांगे गये कारणों को सूचित नहीं किया गया था (मई 2002)।

4.1.6 कार्यक्रम कार्यान्वयन

विभाग द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सैक्टरों के अन्तर्गत राज्य के 16,997 गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया। लेखापरीक्षा में राज्य सैक्टर कार्यक्रम "जिला एवं अन्य ग्रामीण सड़कों" की नमूना-जांच की गई तथा निम्न तथ्य पाये गयेः

(क) सड़कों की आवश्यकता एवं सड़कों का विकास

राज्य सरकार द्वारा 70.13 कि0मी0 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तथा 7.55 किलोमीटर प्रति 1000 जनसंख्या की सड़क सघनता प्रदान करने के आधार पर सड़कों की कुल 39,045 किलोमीटर लम्बाई की आवश्यकता निर्धारित की गई थी। गांवों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी स्थलाकृति तथा अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया था।

फरवरी 2002 तक, विभाग द्वारा 22,634 कि0मी0 सड़कों का निर्माण करके 7,888 जनगणना गावों को सड़कों से जोड़ा गया था। इस प्रकार प्राप्त की गई सड़क सघनता 80 कि0मी0/100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र से अधिक की अखिल भारतीय औसतन सघनता के प्रति 40.66 कि0मी0 प्रति 100 वर्ग कि0मी0 की सीमा तक थी। यह पाया गया कि 22,634 कि0मी0 लम्बी सड़कों का कार्य उनको सर्वऋतु मार्ग बनाने के लिए पूर्णरूपेण नहीं किया गया था। इनमें से 11,286 कि0मी0 सड़कों का उपयोग केवल साफ मौसम के दौरान ही हो सकता था। इस प्रकार विभाग ने राज्य के गांवों को सर्वऋतु यातायात सम्पर्क प्रदान करने के अपने दायित्व को नहीं निभाया था।

(ख) लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

1999-2002 (फरवरी 2002 तक) के दौरान सड़कों, पुलों के निर्माण तथा गाँव के संयोजन के लिए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत् थीः

---

14 *चम्बा, किन्नौर तथा लाहौल एवं स्पिति।*

15 *भरमौर, कल्पा, कड़छम, किलाड़, काजा तथा उदयपुर।*

तालिकाः 4.4

(लाख रूपए)

अवधि	भौतिक लक्ष्य					उपलब्धियाँ					बजट	व्यय
	मोटरयोग्य (कि०मी०)	अनुप्रस्थ जलोत्सरण (कि०मी०)	पक्का करना तथा डामर बिछाना (कि०मी०)	पुल	गाँवों की संख्या	मोटरयोग्य (कि०मी०)	अनुप्रस्थ जलोत्सरण (कि०मी०)	पक्का करना तथा डामर बिछाना (कि०मी०)	पुल	गाँवों की संख्या		
1999-2000	350	280	320	35	30	674	642	835	57	67	19,361	20,073
2000-2001	375	375	425	35	30	732	671	922	53	64	22,357	21,811
2001-2002	375	450	600	35	30	557	723	777	58	43	15,707	17,350
जोड़	1,100	1,105	1,345	105	90	1,963	2,036	2,534	168	174	57,425	59,234

स्रोतः विभागीय आंकड़े

उपरोक्त विवरण से यह पाया गया कि सभी तीन वर्षों में भौतिक उपलब्धियाँ लक्ष्यों की तुलना में काफी अधिक थी। इस प्रकार वार्षिक लक्ष्य वास्तविकता के आधार पर निर्धारित किये गये प्रतीत नहीं होते।

(ग) कार्यों की पूर्णता में विलम्ब

नमूना-जाँच किये गये 17 मण्डलों में मार्च 2002 तक शुरू किये गये, पूर्ण किये गये तथा अपूर्ण रहे कार्यों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् हैः

तालिकाः 4.5

(करोड़ रूपए)

अवधि	आरम्भ की गई सड़कों की संख्या	अनुमानित लागत	पूर्ण किये गये कार्य		31 मार्च 2002 तक अधूरे बचे कार्य	
			संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
मार्च 1999 तक	895	341.87	305	60.37	590	74.70
1999-2000	38	26.66	1	0.13	37	6.67
2000-2001	14	6.07	2	1.11	12	0.37
2001-2002	5	3.92	..	..	5	1.71
जोड़	952	378.52	308	61.61	644	83.45

स्रोतः विभागीय आंकड़े

कार्यों की पूर्णता में विलम्ब का लागत पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, कार्यों को समय अनुसूची के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि क्रमशः 24 सम्पूर्ण किये गये कार्यों के सम्बन्ध में 3.47 करोड़ रू0 तथा 157 प्रगतिरत कार्यों के मामले में 29.59 करोड़ रू0 की लागत अधिक बढ़ गई। इन मामलों में समय की वृद्धि चार तथा 349 मास के मध्य थी।

(घ) संस्वीकृति के बिना सड़क कार्यों पर व्यय

कुमारसेन मण्डल द्वारा 1982-83 तथा 1997-98 के मध्य पाँच सड़कों का कार्य प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति जो अपेक्षित थी, के बिना शुरू किया गया तथा उन पर मार्च 2002 तक 27.32 लाख रू0 का व्यय किया गया। इनमें से दो कार्य पूर्ण किये जा चुके थे तथा शेष तीन पर कार्य जारी था। व्यय को नियमित नहीं करवाया गया था।

16 मण्डलों[16] में, मार्च 1962 तथा नवम्बर 2001 के मध्य 369.46 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किये गये 940 सड़क कार्यों का मार्च 1970 तथा नवम्बर 2001 के मध्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निष्पादनार्थ शुरू किया गया। उनके निष्पादन पर 138.46 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 13 मण्डलों[17] में 146 सड़क कार्यों के निष्पादन पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति की राशि से 16.69 करोड़ रू0 का अधिक व्यय किया गया। अधिक व्यय को नियमित कराने के लिए संशोधित आकलनों को अप्रैल 2002 तक संस्वीकृत नहीं करवाया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि संस्वीकृत राशि से अधिकता सामग्री की लागत में वृद्धि तथा वेतन के कारण थी।

(ङ) आयोजना

(i) लोगों के हितों के दृष्टिगत सड़कों को प्राथमिकता न देना

विभाग को लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निधियाँ प्रदान की जा रही थी जिनमें तत्कालिक तथा दीर्घकालीन लागतों के अनुरूप अधिकतम लाभों की प्राप्ति हेतु सड़क कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी।

कल्पा मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया कि जून 1988 तथा नवम्बर 1998 के मध्य 132.68 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत तीन सड़क कार्य अभी तक प्रगतिरत थे। सड़क की लम्बाई, वास्तव में निर्मित सड़क, सड़क के आरम्भिक स्थान से प्रथम गाँव की दूरी तथा किये गये व्यय को दर्शाने वाली विस्तृत स्थिति निम्नवत् थीः

तालिका: 4.6

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	सड़क का नाम	स्वीकृत सड़क की लम्बाई	सड़क के प्रारम्भिक स्थान से पहले गाँव की दूरी	फरवरी 2002 तक निर्मित सड़क की लंबाई	फरवरी 2002 तक व्यय
		(कि0मी0)			
1	गिमथिंग घाटी सड़क	8,450	10.450	8.231	67.92
2	थांगी से कानू चारण सड़क	5.000	7.000	3.375	82.18
3	खाब से ताशीगंग सम्पर्क सड़क	7.500	15.500	2.500	54.59
	जोड़				204.69

स्रोतः विभागीय आंकड़े

सड़कों के पूर्ण होने के पश्चात् भी कोई लाभकारी प्रयोजन पूरा नहीं होगा क्योंकि उनसे कोई भी गाँव नहीं जुड़ेगा।

---

[16] *अर्की, बड़सर, बिलासपुर-II, कल्पा, करसोग, कुल्लू-I, कुमारसेन, मण्डी-II, निरमण्ड, राजगढ़, रायपुर, सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सुंदरनगर*

[17] *अर्की, बड़सर, बिलासपुर-II, कल्पा, करसोग, कुल्लू-I, कुमारसेन, मण्डी-II, निरमण्ड, रामपुर, सरकाघाट, सोलन तथा सुंदरनगर*

अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मार्च 2002) कि निष्पादित किये जाने वाले अपेक्षित कार्य की प्रमात्रा क्षेत्र की दुष्कर स्थलाकृति के कारण बहुत उँचे स्थल पर थी तथा इसलिए समस्त कार्य को चरणों में विभाजित किया गया तथा तदनुसार संस्वीकृति प्राप्त की गई। जैसे ही कार्य का प्रथम चरण पूर्ण किया गया, अगले चरण की औपचारिकतायें पूर्ण हो जाएगी तथा तदनुसार कार्य किया जाएगा। कथन मान्य नहीं है क्योंकि सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी तथा जनता के लाभों के दृष्टिगत तात्कालिक तथा दीर्घकालीन लागतों के अनुरूप स्वीकृत की जानी चाहिए थी।

(ii) सड़क तथा पुल परियोजनाओं का विवेकपूर्ण तथा लागत प्रभावी चयन के माध्यम से लाभों को सुनिश्चित न करना

(क) सड़कों का निर्माण, सड़क परियोजनाओं का विवेकपूर्ण तथा लागत प्रभावी चयन के माध्यम से कम से कम स्रोत द्वारा अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के पश्चात् किया जाना चाहिए।

कुमारसेन मण्डल में 1.15 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर मार्च 1977 तथा जुलाई 1998 के मध्य स्वीकृत आठ सड़क कार्यों का 1983 तथा 1998 के मध्य निष्पादनार्थ शुरू किया। जबकि तीन सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका था तथा शेष सड़कों पर कार्य संरेखण, निजि/वन भूमि के ग्रस्त होने के संदर्भ में विवाद तथा निधियों की कमी के कारण अवरूद्ध था। उपरोक्त सड़क कार्यों पर 26.20 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका था। वर्ष 2000-2001 के लिए राज्य सरकार की वार्षिक योजना के अनुसार, मार्च 2002 के अन्त तक 200 से कम की आबादी वाले कम से कम 50 प्रतिशत गाँवों, 200 से 499 तक की आबादी के 75 प्रतिशत गाँवों तथा 500 एवं अधिक की आबादी वाले सभी गाँवों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ा जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले किसी भी गाँव को उपरोक्त सड़कों में से किसी के द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा।

(ख) करला भारथा सड़क पर सतुलज नदी पर 23.48 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर एक पैदल चलने योग्य पुल के निर्माण की स्वीकृति दी गई (अगस्त 1992) तथा एक वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया। कार्य का मार्च 1997 में अर्की मण्डल द्वारा निष्पादनार्थ शुरू किया। जनवरी 2001 तक पुल के सिविल कार्य ही 22.44 लाख रू0 का व्यय करने के उपरान्त पूर्ण किये गये थे। पुल का अधिरचना कार्य अभी तक जारी था। अक्तूबर 1995 में सरकार ने कोल डैम परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया, जिस का कार्य प्रगति पर था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पैदल चलने योग्य पुल का छत स्तर (600 मीटर) कोल बांध जलाशय में जलमग्न हो जाएगा। इस प्रकार, पुल के निर्माण पर 22.44 लाख रू0 का निवेश व्यर्थ चला जाएगा।

(च) दोषयुक्त एवं अनुचित आयोजना

नमूना-जाँच के दौरान सड़कों तथा पुलों के निर्माण में दोषयुक्त तथा अनुचित योजना के निम्नलिखित मामले पाए गए:

(i) सड़कों का निर्माण न करने के कारण पुलों का उपयोग न किया जाना

कल्पा, कुमारसेन तथा कांगड़ा मण्डलों में पाँच पुलों के निर्माण की अनुमानित लागत 2.41 करोड़ रू0 थी जिन्हें 2.78 करोड़ रू0 की लागत पर अगस्त 1997 तथा फरवरी 2002 के मध्य में पूर्ण किया गया जैसा कि परिशिष्ट -XVI में विवरणित है।

यह पाया गया कि इन पुलों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि सड़कों का निर्माण/पूर्ण नहीं किया गया था। पारलोग पुल से आगे सड़क (लम्बाई: 23 कि0मी0) करसोग मण्डल द्वारा बनाई

जानी थी। करसोग की तरफ से सड़क का निष्पादन अक्तूबर 1977 में शुरू किया गया तथा 24.59 लाख रू0 का व्यय करके 8.250 कि0मी0 लम्बी सड़क का निर्माण किया गया था। इस प्रकार, निर्मित पुल का अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सका।

गियाबांग नाला के ऊपर मोटरयोग्य बैली पुल के सम्बन्ध में पारला गियाबांग गाँव को जोड़ने के लिए जिसके लिए मोटरयोग्य पुल गियाबांग नाला पर बनाया गया था, 600 मीटर सड़क का हिस्सा अभी निर्मित किया जाना था।

रेकटा खड्ड के ऊपर बेली पुल का निर्माण आर डी 5/020 पर किया जा चुका था जबकि गिमथिंग घाटी सड़क (लम्बाईः 8.450 कि0मी0) 4/900 कि0मी0 तक यातायात के लिए खोल दी गई थी। 5/020 कि0मी0 से 8.00 कि0मी0 तक सड़क का निर्माण खण्डों में किया जा चुका था।

अगस्त 1997 में पूर्ण किए गए 24 कि0मी0 लम्बी पुरानी कांगड़ा बोहार क्वालू सड़क (जिला कांगड़ा) के ऊपर 55 मी0 लम्बे वाहनयोग्य पुल को सड़क के किसी भी ओर से न जोड़ने के कारण प्रयोग में नहीं लाया गया।

कि0मी0 1.200 दधाम्ब दुर्गेला सड़क के ऊपर चांबी खड्ड (जिला कांगड़ा) पर निर्मित आर सी सी टी-बीम पुल को वाहन यातायात के लिए नहीं खोला जा सका क्योंकि सड़क की 6.250 कि0मी0 कुल लम्बाई में से केवल पाँच कि0मी0 सड़क निर्मित की गई थी।

इस प्रकार दोषयुक्त आयोजना तथा सम्पर्क सड़कों को पूर्ण करने में विभाग की विफलता के कारण पुलों की पूर्णता पर किया गया 2.78 करोड़ रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

(ii) निर्मित सड़कों की चौड़ाई के अनुसार पुलों का निर्माण न करने के कारण सड़कों का उपयोग नहीं किया जाना।

दो मण्डलों में जीप योग्य चौड़ाई की दो सड़कें 27.60 लाख रू0 की लागत पर निर्मित की गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन सड़कों के संरेखण में आने वाली नदियों पर मोटरयोग्य पुलों का निर्माण नहीं किया गया जैसाकि परिशिष्ट-XVI में विवरणित है।

इस तथ्य के दृष्टिगत कि पैदल चलने योग्य पुलों का वाहनों के चलाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जीप योग्य सड़कों के निर्माण पर किया गया 27.60 लाख रू0 का निवेश निष्फल रहा।

जबकि अधिशासी अभियन्ता, काजा ने बताया (सितम्बर 2001) कि मोटरयोग्य/जीपयोग्य पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव उच्च प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया था, अधिशासी अभियन्ता, कल्पा ने बताया (मार्च 2002) कि 1999 में प्रस्तावित मोटरयोग्य पुल को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया था।

(iii) पुलों का निर्माण न करने के कारण सड़कों का उपयोग न किया जाना

तीन मण्डलों में अगस्त 1988 तथा जून 1995 के मध्य स्वीकृत तीन सड़कों का निर्माण नवम्बर 1994 तथा मई 1996 के मध्य किया गया था उनके निर्माण पर 90.71 लाख रू0 व्यय किये गये जैसाकि परिशिष्ट-XVI में विवरणित है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि इन प्रत्येक सड़कों पर निर्मित किए जाने वाले पुलों का सड़कों के आकलनों में प्रावधान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि तरेला नाला पर पुल के मामले में कार्य प्रगति पर था तथा शेष दो मामलों में पुलों का निर्माण अभी तक शुरू नहीं किया गया था।

पुलों के निर्माण के अभाव में सड़कों के निर्मित भागों को उपयोग में नहीं लाया जा सका तथा उन पर किया गया 90.71 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा।

(छ) विभाग की विभिन्न चूकों के कारण निष्फल व्यय

(i) वन भूमि के स्थानान्तरण के लिए स्वीकृति का प्राप्त न करना तथा निजी भूमि का अर्जन न करना

(क) प्रावधानों के विपरीत 16 मण्डलों[18] द्वारा एक वर्ष तथा आठ वर्षों के मध्य अवधियों के अन्दर पूर्ण किये जाने के लिए निर्धारित 41 सड़कों का (अनुमानित लागतः 10.17 करोड़ रू0) सितम्बर 1981 तथा जून 2001 के मध्य इन सड़कों के संरेखणों में आने वाली वन भूमि का उपयोग करने के लिए अपेक्षित भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना निर्माण किया गया। ये कार्य जिन पर 2.98 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका था, 1989 से आगे विभिन्न अवधियों के लिए अवरूद्ध थे। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामले या अभी प्रारम्भ किये जाने थे या विभाग के भीतर प्रक्रियाधीन थे।

(ख) 11 मण्डलों[19] में (अनुमानित लागतः 5.97 करोड़ रू0) छः महीनों से 6 वर्षों के अन्दर निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने के लिए 21 सड़कों का निर्माण 1975 तथा अप्रैल 2000 के मध्य शुरू किया गया तथा ये सड़कें 2.94 करोड़ रू0 व्यय करने के पश्चात् अधूरी पड़ी थी। कार्य मुख्यतयः संरेखण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन न करने/भूमि पर विवाद के कारण अवरूद्ध थे। यह पाया गया कि 1998-2001 के दौरान निजी भूमि के अर्जन हेतु कार्यवाही भू-अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत सात सड़क निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रारम्भ की जा चुकी थी। इन सड़कों की पूर्णता में विलम्ब 2 से 247 महीनों के मध्य था।

(ii) शेष कार्य निष्पादन में विभाग की विफलता के कारण सड़कों/पुलों का उपयोग न होना

(क) तीन मण्डलों में अक्तूबर 1978 तथा मार्च 1996 के मध्य 52.04 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर तीन सड़कों तथा एक पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया तथा एक वर्ष तथा तीन वर्षों की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए मार्च 1979 तथा मार्च 1998 के मध्य निष्पादनार्थ शुरू किया गया। इन कार्यों पर 93.72 लाख रू0 का व्यय किया गया था। यह पाया गया कि सड़कों के निर्मित भागों तथा पुल को भू-स्खलनों को न हटाने/शेष कार्य का निष्पादन न करने के कारण यातायात के लिए नहीं खोला जा सका जैसाकि नीचे विवरणित किया गया है:

---

18 *बड़सर, बिलासपुर, चम्बा, चिनाव वैली मण्डल, घुमारवीं, कड़छम, कसौली, कल्पा, कुल्लू-I, कुमारसेन, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, शिमला-I, शिमला-II तथा सुंदरनगर*

19 *अर्की, बड़सर, चम्बा, ज्वाली, कल्पा, कड़छम, कुमारसेन, पालमपुर, सरकाघाट, सोलन तथा सुंदरनगर*

तालिका: 4.7

(लाख रूपए)

मण्डल का नाम	सड़क/पुल का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति का विवरण		सड़क/पुल की भौतिक अवस्था	अवधि जब तक कार्य निष्पादित किया गया	किया गया व्यय	अभ्युक्तियाँ
		मास व वर्ष	राशि	(कि0मी0)			
राजगढ़	चूड़धार मयानाघाट लानचेटा सड़क (0/0 से 5/0 कि0मी0)	अक्तूबर 1978	8.40	3/720	मार्च 1994	23.98	3/94 में ठेकेदार को प्रदत 255 मी0 चट्टानी भाग को निष्पादित नहीं किया गया
	दलोग का घाट नेरी नौण सड़क (0/0 से 5/0 कि0मी0)	सितम्बर 1989	13.92	2.690	मार्च 1997	5.81	घाटी की तरफ भू-स्खलन तथा लहासों को पहले कि0मी0 में नहीं हटाया गया था।
चम्बा	चूरी बासु कोठी निरकुला सड़क को जीप (योग्य से मोटर) योग्य स्तर तक चौड़ा करना	मार्च 1986	17.70	04.500 (खण्डों में)	दिसम्बर 1998	50.02	प्रथम कि0मी0 में 80 मी0 चट्टानी भाग का निष्पादन नहीं किया गया।
कुल्लू-I	बंजार भठाड़ भशेलू पास सड़क पर 15.75 मी0 लम्बा आरसीसी-टी बीम पुल	मार्च 1996	12.02	सम्पर्क के अतिरिक्त पुल पूर्ण किया गया	पुल का कार्य मई 2001 में पूर्ण किया गया	13.91	पुल का कार्य मई 2001 में पूरा किया गया परन्तु सम्पर्क सड़क को निर्मित नहीं किया गया था
जोड़			52.04			93.72	

इस प्रकार कार्यों का पूर्ण करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 93.72 लाख रू0 का निरर्थक निवेश हुआ।

(ख) लिओ पुल से हांगो तक 5/0 कि0मी0 से 17/0 कि0मी0 तक 5/7 मीटर चौड़ी सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य 67.56 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर नवम्बर 1990 में स्वीकृत किया गया। सड़क का 10 वर्षों की निर्धारित अवधि में पूरा किए जाने के लिए जुलाई 1992 में निष्पादनार्थ शुरू किया गया तथा सितम्बर 2001 में 15.512 कि0मी0 लम्बाई तक कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार 2.82 करोड़ रू0 के व्यय पर पूर्ण किया गया। मुख्य अभियन्ता ने अगस्त 2001 की अपनी निरीक्षण टिप्पणी में इंगित किया कि सड़क में अत्यन्त ढलान तथा निर्माण चौड़ाई मानक स्तर की नहीं थी। पूह उप मण्डल द्वारा 5/570 कि0मी0 से 6/870 कि0मी0 तक सड़क के सुधार के लिए 47.56 लाख रू0 का आकलन तैयार किया गया तथा फरवरी 2002 में मण्डल को भेजा गया जो मण्डलीय कार्यालय में मार्च 2002 तक पड़ा था। अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों से सहमत होते हुए बताया (मार्च 2002) कि 5/570 कि0मी0 से 6/870 कि0मी0 तक की सड़क का भाग चट्टान संस्तर में से गुजरता था तथा मोटरयोग्य स्तर की सड़क का निर्माण करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। यह तथ्य कि सड़क की अत्यन्त खड़ी ढलान थी तथा निर्माण चौड़ाई मानक स्तर की नहीं थी मान्य नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त सड़क के निर्माण पर किया गया 2.82 करोड़ रू0 का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा था।

(iii) निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित न करना

मैरा पाली सड़क पर मंजूही खड्ड के ऊपर 150.25 मीटर आरसीसी स्लैब किस्म के पुल का निर्माण कार्य 88.79 लाख रू0 के लिए जनवरी 1996 में स्वीकृत किया गया तथा दो वर्षों में पूरा किये जाने के लिए निर्धारित अक्तूबर 1997 में 74.51 लाख रू0 में एक ठेकेदार को दिया गया। ठेकेदार ने कार्य अक्तूबर 1997 में प्रारम्भ किया उसने अक्तूबर 1999 तक 55.39 लाख रू0 व्यय करके उप-संरचना का कार्य निष्पादित किया। उसके बाद निधियों की कमी के कारण कार्य परित्यक्त अवस्था में पड़ा था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 2002) कि शेष कार्य की पूर्णता के लिए सक्षम

प्राधिकारी से 34.50 लाख रू0 मांगे गये थे। कार्य के निष्पादनार्थ समुचित निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप 55.39 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

(ज) अनुबन्ध की शर्तों को लागू न करने के कारण ठेकेदारों को अनुचित सहायता

(i) उपयोगी पत्थरों का ढेर न लगाने के लिए वसूलियां

11 मण्डलों[20] में 33 सड़कों का निष्पादन कार्य 1990-91 तथा 2001-02 के मध्य 94 ठेकदारों को दिया गया। अनुबन्ध के अनुसार क्रमशः विस्फोटन तथा जम्पर कार्य पर आधारित उपयोगी पत्थरों की मात्रा का ठेकेदारों द्वारा ढेर लगाया जाना था। ठेकेदारों द्वारा किये गये विस्फोटन तथा जम्पर कार्य पर आधारित 1,18,758 घनमीटर प्रयोज्य पत्थरों का ढेर लगाया जाना चाहिए था जिसके प्रति केवल 31,872 घनमीटर उपयोगी पत्थरों का ही वास्तव में ढेर लगाया गया। अनुबन्धों के प्रावधानों के अनुसार सम्बद्ध ठेकेदारों से 86,886 घन मीटर पत्थरों का कम ढेर लगाने/कम सपुर्दगी के लिए 1.12 करोड़ रू0 की राशि की वसूलियाँ की जानी थी। यह पाया गया कि एक ठेकेदार से केवल 2.43 लाख रू0 की राशि की वसूली की गई थी तथा 1.09 करोड़ रू0 की शेष राशि अप्रैल 2002 तक वसूल नहीं की गई थी।

(ii) कार्यों की पूर्णता में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण न करना

16 मण्डलों[21] में 211 ठेकेदारों को 1997-98 तथा 2001-2002 के मध्य 7.35 करोड़ रू0 की निविदा लागत पर 216 सड़क कार्य दिये गये थे तथा एक महीने से 30 महीनों की अवधि में पूर्ण किये जाने निर्धारित किये गये। कार्यों को सम्बद्ध ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण नहीं किया गया तथा अनुबन्ध की शर्त 2 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा करने की विफलता से ठेकेदारों को 73.46 लाख रू0 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(झ) अन्य अभिकरणों के पक्ष में निष्पादित कार्य करने के लिए बकाया वसूलियां

दाड़ला-सूली सड़क का निर्माण अर्की मण्डल द्वारा 1993-94 के दौरान मै0 गुजरात अम्बुजा सीमित के पक्ष में 1.02 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण किया गया। फर्म ने 1995-96 तक 78.80 लाख रू0 जमा करवाये तथा शेष राशि 23.22 लाख रू0 उनसे वसूली नहीं गई थी। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 2002) कि कम्पनी से शेष राशि को जमा करने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

(ञ) विशेष कार्यक्रमों का अनियमित कार्यान्वयन

(i) अनुसूचित जाति संघटक योजना

1981-82 में राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति प्रधानता वाले गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु एक विशेष घटक योजना प्रारंभ की गई। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नमूना-जांचित 11 मण्डलों[22] में 169 सड़कों पर 1999-2002 के दौरान 6.36 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रधानता वाले बसे हुए गांवों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण इन कार्यों को करने से पहले नहीं किया गया था ताकि अभिप्रेत लक्षित समूहों के लिए लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता। लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः

---

[20] *अर्की, बिलासपुर-II, चौपाल, धर्मपुर, करसोग, कड़छम, कल्पा, कुल्लू-I, कुमारसेन, मण्डी-II तथा सुंदरनगर*

[21] *अर्की, बड़सर, बिलासपुर-II, करसोग, कल्पा, कुल्लू-I, कुमारसेन, मण्डी-II, निरमण्ड, पालमपुर, राजगढ़, रामपुर सरकाघाट, शिमला-II, सोलन तथा सुंदरनगर*

[22] *अर्की, बिलासपुर-II, करसोग, कुल्लू-I, कुमारसेन, निरमण्ड, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-II, सोलन तथा सुंदरनगर*

(क) दो मण्डलों[23] में 3.48 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर अगस्त 1981 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य स्वीकृत किये गये 8 कार्यों का उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अगस्त 1981 तथा जनवरी 2002 के मध्य निष्पादन शुरू किया गया तथा मार्च 2002 तक 1.23 करोड़ रू0 का व्यय करने के पश्चात् कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यों की पूर्णता में तीन तथा 256 महीनों के मध्य विलम्ब था तथा 1991 की जनगणना के अनुसार इन सड़कों के अन्तर्गत आने वाले गांवों के अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य तथा 47.41 प्रतिशत के मध्य थी।

(ख) दो मण्डलों[24] में योजना के अन्तर्गत 29.22 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर अक्तूबर 1979 तथा मार्च 1985 के मध्य संस्वीकृत छः सड़क कार्यों का मोटरयोग्य स्तरों, पारगामी जल निकासी नालियां बनाने/बिछाने तथा पक्का करने एवं तारकोल बिछाने का कार्य निष्पादनार्थ प्रारम्भ किया गया। 69.75 लाख रू0 का व्यय करने के उपरान्त कार्य प्रगति पर थे। अभिलेखों की संवीक्षा से पाया गया कि ये सड़कें मूल रूप से राज्य की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इन कार्यों का निष्पादन अनियमित था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि कार्यो को अनुसूचित जाति संघटक योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया गया।

(ii) पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना

प्रधान सलाहकार (योजना) ने अनुदेशों को जारी किया (अगस्त 1999) कि पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अव्ययित बकायों को वित्तीय वर्ष के अन्त में औपचारिक रूप में अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए।

छः मण्डलों[25] में पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत 153 सड़क कार्यों के लिए प्राप्त की गई 10.41 करोड़ रू0 की कुल निधियों (1998-99 का अव्ययित शेषः 2.62 करोड़ रू0 तथा 1999-2002 के दौरान प्रदत निधियां : 7.79 करोड़ रू0) में से केवल 7.40 करोड़ रू0 का उपयोग हुआ तथा 3.01 करोड़ रू0 की शेष राशि लोक निर्माण जमा में अप्रयुक्त पड़ी थी (मार्च 2002)। इसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के दौरान सेवा शीर्ष के अन्तर्गत स्फीत व्यय का प्रदर्शन हुआ तथा अव्ययित राशि सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखी गई।

(ट) अवास्तविक निर्माण कार्य आकलन बनाने के कारण ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता

अधीक्षण अभियंता, कुल्लू ने बाली चौकी थाची सड़क (कुल्लू जिला) को 19/660 कि0मी0 से 20/660 कि0मी0 तक चौड़ा करने के लिए 11.02 लाख रू0 जिसमें 24,594 घनमीटर[26] भूमि कटान का कार्य सम्मिलित था, का कार्य आकलन अनुमोदित किया (अप्रैल 1999)। निर्माण कार्य कुल्लू मण्डल नं0-1 द्वारा 23.24 लाख रू0 पर एक ठेकेदार को प्रदान किया गया (सितम्बर 1999) जो निविदा में दी गई राशि से 94.49 रू0 प्रति घनमीटर तथा 110.92 प्रतिशत अधिक संगणित की गई। 26.24 लाख रू0 का कुल अन्तिम भुगतान ठेकेदार को 27768.31 घनमीटर भूमि कटान के कार्य का निष्पादन करने हेतु किया गया (फरवरी 2002)।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जाँच से निम्न तथ्य पाये गये (अप्रैल 2002):

(i) माप-पुस्तिका में अभिलिखित प्रविष्टियों के अनुसार 3.35 लाख रू0 पर 3237.02 घनमीटर[27] भूमि के कटान का कार्य 19/660 से 19/705 कि0मी0 तक दिसम्बर 1998 में विभागीय श्रमिकों से

---

23 *अर्की तथा करसोग।*

24 *कुल्लू तथा राजगढ़।*

25 *अर्की, करसोग, कुल्लू, कुमारसेन, निरमण्ड तथा सुंदरनगर।*

26 *पिक कार्यः 1,314घन मीटर, जम्पर कार्यः 4,331घन मीटर, कठोर चट्टानों में ब्लास्टिंग कार्यः 7,476 घन मीटर तथा हॉफ टनलिंगः 11,473घन मीटर।*

27 *हॉफ टनलिंग कार्यः 1,357 घनमीटर तथा ब्लास्टिंग कार्यः 1880.02 घनमीटर*

पहले ही करवाया जा चुका था। इस प्रकार किये जाने वाले कार्य की कुल मात्रा 21356.98 घनमीटर आंकी गई। इस प्रकार निर्माण कार्य आकलन से किये जाने वाले कार्य की सही मात्रा प्रतिबिम्बित नहीं हुई।

(ii) ठेकेदार ने 20/132 कि0मी0 से 20/147 कि0मी0 तथा 20/580 कि0मी0 से 20/660 कि0मी0 तक 1968.15 घनमीटर भूमि के कटान के कार्य का निष्पादन नहीं किया। 8379.48 घनमीटर (43.22 प्रतिशत) का विचलन इस तथ्य का सूचक है कि विस्तृत मापों का अभिलेखन करने के पश्चात् निर्माण कार्य आकलन को तैयार नहीं किया गया।

(iii) ठेकेदार द्वारा दी गई दरों पर निवल अनुमानित मात्रा (19388.83 घनमीटर) का मूल्य 18.20 लाख रू0 आंका गया जिसके प्रति वास्तविक रूप से किये गये कार्य का कुल मूल्य 26.24 लाख रू0 संगणित किया गया जिसके फलस्वरूप 8.04 लाख रू0 (44.18 प्रतिशत) का विचलन हुआ। अधीक्षण अभियंता ने 23.24 लाख रू0 पर कार्य को निविदा राशि की गलत ढंग से गणना करने से 3 लाख रू0 के विचलन को अनुमोदित किया (फरवरी 2002)। 8.04 लाख रू0 का वास्तविक विचलन अधीक्षण अभियंता को प्रदान की गई शक्तियों से अधिक था तथा बिल को अन्तिम रूप देने से पूर्व उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता थी। इस प्रकार का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

(iv) निर्माण कार्य आकलन में भूमि कार्य में हॉफ टनलिंग के 11,473 घनमीटर का प्रावधान था। 19/660 कि0मी0 से 19/705 कि0मी0 में अन्तर्विष्ट 1,357 घनमीटर की मात्रा को निकालने के पश्चात्, जो विभागीय श्रमिकों के माध्यम से करवाया गया था, हॉफ टनलिंग में 10,116 घनमीटर कार्य की शुद्ध मात्रा निष्पादित किये जाने को थी। ठेकेदार ने हॉफ टनलिंग का निष्पादन नहीं किया तथा इसके स्थान पर पूर्ण कटान इस तर्क पर किया कि हॉफ टनलिंग का कार्य चट्टान में दरार तथा दुर्घटना का खतरा होने के कारण सम्भव नहीं था। हॉफ टनलिंग तथा विस्फोटन कार्य के लिए लागू दरों के मध्य अन्तर के आधार पर गणना की गई जिससे ठेकेदार को 4.33 लाख रू0 का अनुचित लाभ दिया गया।

(v) हिमाचल प्रदेश दर सूची, 1999 को मई 1999 से प्रभावी माना गया था। हिमाचल प्रदेश दर सूची के प्रावधानों के अनुसार कम सौंपे गये पत्थरों के लिए वसूली अनुबन्ध में निर्धारित दर 44 रू0 प्रति घनमीटर के बदले 170 रू0 प्रति घनमीटर की दर से की जानी अपेक्षित है। क्योंकि सितम्बर 1999 में निपटाए गये अनुबन्ध में संशोधित प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया जिससे ठेकेदार से 4.60 लाख रू0 की कम वसूली होने के फलस्वरूप सरकार को उस सीमा तक हानि उठानी पड़ी। इस चूक के लिए फरवरी 2002 तक दायित्व निर्धारित नहीं किया गया था।

(ठ) मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों का प्रबन्धन

(i) विशेष मरम्मत कार्यों जो मूल प्रकृति के थे पर अनुरक्षण निधियों में से अनियमित व्यय

वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में, 1999-2002 के दौरान सात मण्डलों[28] में 3.88 करोड़ रू0 के व्यय पर विशेष मरम्मत कार्यों के रूप में 118 सड़कों के 169 कार्य शुरू किए तथा निष्पादित किये गये। यद्यपि ये कार्य मूल प्रकृति के थे, सड़क के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए रखी गई निधियों में से व्यय अनियमित रूप से किया गया।

[28] *अर्की, बिलासपुर, करसोग, कुल्लू, कुमारसेन, मण्डी तथा सुंदरनगर।*

(ii) सड़कों के अनुरक्षण पर अनियमित एवं अधिक व्यय

15 मण्डलों[29] में, 1999-2002 के दौरान 10665.174 कि0मी0 लम्बाई की कच्ची तथा 5735.765 कि0मी0 लम्बाई पक्की 1001 सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण पर 118.44 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। प्रमुख अभियन्ता द्वारा जून 1997 में निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार, सड़कों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर कुल 46.91 करोड़ रू0 का व्यय किया जा सकता था। अनियमित व्यय को अप्रैल 2002 तक नियमित नहीं करवाया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि सड़कों की मरम्मत पर अधिक व्यय अपर्याप्त मानदण्डों, श्रमिकों की अधिक संख्या तथा श्रम एवं सामग्री लागत में वृद्धि के कारण था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यय को निर्धारित मानकों तक ही सीमित किया जाना चाहिए था।

(iii) सड़कों पर नवीनीकरण परत बिछाने पर परिहार्य व्यय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष हेतु (सिविल) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.12 में सड़कों पर नवीनीकरण परत बिछाने पर परिहार्य व्यय के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था जो मिक्स सील सतह अथवा एक बार बिछाई जाने वाली एक सतह की प्रीमिक्स कॉरपेट अभिक्रिया के स्थान पर पृथक रूप से प्रीमिक्स कॉरपेट तथा सील परत के पारम्परिक पद्धति को अपनाने के कारण हुआ था।

इसके अतिरिक्त 13 मण्डलों[30] के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पता चला (फरवरी एवं अप्रैल 2002) कि "ज़िला तथा अन्य ग्रामीण सड़कों" की सतह पर 6,07,790 वर्गमीटरों के क्षेत्र पर नई परत बिछाने का कार्य 131 मामलों में 1995-96 तथा 2001-2002 के मध्य मिक्स सील सतह पद्धति जो सस्ती थी के स्थान पर प्रीमिक्स कॉरपेट तथा सील परत की पारम्परिक पद्धति के साथ 4.67 करोड़ रू0 की लागत पर निष्पादित किया गया। इसके फलस्वरूप 1.18 करोड़ रू0 का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसके लिए अभिलेख में कारण नहीं बताए गए।

(ङ) अनुश्रवण एवं मूल्याँकन

प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में एक पृथक योजना एवं अनुश्रवण कक्ष सृजित किया गया (1968) तथा मुख्य अभियन्ताओं से प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों पर आवधिक प्रतिवेदनों का अनुश्रवण करने के लिए 1984 के दौरान पुनर्गठित किया गया।

मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कार्यों की गुणवता, विनिर्देशनों एवं अनुसूचियों आदि का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यों की सावधिक निरीक्षणों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। 1999-2002 के दौरान 17 मण्डलों[31] में, मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गये निरीक्षणों की संख्या में क्रमशः एक से नौ, दस से 22 तथा 265 से 405 तक की विविधता थी। जबकि 1000 निरीक्षणों (मुख्य अभियंताः 2 तथा अधिशासी अभियंता 998) के लिए कोई निरीक्षण टिप्पणियाँ जारी नहीं की गई थी तथा वर्ष के दौरान मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा अधिशासी अभियंताओं द्वारा जारी की गई निरीक्षण टिप्पणियों की संख्या शून्य से 9, 10 से 22 तथा शून्य से 5 के मध्य थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सडकों के निष्पादन का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया गया था।

---

29 *अर्की, बड़सर बिलासपुर-II, कल्पा, कुल्लू, कुमारसेन, मण्डी, निरमण्ड, पालमपुर रामपुर सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सुंदरनगर।*

30 *बड़सर बिलासपुर-I, बिलासपुर-II, कल्पा, कड़छम, कुल्लू, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, राजगढ़, शिमला-I, सुंदरनगर तथा टौणीदेवी।*

31 *अर्की, बड़सर बिलासपुर-II, कल्पा, करसोग, कुल्लू-I, कुमारसेन, मण्डी, निरमण्ड, पालमपुर, रामपुर, राजगढ़, सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सरकाघाट।*

4.1.7 सामग्री प्रबन्धन एवं वस्तु-सूची नियंत्रण

(क) हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के माध्यम से तारकोल के प्रापण में अनियमिततायें

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 5.1 में अप्रैल 1997 तथा दिसम्बर 1999 के मध्य हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के माध्यम से तारकोल के प्रापण पर हस्तन प्रभारों तथा सामान्य बिक्री कर के परिहार्य भुगतान के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। विभाग/हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अभिलेखों की आगे जाँच में पाया गया (जनवरी-मार्च 2002) कि विभाग ने जनवरी 2000 से मार्च 2002 तक हि0प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के द्वारा 46.11 करोड़ रू0 की लागत पर 2,29,860 तारकोल के ड्रमों (35,973 टन) का प्रापण किया। तारकोल की लागत में 2.01 करोड़ रू0 (जनवरी 2000 से मार्च 2002 तक) के हस्तन प्रभार तारकोल का लागत के पाँच प्रतिशत की दर से तथा सामान्य बिक्री कर के 1.23 करोड़ रू0 (जनवरी 2000 से जून 2001 तक) भी सम्मिलित थे। इससे पूर्व, सरकार ने हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जनवरी 2000 के प्रस्ताव के आधार पर निर्णय लिया (मार्च 2000) कि सेवा प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा पारगमन में बिक्री की अवधारणा को दोहरे कराधान से बचाने के लिए आरम्भ किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता ने तारकोल के प्रापण के हस्तन हेतु छूट/सेवा प्रभारों का भुगतान करना था। इस प्रकार अप्रैल 2000 से मार्च 2002 तक 1.76 करोड़ रू0 के हस्तन प्रभारों तथा अप्रैल 2000 से जून 2001 तक 1.02 करोड़ रू0 के सामान्य बिक्री कर का भुगतान सरकार के निर्णय के विरूद्ध था तथा न्यायसंगत नहीं था। उस प्रकार, कुल 3.24 करोड़ रू0 के भुगतान से सामग्री की लागत को बढ़ाया तथा उस सीमा तक कार्यों की लागत में वृद्धि हुई। इस प्रक्रिया में 1.23 करोड़ रू0 का जाली राजस्व भी उत्पादित हुआ।

हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से एकत्रित की गई सूचना से पता चला (जून 2002) कि विभाग द्वारा उनके माध्यम से 2000-2001 के दौरान तारकोल के 24,320 ड्रमों (3873 टन) का प्रापण भी किया गया तथा तारकोल की मूल लागत के 4 प्रतिशत की दर पर 18.57 लाख रू0 के हस्तन प्रभारों का भुगतान किया गया। इस प्रकार, हस्तन प्रभारों की भुगतान दरों में एकरूपता नहीं थी यद्यपि हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन दोनों राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

(ख) पुल सामग्री का अविवेकपूर्ण प्रापण

ताशीगांग स्थित खान ताशीगांग सड़क (किन्नौर जिला) पर सतलुज नदी के ऊपर 65 मीटर स्पैन के स्टील ट्रस्स पुल का निर्माण 54.17 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया (मार्च 1998)। मुख्य अभियन्ता (अभिकल्प) से पुल के आरेखण मई 1999 में प्राप्त हुए परन्तु जुलाई 1999 में बादल फटने के कारण आरेखण का संशोधन आवश्यक हो गया। कल्पा मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जाँच में पाया गया कि पुल का निर्माण कार्य बम्बई आधारित फर्म को संशोधित आरेखणों को अन्तिम रूप दिये जाने तक लम्बित 91.00 लाख रू0 की एक मुश्त राशि के लिए प्रदान किया गया (अक्तूबर 1999)। अप्रैल 2000 तथा मार्च 2001 के मध्य पुल के 76.030 टन सामग्री के प्रापण एवं संरचना हेतु फर्म को 51.61 लाख रू0 का भुगतान किया गया जो भावानगर में ठेकेदार की अभिरक्षा में पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, 31 जुलाई तथा 1 अगस्त 2000 की रात को सतलुज नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण मुख्य अभियंता (अभिकल्प) ने समस्त जल व्यवस्था डाटा की समीक्षा के निर्देश दिये (अगस्त 2000)। जबकि संशोधित जल-व्यवस्था डाटा अभी (मार्च 2002) भी तैयार तथा प्रस्तुत किया जाना था, अधिशासी अभियंता ने प्रस्तावित पुल के कार्य स्थल की भू-जाँच हेतु राज्य भू-विज्ञानी से अनुरोध किया (सितम्बर 2001) तथा पुल का उपयुक्त अभिकल्प विकसित करने के बारे अपना प्रतिवेदन देने को कहा। राज्य भू-विज्ञानी का प्रतिवेदन मार्च 2002 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार ठेके पर कार्य को प्रदान करने तथा बाद में जुलाई 1999 के बादल फटने के कारण आवश्यक हुए संशोधित आरेखण को अन्तिम रूप दिये बिना सामग्री का प्रापण अविवेकपूर्ण था।

अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2002) कि मुख्य अभियंता (अभिकल्प) से प्राप्त (मई 1999) निर्माण कार्य आरेखणों के आधार पर कार्य को प्रदान किया गया था। तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि जुलाई 1999 में बादल फटने से पहले ही आरेखणों के संशोधन की आवश्यकता थी। इस प्रकार भूमि की वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना कार्य प्रदान करने के फलस्वरूप 51.61 लाख रू0 की निधियों का अवरोधन हुआ।

(ग) सामग्री का अनावश्यक प्रापण

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि छः मण्डलों[32] में 20 कार्यों पर जुलाई 1986 तथा मार्च 2001 के मध्य प्राप्त 54.96 लाख रू0 मूल्य की सामग्री जैसे स्टील, तारकोल, कंटीली तार, पुल के अतिरिक्त पुर्जे, आरसीसी कॉलर, सीजीआई शीटें आदि या तो भण्डारों में अथवा सामग्री कार्यस्थल लेखों में अप्रयुक्त पड़ी थी। इसमें से 24.89 लाख रू0 की लागत का सामान 16 कार्यों से सम्बद्ध था जो पहले ही जुलाई 1995 तथा फरवरी 2002 के मध्य पूर्ण किये जा चुके थे तथा इन कार्यों पर प्रयोग हेतु सामान की आवश्यकता नहीं थी। इसके फलस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

(घ) खरीद आदेशों को विखंडित करना

1999-2002 के दौरान नमूना-जाँच किये गये नौ मण्डलों में 1,156 मामलों में उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए आपूर्ति आदेशों को विभाजित करके 1.01 करोड़ रू0 मूल्य के भण्डारों को खरीदा गया। इससे सरकार को प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा।

(ङ) भण्डारों की प्राप्ति एवं निर्गम

(i) सामान की लागत का जाली समायोजन

10 मण्डलों[33] द्वारा मार्च 1998 तथा मार्च 2001 के मध्य 77 कार्यों के प्रति 2.80 करोड़ रू0 की लागत का सामान जाली रूप से बुक किया गया यद्यपि इन कार्यों पर उपभोग के लिए आवश्यकता नहीं थी। सामान की लागत को बाद में 1999-2000 तथा 2001-2002 के मध्य अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में स्टॉक को वापिस लेखाबद्ध कर दिया गया।

सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी तथा अप्रैल 2002) कि निधियों के व्यपगत से बचने के लिए जाली बुकिंग की गई थी। कथन मान्य नहीं है क्योंकि नियमों में जाली स्टॉक के समायोजन की मनाही है।

(ii) सामान का लेखाबद्ध न करना/कम प्राप्ति

करसोग मण्डल में फरवरी 2001 में कार्य लेखे के नामे डाली गई 14.64 लाख रू0 की लागत के 100 टन तारकोल को कार्यस्थल पर सामग्री के लेखे में लेखाबद्ध नहीं किया गया। उसी मण्डल में 0.61 लाख रू0 की लागत के 4.38 टन तारकोल,जिसके लिए नवम्बर 2000 में अग्रिम भुगतान किया गया था, को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त नहीं किया गया था।

(च) अभिलेखों के अनुरक्षण में अनियमिततायें

यह पाया गया कि नमूना-जाँच किये 15 मण्डलों[34] द्वारा जारी किये गये 17,807 बिन कार्डों में से 8,650 बन्द किये गये बिन कार्डों को अप्रैल 2002 तक मण्डलीय कार्यालय को वापिस नहीं किया गया था, जोकि वापिस किये जाने अपेक्षित थे।

---

32 *कल्पा, करसोग, कुमारसेन, मण्डी, राजगढ़ तथा सुंदरनगर*

33 *बड़सर, बिलासपुर-II, करसोग, कुल्लू-I, निरमण्ड, पालमपुर, सरकाघाट, शिमला-I, सोलन तथा सुंदरनगर*

34 *अर्की, बड़सर, बिलासपुर-II, कल्पा, करसोग, कुल्लू-I, निरमण्ड, पालमपुर, राजगढ़, रामपुर, सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सरकाघाट*

नमूना-जाँच किये गये सभी 17 मण्डलों में मूल्य भण्डार बहियां अपूर्ण पड़ी थी तथा बिन कार्ड बकायों का मिलान मूल्य भण्डार बहियों के साथ नहीं किया गया था जो नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था।

4.1.8 वाहनों तथा संयंत्रों की संस्वीकृति, प्रापण एवं प्रयुक्ति

(क) संयंत्रों/ वाहनों का अविवेकपूर्ण प्रापण एवं विचलन

मार्च 1998 में सरकार द्वारा प्रदान की गई संस्वीकृति के आधार पर नये सृजित किये गये डोडरा क्वार मण्डल के लिए 8.83 लाख रू0 की कुल लागत पर अधिशासी अभियंता, यांत्रिकी मण्डल, शिमला द्वारा एक ट्रक तथा एक जिप्सी खरीदी गई (सितम्बर तथा दिसम्बर 1998)। क्योंकि डोडरा क्वार किसी भी तरफ से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है, इन वाहनों को प्रमुख अभियंता के आदेशों पर अन्य मण्डलों (जिप्सी:सरकाघाट तथा ट्रक: कसौली) को भेजा गया तथा ये वाहन मई 2002 तक इन मण्डलों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे थे। दूरस्थ क्षेत्र के लिए रखी गई 8.83 लाख रू0 की उपलब्ध निधियों को प्रयुक्त करने की दृष्टि से इन वाहनों का प्रापण अविवेकपूर्ण था।

(ख) मरम्मत पर अनियमित व्यय

सरकार के अनुदेशों के विपरीत 1999-2000 से 2001-2002 के मध्य यांत्रिकी मण्डलों, कुल्लू तथा शिमला द्वारा 55.29 लाख रू0 की राशि के विभिन्न प्रकार के संयंत्रों/वाहनों की ओवरहॉलिंग, मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जों का प्रबन्ध करने तथा जोड़ने, बाडी का निर्माण, आदि के कार्य निजी अभिकरणों से करवाये गये हालांकि मण्डलों के पास यांत्रिक स्टॉफ सहित अपनी कर्मशाला थी। बाहर के अभिकरणों से मरम्मत कराये जाने के लिए अधिशासी अभियंताओं ने कर्मशालाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध न होना बताया (सितम्बर 2001 तथा मई 2002) । तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि यांत्रिकी कर्मशालाओं में अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए कर्मशाला को समय पर सज्जित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए थी तथा यांत्रिक कर्मशालाओं में ही मरम्मत की जानी चाहिए थी।

(ग) ठेकेदारों से संयंत्रों के किराया प्रभारों की कम/अल्प वसूली

छः मण्डलों[35] में, फरवरी 1999 तथा फरवरी 2002 के मध्य 40 ठेकेदारों को 12 एअर कम्प्रैशर तथा एक रोड रोलर किराये पर दिये गये। 15,543 घण्टों के लिए 51.59 लाख रू0 की कुल वसूली के प्रति केवल 11.53 लाख रू0 ही वसूल किये गये। शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि कार्य प्रगति पर थे तथा वसूली ठेकेदारों को भुगतान किये जाने वाले बिलों से की जाएगी। कथन मान्य नहीं हैं क्योंकि वसूली ठेकेदारों को भुगतान किये गये चालू बिलों से की जानी चाहिए थी।

(घ) अनुपयोगी/निष्क्रिय संयंत्र

14 मण्डलों[36] में 1967 तथा 1994 के मध्य 43.35 लाख रू0 (20 संयंत्रों तथा वाहनों का मूल्य उपलब्ध नहीं था) की लागत पर खरीदे गये 58 संयंत्र तथा वाहन मण्डलों में अनुपयोगी/निष्क्रिय पड़े थे। संयंत्रों/वाहनों के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप स्थान का अनावश्यक अधिग्रहण हुआ तथा दीर्घकालीन अवरोधन से विकृति के कारण मूल्य हानि हुई।

इन तथ्यों को जून 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002) ।

---

35 *अर्की, करसोग, कुमारसेन, निरमण्ड, पालमपुर तथा सरकाघाट*

36 *बिलासपुर-II, कल्पा, करसोग, कुल्लू, कुमारसेन, मण्डी-II, निरमण्ड, राजगढ़, रामपुर सरकाघाट, शिमला-I, शिमला-II, सोलन तथा सुंदरनगर*

चौथा अध्याय

प्रवर्ग-ख

लेखापरीक्षा परिच्छेद

अवर्ग-ख-लेखापरीक्षा परिच्छेद

लोक निर्माण विभाग

4.2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बकाया दावे

राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किये गये व्यय को आरम्भ में राज्य की निधियों से पूरा किया जाता है तथा बाद में क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। मार्च 1980 के अन्त में 1.55 लाख रू0 की राशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतीक्षित थी जो जुलाई 2001 के अन्त तक 33.70 करोड़ रू0 तक बढ़ गई थी।

मार्च 2002 के दौरान नमूना जाँच किये गये पाँच मण्डलों[1] के अभिलेखों तथा 13 अन्य मण्डलों[2] से एकत्रित सूचना से निम्न तथ्य पाये गये:

4.2.1 बकाया दावों की स्थिति

नमूना जाँच किये गये पाँच मण्डलों के सम्बन्ध में नवम्बर 2001 तक प्रस्तुत किये गये दावों तथा फरवरी 2002 तक बकाया दावों की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका: 4.8

(लाख रू0)

अवधि	रोकी गई राशि	अस्वीकृत राशि
1996-97 तक	593.42	65.80
1997-1998	61.27	26.71
1998-1999	81.24	6.81
1999-2000	164.61	11.53
2000-2001	456.09	8.57
2001-2002 (फरवरी 2002 तक)	552.25	2.28
जोड़	1908.88	121.70

स्रोत: विभागीय आंकड़े

---

1 *राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल: जोगिन्द्रनगर, पण्डोह, रामपुर, सोलन तथा शिमला मण्डल नं0 1*

2 *भवन एवं सड़क मण्डल: बैजनाथ, धर्मशाला, फतेहपुर, जस्सूर, ज्वाली, कांगड़ा, कुल्लू-II, मण्डी-II, नूरपुर, पालमपुर, शिमला-II, सुंदरनगर तथा ठियोग।*

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राशियां मुख्यतः संस्वीकृति के बिना व्यय करने (7.18 करोड़ रू0) अनुमत सीमा से अधिक व्यय करने (5.83 करोड़ रू0), दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने (4.23 करोड़ रू0), गलत वर्गीकरण/गलत बुकिंग (1.58 करोड़ रू0) तथा अन्य कारणों (27.95 लाख रू0) के कारण रोकी गई थी। इसी प्रकार, दावे मुख्यतः गलत वर्गीकरण/गलत बुकिंग (50.06 लाख रू0), वाहनों/संयत्रों के उत्पादनों के समायोजन में विलम्ब (23.92 लाख रू0), डीजल/पैट्रोल की खरीद (16.73 लाख रू0), कार्य प्रभारित स्थापना/सामग्री पर एजैंसी प्रभारों (15.09 लाख रू0) तथा अन्य कारणों (15.90 लाख रू0) के कारण अस्वीकृत किये गये थे।

4.2.2 प्रवृत्ति विश्लेषण

नमूना-जाँच किये गये मण्डलों में गत पाँच वर्षों के दौरान बकाया दावों का प्रवृत्ति विश्लेषण निम्नवत् था:

तालिका: 4.9

(लाख रूपए)

वर्ष	पहली अप्रैल को अथशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निपटान		अन्तिम शेष	
	रोके गये दावे	अस्वीकृत दावे	रोके गये दावे	अस्वीकृत दावे	रोके गये दावे	अस्वीकृत दावे	रोके गये दावे	अस्वीकृत दावे
1997-1998	723.89	72.22	78.48	37.33	86.66	2.09	715.71	107.46
1998-1999	715.71	107.46	168.36	8.34	108.16	0.58	775.91	115.22
1999-2000	775.91	115.22	498.68	13.28	312.90	17.65	961.69	110.83
2000-2001	961.69	110.85	608.14	11.48	207.41	2.91	1362.42	119.42
2001-2002 फरवरी तक	1362.42	119.42	702.10	2.34	155.64	0.06	1908.88	121.70

स्रोतः विभागीय आंकड़े

यह पाया गया कि अप्रैल 1997 तथा फरवरी 2002 के मध्य रोके गये दावों की राशि 164 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। इसी अवधि के दौरान अस्वीकृत दावों की राशि में 69 प्रतिशत की वृद्धि थी। यह इस तथ्य का सूचक था कि बकाया दावों को शीघ्र समायोजित करवाने के लिए सशक्तता से पैरवी नहीं की गई थी तथा राज्य की संचित निधि में से व्यय की गई राशि अवसूल रही।

4.2.3 बकाया दावों का विश्लेषण

(क) रोके गए दावे

(i) सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में रोके गए दावे

भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार न्यायालय डिक्री/पंच निर्णय, आदि की संतुष्टि में की गई अदायगियों के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की संस्वीकृति आवश्यक थी।

सितम्बर 1997 से जुलाई 2001 के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, पण्डोह तथा सोलन में न्यायालय डिक्री/पंचनिर्णयों के आधार पर किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में 4.07 करोड़ रू0 के दावों

को सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में रोका गया था। मण्डलों द्वारा इन मामलों में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामलों में पहल करने में विलम्ब दो से 36 मास के मध्य था।

(ii) आकलनों की स्वीकृति के अभाव में रोके गये दावे

चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों[3] द्वारा 2001-2002 (नवम्बर 2001 तक) के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान की पुनःस्थापना पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में 2.98 करोड़ रू0 की राशि के दावे आकलनों की स्वीकृति के अभाव में रोके गये थे। नवम्बर तथा दिसम्बर 2001 के दौरान मण्डलों द्वारा प्रस्तुत किये गये आकलनों में अनुमोदन प्रतीक्षित था (फरवरी 2002)।

(iii) अधिक व्यय करने के लिए रोके गये दावे

अनुदेशों के अनुसार, मूल कार्यों पर स्वीकृत आकलनों के 15 प्रतिशत से अधिक व्यय स्वीकार्य नहीं था। चार राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों[4] में 14 कार्यों पर 11.35 करोड़ रू0 की स्वीकृत राशि के प्रति 15.69 करोड़ रू0 व्यय किये गये। इन मामलों में अधिक व्यय की प्रतिशतता 18 तथा 139 के मध्य थी। 1991-2002 की अवधि में 1.70 करोड़ रू0 के दावे इस कारण से रोके गये। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि केवल दो कार्यों के लिए 18.96 लाख रू0 के आकलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये तथा शेष 12 कार्यों के लिए 1.51 करोड़ रू0 के आकलनों को अभी तैयार किया जाना था।

इसी प्रकार, कार्यों पर किये गये व्यय को संशोधित आकलन लागत तक सीमित किया जाना अपेक्षित था। राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल, रामपुर में, तीन कार्यों पर 2.11 करोड़ रू0 की संशोधित स्वीकृत राशि के प्रति 2.65 करोड़ रू0 व्यय किये गये। संशोधित लागत आकलन से अधिक किये गये व्यय की प्रतिशतता 22 तथा 32 के मध्य थी तथा इस कारण से 1994-2002 की अवधि के सम्बद्ध 18.33 करोड़ रू0 के दावे रोके गये थे। अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2002) कि आकलनों के दूसरे संशोधन प्रक्रियाधीन थे।

(iv) तीन मण्डलों[5] द्वारा जून 1992 तथा जनवरी 1996 के मध्य किये गये व्यय के लिए 55.06 लाख रू0 के दावे वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदों (35.06 लाख रू0) तथा अनुबन्ध के सार (20.00 लाख रू0) को प्रस्तुत न करने के कारण रोके गये थे।

(v) राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डल जोगिन्द्रनगर द्वारा मार्च 2000 के दौरान व्यय किये गये 36.49 लाख रू0 को रोका गया क्योंकि अनुसूची सारांश में उल्लिखित कार्यों के नाम वाऊचर पर अंकित नामों से मेल नहीं खाते थे। अधिशासी अभियन्ता ने सूचित किया (दिसम्बर 2000) कि 16.36 लाख रू0 का पुनरांकन कर दिया गया था तथा सही कार्य को डेबिट कर दिया गया था तथा सामग्री की आपूर्ति से सम्बद्ध 20.13 लाख रू0 की शेष राशि राष्ट्रीय उच्चमार्ग-1 (ए) के वार्षिक स्तह कार्य के लिए अपेक्षित थी तथा दावों के निस्तारण हेतु आग्रह किया गया था। इसी मध्य क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) ने बताया (सितम्बर 2000) कि 1999-2000 के लिए लेखों को बन्द कर दिया गया था तथा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(vi) जोगेन्द्रनगर मण्डल में भारतीय स्टील अथार्टी तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को क्रमशः स्टील तथा सीमेंट के प्रापण हेतु अग्रिम दिये (मार्च 1997) गये 16.75 लाख रू0 को सामान की

---

[3] जोगिन्द्रनगर, पण्डोह, रामपुर तथा सोलन।
[4] जोगिन्द्रनगर, पण्डोह, रामपुर तथा सोलन।
[5] राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलः रामपुर, सोलन तथा भवन एवं सड़क मण्डल नं0 1 शिमला।

प्राप्ति तक लम्बित "विविध कार्य अग्रिमों" के अन्तर्गत रखने के बजाए अन्तिम लेखाशीर्ष को प्रभारित किया गया। गलत वर्गीकरण के कारण दावों को रोका गया था जिसके लिए कारणों को सूचित नहीं किया था।

(vii) राष्ट्रीय उच्चमार्ग, मण्डल पण्डोह में, 12.06 लाख रू0 के दावों को मई 1979 से अक्तूबर 1993 तक की अवधि के लिए बिना किन्हीं कारणों से रोका गया था। अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2002) कि सम्बद्ध अभिलेख शायद गुम हो गए होंगे तथा अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सूचना शीघ्र एकत्रित की जाएगी। इस प्रकार विभाग के कार्रवाई न करने के फलस्वरूप दावे गत 8 से 23 वर्षों तक असमायोजित रहे।

(ख) अस्वीकृत दावे

(क) व्यय की गलत बुकिंग करने के कारण दावों को अस्वीकृत करना

राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, जोगेन्द्रनगर में भारतीय स्टील अथार्टी तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मार्च 1996 के दौरान स्टील एवं सीमेन्ट के प्रापण के लिए किये गये अग्रिम भुगतानों के सम्बन्ध में 29.27 लाख रू0 के दावों को व्यय की गलत बुकिंग करने के कारण अस्वीकृत किया गया, जिसके लिए अधिशासी अभियंता द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।

(ख) राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल, रामपुर में, फरवरी 1996 से मार्च 1999 तक की अवधि से सम्बद्ध 27.58 लाख रू0 के दावों को कोई कारण बताये बिना (16.91 लाख रू0), संयंत्रों के उत्पाद का विलम्ब से समायोजन (9.25 लाख रू0) तथा पेड़ों को अवैध रूप से गिराये जाने के लिए भुगतान की गई क्षतियों (1.42 लाख रू0) को अस्वीकृत किया गया।

(ग) दावों का स्थानांतरण

अक्तूबर 1998 के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग के निर्माण तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध कार्य को विभिन्न भवन एवं सड़क मण्डलों से राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों को स्थानान्तरित किया गया। 5.20 करोड़ रू0 के बकाया दावे छः भवन एवं सड़क मण्डलों[6] द्वारा तीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों[7] को स्थानान्तरित किये गये (जनवरी 1999-अक्तूबर 2001)। इसी प्रकार, आठ भवन एवं सड़क मण्डलों[8] से सम्बद्ध 5.60 करोड़ रू0 के बकाया दावे भी उपरोक्त राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों को स्थानान्तरित किये गये, लेकिन स्थानान्तरण/सूचना की सही तिथियाँ उपलब्ध नहीं थी। सम्बद्ध राष्ट्रीय उच्चमार्ग मण्डलों के अधिशासी अभियंताओं ने बताया (मार्च 2002) कि कोई निपटारा सम्भव नहीं था क्योंकि उनके पास सम्बद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

भवन एवं सड़क मण्डलों तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डलों के मध्य समन्वयन की कमी के फलस्वरूप अक्तूबर 1998 से पूर्व की अवधि से सम्बद्ध 10.80 करोड़ रू0 के दावों की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।

4.2.4 बकाया दावों का मिलान

(i) क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय के साथ बकाया दावों के निपटारे हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए समय-समय पर मिलान

6 *बैजनाथ, धर्मशाला, ज्वाली, कांगड़ा, कुल्लू-II तथा शिमला-I*

7 *जोगिन्द्रनगर, पण्डोह तथा सोलन।*

8 *फतेहपुर जस्सूर, मण्डी-II, नूरपुर, पालमपुर, शिमला-II, सुंदरनगर तथा ठियोग।*

किया जाना आवश्यक था। यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये पाँच मण्डलों में से किसी ने भी आवश्यक मिलान नहीं किया था।

(ii) अक्तूबर 1998 में राष्ट्रीय उच्चमार्गों के निष्पादन एवं अनुरक्षण के पुनर्गठन के कारण आठ भवन एवं सड़क मण्डलों[9] द्वारा किया जाने वाला कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग मण्डल जोगिन्द्रनगर को स्थानांतरित किया गया। इन मण्डलों के अभिलेख के अनुसार 4.23 करोड़ रू0 के दावे बकाया थे जबकि क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी की पुस्तकों में 3.31 करोड़ रू0 के बकाया दावे दिखाये गये थे। 92.56 लाख रू0 की विसंगति का मिलान मार्च 2002 तक नहीं किया गया था।

4.2.5 अभिलेखों का अनुरक्षण

नमूना-जाँच किये गये पाँच मण्डलों में से किसी ने भी बकाया दावों के रजिस्टर को सही ढंग से अनुरक्षित नहीं किया था क्योंकि बकाया दावों का वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। रजिस्टरों की समीक्षा मण्डलाधिकारियों।मण्डलीय लेखा अधिकारियों अथवा मण्डलीय लेखापालों द्वारा पुराने बकाया दावों के निपटान के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की दृष्टि से नहीं की गई थी।

4.2.6 अनुश्रवण

विभाग ने बकाया दावों के निपटान की प्रगति के अनुश्रवण हेतु कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की थी। नमूना-जाँच किये गये पाँच मण्डलों में, यह पाया गया कि मण्डलों द्वारा सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ताओं को आगे मुख्य अभियंताओं/प्रमुख अभियंता को बकाया दावों से सम्बन्धित प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई भी आवधिक प्रगति विवरणियाँ निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, पुराने दावों का विश्लेषण एवं गहन अध्ययन करने के लिए तथा उनके निपटान के प्रयास नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप पुरानी मदों के निपटान के प्रति प्रगति नगण्य थी।

इन तथ्यों को मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002) ।

4.3 आवासीय भवनों पर निरर्थक निवेश

सरकार द्वारा आवश्यकता का निर्धारण किए बिना कन्दरोड़ी (जिला कांगड़ा) में 21 मकानों की खरीद के फलस्वरूप 66.81 लाख रू0 का निरर्थक निवेश हुआ।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड से आवासीय प्रयोजनों हेतु पाँच स्थानों[1] पर विभिन्न श्रेणियों के 142 मकानों को खरीदने का निर्णय लिया (नवम्बर 1994) । तद्नुसार, प्रमुख अभियंता को 4.11 करोड़ रू0 के साख पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया। अधिशासी अभियंता, शिमला मण्डल संख्या-III ने बोर्ड को इस राशि का भुगतान किया (नवम्बर 1994) । चार मण्डलों[2] द्वारा इन मकानों का कब्जा नवम्बर 1994 तथा मार्च 1996 के मध्य लिया गया।

---

9 *बैजनाथ, धर्मशाला, फतेहपुर जस्सूर ज्वाली, कांगड़ा, नूरपुर तथा पालमपुर।*

1 *इन्दौरा (टाईप III: 1 तथा टाईपII: 16); कन्दरोड़ी (टाईप III: 15 तथा टाईपII: 6); कांगड़ा (टाईप IV: 6 तथा टाईपII: 29); पांवटा साहिब (टाईप III: 24 तथा टाईपII: 31 तथा टाईपI: 8) तथा सुंदरनगर (टाईप-IV 5 तथा टाईपII: 1) ।*

2 *फतेहपुर, कांगड़ा, पांवटा साहिब तथा सुंदरनगर।*

फतेहपुर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2001) तथा अन्य तीन मण्डलों[3] से प्राप्त सूचना से पाया गया (फरवरी- मार्च 2002) कि 121 मकानों को विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों को आबंटित किया गया था जबकि 66.81 लाख रू0 की लागत के 21 मकान कन्दरौड़ी (कांगड़ा जिला) में, उनका कब्जा लेने की तिथि से (फरवरी 1996) फरवरी 2002 तक खाली पड़े थे। उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) नुरपूर ने अधिशासी अभियंता, फतेहपुर मण्डल को सूचित किया था (अक्तूबर 1999) कि लगभग सभी सरकारी कार्यालय इन्दौरा (कन्दरौड़ी से 6 कि0मी0 दूर) में स्थित थे जहाँ पर 17 मकानों का संयुक्त पूल आवासीय निवास विद्यमान थे तथा कर्मचारियों को आबंटित किये गए थे। उसने बताया कि मार्च 1997 में कन्दरौड़ी में पाँच मकानों को आबंटित करने के बावजूद सम्बन्धित आबंटियों ने कब्जे नहीं लिए तथा जून 1999 में आवेदन पत्रों को मांगने के लिए कोई प्रयुत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उसके पश्चात् अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो प्रदर्शित करता कि पूर्वोक्त निवासों के आबंटन के लिए कोई प्रयत्न किये गये थे।

इस प्रकार, मॉग का निर्धारण किये बिना कन्दरौड़ी में 21 मकानों की खरीद के फलस्वरूप 66.81 लाख रू0 का निरर्थक निवेश हुआ। अधिशासी अभियंता ने तथ्यों की (दिसम्बर 2001) पुष्टि की।

मामला मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.4 पांगी घाटी में परित्यक्त प्रवाह सिंचाई स्कीम पर निष्फल व्यय

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्कीम की व्यवहार्यता स्थापित करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 16.15 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

अधीक्षण अभियन्ता डलहौजी ने पांगी घाटी (चम्बा जिला) में तीन गांवों[1] की 123 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करने के लिए 10.5 कि0मी0 लम्बी प्रवाह सिंचाई स्कीम का निर्माण करने हेतु 4.40 लाख रू0 का प्रशासनिक रूप से अनुमोदन किया (अगस्त 1984)। दो वर्षों की निर्धारित अदधि में पूर्ण किए जाने वाले निर्माण कार्य को प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनींकी स्वीकृति की प्रत्याशा में किलाड़ मण्डल द्वारा फरवरी 1983 में शुरू किया गया था तथा 15.03 लाख रू0 की लागत पर 1995 के दौरान पूर्ण किया गया। स्कीम के अनुरक्षण पर भी 1.12 लाख रू0 का व्यय किया गया।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (अगस्त-सितम्बर 2001) कि स्कीम द्वारा इसके पूर्ण होने से ही *कूहल*[*] में अत्यधिक रिसाव होने के कारण कोई सिंचाई नहीं की गई थी। यह भी पाया गया कि कूहल का 0/0 कि0मी0 से 1/400 कि0मी0 तक का वर्षा/बर्फ आदि के कारण भूमि खिसकने के प्रारम्भिक भू-खण्ड पहाड़ी भू-भाग अधोमुख में पड़ता था। कूहल में पानी के रिसाव को रोकने के लिए सीमेण्ट बजरी की परत प्रदान करने के लिए आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़ द्वारा 84.35 लाख रू0 के आकलन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन किया गया (जुलाई 1998)। तद्न्तर, कूहल की परत के कार्य को निष्पादित नहीं किया गया था क्योंकि क्षेत्र की स्थानीय ग्राम पंचायत ने आवासीय आयुक्त को यह कहते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 1999) कि कूहल में पानी नहीं

---

[3] *कांगड़ा, पांवटा साहिब तथा सुंदरनगर।*

[1] *अनछ चालोली, धारवास तथा लुज।*

[*] *कूहल- एक लघु खुला सिंचाई जल मार्ग।*

आ रहा था तथा कूहल का आगे का कार्य शुरू न किया जाए। इसके अतिरिक्त, अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य वृत्त, चम्बा को सूचित किया (अप्रैल 2000) कि 1999-2000 के दौरान कूहल के लिए सीमेण्ट बजरी की परत बिछाने के प्रयत्न किए गए थे लेकिन लगातार भूमि खिसकने के कारण स्रोत सुरक्षित नहीं पाया गया तथा स्थल पर स्कीम उपयुक्त नहीं थी।

अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों की पुष्टि की (सितम्बर 2001)।

इस प्रकार विभाग क्षेत्र की स्थलीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके निष्पादन से पहले स्कीम की व्यवहार्यता की स्थापना तथा उचित जांच करने में विफल रहा। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत स्कीम के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया गया 16.15 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ तथा लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ा।

मामला जनवरी 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

4.5 मल-व्यवस्था परियोजना पर निरुत्साहित आयोजना एवं निष्पादन के फलस्वरूप निष्फल व्यय

रिकांगपिओ में निरुत्साहित आयोजना एवं निष्पादन के फलस्वरूप मल-व्यवस्था परियोजना के पूरा होने में असाधारण विलम्ब हुआ तथा इसकी लागत में 229 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परियोजना को इसके पूर्ण होने के दो वर्षों के पश्चात् भी प्रारम्भ एवं घरों से जोड़े न जाने से इस पर 1.86 करोड़ रू0 का निवेश निष्फल हुआ।

अक्तूबर 1988 में आवासीय आयुक्त, किन्नौर ने रिकांगपिओं को मल-व्यवस्था प्रणाली उपलब्ध करने के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, रिकांगपिओ द्वारा कार्य निष्पादन हेतु 56.62 लाख रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की। कार्य जो तीन वर्षों में पूर्ण किया जाना था, तकनीकी स्वीकृति जो अभी प्राप्त की जानी थी (फरवरी 2002) की प्रत्याशा में प्रारम्भ कर दिया गया था (जनवरी 1988)। कार्य को मण्डल द्वारा 1.86 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्ण कर दिया गया को सूचित किया गया (जुलाई 1999)। मण्डल ने 1.91 करोड़ रू0 का संशोधित आकलन तैयार किया था (दिसम्बर 2000) जो अभी (फरवरी 2000) अनुमोदित किया जाना था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (जून 2001) कि मल-व्यवस्था प्रणाली को प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा किसी भी घर को कनैक्शन नहीं दिये गये थे। इस प्रकार, 1.86 करोड़ रू0 का निवेश इसके लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। इसके अतिरिक्त, परियोजना के संशोधित आकलन के विवरण के अनुसार इसके पूर्ण होने में लगा अधिक समय तथा लागत वृद्धि वन विभाग के साथ भूमि के मामलों में विवाद तथा श्रमिकों के वेतन एवं सामान की कीमतों में वृद्धि के कारण था।

अधिशासी अभियंता ने मल-व्यवस्था प्रणाली को शुरू न करना तथा गृह कनेक्शन न दिये जाने के लिए विशेषज्ञ स्टॉफ (प्रयोगशाला तकनीकीः एक ; पम्प परिचालक दो; बिजली वालाःएक तथा मल प्रणाल कर्मचारीःचार) की अनुपलब्धता को बताया (जून 2001)। प्रमुख अभियंता ने सूचित किया (फरवरी 2002) कि मल व्यवस्था शोधन संयंत्र तथा पाइप् नेटवर्क के परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य को संविदा आधार पर दिये जाने की प्रक्रिया को गृह कनेक्शन पूर्ण करने के लिए नेटवर्क के प्रसार से पहले अन्तिम रूप दिया जाएगा।

इस प्रकार, आयोजना एवं निष्पादन में निरूत्साहित दृष्टिकोण से तीन वर्षों में 56.62 लाख रू0 की लागत से पूर्ण किये जाने वाली आकलित मल-व्यवस्था परियोजना 1.86 करोड़ रू0 (लागत वृद्धि 229 प्रतिशत से अधिक) की लागत पर वास्तव में 11 वर्षों से अधिक समय में पूर्ण हुई। इसके पूर्ण होने के पश्चात दो वर्षों से अधिक तक प्रणाली को अभी आरम्भ (फरवरी 2002) किया जाना था तथा घरों से जोड़ा जाना था। इस प्रकार, 1.86 करोड़ रू0 का निवेश निष्फल रहा है।

मामला नवम्बर 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002) ।

4.6 अनुपयुक्त कार्यस्थल के चयन के कारण नलकूपों के निर्माण पर अपव्यय

नाचन, मण्डी में भू-जल संगठन से कार्यस्थल एवं अभिकल्प का अनुमोदन किये बिना तीन नलकूपों के निर्माण के फलस्वरूप 26.51 लाख रू0 का अपव्यय हुआ।

भू-जल स्रोतों के विकास द्वारा मण्डी जिले के नाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने भू-जल संगठन, ऊना से अक्तूबर 1995 में दस स्थानों[1] पर व्यवहार्यता अध्ययन करवाया। भू-जल संगठन के वरिष्ठ जल विज्ञानी ने भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के पश्चात् 10 नलकूपों के निर्माण की सिफारिश की ताकि ड्रिलिंग कार्य को आरम्भ करने से पहले कार्यस्थलों की पिन-प्वाइंटिग को किया जा सके। तद्नुसार, सरकार ने नवम्बर 1999 में 2.59 करोड़ रू0 के लिए इन स्थानों पर 10 नलकूपों के निर्माण को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया। प्रारम्भिक आकलन के साथ संलग्न तकनीकी टिप्पणी के अनुसार कार्य निष्पादन करने से पहले वरिष्ठ जल विज्ञानी भू-जल संगठन, ऊना से नलकूपों के कार्यस्थल तथा अभिकल्प को अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित था।

सुन्दरनगर मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (नवम्बर-दिसम्बर 2001) कि मण्डल ने जनवरी 1997 तथा जुलाई 1998 के मध्य तीन नलकूपों[2] के सम्बन्ध में ड्रिलिंग कार्य को भू-जल संगठन ऊना से कार्य स्थलों को अनुमोदित कराये बिना तथा सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना किया। इन नलकूपों की ड्रिलिंग नलकूप मण्डल, गगरेट द्वारा अक्तूबर 1997 तथा नवम्बर 2000 के मध्य 26.51 लाख रू0 की लागत पर पूर्ण की गई। 32.12 लीटर प्रति सैकिंड के अपेक्षित जल निस्सारण के प्रति, दो मामलों[3] में जल का निस्सारण 2.5 तथा 6.5 लीटर प्रति सैकिंड के मध्य पाया गया तथा तीसरे मामले[4] में जल उपलब्ध नहीं था। नलकूप ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् परित्यक्त पड़े हुए थे।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार किया।

इस प्रकार, मण्डलीय अधिकारी द्वारा भू-जल संगठन की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए अनुपयुक्त कार्यस्थलों पर इन नलकूपों का निष्पादन शुरू करने तथा पूर्वोक्त तकनीकी टिप्पणी की शर्तों का पालन न करने से नलकूपों की ड्रिलिंग पर किया गया 26.51 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

मामला मार्च 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002) ।

---

1 *भौर, छात्तर (लोअर), छात्तर (अप्पर), धंद्रास, कंडयाह, कोहला, राकड़, साई, संगाहन तथा तरोट।*

2 *धंद्रास, कन्डयाह तथा तरोट।*

3 *कन्डयाहः 6.5 लीटर प्रति सेकेण्ड ; तरोटः 2.5 लीटर प्रति सेकेण्ड।*

4 *धंद्रासः शून्य प्रवाह।*

4.7 उठाऊ सिंचाई स्कीम बाड़ी का इसके पूर्ण होने से ही सिंचाई उपलब्ध कराने में विफल रहना

सिंचाई स्कीम के दोषयुक्त अन्वेषण एवं अभिकल्प से पम्पिंग संयत्र को क्षति के अतिरिक्त 22.46 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

21.45 हैक्टेयर के कृष्य कमांद क्षेत्र* भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए मण्डी मण्डल द्वारा मार्च 1999 में 21.74 लाख रू0 की लागत पर उठाऊ सिंचाई स्कीम, बाड़ी (मण्डी जिला) पूर्ण की गई। स्कीम के स्वीकृत आकलन के अनुसार ब्यास नदी से जल 50 अश्व शक्ति के अवगाहन-क्षम पम्प सैट से 315 मीटर की लम्बाई पर मुख्य वितरण टैंक तक उठाया जाना था। तथापि, संस्वीकृत आकलन में गाद निर्गम टैंक एवं निगर्त कुएं के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं किये गये थे। 1999-2002 (जनवरी 2002 तक) के दौरान स्कीम के अनुरक्षण पर 0.72 लाख रू0 भी खर्च किये गये थे।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (जनवरी-फरवरी 2002) कि मण्डलीय अधिकारी द्वारा व्यास नदी के किनारे पर निगर्त कुआं निर्मित किया गया तथा 45 अश्व शक्ति का सबमर्सिबल पम्पिंग सैट प्रतिस्थापित किया गया (अक्तूबर 1998)। निगर्त कुएं में सिल्ट एकत्रित होने के कारण पम्पिंग संयंत्र क्षतिग्रस्त (जून 2000) हो गया था। इस प्रकार, स्कीम पूर्ण रूप से अक्रियाशील रही तथा स्कीम की पूर्णता से कृष्य कमांद क्षेत्र को कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं हुई।

अभिलेखों की आगे लेखापरीक्षा जाँच से पाया गया कि पम्पिंग संयंत्र का रूपांकन करने से पहले सिल्ट/गंदलापन कारक को निर्धारित करने के लिये स्कीम के स्रोत से अपरिष्कृत जल के नमूने नहीं लिए गये थे। इसके बावजूद व्यास नदी जो लगभग 4 कि0मी0 धारा प्रवाह के विरूद्ध स्थित थी से उठाऊ जलापूर्ति स्कीम[1] के लिए उठाये गये अपरिष्कृत जल के जाँच प्रतिवेदनों पर भरोसा किया गया। इस स्थान तक नदी के पानी में केवल पन्डोह बांध से छोड़ी गई सिल्ट/गदलापन सम्मिलित था। संयोग से, व्यास नदी की सहायक (सुकेती खड्ड) का संगम दोनों स्कीमों के जलग्रहण स्थलों के मध्य स्थित है। यह सहायक नदी सुन्दरनगर जलाशय तथा बग्गी हाईडल चैनल से निकाली गई भारी मात्रा में सिल्ट बहा ले जाती है। उठाऊ सिंचाई स्कीम के स्रोत से लिए गए अपरिष्कृत जल के नमूने वास्तविक सिल्ट के अंश नदी के जल में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इस प्रकार स्कीम का रूपांकन करने से पहले इस स्थिति को ध्यान में रखने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप पम्पिंग संयंत्र को क्षति पहुँची तथा कृषय कमांद क्षेत्र का सिंचाई का प्रावधान नहीं हुआ।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों से पुष्टि करते हुए बताया (जनवरी 2002) कि संस्थापित पम्पिंग संयंत्र को सिल्ट भार को सहन करने की दृष्टि से अभिकल्पित नहीं किया गया था तथा जनवरी 2002 में उपायुक्त, मण्डी को सिल्ट निर्गम टैंक उपलब्ध करवाने हेतु 4.40 लाख रू0 का एक आकलन प्रस्तुत किया गया था जो अनुमोदन के लिए प्रतीक्षित था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सुन्दरनगर जलाशय तथा पंडोह बांध दिसम्बर 1994 में स्कीम की स्वीकृति एवं अभिकल्पना के बहुत पहले निर्मित किये जा चुके थे तथा वास्तविक गाद कारक पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया था। इस प्रकार स्कीम के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया गया 22.46 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

मामला मार्च 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

---

* *कृष्य कमांद क्षेत्र: भूमि का क्षेत्र जहां कृषि सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं।*

1 *उठाऊ जलापूर्ति स्कीम, मोतीपुर।*

4.8 कुलेथ, चम्बा में सेंचक सिंचाई स्कीम पर अपर्याप्त अन्वेषण के कारण निष्फल व्यय

पाईप लाईन के रेखांकन में हिमखण्ड स्थलों के अस्तित्व को ध्यान में न रखने में विभाग की विफलता तथा अपर्याप्त अन्वेषण के फलस्वरूप 21.32 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

अधीक्षण अभियंता, चम्बा ने ग्राम पंचायत कुलेठ (चम्बा जिला) में तीन गांवों[1] की 56.68 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 14.25 लाख रू0 के लिए 3,124 मीटर लम्बी सेंचक सिंचाई स्कीम के निर्माण का प्रशासनिक अनुमोदन किया। आंकलन में 3,124 मीटर की लम्बाई में जस्तीकृत लोहे की पाईप लाईन बिछाने का प्रावधान था। एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने वाले कार्य को चम्बा मण्डल द्वारा मई 1991 में तकनीकी स्वीकृति के बिना शुरू किया गया तथा 1991-2001 के दौरान स्कीम के निर्माण (15.54 लाख रू0) तथा अनुरक्षण (5.78 लाख रू0) पर 21.32 लाख रू0 व्यय किये गये थे।

चम्बा मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (नवम्बर-दिसम्बर 2001) कि 2000 मीटर (आर डी 0/0 से 2000 तक) लम्बाई की जस्तीकृत लोहे की पाईप लाईन को बिछाने तथा बांध/जलग्रहण का निर्माण मार्च 1995 तक पूर्ण हो गया था तथा उसके बाद वर्षा/बर्फ से आर डी 0/0 एवं 0/400 के मध्य पाईप लाईन को पहुंची क्षति के कारण कार्य स्थगित रहा। इसके अतिरिक्त आर डी 2000 तथा 2200 के मध्य पाईप लाईन बिछाने का कार्य जून 1997 में पूर्ण हो गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि स्कीम के प्रथम चरण पर 300 मीटर (आर डी 0/0 से 0/300 तक) की लम्बाई में पाईप लाईन सहित बांध/जलग्रहण जुलाई 1997 में पूरी तरह से बह गया था तथा दिसम्बर 2001 तक पुनः स्थापित नहीं किया गया था। पाइप लाईन बिछाने का शेष कार्य आर डी 2200 से आगे आर डी 2375 तथा 2425 के मध्य हिमखण्ड स्थल के विद्यमान होने तथा भू-भाग ढलवाँ होने एवं हिमखण्ड द्वारा क्षतियों के अधोमुख होने के कारण प्रतिवेदित से अनिष्पादित छोड़ा गया। आबियाना* प्रभार अभिलेखों तथा अधीक्षण अभियंता, चम्बा वृत को अगस्त 1999 तथा फरवरी 2000 में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों से पाया गया कि स्कीम से कोई सिंचाई उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

सरकार ने बताया (मई 2002) कि क्षेत्र कार्य किये जाने के समय हिमखण्ड अधोमुख नहीं था बल्कि आर डी 2200 तक कार्य पूर्ण होने के पश्चात् हिमखण्ड स्थल विकसित हुआ। उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि अधिशासी अभियंता ने पहले ही स्वीकार किया था (दिसम्बर 2001) कि आर डी 2200 से आगे कार्य निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि क्षेत्र सीधी ढाल वाला तथा फिसलने वाला एवं हिमखण्डों द्वारा क्षति से अधोमुख था।

इस प्रकार, सम्पूर्ण जाँच किये बिना तथा क्षेत्र में विद्यमान भौगोलिक परिस्थितियों को एवं भू-खण्ड स्थलों के अस्तित्व को ध्यान में रखे बिना स्कीम का निष्पादन शुरू किया गया। इस प्रकार 21.32 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा तथा लाभार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ा।

---

1 *गुवाद, गुवाला तथा कुलेथ।*
बेयरः जल के प्रवाह को चैनल में परिवर्तित करने के लिए नदी/नाले पर एक लघु डैम।
* *आबियानाः कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई के लिए जलापूर्ति प्रभारों का उद्ग्रहण।*

4.9 प्रवाह सिंचाई स्कीम, गोसुमा, होरिंग पापा कूहल पर निष्फल व्यय

प्रवाह सिंचाई स्कीम, गोसुमा होरिंग पापा की विस्तृत जाँच के पश्चात् व्यवहार्यता स्थापित करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 58.46 लाख रू0 का निवेश निष्फल हुआ तथा लाभार्थियों को सिंचाई सुविधाओं से वंचित होना पड़ा

नेसांग गांव (किन्नौर जिला) के 36 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए अधीक्षण अभियंता, जनजातीय वृत्त नं0-II, कल्पा ने 6,100 मीटर लम्बी प्रवाह सिंचाई स्कीम गोसामा, होरिंग पापा कूहल के निर्माण का 4.96 लाख रू0 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन किया (फरवरी 1984)। स्कीम को 4.68 लाख रू0 के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 1984)। दो वर्षों की निर्धारित अवधि में पूर्ण किये जाने वाले कार्य को रिकांगपीओ मण्डल द्वारा जून 1984 में नेसांग नाला के पानी के निःस्राव द्वारा शुरू किया गया था। मार्च 1999 तक इस पर 36.55 लाख रू0 व्यय किये जा चुके थे। अधिक व्यय को न्यायसंगत करने के लिए संशोधित आकलन जून 2001 तक तैयार नहीं किया गया था। 1994-2000 के दौरान स्कीम की वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण (3.78 लाख रू0), वर्षा से हुई क्षतियों के पुनः स्थापन (4.50 लाख रू0) तथा विशेष मरम्मतों (1.71 लाख रू0) पर 9.99 लाख रू0 का व्यय भी किया गया। मण्डल ने नवम्बर 1996 एवं जनवरी 1998 के मध्य अधीक्षण अभियन्ता को 36 हैक्टेयर के समस्त कृष्य कमांद क्षेत्र को आवृत्ति करने की सूचना दी।

तथापि, लेखापरीक्षा में मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (जून 2001) कि कृष्य कमांद क्षेत्र को कोई भी सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई तथा 25.54 लाख रू0 के संशोधित आकलन को आवश्यक समझा गया तथा उपायुक्त किन्नौर द्वारा कूहल के खिसकने वाले तथा कच्चे ढ़ांक के भाग में सीमेन्ट कंक्रीट लाईनिंग, एच डी पी ई पाईपें तथा क्रेट कार्य को उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित किया गया। कार्य अप्रैल 2001 में आरम्भ किया गया तथा जून 2001 तक 11.92 लाख रू0 का व्यय किया गया।

अधिशासी अभियंता ने बताया (जून 2001) कि कुल 36 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र में से चार कि0मी0 पर (पाँच हैक्टेयर) तथा कूहल के आखरी सिरे पर (तीन हैक्टेयर) स्थित केवल आठ हैक्टेयर किसानों से सम्बन्धित था तथा कच्चे चैनल में पानी के रिसाव के कारण इसकी सिंचाई नहीं की जा सकी। उसने यह भी बताया कि शेष 28 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र सरकारी था तथा उपायुक्त, किन्नौर द्वारा किसानों को आबंटित नहीं किया गया था जिसके लिए उपायुक्त के साथ मामला उठाया जाएगा। किसानों को इस भूमि के आबंटन के पश्चात भी यह भूमि असिंचित ही रहेगी क्योंकि सुधार कार्यों की पूर्णता तक कूहल में कोई पानी उपलब्ध नहीं होगा।

इस प्रकार, विभाग स्कीम का विस्तृत अन्वेषण करने तथा व्यवहार्यता को जांचने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप 58.46 लाख रू0 (प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण एवं अनुरक्षण पर 46.54 लाख रू0 तथा सुधार कार्यों पर जून 2001 तक 11.92 लाख रू0) का निवेश निष्फल रहा तथा लाभार्थियों को सिंचाई के लाभों से वंचित होना पड़ा। उचित आयोजना तथा अन्वेषण की कमी स्कीम की पूर्णता में असाधारण विलम्ब के कारण न केवल स्कीम के निर्माण की लागत में वृद्धि हुई बल्कि इसके फलस्वरूप सुधार कार्यों पर अतिरिक्त निवेश भी हुआ। किसानों को सरकारी भूमि का आबंटन न करने के परिणामस्वरूप समस्त निवेश से अभिप्रेत 36 हैक्टेयर में से केवल 8 हैक्टेयर को ही लाभ हुआ। सुधार कार्यों के लिए अनुमोदित आकलन सहित स्कीम के निर्माण की लागत 8 हैक्टेयर के लिए 68.30 लाख रू0 (36.55 लाख रू0 + 6.21 लाख रू0 + 25.54 लाख रू0) अर्थात् प्रति हैक्टेयर 1.19 लाख रू0 (42.76 लाख रू0 ÷36 हैक्टेयर) की अभिप्रेत लागत के प्रति 8.54 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर तक बढ़ गई थी।

मामला नवम्बर 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

4.10 प्रवाह सिंचाई स्कीम, चारलिंग मैदान पर निष्फल व्यय

खेतों में बाढ़ न लगाने, चक विकास[*] कार्यों तथा विशेष मरम्मत के निष्पादन में विलम्ब से पिन वैली (लाहौल एवं स्पिति जिला) प्रवाह सिंचाई स्कीम चारलिंग मैदान अक्रियाशील रही तथा 46.25 लाख रू0 के निष्फल व्यय की ओर अग्रसर हुई।

अतिरिक्त उपायुक्त, काजा ने मरूस्थल विकास परियोजना के अन्तर्गत लाहौल तथा स्पिति जिला में भार गांव के चारलिंग मैदान में 68 हेक्टेयर के कृष्य कमांद क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए अभिप्रेत प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण हेतु 35.14 लाख रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन किया (जून 1994)। कार्य काजा मण्डल द्वारा आरम्भ किया गया (अगस्त 1994) तथा 35.28 लाख रू0 के व्यय पर पूर्ण किया गया (अक्तूबर 1996)। 1997-99 के दौरान स्कीम की विशेष मुरम्मतों एवं अनुरक्षण पर भी 4.02 लाख रू0 का व्यय किया गया।

कृष्य कमांद क्षेत्र के चक विकास हेतु 13.85 लाख रू0 का प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (जुलाई एवं नवम्बर 1996)। मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (सितम्बर 2001) कि 1996-98 के दौरान चक विकास पर 6.95 लाख रू0 व्यय किये गये। अधिशासी अभियंता ने बताया (सितम्बर 2001) कि अतिरिक्त उपायुक्त, काजा द्वारा मरूस्थल विकास परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त निधियां आबंटित न करने के कारण केवल 30 प्रतिशत चक विकास कार्य को निष्पादित किया जा सका। तथापि, शेष कार्य के लिए, मण्डलीय अधिकारी ने नियमित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं की। इसके अतिरिक्त उसने बताया कि जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि स्कीम अक्तूबर 1996 में इसके पूर्ण होने से ही अक्रियाशील थी।

अधिशासी अभियंता ने बताया (सितम्बर 2001) कि स्कीम का उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि भूमि के आबंटिती इसे जोतने के लिए आगे नहीं आ रहे थे क्योंकि खेतों में बाड़ न होने के कारण उन्हें जंगली जानवरों द्वारा फसलों को क्षति पहुचायें जाने का डर था। तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि स्कीम के अनुमोदित आकलन में खेतों की बाढ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार खेतों की बाड़ की आवश्यकता का पूर्वानुमान किये बिना दोषपूर्ण आयोजना तथा चक विकास कार्यों के निष्पादन में विलम्ब से स्कीम इसकी पूर्णता के पाँच वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात् भी अक्रियाशील रही। इस प्रकार 46.25 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

मामला फरवरी 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

---

[*] चक विकास: कमांद क्षेत्र विकास

4.11 लाहौल स्पिति में सिंचाई स्कीमों की अप्रयुक्ति के कारण निष्फल एवं निरर्थक व्यय

समन्वित आयोजना की कमी के फलस्वरूप 51.35 लाख रू0 के निवेश पर निर्मित सिंचाई स्कीमें उनके पूर्ण होने के पश्चात् वर्षों अप्रयुक्त रहने के साथ-साथ 15.89 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ।

मकेड़ मैदान (लाहौल एवं स्पिति जिला) के भूमिहीन ग्रामीणों को खेती करने के लिए आबंटित 81 हेक्टेयर नौतोड़* भूमि की सिंचाई हेतु 1961 तथा 1994 के मध्य 2,790 मीटर लम्बी कूहल सहित एक प्रवाह सिंचाई स्कीम निर्मित की गई थी। प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण (1.75 लाख रू0), पुनर्निर्माण (19.90 लाख रू0), पुनः स्थापन (0.72 लाख रू0) तथा अनुरक्षण (0.25 लाख रू0) पर कुल 22.62 लाख रू0 व्यय किये गये। तथापि, कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए कोई भी सिंचाई उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि लाभार्थियों ने खेतों को जोतने का कार्य आरम्भ नहीं किया था।

काजा मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (सितम्बर 2001) कि 187 हैक्टेयर जिसमें मकेड़ मैदान का 81 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र भी सम्मिलित था की सिंचाई के लिए एक नई सिंचाई स्कीम (रोंगतोंग मैदान मैकेड मैदान चरण प्रथम एवं चरण द्वितीय) 1997 तथा 2000 के मध्य 31.83 लाख रू0 की लागत पर निर्मित की गई। 1998-2000 के मध्य विशेष मरम्मतों (11.37 लाख रू0) तथा अनुरक्षण (1.41 लाख रू0) पर 12.79 लाख रू0 का व्यय भी किया गया। तथापि, स्कीम सितम्बर 2001 तक अप्रयुक्त रही क्योंकि लाभार्थियों को आबंटित भूमि उनके गांवों से बहुत दूर स्थित थी तथा खेतों को बाड़ उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि पूर्व कार्यान्वित प्रवाह सिंचाई स्कीम मकेड मैदान में निर्मित चैनल की कुल 2,790 मीटर लम्बाई में से केवल 830 मीटर को ही नई स्कीम में प्रयोग किया जा सका। इसके फलस्वरूप चैनल के 1960 मीटर पर आनुपातिक आधार पर 15.89 लाख रू0 का निरर्थक व्यय हुआ। दोनों स्कीमों पर 51.35 लाख रू0 का कुल निवेश उनके पूर्ण होने के वर्षों बाद भी निष्फल रहा।

अधिशासी अभियंता ने बताया (सितम्बर 2001) कि लाभार्थी बाड़ न होने से खेतों में खेती करने हेतु आगे नहीं आ रहे थे। उत्तर समन्वित आयोजना की कमी का सूचक है क्योंकि विभाग को स्कीम के पूरा होने के साथ खेतों की बाड़ को समन्वित करना चाहिए था ताकि सम्भाव्य सृजित सिंचाई का उपयोग किया जा सकता।

मामला मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

---

* *नौतोड़: कृषि करने के लिए गांव वासियों को आबंटित सरकारी भूमि*

4.12 उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुण्डलीहार पर निष्फल व्यय

उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुंडलीहार के पम्प हाउस के लिए उपयुक्त कार्यस्थल का चयन करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 3.80 लाख रू0 के अपव्यय के अतिरिक्त 1.16 करोड़ रू0 का व्यय अधिकांशतः निष्फल रहा।

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 4.1.7.1 में 420 उठाऊ सिंचाई स्कीमों की सिंचाई सम्भाव्यता की न्यून उपयोगिता का उल्लेख किया गया था। इन स्कीमों में उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुण्डलीहार (कांगड़ा जिला) भी सम्मिलित थी। इस मामले, जिसमें 1.16 करोड़ रू0 का निवेश निष्फल रहा, को नीचे विस्तार से विवेचित किया गया है। मामला मार्च 2002 तक लोक लेखासमिति द्वारा विवेचित नहीं किया गया था।

उठाऊ सिंचाई स्कीम, कुंडलीहार 133 हैक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र की सिंचाई हेतु अभिकल्पित की गई को मई 1989 में आरम्भ किया गया तथा मई 1992 में देहरा मण्डल द्वारा 69.83 लाख रू0 की लागत पर शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, 1992-2002 (जनवरी 2002 तक) स्कीम के अनुरक्षण पर 46.04 लाख रू0 व्यय किये गये। स्कीम का स्रोत ब्यास नदी था। मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (फरवरी 2002) कि 1992-93 तथा 2001-2002 के मध्य की 19 फसल मौसमों में से 5 मौसमों[1] में स्कीम से सिंचाई उपलब्ध नहीं हुई। शेष 14 फसल मौसमों में उपलब्ध हुई सिंचाई केवल एक तथा छः प्रतिशत के मध्य थी। स्कीम सितम्बर 1997 के बाद आंशिक रूप से दुष्क्रिया हो गई क्योंकि प्रथम स्तर की पम्पिंग मशीनरी ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई तथा पम्प हाऊस में भी जमीन धंसने के कारण दरारों का आना प्रतिवेदित किया गया। इस प्रकार प्रथम स्तर पर पम्प हाऊस के लिए उचित जाँच के उपरान्त उपयुक्त कार्यस्थल को चयन में विभाग की विफलता के फलस्वरूप अन्तर्ग्रहण स्थल को बदलना पड़ा तथा अन्य स्थान पर नये पम्प हाऊस का निर्माण करना पड़ा। अधीक्षण अभियंता, नूरपुर वृत्त द्वारा पम्प हाऊस एवं चौकीदार क्वार्टर के निर्माण, 680 मीटर लम्बाई से अधिक आरसीसी की पाइपों को उपलब्ध कराने एवं बिछाने, 1500 मीटर लम्बे पक्के चैनलों के निर्माण, प्रथम चरण के लिए 120 मीटर लम्बे राइजिंग मेन तथा प्रथम चरण के लिए दो सेन्टरी फ्यूगल पम्प सैटों प्रत्येक 30 एच पी को उपलब्ध तथा प्रतिस्थापित कराने के लिए 8.46 लाख रू0 का आकलन स्वीकृत किया (फरवरी 1999)। सुधार कार्य अप्रैल 1999 में आरम्भ किये गये तथा जनवरी 2002 तक पम्पिंग संयंत्र के प्रापण पर 1.69 लाख रू0 का व्यय किया जा चुका था। शेष कार्य को अप्रैल 2004 तक पूरे किये जाने की सम्भावना थी।

अधिशासी अभियंता ने बताया (फरवरी 2002) कि पम्प हाऊस का निर्माण, राईजिंग मेन आदि बिछाने का कार्य उपयुक्त सर्वेक्षण/अन्वेषण करने के उपरान्त किया गया था तथा जमीन बाद में धंसी जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। उसे यह भी बताया कि नदी ने मार्ग बदल दिया था जिससे राईजिंग मेन का पुनः बिछाया जाना आवश्यक हो गया था। अतः स्कीम को हुई क्षति के परिणामस्वरूप 3.80 लाख रू0 (लगभग) का अपव्यय हुआ तथा इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि पानी की माँग भी काफी कम हो गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पम्प हाऊस का पूर्ण अन्वेषण करने के पश्चात कार्यस्थल की उपयुक्तता स्थापित किए बिना तथा भू-वैज्ञानिक विभाग का परामर्श प्राप्त किए बिना निर्माण किया गया प्रतीत होता है। जमीन का धंसना अचानक नहीं हो सकता तथा विभाग को पम्प हाऊस की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एवं समयोपरि उपाय करने चाहिए थे। अभिलेख में नदी के मार्ग परिवर्तन तथा जनवरी 1994 में स्वीकृत 8.46 लाख रू0 के सुधार आकलन की विवरण

[1] *1992-93 (खरीफ तथा रबी), 1997-98 (रबी), 1999-2000 (खरीफ) तथा 2001-02 (खरीफ)।*

शीट का कोई भी संकेत नहीं था। इसके अतिरिक्त, सिंचाई स्कीम पर निर्णय लेने के लिए पानी की माँग पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार पहली स्टेज हेतु अन्तग्रहण स्थल तथा पम्प हाऊस के लिए जिसमें बाद में दरारें आ गई तथा पम्पिंग संयत्र चलाने के लिए असुरक्षित हो गया। उपयुक्त स्थान के चयन में उचित अन्वेषण करने की विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए नगण्य सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हुई। फलतः 3.80 लाख रू0 के अपव्यय के अतिरिक्त स्कीम के निर्माण (70 लाख रू0) तथा अनुरक्षण (46 लाख रू0) पर किया गया 1.16 करोड़ रू0 का व्यय भी अधिकांशतः निष्फल रहा।

मामला मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

4.13 किन्नौर में दोषपूर्ण आयोजना के कारण प्रवाह सिंचाई स्कीम से लाभों की प्राप्ति न होना

18.19 लाख रू0 के निवेश के बावजूद अपूर्ण चक विकास कार्यों के फलस्वरूप किसानों को सिंचाई के लाभों से वंचित होना पड़ा।

खवांगी एवं तेलांगी गांवों (किन्नौर जिला) के 271 हेक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए एक प्रवाह सिंचाई स्कीम रिकांगपिओ मण्डल द्वारा 7.06 लाख रू0 की लागत पर पूर्ण की गई (मार्च 1984)। तथापि, कृषकों को जिनकी अपनी जमीन कृष्य कमांद क्षेत्र के निचली तरफ थी, वितरण प्रणाली के अभाव में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था जिसे न तो प्रवाह सिंचाई स्कीम के निर्माण के लिए आकलन में उपलब्ध कराया गया था तथा न ही बाद में निष्पादित किया गया। इसलिए सिंचाई स्कीम के चक विकास को 15.85 लाख रू0 के लिए अनुमोदित किया गया (मार्च 1990)। मार्च 1999 तक कार्य के आंशिक निष्पादन पर 2.89 लाख रू0 व्यय किये गये थे। इसके अतिरिक्त, स्कीम का चैनल अधिकतर कच्चा होने से पानी का अत्याधिक रिसाव हो रहा था तथा परिणामतः सिंचाई के लिए अपर्याप्त पानी की उपलब्धता हुई। इसलिए रिसाव को रोकने के लिए 9.07 लाख रू0 की अनुमानित लागत पर शुष्क मैशनरी सहित पोली फिल्म लाईनिंग उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया (मई 1993)। जहाँ पर मुख्य चैनल जमीन की ढीली सतह से गुजरती थी वहां सीमेंट बजरी लाईनिंग उपलब्ध किया जाना अपेक्षित था। चैनल की कुल 5.73 कि0मी0 की लम्बाई में से लगभग 4 कि0मी0 लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्यों को तीन वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था। कार्य मई 1993 में आरम्भ किया गया तथा दिसम्बर 2000 में 15.30 लाख रू0 की लागत पर पूरा किया गया। अधिक व्यय को नियमित करने के लिए संशोधित आकलन जून 2001 तक तैयार नहीं किया गया था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (जून 2001) कि स्कीम ने 1984-93 के दौरान केवल तथा 181 हेक्टेयर के मध्य कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए सिंचाई उपलब्ध कराई। 1994 से सिंचित क्षेत्र प्रतिवर्ष 123 हेक्टेयर पर स्थिर रहा। इस प्रकार चैनल के पुनः निर्माण (15.30 लाख रू0) तथा चक विकास (2.89 लाख रू0) पर 18.19 लाख रू0 का निवेश करने के बावजूद 1994-2000 के दौरान सिंचित क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ था।

मण्डलीय अधिकारी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (जून 2001) कि जिन किसानों की भूमि कृष्य कमांद क्षेत्र की ऊपरी परिरेखा पर स्थित थी वे निचली परिरेखा पर कृष्य कमांद क्षेत्र के लिए चक विकास कार्यों के निष्पादन की अनुमति नहीं दे रहे थे जिसके कारण पुनः निर्माण कार्यों के निष्पादन के बावजूद सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सका।

इस प्रकार, उपयुक्त वितरण प्रणाली उपलब्ध न कराने के लिए दोषपूर्ण आयोजना के कारण तथा प्रवाह सिंचाई स्कीम की आयोजना एवं कार्यान्वयन करते समय इससे सम्बद्ध समस्याओं का समाधान

न करने के फलस्वरूप लाभार्थियों को चैनल के पुनः निर्माण तथा चक विकास कार्यों पर 18.19 लाख रू0 का अतिरिक्त निवेश करने के बावजूद भी सिंचाई के लाभों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था। इस प्रकार 18.19 लाख रू0 का निवेश निष्फल हुआ।

मामला नवम्बर 2001 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

4.14 एक निगम को अनुचित सहायता तथा निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखने के कारण ब्याज हानि

मार्च 2001 के अन्तिम दो दिनों पर आहरित 3.46 करोड़ रू0 में से 3.36 करोड़ रू0 एक निगम के पास सरकारी लेखे से बाहर अप्रयुक्त पड़े रहने के फलस्वरूप उन्हें अनुचित वित्तीय सहायता दी गई तथा सरकार को 22 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के नियम 2.10 में यह अनुबन्ध है कि कोषागार से धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसकी तत्काल भुगतान अथवा किसी स्थाई अग्रिम में से वितरित की गई निधियों की पूर्ति हेतु आवश्यकता न हो। कार्यों जिनकी पूर्णता में काफी समय लगने की सम्भावना है के निष्पादनार्थ भी कोषागार से अग्रिम आहरण अनुमत नहीं हैं। किसी भी अव्ययित बकाये को तत्काल कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

रिकांगपिओ मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया (जून 2001) कि प्रमुख अभियंता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ने 2000-01 के दौरान प्रयुक्ति हेतु मार्च 2001 के अन्तिम सप्ताह में उपायुक्त, किन्नौर के माध्यम से अधिशासी अभियंता को 2.83 करोड़ रू0 का साखपत्र जारी किया। अधिशासी अभियंता ने इस राशि को 31 मार्च 2001 को आहरित किया तथा राशी को तत्काल हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला के पास निर्माण सामग्री के प्रापण हेतु जमा करवा दिया। एक दिन पूर्व उसने 63 लाख रू0 आहरित किये थे तथा ऐसी ही कार्रवाई की थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सामान की लम्बित प्राप्ति तक अग्रिम भुगतान को "विविध निर्माण कार्य अग्रिमों" को प्रभारित करने के बजाए इन्हें वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा विभिन्न जलापूर्ति स्कीमों के निर्माण को प्रभारित किया गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में जाँच में पाया गया कि भुगतान करने से पहले न तो सामान की आवश्यकता की गणना की गई तथा न ही अप्रैल तथा सितम्बर 2001 में दो आपूर्ति आदेशों के अतिरिक्त कोई आपूर्ति आदेश जारी किये गये। अक्तूबर 2001 तक 10 लाख रू0 मूल्य का 330 टन सीमेन्ट मण्डल में प्राप्त हुआ था। 3.36 करोड़ रू0 की बकाया राशि निगम के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

प्रमुख अभियंता की उपरोक्त कार्रवाई प्रदर्शित करती है कि साखपत्र जारी किया गया था तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यपगत से बचने के उद्देश्य से निधियां आहरित की गई थी। सामान की आवश्यकता का पता लगाये बिना अग्रिम भुगतान के फलस्वरूप निगम को 3.36 करोड़ रू0 की अनुचित वित्तीय सहायता पहुंचाई गई तथा 22 लाख रू0 (2000-2001 के दौरान सरकारी उधारों पर 10.50 से 12 प्रतिशत की औसतन ब्याज दर पर गणना की गई) के ब्याज की हानि हुई।

मुख्य अभियंता (दक्षिण), शिमला ने बताया (अक्तूबर 2001) कि निगम के पास 2.83 करोड़ रू0 2001-2002 के दौरान वास्तविक प्रयोग हेतु सामान की प्रापण के लिए जमा कराये गये थे तथा जमा की गई राशि आकलनों की स्वीकृति की प्राप्ति पर समायोजित की जाएगी जो जांचाधीन थे। 63 लाख रू0 के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में उसने सूचित किया कि कार्य प्रगति पर थे तथा राशि की पूर्ति सामान के प्रापण द्वारा की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत है।

मामला मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.15 'लोक निर्माण निक्षेपों' के अन्तर्गत बकायों की समीक्षा

लोक निर्माण एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के निक्षेप लेन-देन दो प्रकार के होते हैं। अर्थात निक्षेप जो विभागों के नियमित लेखों द्वारा संचालित होते हैं तथा अधीनस्थ एवं ठेकेदारों द्वारा जमा की गई ब्याज वाली प्रत्याभूतियां जो मण्डल के नियमित लेखों के द्वारा संचालित नहीं होती है। पहली प्रकार के निक्षेपों में (क) प्रत्याभूति के रूप में अधीनस्थों के रोकड़ निक्षेप, (ख) प्रत्याभूति के रूप में ठेकेदारों के रोकड़ निक्षेप, (ग) अन्य विभागों/निकायों के ओर से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए निक्षेप, (घ) लेखे बन्द होने पर ठेकेदारों को देय राशियाँ तथा (ङ) विविध निक्षेपों से सम्बन्धित लेन-देन सम्मिलित होते हैं।

निक्षेप शीर्ष एक अस्थाई शीर्ष है जिसमें निक्षेपों के रूप में प्राप्त राशियों को जमा किया जाता है तथा बाद में अथवा सरकारी देयों की वसूली की पूर्ति वापिस की गई अथवा समायोजित की गई राशियों को डेबिट करने तथा व्यपगत निक्षेपों को राजस्व लेखाशीर्ष में जमा करने द्वारा उसका समाशोधन किया जाता है। बाद में सरकारी देयों की वसूली के प्रति वापिस लौटाई गई अथवा समायोजित की गई राशि को डेबिट द्वारा तथा व्यपगत निक्षेपों को राजस्व लेखाशीर्ष में जमा द्वारा मुक्त किया जाता है। मार्च 1996 के अन्त में शीर्ष के अन्तर्गत बकाया 64.74 करोड़ रू0 थे जो मार्च 2002 के अन्त तक 174 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 177.07 करोड़ तक बढ़ गये थे।

लोक निर्माण विभाग के 14 मण्डलों[1] तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के सात मण्डलों[2] के अभिलेखों की मार्च 2002 के दौरान की गई जाँच में निम्नवत् तथ्य पाये गये:

4.15.1 बजट अनुदान की प्रयुक्ति हेतु निक्षेप शीर्ष का अनियमित परिचालन

(क) 2000-2001 के दौरान जलापूर्ति एवं मल-व्यवस्था मण्डल, शिमला द्वारा "गुम्मा के समीप नौटी खड्ड से शिमला शहर के लिए जलापूर्ति स्कीम के संवर्धन" कार्य पर 2.05 करोड़ रू0 व्यय किए गये। अभिलेखों की जाँच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2001 के दौरान निक्षेप शीर्ष से निष्पादित किये जाने वाले अन्य कार्य अर्थात् "जलापूर्ति स्कीम शिमला का संवर्धन एवं पुनर्गठन, उप शीर्षः संजौली जोन में वितरण प्रणाली का पुनः बिछाये जाने" पर खर्च किये गये 1.12 करोड़ रू0 को पहले कार्य के अन्तर्गत गलत वर्गीकृत किया गया। 17.50 लाख रू0 के गलत वर्गीकरण को दिसम्बर 2001 तथा जनवरी 2002 में परिशोधित किया गया तथा 94.50 लाख रू0 की शेष राशि शिमला मण्डल-II को सितम्बर 2001 में उस मण्डल को स्थानांतरित किए गए पहले कार्य के निष्पादन हेतु प्रेषित किया गया था (फरवरी 2001)। आगे यह पाया गया कि 94.50 लाख रू0 की समस्त राशि शिमला मण्डल-II द्वारा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत रखी गई तथा मार्च 2002 तक अप्रयुक्त पड़ी रही। इस प्रकार विभाग की कार्रवाई के फलस्वरूप निक्षेप शीर्ष का अनियमित परिचालन हुआ जो केवल बजट अनुदान की प्रयुक्ति दर्शाने हेतु तथा मार्च 2001 की समाप्ति पर निक्षेपों के अन्तर्गत गलत बकायों का चित्रण करने हेतु ही अभिकल्पित किया गया था।

[1] *बैजनाथ, चम्बा, हमीरपुर कुल्लू-I, कुल्लू-II, मण्डी-I, मण्डी-II, आउटर सिराज, निरमण्ड, मेडिकल कॉलेज, शिमला, रोहड़ू, शिमला-I, शिमला-II, शिमला-III तथा टौणी देवी।*

[2] *आनी, देहरा, हमीरपुर, सिवरेज नेटवर्क, शिमला, शिमला-I, शिमला-II तथा जलापूर्ति तथा सिवरेज, शिमला।*

(ख) 1997-2002 के दौरान शोघी में आवास बोर्ड कलोनी तथा जनगणना गांवों शोघी के बाकी बचे छोटे गांवों के लिये पेय जलापूर्ति स्कीम उपलब्ध कराने के लिए 1.35 करोड़ रू0 के बजट आबंटन के प्रति शिमला मण्डल नं0 1 द्वारा 1.33 करोड़ रू0 का व्यय किया गया (फरवरी 2002 तक) था।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पाया गया (मार्च 2002) कि आवास बोर्ड ने भी उपरोक्त स्कीम के निष्पादन हेतु 75 लाख रू0 मार्च 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य जमा कराये थे तथा राशि को मण्डल द्वारा निक्षेप शीर्ष में जमा किया गया। तथापि, निक्षेप निधियों में से 1999-2001 (1999-2000:52.25 लाख रू0 तथा 2000-2001:25.14 लाख रू0) के दौरान मण्डल द्वारा स्कीम पर पहले किये गये 77.39 लाख रू0 के व्यय को सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के अन्तिम महीनों के दौरान निक्षेप शीर्ष से पुनरांकित कर दिया गया तथा आबंटनों की पूर्ण प्रयुक्ति को दर्शाने के लिए बजट शीर्ष को डेबिट कर दिया।

अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2002) कि निक्षेप निधियों को प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि बजट के अन्तर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी। कथन मान्य नहीं है क्योंकि 77.39 लाख रू0 के व्यय को सम्बद्ध वर्षों के अन्त में निक्षेप शीर्ष से पुनरांकित किया गया। इस प्रकार, निक्षेप शीर्ष के परिचालन द्वारा बजट आबंटन की प्रयुक्ति से निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकाये 75 लाख रू0 की सीमा तक बढ़ गये थे।

4.15.2 निक्षेप शीर्ष में अव्ययित निधियों का अनियमित आहरण एवं अवरोधन

शिमला शहर के लिए मल व्यवस्था नेटवर्क उपलब्ध कराने तथा बिछाने हेतु मल व्यवस्था नेट वर्क निर्माण मण्डल, शिमला ने हिमाचल प्रदेश राज्य-नागरिक आपूर्ति निगम को मार्च 1999 के अन्तिम दिन पर कार्य के अन्तिम लेखाशीर्ष को राशि डेबिट करते हुए 1.61 करोड़ रू0 अग्रिम दिया। अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया कि डकटाईल लोहे की पाइपें जिनके लिए अग्रिम भुगतान किया गया था, शीघ्र कार्य पर प्रयुक्ति हेतु आवश्यक नहीं थी क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्णयाधीन था। जनवरी 2000 में निगम से 1.50 करोड़ रू0 वापिस प्राप्त किये गये तथा मण्डल द्वारा "लोक निर्माण जमा" के अन्तर्गत जमा किये गये। इसमें से फरवरी 2002 तक 1.43 करोड़ रू0 की अव्ययित राशि को छोड़ते हुए 0.07 करोड़ रू0 150 मि0मी0 ब्यास के 1000 मीटर पाईपों के प्रापण हेतु मार्च 2001 में प्रयुक्त किये गये। तथापि, निगम के पास 0.11 करोड़ रू0 के शेष अग्रिम को मार्च 2001 में उनके द्वारा पूर्व अवसरों पर प्राप्त की गई पाइपों के परिवहन के प्रति समायोजित किया गया।

इस प्रकार, कार्य पर शीघ्र उपयोग में लाये जाने वाले पाइपों के प्रापण की प्रत्याशा में राशि के आहरण के फलस्वरूप 1998-99 के लिए बजट आबंटन की अनियमित प्रयुक्ति हुई तथा 1.43 करोड़ रू0 की सीमा तक निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकायों की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, निगम के पास नौ महीनों (अप्रैल 1999 से दिसम्बर 1999 तक) तथा 1.50 करोड़ रू0 रहे जिसके फलस्वरूप निगम को अनुचित वित्तीय सहायता पहुंचाई गई तथा सरकार को 12.94 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई।

4.15.3 व्यपगत निक्षेपों का सरकारी खाते में जमा न करना

पाँच लोक निर्माण मण्डलों[3] (60.20 लाख रू0) तथा तीन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों[4] (10.02 लाख रू0) में मार्च 2002 तक संहिता प्रावधानों के अनुसार 70.22 लाख रू0 का प्रतिनिधित्व करने वाली 2963 निक्षेप मदें व्यपगत हो चुकी थी। व्यपगत राशियों को राजस्व लेखाशीर्ष में जमा करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई इन मण्डलों द्वारा नहीं की गई थी। सम्बद्ध अधिशासी अभियंताओं द्वारा

---

3 चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू-I, कुल्लू-II तथा निरमण्ड।

4 हमीरपुर, देहरा तथा शिमला-II ।

संहिता प्रावधानों की अनुपालना न करने के लिए कोई कारण नहीं बताये गये थे जिसके फलस्वरूप निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत इन मदों का अनावश्यक अवरोधन हुआ तथा राजस्व का संगोपन हुआ।

4.15.4 निक्षेप कार्यों को आरम्भ न करना

छः लोक निर्माण मण्डलों[5] तथा दो सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों[6] ने विभिन्न विभागों से मार्च 1990 तथा फरवरी 2002 के मध्य निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु 1.81 करोड़ रू0 प्राप्त किये। यह पाया गया कि कार्य स्थलों के उपलब्ध न होने, कार्यों हेतु अपर्याप्त निधियाँ, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति आदि न मिलने के कारण कार्यों का निष्पादन आरम्भ नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप धन को आय बजटीय प्रक्रिया से अलग रखा गया तथा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत 1.81 करोड़ रू0 की सीमा तक बकायों का एकत्रीकरण हुआ।

4.15.5 जारी कार्यों पर अप्रयुक्त निक्षेप

तीन लोक निर्माण मण्डलों[7] तथा दो सिंचाई एवं जन स्वास्थय मण्डलों[8] के अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि मई 1993 तथा दिसम्बर 2000 के मध्य प्राप्त 5.14 करोड़ रू0 (लोक निर्माण: 4.69 करोड़ रू0 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: 0.45 करोड़ रू0) के निक्षेपों के प्रति 2.16 करोड़ रू0 (लोक निर्माण: 1.88 करोड़ रू0 तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: 0.28 करोड़ रू0) एक तथा आठ वर्षों की अवधि के समाप्त होने के बावजूद अप्रयुक्त पड़े रहने के फलस्वरूप निक्षेप लेखा शीर्ष के अन्तर्गत बकायों का एकत्रीकरण हुआ।

लोक निर्माण विभाग के शिमला मण्डल–I तथा II तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के हमीरपुर मण्डल के अधिशासी अभियंताओं ने शेष राशियों की अप्रयुक्ति के लिए पूर्ण कार्यों के प्रति दायित्वों को समाशोधन न किया जाना बताया। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के शिमला मण्डल-I के अधिशासी अभियंता ने कार्यों के निष्पादन के दौरान पैदा हुए भूमि के विवाद के लिए वही कारण बताये। अधिशासी अभियंता शिमला मण्डल-III (लोक निर्माण) ने सात कार्यों के निष्पादन के लिए प्राप्त 30.14 लाख रू0 के अप्रयुक्त निक्षेप हेतु कोई कारण सूचित नहीं किये।

4.15.6 पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना कार्यों की निक्षेप निधियों का अभ्यर्पित न करना

अगस्त 1999 में जारी किये गये प्रधान सलाहकार (योजना विभाग) के निर्देशानुसार पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत शेष रह गये अव्ययित आबंटन को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले औपचारिक रूप से अभ्यर्पित किया जाना था।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, आनी के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पाया गया (अगस्त 2001) कि 1999-2001 (1999-2000 :1.83 करोड़ रू0 तथा 2000-2001:1.92 करोड़ रू0) के दौरान मण्डल द्वारा उपायुक्त कुल्लू से पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत 130 जलापूर्ति एवं सिंचाई कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त 3.75 करोड़ रू0 को निक्षेप शीर्ष में जमा किया गया। मण्डल ने निधियों को सम्बद्ध वर्षों में उपयोग में नहीं लाया तथा 1.48 करोड़ रू0 अप्रयुक्त पड़े रहे (1999-2000: 0.73 करोड़ रू0 तथा 2000-2001:0.75 करोड़ रू0)। तथापि, अव्ययित बकायों को मण्डल द्वारा अभ्यर्पित

---

5 *चम्बा, हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज शिमला, शिमला-I, रोहडू तथा टौणी देवी (1.64 करोड़ रूपए) ।*

6 *हमीरपुर तथा शिमला-I (0.17 करोड़ रूपए) ।*

7 *शिमला-I, शिमला-II तथा शिमला-III ।*

8 *हमीरपुर तथा शिमला-I ।*

नहीं किया गया तथा अनियमित रूप से आगामी वर्षों के दौरान कार्यों हेतु निक्षेपों के रूप में प्रयुक्त करने के लिए आगे ले जाया गया।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि मण्डल द्वारा पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के विशिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु प्राप्त 43.95 लाख रू0 को 1998-2002 (1998-99:3.09 लाख रू0; 1999-2000:24.52 लाख रू0 तथा 2000-2001:16.34 लाख रू0) के दौरान सम्बद्ध वर्षों के समाप्त होने से पहले उन्हें अभ्यर्पित करने के बजाए पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना कार्यों के अलावा अन्य 13 कार्यों के निष्पादन पर व्यय किया। निधियों के कार्यों को विचलन हेतु सक्षम प्राधिकारी की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (फरवरी 2002) कि निधियाँ अप्रयुक्त रही क्योंकि यह निधियां मण्डल में सम्बद्ध वित्तीय वर्षों के समाप्त होने पर प्राप्त हुई तथा कार्यों के निष्पादन हेतु निक्षेप में रखी गई निधियों के अभ्यर्पण करने की ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि 43.95 लाख रू0 की निधियाँ अन्य ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु विचलित की गई जिनके लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था तथा पहले ही निष्पादनाधीन थे तथा प्रगति पर थे। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विभाग की कार्रवाई से योजना विभाग के अनुदेशों का उल्लंघन हुआ।

4.15.7 बिक्री कर का जमा न करना

चिकित्सा महाविद्यालय मण्डल, शिमला के अभिलेखों की जाँच से पाया गया (मार्च 2002) कि 1996-2000 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से काटे गये 15.66 लाख रू0 की राशि के बिक्री कर को राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के सरकारी खाते में उसे जमा कराने हेतु प्रेषित करने के बजाए निक्षेप शीर्ष में जमा कराया गया। इसके फलस्वरूप राजस्व का संगोपन हुआ तथा निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकायों का एकत्रीकरण हुआ।

अधिशासी अभियंता ने बताया (मार्च 2002) कि कर के आबकारी एवं कराधान विभाग को प्रेषण हेतु मई 2000 में अपेक्षित निधियों की माँग की गई तथा वे प्रतीक्षित थी। कथन मान्य नहीं है क्योंकि मण्डल द्वारा कटौती किये गये बिक्री कर को सम्बद्ध वर्षों के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा कराया जाना चाहिए था।

4.15.8 प्राप्त निक्षेपों से अधिक किया गया व्यय

निक्षेप कार्यों पर किये गये व्यय को प्राप्त हुए निक्षेपों की राशियों तक सीमित किया जाना अपेक्षित है। निक्षेपित राशियों से अधिक व्यय को वसूली होने तक "विविध निर्माण कार्य अग्रिमों" को प्रभारित किया जाता है।

चार लोक निर्माण मण्डलों[9] (88 मदें-1.47 करोड़ रू0) तथा दो सिंचाई एवं जन स्वास्थय मण्डलों[10] (32 मदें-35.06 लाख रू0) में यह पाया गया कि 120 कार्यों पर 1.82 करोड़ रू0 प्राप्त निक्षेपों से अधिक व्यय किये गये जिसके लिए कोई कारण सूचित नहीं किये गये। अधिक राशियों को लम्बित वसूली तक न तो "विविध निर्माण कार्य अग्रिमों" के अन्तर्गत रखा गया तथा न ही निक्षेपों के अन्तर्गत ऋणात्मक बकायों के समायोजन हेतु अतिरिक्त निक्षेपों को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक बकायों के फलस्वरूप सम्बद्ध मण्डलों के लेखाओं में निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत बकायों की न्यूनोक्ति भी हुई।

---

9 *बैजनाथ, चम्बा, मण्डी-। तथा शिमला-।।। ।*

10 *देहरा तथा हमीरपुर।*

4.15.9 अनुप्रमाणित बकाया निक्षेप

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल नं0-II शिमला में कार्यों हेतु 1.54 करोड़ रू0 राशि के बकाया निक्षेप फरवरी 2002 के अन्त तक अप्रयुक्त पड़े थे। इसमें 53 लाख रू0 की राशि सम्मिलित है जिसके लिए आवश्यक विवरण अर्थात पार्टी का नाम जिससे प्राप्त हुए, कार्य जिसके लिए प्राप्त किये गये तथा प्राप्ति की तिथि मण्डल द्वारा सूचित नहीं किये गये थे।

अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि पुराने अभिलेखों को देखने के पश्चात् विवरण भेज दिया जाएगा। इस प्रकार, कार्यों हेतु अनुचित प्राप्त हुए निक्षेपों के अभिलेखों के अनुचित अनुरक्षण के फलस्वरूप निक्षेप लेखाशीर्ष के अन्तर्गत बकायों का एकत्रीकरण हुआ।

इन तथ्यों को मई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

पाँचवा अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

गृह विभाग

5.1 भण्डार एवं स्टॉक लेखे

पुलिस विभाग के भण्डारों में परिधान तथा उपस्कर, आयुध तथा गोला-बारूद, प्रशिक्षण तथा नियन्त्रण उपस्कर आदि सम्मिलित हैं। भण्डारों को सम्बद्ध मुख्य लेखा शीर्ष के अन्तर्गत "सामग्री व आपूर्ति तथा मशीनरी व उपस्कर" के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधान के प्रति विभाग द्वारा क्रय किया जाता है। विभाग ने 1997-2001 के दौरान 20.67 करोड़ रू0 मूल्य की सामग्री, मशीनरी तथा उपस्कर का क्रय किया। प्रत्येक तीन मदों पर विशेष रूप से किए गए व्यय का ब्यौरा विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। 1997-2002 की अवधि के दौरान 27 इकाइयों में से नौ[1] के अभिलेखों की फरवरी-अप्रैल 2002 के दौरान लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ आगामी अनुच्छेदों में विवेचित की गई हैं।

5.1.1 पुलिस निक्षेप निधि के अन्तर्गत अव्ययित बकाये

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब पुलिस नियमावली के नियम 10.113 बी में प्रावधान है कि परिधान तथा उपस्करों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रभारों का आहरण वार्षिक बजट आबंटन करने तथा आहरित की गई राशि को कोषाधिकारियों द्वारा पुलिस जमा निधि-लेखे में जमा करवाने के उपरान्त तत्काल खजाने में प्रस्तुत पृथक विशेष आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस प्रकार 31 मार्च तक आहरित की गई तथा व्यय न की गई राशि सरकार को व्ययगत होगी तथा अल्प आहरण द्वारा कोषालय को अवश्य वापिस की जानी चाहिए।

यह पाया गया कि 1997-2002 के दौरान 5.15 करोड़ रू0 की अव्ययित राशि आठ इकाइयों[2] में अल्प आहरण द्वारा समायोजित नहीं की गई तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित की गई जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

---

1 *कमानडैंट प्रथम बटालियन, जुन्गा ; निदेशक, वैधिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुन्गा; पुलिस अधीक्षक, नाहन; उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, डरोह; पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, पुलिस अधीक्षक, चम्बा; पुलिस अधीक्षक, सोलन; पुलिस अधीक्षक, शिमला तथा पुलिस अधीक्षक बेतार, शिमला।*

2 *कमानडैण्ट प्रथम बटालियन, जुन्गा; निदेशक, वैधिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुन्गा; पुलिस अधीक्षक, नाहन; उप महा निरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, डरोह; पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, पुलिस अधीक्षक, चम्बा; पुलिस अधीक्षक, सोलन; पुलिस अधीक्षक, शिमला तथा पुलिस अधीक्षक बेतार, शिमला।*

तालिका:5.1

(लाख रूपए)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तः शेष
1997-98	64.53	57.73	73.04	49.52
1998-99	49.52	94.65	59.53	84.06
1999-2000	84.06	83.71	80.95	86.82
2000-2001	86.22	122.45	67.09	142.22
2001-2002	142.22	85.50	75.90	151.88
योग	426.55	444.04	356.51	514.50

इस प्रकार बृहत् राशि वर्षानुवर्ष सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखी गई। इकाईयों के सम्बद्ध अधिकारयों ने बताया (फरवरी-अप्रैल 2002) कि मामला आवश्यक मार्गदर्शन/दिशा-निर्देशों के लिए विभागाध्यक्ष के साथ उठाया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुलिस नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया।

5.1.2 बजट के व्यपगमन से बचने के लिए निधियों का आहरण

भारत सरकार ने "राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" स्कीम के अन्तर्गत 1.34 करोड़ रू0 संस्वीकृत किये (जुलाई 2001)। इनमें से राज्य सरकार ने महानिदेशक पुलिस को आयुध तथा गोला बारूद, वाहन, वैधिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपस्कर खरीदने, संचार तथा पुलिस प्रशिक्षण आदि के लिए निस्तारित किये (1.19 करोड़ रू0)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (अप्रैल 2002) कि राशि महानिदेशक पुलिस द्वारा मार्च 2002 में आहरित की गई तथा विभिन्न फर्मों के नामों (26.27 लाख रू0) तथा विभाग के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (92.56 लाख रू0) के नामों में बैंक ड्राफ्टों के रूप में रखी गई। 15 लाख रू0 की शेष राशि की राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2002 तक जारी नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप यह धन सरकारी लेखे से बाहर रहा।

महानिदेशक पुलिस ने बताया (अप्रैल 2002) कि राशि मार्च 2002 के अन्त में संस्वीकृत की गई जिससे यह प्रयुक्त नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग का कार्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत था जिसमें निधियों के आहरण, जो तत्काल संवितरण के लिए अपेक्षित नहीं है, की मनाही है।

5.1.3 निधियों का अनाधिकृत अपवर्तन

हिमाचल प्रदेश सरकार-मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के परिच्छेद 1.11.2 (i) में पुलिस निक्षेप निधि के अनुचित परिचालन के सम्बन्ध में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए संस्वीकृत 11.76 करोड़ रू0 के अनियमित रूप से रखने का उल्लेख किया गया था। महानिदेशक पुलिस के अभिलेख की नमूना जाँच से पुनः उद्घाटित हुआ (अप्रैल 2002) कि 11.76 करोड़ रू0 में से 47.70 लाख रू0 का राशि का, कम्प्यूटरों, साज-सामग्री को खरीदने, ईपीएबीएक्स को स्थापित करने तथा बेतार उपस्करों तथा साज-सामग्री की मरम्मत करने के लिए अपवर्तन किया गया था जो पूर्वोक्त स्कीम के अन्तर्गत आवृत्त नहीं था।

महानिदेशक ने बताया (अप्रैल 2002) कि निधियों का राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपवर्तन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस मामले में निधियों के अपवर्तन के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था।

5.1.4 बिना आवश्यकता के बमों का क्रय

4.74 लाख रू0 की लागत के 300 बम (2"-मोर्टार अत्यन्त विस्फोटक) जो केवल चम्बा जिला के लिए थे, केन्द्रीय शस्त्रागार स्थित जुन्गा को गोला बारूद फैक्टरी, खाडकी, पुने से प्राप्त हुए (मार्च 2001) तथा यह फरवरी 2002 तक वहां पड़े हुए थे। कमांडैंट प्रथम बटालियन, जुन्गा के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (फरवरी 2002) कि पुलिस अधीक्षक, चम्बा ने इन बमों की मांग कभी भी नहीं की थी क्योंकि उनके स्टॉक में पहले ही 410 बम विद्यमान थे।

कमांडैंट ने बताया (फरवरी 2002) कि बमों की प्राप्ति की सूचना अप्रैल 2001 में पुलिस मुख्यालय को भेज दी थी तथा इस सम्बन्ध में पुनः दिशा-निर्देश सितम्बर 2001 में मांगे गए थे, जो प्रतीक्षित थे। इस प्रकार 4.74 लाख रू0 की लागत के 300 बमों का आवश्यकता का निर्धारण किए बिना प्रापण किया गया जिसे फलस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

5.1.5 सामान का प्राप्त न होना

आयुध तथा गोला बारूद को खरीदने के लिए कमाडैंट प्रथम बटालियन, जुन्गा द्वारा क्रमशः आर्डनन्स फैक्टरी, तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु) तथा खमारिया (जबलपुर) को 87.89 लाख रू0 तथा 47.60 लाख रू0 का अग्रिम भुगतान किया गया (अप्रैल 2001)। सामान अप्रैल 2002 तक प्राप्त नहीं हुआ था। निर्धारित अवधि, जिसके अन्दर विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जानी थी, विभाग से मांगी गई थी जो अप्रैल 2002 तक भी सूचित नहीं की गई थी।

5.1.6 आयुध तथा गोला बारूद के स्टॉक में कमी

महानिदेशक पुलिस, शिमला के अभिलेखों की नमूना-जाँच से आयुध तथा गोला बारूद के स्टॉक में कमी उद्घाटित हुई (अप्रैल 2002) जैसाकि नीचे इंगित किया गया।

तालिका 5.2

(संख्या में)

क्र0	हथियारों की किस्म	पुलिस कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या के अनुसार प्राधिकार	नियन्त्रण	प्रतिशतता में कमी
	हथियार			
1.	कार्बाइन 9 एम एम, स्टेनगन एम के 2/3, टी एम सी 45 तथा ए के 47 राईफल	2,289	1,555	32
2.	रिवॉल्वर.38 बोर, रिवॉल्वर. 455 बोर पिस्तौल 9 एम एम ऑटो तथा पिस्तौल 32 बोर	1,522	1,103	28
3.	एलएमजी. 303 बोर तथा एल एमजी. 7.62 एम एम	120	104	13
	गोला बारूद			
4.	गोला बारूद. 303-बोर	12,47,620	10,46,646	17
5.	गोला बारूद ए के 47 राऊंडस	1,27,500	73,968	42
6.	गोला बारूद 7.62 एम एम	11,36,320	5,11,782	55
7.	गोला बारूद-.38- बोर	77,920	57,508	26
8.	गोला बारूद 9 एम एम	3,33,830	2,12,114	36

स्रोतः विभागीय आंकड़े

आयुध तथा गोला बारूद की कमी के कारण पुलिस कर्मचारियों के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आयुध तथा गोला बारूद में कमी को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा किये गये प्रयत्न अभिलेख में नहीं थे।

इसके अतिरिक्त 28,800 राउन्ड्स के वास्तविक प्राधिकार के प्रति 6.16 लाख रू0 मूल्य के .455-बोर के 69,254 राउन्ड्स का अधिक नियन्त्रण था। आयुध तथा गोला बारूद के कम स्टॉक तथा .455-बोर राउन्ड्स के अधिक होने के लिए कारण सूचित नहीं किये गये थे।

5.1.7 भण्डार लेखों का न बनाना

भण्डार के वार्षिक समेकित लेखे (निष्क्रिय स्टॉक मदों को छोड़कर), जहां कुल लागत 5 लाख रू0 या अधिक हो, प्रत्येक वर्ष जून तक लेखापरीक्षा को भेजे जाने अपेक्षित हैं। यह पाया गया कि विभाग ने कभी भी कोई भण्डार लेखे तैयार नहीं किए थे।

महानिदेशक पुलिस ने बताया (अप्रैल 2002) कि कार्यालयाध्यक्ष ही प्रत्यक्ष मांग करने वाले अधिकारी थे तथा उन्होंने स्वयं खरीद की तथा महानिदेशक पुलिस द्वारा खरीदे गए भण्डार 5 लाख रू0 से कम की लागत के थे तथा ऐसे में कोई भण्डार लेखे बनाये नहीं गये थे। तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि वार्षिक लेखों को तैयार करना तथा उनको देय तिथियों में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना विभागाध्यक्ष का कर्तव्य है।

5.1.8 भण्डारों का भौतिक सत्यापन

पुलिस नियमावली में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार भण्डारों का भौतिक सत्यापन एक वर्ष में दो बार किया जाना अपेक्षित है। पुलिस अधीक्षक, चम्बा के अभिलेखों की नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ (मार्च 2002) कि भण्डारों का भौतिक सत्यापन 1997 से नहीं किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ने बताया (मार्च 2002) कि भण्डारों का भौतिक सत्यापन यथासमय में कर दिया जायेगा।

ये तथ्य सरकार को जून 2002 में संदर्भित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

5.2 तार क्रेटों पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय

तार क्रेटों को जुटाने के लिए बने बनाये अंतःसम्बद्ध जंजीरों के प्रापण तथा उपयोग करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 20.07 लाख रू0 का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

शिलाखण्डों से भरे जस्तेदार लोहे के तार क्रेटों सहित सपरों तथा शुष्क पत्थर संरचनाओं की बाढ़ों के प्रति सिंचाई/जलापूर्ति स्कीमों के संरक्षण अथवा इन स्कीमों को वर्षा या बर्फ द्वारा पहुंचाई गई क्षतियों के पुनः स्थापन हेतु व्यवस्था की जाती है। ये क्रेट या तो बाजार से खरीदे गए बने बनाए अंतः सम्बद्ध जंजीरों के जालों से या श्रमिकों/ठेकेदारों द्वारा बुनी गई जस्तेदार लोहे की तारों से बनाये जाते हैं। हिमाचल प्रदेश मूल्य अनुसूची, 1987 तथा 1999 के प्रावधानों के अनुसार एक वर्गमीटर माप के 15x15 सैंटीमीटर के जाल के आकार के एक तार क्रेट को बनाने के लिए 3.35 किलोग्राम

जस्तायुक्त लोहे के तार (एस डब्लयू जी-6 के तद्नुरूप) की आवश्यकता है। 1997-2002 (सितम्बर 2001 तक वैध) के दौरान राज्य सरकार ने आवश्यक विशिष्टियों की अन्तः सम्बद्ध जंजीरों की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों से 54 रू0 तथा 56 रू0 प्रति वर्गमीटर की दरों पर दर संविदा भी तय कर रखी थी।

दो मण्डलों[1] के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ (जुलाई-दिसम्बर 2001) कि 36 स्कीमों के संरक्षण/पुनः स्थापन के कार्यों हेतु तार क्रेटों की व्यवस्था करने के लिए मण्डलाधिकारियों ने 1997-2002 (सितम्बर 2001 तक) के दौरान 4.47 लाख रू0 की लागत पर विभागीय श्रमिकों/ठेकेदारों के माध्यम से 15 x 15 सैंटीमीटर आकार के 44,459 वर्गमीटर जस्तायुक्त तार क्रेट जाल को बनाने के लिए 40.24 लाख रू0 लागत की 14.89 टन जस्तायुक्त तारों (एस डब्लयू जी-6) का उपयोग किया। यदि क्रेट बनी बनाई अन्तः सम्बद्ध जंजीरों से बनाये जाते, जिसके लिए दर संविदा विद्यमान थी, तो 24.64 लाख रू0 की लागत आती।

जबकि अधिशासी अभियन्ता, केलाँग ने बताया (जुलाई 2001) कि अन्तः सम्बद्ध जंजीरों की अपेक्षा जस्तायुक्त लोहे के तार जाले ज्यादा स्थायी थे, अधिशासी अभियन्ता, चम्बा ने बताया (दिसम्बर 2001) कि जस्तायुक्त लोहे के तार क्रेटों तथा अन्तः सम्बद्ध जंजीरों का इनका अपना महत्व था तथा इनका स्थल स्थितियों के अनुसार उपयोग किया जा रहा था। तर्क मान्य नहीं हैं क्योंकि दर संविदा पर उपलब्ध अन्तः सम्बन्द्ध जंजीरों में उपयोग की गई जस्तायुक्त लोहे की तार उसी विशिष्टियों की थी तथा उसका मैश आकार भी उसी परिमिति का था। इस प्रकार, वित्तीय आशय जाँचने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 20.07 लाख रू0 का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

मामला फरवरी 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

5.3 पाइपों के अविवेकपूर्ण अग्रिम उपार्जन के कारण निधियों का अवरोधन

देहरा मण्डल द्वारा आवश्यकता से बहुत पहले ही 5,845 मीटर ढलवां लोहे की पाईपों के प्रापण के फलस्वरूप 49.36 लाख रू0 का 11 तथा 35 मास के मध्य की अवधियों के लिए अवरोधन।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 15.2 (बी) के अनुसार भण्डारों का लोक सेवा की निश्चित आवश्यकता के अनुसार ही उपार्जन किया जाना चाहिए तथा यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका वास्तविक आवश्यकता से बहुत पहले उपार्जन न किया जाए।

उपरोक्त नियमों के विपरीत, अधिशासी अभियन्ता देहरा मण्डल तथा धर्मशाला मण्डल ने दो अंचलों[2] में ज्वालामुखी शहर (कांगड़ा जिला) को मल-निकास प्रणाली प्रदान करने के लिए मार्च 1999 तथा मार्च 2001 के मध्य कोलकत्ता आधारित फर्मों से 70.17 लाख रू0 मूल्य की विभिन्न व्यास की 8,883 मीटर ढलवां लोहे की पाईपों का उपार्जन किया। जबकि अचंल "ए" में 20.81 लाख रू0 लागत की 3,038 मीटर ढलवां लोहे की पाईपों को बिछाने का कार्य एक ठेकेदार को प्रदान किया (अक्तूबर 2001), यह कार्य प्रगतिरत था तथा इसे अप्रैल 2002 तक सम्पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, अंचल

[1] *चम्बा और केलाँग*

[2] *अंचल "ए" तथा "बी"*

"बी" में पाईपों के बिछाने का कार्य जनवरी 2002 तक शुरू नहीं किया गया था। अधिशासी अभियन्ता ने बताया (फरवरी 2002) कि अंचल "बी" में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर था। स्पष्टतया, 49.36 लाख रू0 मूल्य की 5,845 मीटर ढलवां लोहे की पाईपें निकट भविष्य में अंचल "बी" में प्रयुक्त किए जाने की सम्भावना नहीं थी, क्योंकि सर्वेक्षण कार्य के पश्चात निर्माण कार्य आकलन को तैयार करने तथा अनुमोदन की प्रक्रिया, संविदाओं का आमंत्रण, कार्य को प्रदान करने आदि के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता द्वारा 49.36 लाख रू0 मूल्य की 5,845 मीटर ढलवां लोहे की पाइपों का अविवेक रूप से अग्रिम में प्रापण करने के फलस्वरूप 11 तथा 35 मास (जनवरी 2002 तक) के मध्य की अवधियों तक ये अप्रयुक्त रहे तथा परिणामतः निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला अप्रैल 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

5.4 सामान का फर्जी जारी करना

बजट अनुदान की उपयोगिता को दर्शाने के लिए नियमों के विपरीत इसकी कार्यों को फर्जी बुकिंग की गई।

सरकार के वित्तीय नियमों में फर्जी स्टॉक समायोजन का निषेध है जैसे अनावश्यक सामान की लागत अथवा वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामान को कार्य के नामे डालना ऐसा निर्माण कार्य जिनके लिये कोई आबंटन संस्वीकृत नहीं किया गया है के लिये प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री के मूल्यों को ऐसे विशिष्ट निर्माण कार्य के नामें डालना या विनियोजन से अधिक परिव्यय से बचने के लिए एक निर्माण कार्य पर प्रयुक्त सामान के मूल्यों को वापिस अंकित करना है।

इन नियमों के विपरीत छः मण्डलों[3] द्वारा मार्च 1999 तथा मार्च 2001 के मध्य 34 कार्यों पर 2.17 करोड़ रू0 लागत का सामान फर्जी रूप से बुक किया गया यद्यपि इन कार्यों के लिए इन सामानों की आवश्यकता नहीं थी। सामान की लागत जुलाई 1999 तथा अक्तूबर 2001 के मध्य के अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में स्टॉक को वापिस अंकित की गई।

कार्यों पर सामान की फर्जी बुकिंग करने के परिणामस्वरूप कार्यों पर वास्तविक व्यय अत्युक्त हुआ। इससे आगामी वर्षों में स्टॉक को वापिस अंकित किये गये भण्डार की सीमा तक इन कार्यों के लिए अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने में भी सहायक हुई।

मामला अप्रैल 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)

[3] चम्बा, घुमारवीं, काजा, कुल्लू-I, मण्डी तथा ऊना-I

विविध विभाग

5.5 निष्क्रिय उपस्कर

क्रय योजना को पर्याप्त ध्यान न देने के परिणामस्वरूप 70.79 लाख रू0 लागत के उपस्कर निष्क्रिय हुए।

कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा खरीदे गए उपस्करों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 1997-98 तथा 2000-01 के मध्य विभिन्न उच्च मूल्य की मदें प्राप्त की गई तथा 70.79 लाख रू0 मूल्य की मदें विभिन्न कारणों से प्रयुक्त नहीं की गई थी जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

तालिकाः 5.3

(लाख रूपए)

विभाग/कार्यालय का नाम	उपस्कर के ब्यौरे	खरीदने का वर्ष	लागत	जब से निष्क्रिय हुये	प्रयुक्त न करने के कारण
कृषि विभाग					
उप निदेशक कृषि, पालमपुर	ऑटोमिक एबजर्पशन स्पैक्टो फोटोमीटर	1998-99	6.02	1998-99	प्रशिक्षित स्टॉफ की अनुलब्धता।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुमारवीं तथा झण्डूता)	अल्ट्रासाउँड मशीन, डैंटल चेयर, इलैक्ट्रिक फोइट्ल मॉनीटर एण्ड ओ0टी0लाईट	1997-98 से 1999-2000	8.98	2000-2001	मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2001) कि अल्ट्रासाउँड मशीन तथा डैन्टल चेयर (6.73 लाख रू0) मरम्मत के अभाव में खराब पड़ी हुई थी। अन्य उपस्कर (2.25 लाख रू0) स्त्रीरोग विशेषज्ञ की तैनाती न करने तथा भवन निर्माणाधीन होने के कारण निष्क्रिय पड़े थे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्तपूर्णी)	अस्पताल उपस्कर जैसे अल्ट्रासाउँड मशीन, खून विश्लेषक आदि	1998-99	19.85	1998-99	मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2001) कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्तपूर्णी का भवन निर्माणाधीन था। उपस्कर स्थापित नहीं किये जा सके तथा स्टोर में ही पड़े हुये थे।
तकनीकी शिक्षा विभाग					
प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी	सी एन सी टर्निंग मशीन एम के यू-6	1999-2000	12.50	1999-2000	प्रधानाचार्य ने बताया (सितम्बर 2001) कि मशीन इसके स्थापित करने से ही खराब पड़ी हुई थी।
प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोलन	प्रशिक्षण उपस्कर जैसे सी एन सी ट्रेनिंग मास्टर लेथ मिलिंग मशीन, माईक्रो प्रोसैसर किट, व्हील अलाईनमैण्ट आदि	1997-98 से 1998-1999	23.44	1997-98	प्रधानाचार्य ने बताया (नवम्बर 2001) कि अनुदेशकों/शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान न करने के कारण मशीन इसकी प्राप्ति से परिचालित नहीं की जा सकी।
जोड़			70.79		

इस प्रकार क्रय योजना में अन्तर्विष्ट उपस्करों की प्राप्ति से भवन के निर्माण का समकालन, प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती, समयोचित मरम्मत करने आदि, पर पर्याप्त ध्यान न देने के परिणामस्वरूप 70.79 लाख रू० की लागत पर उपार्जित किए गए उच्च मूल्यों के उपस्करों का उपयोग नहीं हुआ।

मामला अप्रैल 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

6.1 सामान्य

(क) स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों की संस्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, जनोपयोगी सेवाओं सम्बन्धी गैर-वाणिज्यिक कार्य करने के लिए की जाती है। ये निकाय/प्राधिकरण सरकार से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, 1956 इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत अन्य संस्थान भी राज्य सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वित करने हेतु सरकार से भारी अनुदान प्राप्त करते हैं।

2001-2002 के दौरान विभिन्न स्वायत्त निकायों तथा अन्यों जिन्हें मुख्यतः निम्नवत् प्रकार से समूहीकृत किया गया है, को 169.09 करोड़[1] रू0 की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गयाः

तालिकाः 6.1

(करोड़ रूपए)

क्र0	संस्था का नाम	अदा की गई सहायता राशि
1.	विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाएं	88.47
2.	नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	18.66
3.	जिला परिषद् तथा पंचायती राज संस्थाएं	36.25
4.	विकास अभिकरण	9.84
5.	अन्य संस्थाएं (सांविधिक निकायों सहित)	15.87
	जोड़	169.09

(ख) उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

जिन मामलों में सरकार द्वारा विशेष प्रयोजनों हेतु अनुदान दिए जाते हैं वहां विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के उपरान्त इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

[1] स्रोतः लेखा एवं हकदारी कार्यालय

1987-88 से 2000-2001 की अवधि के दौरान अदा किए गए 498.94 करोड़ रू0 की सकल राशि के अनुदानों तथा ऋणों के संदर्भ में देय 5194 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से केवल 203.44 करोड़ रू0 के 2783 उपयोगिता प्रमाणपत्र 31 मई 2002 तक प्रस्तुत किए गए थे तथा 295.50 करोड़ रू0 के 2411 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागवार वर्णन निम्नवत् था:

तालिका: 6.2

(करोड़ रूपए)

विभाग	प्रस्तुत न किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
ग्रामीण विकास	816	82.50
शिक्षा	497	96.38
शहरी विकास/स्थानीय स्वशासन	87	6.30
पशुपालन	2	0.61
सहकारिता	185	0.96
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	175	6.48
पर्यटन	19	5.50
उद्योग	161	12.45
वन कृषि तथा पर्यावरणीय संरक्षण	63	51.12
भाषा, कला एवं संस्कृति	303	1.22
स्वास्थ्य एवं कल्याण	21	1.20
कृषि	48	16.91
अन्य प्रशासनिक सेवायें	1	0.05
बागवानी	17	12.21
मत्स्य	10	0.19
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	6	1.42
जोड़:	2411	295.50

निम्नवत् सारणी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की सीमा दर्शाती है:

तालिका: 6.3

(करोड़ रूपए)

	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
तीन वर्ष तक	1931	259.27
तीन वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष तक	320	26.90
पांच वर्ष से अधिक, परन्तु दस वर्ष तक	151	9.13
दस वर्ष से अधिक	09	0.20
जोड़:	2411	295.50

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं था कि क्या प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया जिनके लिए यह अपेक्षित थे।

(ग) लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

जिन संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत अपेक्षित है उनकी शिनाख्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, जिस प्रयोजन के लिए सहायता संस्वीकृत की गई तथा संस्थाओं का कुल व्यय के संदर्भ में संविस्तृत सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर 71 निकायों तथा प्राधिकरणों के 2001-2002 तथा पूर्व वर्षों के 178 वार्षिक लेखे जिनका ब्यौरा परिशिष्ट-XVII में दिया गया है, महालेखाकार को जुलाई 2002 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(घ) लेखापरीक्षा व्यवस्था

स्थानीय निकायों (जिला परिषदें, नगरपालिकाएं, कस्बा क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियां), शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्यों की लेखापरीक्षा परीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा की जाती है तथा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज द्वारा की जाती है।

42 निकायों/प्राधिकरणों जिनके लेखे जुलाई 2002 तक प्राप्त हुए, में से 28 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत अपेक्षित है। इसमें से 27 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा जुलाई 2002 तक सम्पन्न की गई।

लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए रूचिकर मामलों को आगामी परिच्छेदों में दिया गया हैः

सहकारिता विभाग

6.2 विभाग द्वारा दिये गये अनुदानों तथा ऋणों के अनुश्रवण में कमियाँ

6.2.1 अनुदान

1997-2002 के दौरान सहकारिता विभाग ने सहकारी सभाओं/समितियों को क्रमशः 6.87 करोड़ रू0 तथा 35.38 करोड़ रू0 के अनुदान तथा ऋण निस्तारित किये।

पंजीयक, सहकारी सभाएं तथा सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, किन्नौर तथा शिमला के अभिलेखों की नमूना-जाँच से निम्नलिखित कमियाँ उद्‌घाटित (मार्च-अप्रैल 2002) हुईः-

(i) 1997-2001 के दौरान संस्वीकृत किए गये अनुदानों के सम्बन्ध में अनुदानग्राही संस्थाओं से अप्रैल 1998 तथा मार्च 2002 के मध्य देय 2.35 करोड़ रू0 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित थे (मार्च 2002) । इसके अतिरिक्त, सरकारी अनुदानों में से अर्जित स्थायी तथा अर्ध-स्थायी परिसम्पत्तियों के

परिसम्पत्ति रजिस्टर न तो बनाए गए थे और न ही कभी उनकी प्रतियाँ संस्वीकृति प्राधिकारी को वार्षिक रूप से स्थायी अभिलेख के लिए भेजी गई थी।

(ii) जब एक बार सहायता अनुदान संस्वीकृत कर दी है तो अनुदानग्राही संस्था द्वारा बिल तैयार करने चाहिए तथा प्रतिहस्ताक्षरित प्राधिकारी को हस्ताक्षर के लिए तथा कोषालयाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने चाहिए। संस्वीकृति प्राधिकारी अनुदानग्राही की ओर से इस कार्य को करने के लिए नहीं था। इसके विपरीत सभी सहायता अनुदानों के बिल विभाग द्वारा स्वयं तैयार किए जा रहे थे तथा राशि कोषालय से आहरित की जा रही थी तथा उसके पश्चात् अनुदानग्राही संस्थाओं को निस्तारित की जा रही थी।

6.2.2 ऋण

नीचे तालिका 1997-2001 के दौरान ऋण राशि का वर्षवार ब्यौरा, जिसकी वसूली प्रत्येक वर्ष मार्च की समाप्ति पर अतिदेय थी, को दर्शाती है:-

तालिका: 6.4

(लाख रूपए)

क्र0	31 मार्च को समाप्त वर्ष	सभाओं की संख्या	अतिदेय राशि		
			मूलधन	ब्याज	जोड़
1.	1998	110	77.28	198.26	275.54
2.	1999	119	86.12	143.46	229.58
3.	2000	121	113.41	194.11	307.52
4.	2001	118	137.06	234.41	371.47

(i) मार्च 1998 से मार्च 2001 को समाप्त अवधि के दौरान चूककर्ता सभाओं की संख्या 110 तथा 121 के मध्य थी तथा वसूलीयोग्य राशि 2.76 करोड़ रू0 से 3.71 करोड़ रू0 हो गई थी। इसमें से 45.20 लाख रू0 सात जिलों* में परिसमापनाधीन 26 सभाओं के प्रति बकाया थे। पंजीयक, सहकारी सभाएँ ने कुछ सभाओं की कमजोर वित्तीय स्थिति से अतिदेय राशि की वसूली न करने का कारण बताया (मई 2002)।

(ii) 37 मामलों में सभाओं से 29.77 लाख रू0 का दण्ड ब्याज वसूली योग्य था। इसमें से 9.65 लाख रू0 नवम्बर 2001 तक वसूल कर लिये गये थे। 20.12 लाख रू0 का बकाया अभी भी वसूली योग्य था।

मामला सरकार को मई 2002 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

---

* चम्बा:2 ; कांगड़ा:1; किन्नौर:1; कुल्लू:7; मण्डी:3; शिमला:11 और सोलन:1

शिक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय)

6.3 सरकारी निधियों का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बाल छात्रावास के निर्माण हेतु अवरोध मुक्त स्थल के प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप 1.41 करोड़ रू0 की सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अनुसूचित जनजाति के 200 विद्यार्थियों के लिये आवास व्यवस्था करने तथा उनको खुले बाजार में उच्चतर दर पर भुगतान करने से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सिलवर वूड कॉटेज स्थित चैली कलाँ (शिमला जिला) गाँव में 4.16 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर बाल छात्रावास के निर्माण का अनुमोदन किया था (अगस्त 1999)। राज्य सरकार ने छात्रावास भवन के निर्माण हेतु 1.41 करोड़ रू0 (केन्द्रीय अंशः एक करोड़ रू0; राज्यांशः 40.96 लाख रू0) निस्तारित किए (मार्च 1999) तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सिलवर वूड एस्टेट में 32.18 बीघा भूमि (जुलाई 1999) सहित सम्पत्ति स्थानान्तरित की। इसके अतिरिक्त, वन भूमि के साथ वाला कुछ भाग भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किया जाना था।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ (फरवरी 2002) कि छात्रावास भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि चयनित स्थल पर छः बान के वृक्ष थे। इन वृक्षों को गिराने तथा अवानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1982 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार नगर निगम, शिमला तथा वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक थी। तथापि, मई 2002 तक कोई ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त सिलवर वूड कॉटेज अनाधिकृत अधिभोक्ताओं के कब्जे में थी। सम्पत्ति को खाली करवाने के लिए भी ~~(जून 2002)~~ कार्रवाई नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ने बताया (फरवरी 2002) कि सिलवर वूड कॉटेज के कब्जे को खाली करवाने के लिए बातचीत चल रही थी। इसके अतिरिक्त, उप-कुलपति ने बताया (मई 2002) कि वृक्षों को गिराने के लिए वन विभाग से मांगी गई (सितम्बर 2001) अनुमति प्रतीक्षित थी।

इस प्रकार, अवरोध मुक्त कार्य स्थल को प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को शुरू करने में 37 मास का विलम्ब तथा 1.41 करोड़ रू0 की निधियों का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को अभिप्रेत लाभों से वंचित किया। कार्य जुलाई 2002 तक शुरू नहीं किया गया था।

मामला अप्रैल 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

6.4 समय पर पुरूषों के छात्रावास का निर्माण न करने के कारण विशेष अनुदान का व्यपगमन

विश्वविद्यालय में समय पर पुरुष छात्रावास का निर्माण न करने के कारण 31.50 लाख रू0 की विशेष अनुदान का व्यपगमन हुआ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 40 विद्यार्थियों को आवास सुविधा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय परिसर में पुरूष छात्रावास के निर्माण के लिए 63 लाख रू0 का विशेष अनुदान अनुमोदित किया (मार्च 1998)। विशेष अनुदान, नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वविद्यालय को आबंटित 2.60 करोड़ रू0 के विकास अनुदान के अतिरिक्त था। विशेष अनुदान की 31.50 लाख रू0 की पहली किस्त मार्च 1998 में निस्तारित की गई थी। आकलन जिसके आधार पर विशेष अनुदान संस्वीकृत की गई थी, में 946 वर्गमीटर के प्लिंथ क्षेत्र वाले दो मंजिला के आरसीसी ढांचे के निर्माण के लिए प्रावधान था। भवन का निर्माण 4 नवम्बर 1999 तक पूर्ण किया जाना था जिसके असफल होने पर अनुदान की दूसरी किस्त जारी नहीं की जानी थी तथा पूर्व में जारी की गई विशेष अनुदान को नवीं योजना आबंटन के अंश के रूप में समझा जाना था। विश्वविद्यालय ने पांच मंजिला छात्रावास भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया (अगस्त 1998) जिसकी तीन मंजिले (प्रथम चरण) 40 विद्यार्थियों को आवास सुविधा देने के लिए निर्मित की जानी थी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्‌घाटित हुआ (जून 2002) कि प्रस्तावित क्षेत्र में अवरोधों के कारण प्लिंथ क्षेत्र को लगभग 700 वर्गमीटर कम किया था। क्योंकि विश्वविद्यालय निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण करने में असफल रहा था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष अनुदान की राशि को 31.50 लाख रू0 तक सीमित किया (दिसम्बर 1999) तथा भवन की पूर्णता तक इस राशि के अतिरिक्त व्यय को नवीं योजना में आबंटन के प्रति समायोजित किया जाना था। भवन अभी भी (जून 2002) अपूर्ण था तथा इस प्रकार इसमें 32 मास का समय अधिक हो गया था।

भवन के प्रथम चरण को पूर्ण करने के लिए मार्च 2002 तक 33.10 लाख रू0 का व्यय किया गया तथा 12.75 लाख रू0 आन्तरिक विद्युत व्यवस्था का प्रावधान करने (2.25 लाख रू0), ट्रॉसफार्मर को प्रतिष्ठापित करने (9.20 लाख रू0) तथा विविध (1.30 लाख रू0) के लिए अपेक्षित थे। विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ने बताया (जून 2002) कि भवन का प्लिंथ क्षेत्र कार्य के निष्पादन के समय कम किया गया था क्योंकि जिस क्षेत्र पर भवन निर्मित किया जाना था उसमें बाधाएं आ रही थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पांच मंजिला भवन का निर्माण करने का निर्णय अगस्त 1998 में लिया गया था, 40 विद्यार्थियों को प्रस्तावित आवास सुविधा प्रदान करने हेतु जिसकी तीन मंजिलें, 31.50 लाख रू0 की विशेष अनुदान की दूसरी किस्त का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक 4 नवम्बर 1999 तक निर्मित की जानी थी।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के अंदर छात्रावास भवन का निर्माण न करने के कारण विश्वविद्यालय ने 31.50 लाख रू0 की विशेष अनुदान का व्यपगमन होने दिया। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियां उस सीमा तक प्रभावित हुई क्योंकि व्यपगत अनुदान नवीं योजना में आबंटन के प्रति समायोजित की जानी थी।

मामला जुलाई 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

उद्यान विभाग

6.5 डॉ0 वाई0एस0 परमार, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय नौणी (सोलन) की कार्यप्रणाली

6.5.1 प्रस्तावना

डॉ0 वाई0एस0 परमार, बागवानी तथा वानिकी, विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) को बागवानी, वानिकी तथा विद्या की सम्बद्ध शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कृषि, बागवानी तथा वानिकी अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर से सोलन परिसर को असम्बद्ध करने के पश्चात्, 1 दिसम्बर 1985 को स्थापित किया गया था।

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की समग्र कार्यप्रणाली का प्रबन्धक मण्डल, विद्या परिषद, संकायों तथा ऐसे दूसरे निकाय, जो विश्वविद्यालय के विधानों के अन्तर्गत इन प्रयोजनों के लिए घोषित किए गए हों, द्वारा संचालन किया जाता है। कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी तथा प्रबन्धक मण्डल एवं विभिन्न परिषदों* का पदेन सभापति है। उसके कार्य-निर्वहन में दो महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं, शोध एवं प्रसार शिक्षा के निदेशकों, छात्र कल्याण अधिकारी, पंजीयक, लेखा नियंत्रक, सम्पदा अधिकारी आदि द्वारा सहायता की जाती है।

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के 2001-02 के अभिलेखों सहित 1997-2001 की अवधि के लेखों तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों की जनवरी-अप्रैल 2002 के दौरान नमूना-जांच की गई। लेखापरीक्षा के मुख्य जांच परिणाम अनुवर्ती परिच्छेदों में विवेचित किए गए हैं।

6.5.2 वित्तीय परिव्यय तथा इसकी व्यवस्था

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय विभिन्न स्रोतों से अनुदान प्राप्त करता है। 1997-2001 के दौरान प्राप्तियों तथा किए गए व्यय की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैः-

तालिकाः 6.5

(करोड़ रुपए)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
अथशेष	3.69	8.17	6.44	5.14
प्राप्त अनुदान				
राज्य सरकार	14.31	12.89	14.41	16.88
केन्द्रीय सरकार	1.00	1.22	0.88	0.89
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	2.95	3.48	7.57	6.13
भारतीय वानिकी अनुसन्धान तथा शिक्षा परिषद	1.02	0.28	0.31	0.31

* *विद्या परिषद, प्रसार परिषद तथा अनुसन्धान परिषद*

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
विविध	0.90	0.16	0.42	0.26
विविध प्राप्तियां				
घरेलू	1.19	1.24	1.38	1.39
अन्य	0.28	0.78	0.68	0.81
कुल प्राप्तियां	25.34	28.22	32.09	31.81
में से व्यय				
(क) राज्य अनुदान	12.75	16.54	18.47	21.87
(ख) अन्य अनुदान	4.42	5.24	8.49	7.38
कुल व्यय	17.17	21.78	26.95	29.26
अन्तशेष	8.17	6.44	5.14	2.55

स्रोतः बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे।

आंकड़ों के विश्लेषण से उद्घाटित हुआः

(क) 1998-1999 से 2000-2001 के दौरान विश्वविद्यालय की घरेलू प्राप्तियों सहित राज्य सरकार से प्राप्तियां 48.19 करोड़ रू0 थी जबकि किया गया व्यय 56.88 करोड़ रू0 था। अन्य निधिकरण अभिकरणों के अनुमोदन के बिना 8.69 करोड़ रू0 का अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से निधियों के विचलन करने से पूरा किया गया।

(ख) 1997-2001 के दौरान विश्वविद्यालय को प्राप्तियों (सहायता अनुदान सहित) में समग्र वृद्धि 26 प्रतिशत थी जबकि व्यय में इस अवधि के दौरान 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) यह पाया गया कि राज्य निधिबद्ध स्कीमों के अन्तर्गत कर्मचारियों के "वेतन[1]" घटक पर व्यय 1997-98 के दौरान 73 प्रतिशत से 2000-2001 में राज्य अनुदानों में से व्यय का 81 प्रतिशत बढ़ गया था।

(घ) 1997-2001 के दौरान विश्वविद्यालय के लेखों में "अव्ययित शेषों" शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न राज्य/केन्द्रीय स्कीमों के प्रति ऋणात्मक शेष[2] दर्शाए गए थे जो इस बात के सूचक थे कि विचलित राशि की पर्याप्त अनुदानों को समय पर प्राप्त न करने के कारण पूर्ति नहीं की जा सकी। मार्च 2001 के अन्त में ऋणात्मक शेष 1.78 करोड़ रू0 के थे।

उप नियंत्रक ने बताया (अप्रैल 2002) कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानें विश्वविद्यालय की निम्नतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी तथा परियोजना निधियों से प्रयुक्त की गई अधिक राशि की राज्य सरकार से अपर्याप्त सहायता अनुदान के कारण अब तक पूर्ति नहीं की जा सकी।

नमूना-जांच के दौरान भत्तों का अधिक भुगतान/अग्राह्य भुगतान, अनियमित व्यय, आदि के निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आएः

---

1 *1997-98: 925.63 लाख रू0; 1998-99: 1303.17 लाख रू0; 1999-2000:1412.05 लाख रू0 तथा 2000-2001 : 1777.52 लाख रू0।*

2 *1997-98 : 65.70 लाख रू0; 1998-99: 60.20 लाख रू0; 1999-2000: 26.89 लाख रू0 तथा 2000-2001: 178.12 लाख रू0।*

(i) मकान किराया भत्ते का अधिक भुगतान-17.66 लाख रू0

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की नियमावली में प्रावधान है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्थानीय भत्तों की वही दरें ग्राह्य होगी जो तैनाती के सम्बद्ध स्थान पर होगी। वित्त विभाग ने भी स्पष्ट किया था (मार्च 2000) कि नौणी में तैनात कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों/स्थानों के लिए निर्धारित किया गया मकान किराया भत्ते के हकदार हो सकते थे तथा जिला मुख्यालय, सोलन के लिए निर्दिष्ट मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं हो सकते थे। इसके बावजूद नौणी में तैनात 708 से 772 कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का सितम्बर 1999 से उच्चतर दरों पर भुगतान किया गया जिसके फलस्वरूप सितम्बर 1999-मार्च 2002 के दौरान 17.66 लाख रू0 का अधिक भुगतान हुआ। नियंत्रक ने बताया (मार्च 2002) कि मकान किराया भत्ते का उच्चतर दरों से भुगतान के लिए प्रबन्धक मण्डल तथा वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त था। तर्क मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धक मण्डल का अनुमोदन नियमावली के प्रावधानों के विपरीत था तथा वित्त विभाग ने इस भत्ते को देने की कभी अनुमति नहीं दी थी।

(ii) सचिवालय भत्ते का अग्राह्य भुगतान-21.11 लाख रू0

सचिवालय भत्ता हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला अथवा इसके समकक्ष कार्यालयों में कार्य करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य था। तथापि, यह पाया गया कि बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने फरवरी 1997-फरवरी 2002 के दौरान बेलदारों, चिकित्सा परिचरों तथा कार्यशाला के हैल्परों को सचिवालय भत्ते के रूप में 13.94 लाख रू0 का भुगतान किया जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इन वर्गों के किसी भी कर्मचारी को ग्राह्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, केवल प्रशासकीय कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को इस भत्ते को प्रदान करने के बजाए, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने सितम्बर 1997-मार्च 2002 के दौरान अपने अन्य सभी कर्मचारियों को भी जो या तो निदेशालयों में या क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात थे, सचिवालय भत्ते के रूप में 7.17 लाख रू0 का भुगतान किया। 1996-2002 के दौरान सचिवालय भत्ते के अनुचित भुगतान के फलस्वरूप 21.11 लाख रू0 का बहिर्वाह हुआ था। बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने इस भत्ते को प्रदान करने के लिए कोई कारण नहीं बताए।

(iii) दैनिक भोगी श्रमिकों की अनियमित नियुक्ति-1.24 करोड़ रू0

राज्य सरकार के अनुदेशों (जुलाई 1995) में प्रावधान है कि दैनिक भोगी/उपस्थिति नामावली श्रमिकों की वित्त विभाग के माध्यम से सरकार के अनुमोदन के बिना कोई नई भर्ती न की जाए। 1996-2000 के दौरान बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने अपेक्षित अनुमोदन के बिना ऐसे 135 श्रमिकों की नियुक्ति की। इसके फलस्वरूप 1997-2002 के दौरान इन श्रमिकों के नियमित करने के लिए दायिता के सृजन के अतिरिक्त 1.24 करोड़ रू0 का अनियमित व्यय हुआ।

(iv) बसों के अलाभकर परिचालन के कारण हानि- 70 लाख रू0

यद्यपि, सोलन तथा नौणी के बीच में अच्छी परिवहन सुविधाएं विद्यमान थी, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को रियायती पास आधार पर परिवहन सुविधाएं देने के लिए अनावश्यक रूप से अपनी बसों को चलाया। बागवानी तथा वानिकी, विश्वविद्यालय ने बसों की परिचालन लागत की वसूली भी नहीं की। परिणामस्वरूप, बागवानी तथा वानिकी, विश्वविद्यालय ने 1997-फरवरी 2002 के दौरान छः से नौ बसों को चलाने पर 70 लाख रू0 की हानि वहन की। हानि में बेकार समय के लिए 12 से 18 चालकों/परिचालकों के वेतन तथा भत्तों के 25.95 लाख रू0 सम्मिलित थे। 1997-2002 के दौरान बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने सहायता प्राप्त परिवहन की नीति तथा बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था पर इसके अनुवर्ती प्रभाव की समीक्षा नहीं की।

बागवानी तथा वानिकी, विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (अप्रैल 2002) कि बसें प्रशासकीय आदेशों के अनुसार चलाई जा रही थी तथा नए सदस्यों के लिए बस सुविधा जून 1992 से बंद कर दी गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बसों को चलाने के परिणामस्वरूप हानि को वहन करना सरकार की दृष्टि में अविवेकपूर्ण था तथा सोलन व नौणी के बीच में निजी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध थी।

6.5.3 मान्यता के बिना एमबीए पाठ्यक्रम को चलाना

बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी तथा वानिकी शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद् से मार्च 2002 तक आवश्यक अनुमति जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित थी को प्राप्त किए बिना शैक्षणिक सत्र 1997-98 से एमबीए (कृषि व्यवसाय) कार्यक्रम शुरू किया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से भी मान्य प्राप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार 1999-2002 के दौरान 56 विद्यार्थियों को प्रदत्त एमबीए की उपाधियां अमान्य रही थी जिससे विद्यार्थियों के जीवन की प्रत्याशाएं प्रभावित हुई।

पंजीयक ने बताया (मार्च 2002) कि पाठ्यक्रम प्रबन्धक मण्डल के अनुमोदन से शुरू किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नए पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्तियां परिषद् के पास हैं।

6.5.4 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

(i) मशीनरी तथा उपस्करों की प्रयुक्ति न करना

1995-96 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन, मशोबरा में शीतागार वॉक-इन-चैम्बर को प्रतिष्ठापित करने तथा चालू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय को 45 लाख रू0 प्रदान किये। कार्य को 30 जून 1996 को परियोजना अवधि की समाप्ति से पहले पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि धनराशि परियोजना के निष्पादन के लिए निदेशक अनुसंधान द्वारा बिना किसी आयोजना के आहरित की गई थी (जून 1995) तथा बैंक में रखी थी। धनराशि मार्च 1996 में परियोजना पर प्रयुक्त करने के लिए क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन, मशोबरा को भेजी गई।

आगे यह पाया गया कि चण्डीगढ़ आधारित फर्म को प्रदत्त (फरवरी 1996) पांच पूर्व निर्मित शीतागार वॉक-इन-चैम्बर्ज की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा प्रारम्भ करने का कार्य, पर्याप्त तथा नियमित जलापूर्ति की अनुपलब्धता के कारण हयूमिडिफायर्ज के प्रतिष्ठापन को छोड़कर, दिसम्बर 1996 में पूर्ण किया गया। 3.64 लाख रू0 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, शिमला के पास नियमित जलापूर्ति के लिए दो सवमर्सीवल हेन्ड पम्पों हेतु जमा किए गए (अगस्त 1996)। पम्पों की मार्च 2002 तक पूर्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन में पर्याप्त तथा नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप अब तक 44.28 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ था।

सह निदेशक, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन, मशोबरा ने बताया (अप्रैल 2002) कि ये चैम्बर्ज कार्यात्मक नहीं बनाए जा सके क्योंकि इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सिचांई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने 2.70 लाख रू0 और मांगे थे (मार्च 2002)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के पास 45 लाख रू0 पर अर्जित 6.28 लाख रू0 के ब्याज सहित 7 लाख रू0

की शेष निधियां उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त चैम्बर्ज को प्रतिष्ठापित करने से पहले पर्याप्त तथा नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

(ii) उपस्करों का कम उपयोग किया जाना

विपणन गतिविधियां बढ़ाने के द्वारा किसानों/फलोत्पादकों के मध्य नवीनतम प्रौद्योगिकी लोकप्रिय बनाने, बहुत ज्यादा खराब होने वाले गुठलीदार फलों के संग्रहण जीवन को बढ़ाने तथा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा/अनुसंधान कार्य का प्रबन्ध करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने "पोस्ट हार्वेस्ट मनैजमैंट ऑफ टेम्पेरेट फ्रुटस" शीर्षक से एक परियोजना संस्वीकृत की (अप्रैल 1995)। तद्नुसार, पूर्व शीतल यूनिट तथा श्रेणीकरण व पैंकिंग लाईन खरीदने के लिए 20 लाख रू0 का प्रावधान किया गया (अप्रैल 1995) ।

एक गतिशील पूर्व शीतल यूनिट बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा 8.62 लाख रू0 की लागत से खरीदा गया (अगस्त 1997) जबकि श्रेणीकरण व पैंकिंग लाईन 8.53 लाख रू0 का खरीदा गया (जुलाई 1996) । दोनों उपस्कर जून 1998 तक बेकार पड़े रहे। बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने प्रत्येक फल मौसम के दौरान पाँच से छः समय के लिए फलोत्पादकों को इन उपस्करों के प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण देने के लक्ष्य निर्धारित किए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि श्रेणीकरण व पैंकिंग लाईन को जुलाई 1998 तथा जनवरी 2001 के दौरान दो प्रदर्शनों की व्यवस्था करने हेतु 6-1/2 घण्टों के लिए तथा मार्च 2002 तक शिक्षा/अनुसंधान के कार्य हेतु 6 घण्टों के लिए प्रयुक्त किया गया। इसी प्रकार, गतिशील पूर्व शीतल युनिट को जून 1998- जनवरी 2001 के दौरान दो प्रदर्शनों हेतु छः घण्टों के लिए प्रयुक्त किया गया तथा इसका शिक्षा/अनुसंधान कार्य हेतु सात अवसरों पर 15-1/2 घण्टों के लिए उपयोग किया गया।

इस प्रकार, 17.65 लाख रू0 के उपस्करों की 1996-2002 के दौरान 83 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक कम उपयोग हुआ। बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने इन उपस्करों के कम उपयोग करने हेतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

6.5.5 अनाधिकृत व्यय

(i) मानकों से अधिक तैनात किए गए कर्मचारी

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देशों (सितम्बर 1997) के अनुसार विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में 16 कर्मचारियों की संशोधित संस्वीकृत संख्या से अधिक किसी भी खाली पद को नहीं भरना था। इन निर्देशों के विपरीत बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने नवम्बर 1997-मार्च 2000 के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अनुमोदन के बिना तीन कृषि विज्ञान केन्द्रों[2] में 16 कर्मचारियों की नियुक्ति की। 1997-2001 के दौरान 13.26 लाख रू0 का व्यय इनके वेतन तथा भत्तों पर किया गया जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अनुदान पर वैध प्रभार नहीं था। बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के निदेशक, प्रसार शिक्षा ने बताया (अप्रैल 2002) कि अतिरिक्त निधियों के निस्तारित करने का मामला भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के साथ उठाया गया था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि भारतीय कृषि

[2] *चम्बाः 10; रिकांगपिओः 3 तथा रोहडूः 3*

अनुसन्धान परिषद के निर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला दिसम्बर 2001 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के साथ उठाया गया।

(ii) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के दिशा-निर्देशों (जनवरी 1998) में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि केवल उन अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अनुदानों से आहरित किया जाए जो कृषि विज्ञान केन्द्रों में वास्तविक रूप में कार्य कर रहे थे। इन दिशा-निर्देशों के विपरीत बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 1998-फरवरी 2002 के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अनुदानों में से 6.55 लाख रू0 का व्यय 19 कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर किया जो कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्य नहीं कर रहे थे। बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के निदेशक, प्रसार शिक्षा ने बताया (अप्रैल 2002) कि विश्वविद्यालय की ओर से अपने आदेशों की पूर्ति करने हेतु सुचारू कार्य प्रणाली के लिए समय-समय पर कृषि विज्ञान केन्द्रों में कर्मचारियों की तैनाती करने की व्यवस्था करना अनिवार्य था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

6.5.6 अन्य रूचिकर बातें

(i) अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय

चार स्थानों पर स्थित 27.83 लाख रू0 की अनुमानित लागत के पाँच निर्माण कार्य[3] जनवरी 1990-सितम्बर 1991 के दौरान चार ठेकेदारों को अधिनिर्णय के एक वर्ष के अन्दर कार्य समापन के अनुबन्ध के साथ प्रदत्त किए। यह पाया गया कि नवम्बर 1998-मार्च 1999 के दौरान ठेकेदारों ने आंशिक निष्पादन के पश्चात् कार्यों को छोड़ दिया, अब तक 27.26 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ने बताया (अप्रैल 2002) कि बहुत से कार्य, परिष्करण कार्य को छोड़कर सम्पूर्ण किए गए थे, परिष्करण कार्य को पूर्ण करने के प्रयत्न किए जा रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ने चूककर्ता ठेकेदारों के प्रति न तो कोई कार्रवाई की और न ही कार्यों को पूर्ण करने के कोई प्रयत्न किए थे।

(ii) तुलनपत्र का तैयार न करना

विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही तुलन-पत्र को तैयार न करने के बारे में मार्च 1994 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) -हिमाचल प्रदेश सरकार के परिच्छेद 6.2.2.5 में उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने 192 वें प्रतिवेदन-8वीं विधान सभा में सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय द्वारा तुलनपत्रों का तैयार करना आवश्यक था। नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद तुलन पत्र तैयार नहीं किए गए तथा सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए जबकि अधिनियम की धारा 45 (3) के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित था।

(iii) आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न करना-2.14 करोड़ रू0

नियमों में यह अपेक्षित है कि सभी अग्रिम उनके आहरण के एक मास के अन्दर समायोजित किए जाने चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो, कोई भी अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् असमायोजित

[3] *विज्ञानी आवासः मशोबरा, शर्बो तथा ताबों में 3; पौध घर तथा मिस्ट चैम्बरः शर्बो में प्रत्येक एक*

नहीं रहना चाहिए। यह पाया गया कि 1995-2001 के दौरान विभिन्न कर्मचारियों को आकस्मिक व्यय करने के लिए स्वीकृत 2.14 करोड़ रू0 के अस्थायी अग्रिम मार्च 2002 तक बकाया थे। अधीक्षक (लेखा) ने बताया (अप्रैल 2002) कि अग्रिम लेखे 95 प्रतिशत के लगभग समर्पित किये थे तथा समाशोधन हेतु प्रतीक्षित थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अस्थाई अग्रिमों का समायोजन आहरण के एक मास के अन्दर किया जाना अपेक्षित था।

ये तथ्य जून 2002 में सरकार को संदर्भित किए गए थे ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002) ।

ग्रामीण विकास विभाग

6.6 निष्फल व्यय तथा निधियों का अवरोधन

गान्धी कुटीर योजना के अन्तर्गत समय पर लाभग्राहियों को 15.12 लाख रू0 की सहायता निस्तारित करने में तथा मकानों के निष्पादन/समापन का अनुश्रवण करने के लिए विभाग की विफलता के फलस्वरूप 30.14 लाख रू0 का निष्फल व्यय हुआ।

हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम गान्धी कुटीर योजना, प्रत्येक व्यक्ति को जिसका अपना मकान नहीं है को मकान के निर्माणार्थ 15,800 रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1994 में प्रारम्भ की गई। 1996-1997 से प्रत्येक लाभार्थी को सहायता 16,300 रू0 को बढ़ाई गई। लाभार्थियों की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पहचान की जानी थी तथा सहायता तीन किश्तों में 4500 रू0 (शुरू करने से पहले) , 8500 रू0 (कुर्सी स्तर तक सम्पूर्ण करने पर) तथा 3300 रू0 (समाप्ति पर) निस्तारित की जानी थी। वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला प्रतिवेदन खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जाना था।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू के अभिलेखों की नमूना-जाँच (नवम्बर 2001) तथा खण्ड विकास अधिकारी, आनी व कुल्लू से एकत्रित की गई अतिरिक्त सूचना (जून 2002) से उद्घाटित हुआ कि 1994-2000 के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने कुल्लू जिला के तीन खण्ड विकास अधिकारियों[1] को 279 मकानों (44 मकानों को 15,800 रू0 की दर से तथा 235 मकानों को 16,300 रू0 की दर से) के निर्माणार्थ 45.26 लाख रू0 निस्तारित किए। लाभार्थियों द्वारा निर्मित किये जाने वाले मकान 1994-2000 के दौरान सम्पूर्ण किए जाने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सभी मकान अपूर्ण थे जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारियों ने लाभार्थियों को 30.14 लाख[2] रू0 निस्तारित किए थे। मई 2002 को उनके पास 15.12 लाख रू0 अप्रयुक्त पड़े हुए थे तथा मकानों के निर्माणार्थ लाभार्थियों को निस्तारित नहीं किए गए।

जबकि खण्ड विकास अधिकारी, आनी तथा निरमण्ड ने बताया (जून 2002) कि लाभग्राही मकानों को सम्पूर्ण करने के विलम्ब के लिए स्वयं उत्तरदायी थे, खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू ने बताया

1 *आनीः 22 मकान (3.57 लाख रू0) ; कुल्लूः 54 मकान (8.80 लाख रू0); निरमण्डः 203 मकान (32.89 लाख रू0)*

2 *आनीः 2.71 लाख रू0; कुल्लूः 2.44 लाख रू0 तथा निरमण्डः 24.99 लाख रू0*

(नवम्बर 2001) कि मकान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से पूर्ण अनुदान की प्राप्ति के अभाव में सम्पूर्ण नहीं किए जा सके। परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने बताया (मई 2002) कि खण्ड विकास अधिकारियों ने गान्धी कुटीर योजना के अन्तर्गत मकानों को पूरा करने का अनुरोध किया था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारियों को समय पर 45.26 लाख रू0 की संस्वीकृत राशि निस्तारित की थी परन्तु पश्चात्कथित लाभग्राहियों को 15.12 लाख रू0[3] की शेष राशि मकानों को पूरा करने के लिए निस्तारित करने में विफल हुआ। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा खण्ड विकास अधिकारी वास्तविक प्रगति का अनुश्रवण करने तथा निर्धारित अवधि के अन्दर मकानों को पूरा करने में विफल हुए थे।

इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा लाभग्राहियों को 15.12 लाख रू0 की वित्तीय सहायता निस्तारित करने में विफलता के फलस्वरूप 30.14 लाख रू0 का व्यय निष्फल हुआ।

मामला जून 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

शहरी विकास विभाग

6.7 विश्राम गृह भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

नगर निगम शिमला की ओर से निधियों की व्यवस्था करने तथा दरों को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई न करने के कारण 23.71 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा था।

नगर निगम, शिमला द्वारा अलीसियम देवी धार सड़क (अनुमानित लागतः 10.58 लाख रू0) के साथ एवर सन्नी बिल्डिंग के नजदीक एक विश्राम गृह के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को 16.28 लाख रू0 का दिया था (जनवरी 1994)। निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा किया जाना था। अभिकल्प तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण नगर निगम, शिमला की वित्त, संविदा तथा आयोजना समिति ने 24.50 लाख रू0 के संशोधित आकलन का अनुमोदन किया (जनवरी 1997)।

नगर निगम के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ (अक्तूबर 2001) कि 1996 के दौरान ठेकेदार ने 18.25 लाख रू0 की सीमा तक के कार्य का निष्पादन करने के पश्चात् निर्माण गतिविधियां बन्द कर दी क्योंकि नगर निगम उसके द्वारा निष्पादित अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों की दरों को अन्तिम रूप देने में विफल हुआ। 16.90 लाख रू0 का भुगतान अगस्त 1997 (छठा चालू लेखा बिल) तक निस्तारित किया गया। इसके अतिरिक्त अगस्त 1996-जून 1997 के दौरान टाईलों, स्वच्छता साज-सामान तथा ब्रेस्ट दीवारों आदि की व्यवस्था करने हेतु 6.81 लाख रू0 का व्यय भी किया था।

नगर निगम ने शेष निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु शहरी विकास विभाग से 8 लाख रू0 की अनुदान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था (अक्तूबर 2000)। शहरी विकास विभाग ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया (नवम्बर 2000) तथा नगर निगम को नगर निधियों व चूंगी अनुदान में से व्यय को पूरा करने का परामर्श दिया। तथापि नगर निगम ने अतिरिक्त/स्थानापन्न मदों के लिए आंशिक दरें

[3] *आनीः 0.86 लाख रू0; कुल्लूः 6.36 लाख रू0 तथा निरमण्डः 7.90 लाख रू0*

अनुमत्त की तथा दरों को अन्तिम रूप देने, निधियों की व्यवस्था करने तथा कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की यद्यपि ठेकेदार शेष कार्य को प्रचलित बाजार दरों पर निषादन करने का इच्छुक था (सितम्बर 1997)।

इस प्रकार, नगर निगम की ओर से कार्रवाई न करने के कारण 23.71 लाख रू0 का व्यय निष्फल रहा।

मामला फरवरी 2002 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2002)।

जय नारायण

शिमला
दिनांक

(जय नारायण गुप्ता)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट- I

(संदर्भः परिच्छेद 1.1, पृष्ठ.1)

सरकारी लेखे

1. संरचना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

2. भाग- I समेकित निधि

भारत सरकार के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के राजस्व, ऋण तथा उनकी वसूली से सम्बद्ध सभी प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा होती हैं। सभी सरकारी व्यय इस निधि से वहन होता है और राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना इस निधि से किसी भी राशि का प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता। इसके दो मुख्य भाग अर्थात् राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, लोक ऋण तथा ऋण इत्यादि) हैं।

भाग - II आकस्मिकता निधि

भारत के संविधान 267 (2) के अन्तर्गत सृजित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय निधि है जिसे अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु राज्य के राज्यपाल के नियंत्रणाधीन रखा गया है और इसे राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत करना अपेक्षित होता है। तदनन्तर ऐसे व्यय के लिए राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और इतनी ही राशि समेकित निधि से अन्तरित करके आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। इस वर्ष विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत इस निधि से पांच करोड़ रू0 प्राधिकृत किए गए।

भाग - III लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियां, निक्षेप, आरक्षित निधियां, उचन्त, प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि में नहीं आती, उन प्राप्तियों तथा वितरणों को लोक लेखा में लेखाबद्ध किया जाता है तथा इन पर राज्य विधानमण्डल में मतदान नहीं होता।

II. वार्षिक लेखों के फार्म

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों, अर्थात् वित्त लेखे और विनियोजन लेखे में तैयार किए जाते हैं। वित्त लेखे सरकारी लेखाओं में समुचित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बन्धित सभी लेन-देनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर विनियोजन लेखे बजट अनुदानों में राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से व्ययित राशियों के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक हुए व्यय का विधानमण्डल से नियमन अपेक्षित होता है।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ; परिच्छेद 2.3.4 (क); पृष्ठ 33)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	व्यय	बचत
	राजस्व-दत्तमत	(करोड़ रुपए)			
1.	3-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	29.82	2.01	29.03	2.80
2.	4-सामान्य प्रशासन	45.65	0.92	42.60	3.97
3.	6-आबकारी तथा कराधान	14.72	0.53	14.54	0.71
4.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	184.99	0.51	165.83	19.67
5.	22-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	247.77	6.70	237.79	16.68
6.	11-कृषि	75.84	3.70	65.12	14.42
7.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	83.76	1.67	80.88	4.55
8.	20-ग्रामीण विकास	83.00	0.10	72.30	10.80
9.	22- खाद्य एवं भाण्डागारण	10.82	0.03	9.70	1.15
10.	29- वित्त	483.54	9.04	466.73	25.85
11.	30- विविध सामान्य सेवाएं	16.01	1.14	15.34	1.81
	राजस्व-प्रभारित				
12	29-वित्त	1158.95	1.85	1041.63	119.17
	जोड़	2434.87	28.20	2241.49	221.58
	पूंजीगत-दत्तमत				
13.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14.59	1.01	14.52	1.08
14.	17-सड़कें एवं पुल	151.03	5.55	86.59	69.99
15.	31-जनजातीय विकास	80.62	0.13	70.22	10.53
	जोड़	246.24	6.69	171.33	81.60

परिशिष्ट- III

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (ख); पृष्ठ 33)

वास्तविक आवश्यकता से अधिक किए गए अनुपूरक प्रावधानों से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान	मूल प्रावधान	व्यय	अतिरिक्त आवश्यकता	अनुपूरक प्रावधान	बचत
		(करोड़ रुपए)				
	राजस्व-दत्तमत					
1.	1-विधानसभा	5.24	6.33	1.09	1.70	0.61
2.	8-शिक्षा	787.52	792.82	5.30	16.30	11.00
3.	12-बागवानी	48.97	57.51	8.54	9.24	0.70
4.	14-पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य	57.17	61.54	4.37	5.85	1.48
5.	18- आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज	31.03	36.97	5.94	10.48	4.54
	जोड़	929.93	955.17	25.24	43.57	18.33
	पूंजीगत दत्तमत					
6.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	1.12	1.33	0.21	0.81	0.60
7.	21-सहकारिता	0.95	2.26	1.31	2.42	1.11
	जोड़	2.07	3.59	1.52	3.23	1.71
	सकल जोड़	932.00	958.76	26.76	46.80	20.04

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (ग); पृष्ठ 33)

अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान से सम्बन्धित मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	कुल प्रावधान के प्रति आधिक्य
			(करोड़ रुपए)		
	राजस्व- दत्तमत				
1.	5-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	141.76	0.36	166.46	24.34
2.	10-लोक निर्माण	155.20	0.11	203.24	47.93
3.	13-सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	82.34	0.10	99.21	16.77
4.	17-सड़कें एवं पुल	243.83	0.44	252.82	8.55
5.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	277.90	12.85	393.93	103.18
6.	31-जनजातीय विकास	165.07	6.75	198.09	26.27
	जोड़	1066.10	20.61	1313.75	227.04
	पूंजीगत-दत्तमत				
7.	11-कृषि	28.70	3.53	47.68	15.45
8.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	101.52	72.10	189.66	16.04
	जोड़	130.22	75.63	237.34	31.49
	सकल जोड़	1196.32	96.24	1551.09	258.53

परिशिष्ट-V

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.5; पृष्ठ.33)

निरन्तर बचतों/आधिक्यों का विवरण

क्रमांक	अनुदान	1999-2000	2000-2001	2001-2002
		(बचत/आधिक्य की प्रतिशतता)		
	I-बचत			
	क-राजस्व दत्तमत			
1.	4-सामान्य प्रशासन	42	13	9
2.	16-वन एवं वन्य प्राणी	25	12	14
3.	19-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (पोषाहार सहित)	12	6	5
4.	21-सहकारिता	12	13	16
	ख-पूंजीगत-दत्तमत			
5.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	50	56	99
	II आधिक्य			
	ग-राजस्व-दत्तमत			
6.	10-लोक निर्माण कार्य	73	62	31
7.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	12	11	35
8.	31-जनजातीय विकास	9	11	15
	पूंजीगत-प्रभारित			
9.	29-वित्त	1723*	846*	813

* ओवरड्राफ्ट व अर्थोपाय अग्रिमों के सम्बन्ध में अदायगियां सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ.33)

मुख्य कारणों सहित महत्वपूर्ण बचतों का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बचत की राशि (बचत की प्रतिशतता) (करोड़ रुपए)	सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य कारण
			राजस्व-दत्तमत
1	2	3	4
1.	01-विधानसभा	0.61(9)	बचत के कारण अभी तक प्रतीक्षित थे।
2.	3-न्याय प्रशासन तथा निर्वाचन	2.80(9)	रिक्त पदों का न भरना, वर्ष के दौरान सामग्री का कम प्रकाशन तथा पैट्रोल,तेल तथा स्नेहकों पर कम व्यय।
3.	4-सामान्य प्रशासन	3.79(9)	बचत के कारण अभी तक प्रतीक्षित थे।
4.	6-आबकारी तथा कराधान	0.71(5)	बचत के कारण अभी तक प्रतीक्षित थे।
5.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	19.67(11)	रिक्त पदों का न भरना, बिलों की कम प्राप्तियां, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी के लिए कम हकदारी, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय
6.	08-शिक्षा	11.00(1)	रिक्त पदों का न भरना तथा निधियों का अन्य स्कीमों में अपवर्तन
7.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.68(7)	रिक्त पदों का न भरना, आहार तथा अन्य भण्डार वस्तुओं की कम खरीद तथा स्टॉफ द्वारा कम यात्रा।
8.	11-कृषि	14.42(18)	रिक्त पदों का न भरना, बीजों का कम वितरण तथा लाभार्थियों द्वारा उपदान की कम माँग।
9.	12-बागवानी	0.70(1)	रिक्त पदों का न भरना, दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की कम तैनाती, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति, किराया बिलों का कम भुगतान, बागवानी सामग्री की कम खरीद, स्टाफ द्वारा कम दौरे तथा बागवानी शिविरों का कम आयोजन, अनुरक्षण कार्य का कम निष्पादन तथा इमदाद से सम्बन्धित मामलों की कम प्राप्तियां।
10.	14-पशुपालन तथा डेरी विकास	1.48(2)	रिक्त पदों का न भरना, वाहनों पर कम व्यय तथा वर्दी वस्तुओं की कम खरीद, छात्रवृत्ति तथा इमदाद से सम्बन्धित मामलों की कम प्राप्ति, टैलीफोन तथा बिजली बिलों की कम प्राप्तियां, पैट्रोल तेल तथा स्नेहक प्रभारों इत्यादि पर कम व्यय।
11.	15-आयोजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	17.83(16)	रिक्त पदों का न भरना, मानव विकास प्रतिवेदन पर कम व्यय तथा विशेष सेवाओं हेतु कम व्यावसायिक जुटाना, प्रस्तावित स्कीमों का अकार्यान्वयन, कार्यालय से सम्बद्ध सामग्री पर कम व्यय, आथित्य एवं मनोरंजन पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, योजना सीमा में कमी तथा योजना प्रस्तावों इत्यादि की कम प्राप्ति।
12.	16-वन एवं वन्य प्राणी	33.93(14)	भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त न होना, रिक्त पदों का न भरना, निर्माण कार्यों का कम निष्पादन तथा सामग्री की कम मांग, वन निगम को ब्याज पर कम इमदाद का भुगतान, भारत सरकार से और निधियां प्राप्त किया जाना आदि।
13.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	4.54(11)	स्कीमों को अन्तिम रूप न देना, लाभार्थियों से मामले प्राप्त न होना, पैट्रोल, तेल तथा स्नेहकों पर कम व्यय, औद्योगिक क्षेत्रों से कम मांग की प्राप्ति तथा भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियों का उपलब्ध करवाना।

1.	2.	3.	4.
14.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	4.55(5)	रिक्त पदों का न भरना, कम्प्यूटरों की खरीद न करना, कुछ वाहनों की खरीद न करना, स्कूल सामग्री की खरीद न करना, कम दौरे, स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति, वृद्धावस्था पैंशन मामलों को अन्तिम रूप न देना तथा विधवा पैंशन मामलों को कम अन्तिम रूप देना।
15.	20-ग्रामीण विकास	10.80(13)	योजना सीमा में कमी, प्रस्तावित स्कीम का अकार्यान्वयन तथा रिक्त पदों का न भरना।
16.	21-सहकारिता	2.00(16)	रिक्त पदों का न भरना तथा सहकारिता के लिए संशोधित मानकों को पूरा न करना।
17.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	1.15(11)	रिक्त पदों का न भरना तथा यात्रा व्यय में कमी।
18.	23-जल एवं विद्युत विकास	26.14(24)	बचत के कारण प्रतीक्षित थे।
19.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4.94(21)	रिक्त पदों का न भरना, निधियों की कम मांग तथा लाभार्थियों की कम संख्या, स्टॉफ के यात्रा व्यय में कमी, वर्दी मदों की कम खरीद तथा मशीनरी सामग्री तथा कार्यालय मदों की कम खरीद।
20.	29-वित्त	25.85(5)	वार्षिक ब्याज की दर में कमी, रिक्त पदों का न भरना तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का कम बकाया।
21.	30-विविध सामान्य सेवाएं	1.81(11)	प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रशासनिक अधिकारियों की कम भरती तथा रिक्त पदों का न भरना।
	राजस्व-प्रभारित		
22.	03-न्याय प्रशासन	0.51(9)	रिक्त पदों का न भरना तथा दैनिक वेतन-भोगी स्टॉफ की कम नियुक्ति करना
23.	29-वित्त	119.17(10)	कारण अभी प्रतीक्षित हैं।
	पूंजीगत-प्रभारित		
24.	01-विधानसभा	0.50(59)	कारण अभी प्रतीक्षित हैं।
25.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	0.60(31)	कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण न करना।
26.	08-शिक्षा	28.06(50)	मुख्यतः योजना सीमा में कमी के कारण थी।
29.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.08(7)	लोक निर्माण विभाग से आकलन का प्राप्त न होना।
28.	17-सड़क एवं पुल	69.99(45)	अधिक अनुपूरक अनुदान तथा निर्माण कार्यों का कम निष्पादन।
29.	21-सहकारिता	1.11(33)	सहकारिता के लिए संशोधित मानकों का पूरा न करना।
30.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	28.00(99)	बचत के कारण प्रतीक्षित हैं।
31.	25-सड़क एवं जल परिवहन	2.00(16)	स्कीमों को अन्तिम रूप न देना।
32.	31-जनजातीय विकास	10.53(13)	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन।
	सकल जोड़	467.13	

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 33)

निधियों का अभ्यर्पण

I. एक करोड़ से अधिक बचत से सम्बन्धित मुख्य विभिन्नताएं जिन्हें या तो पूर्णतया अभ्यर्पित नहीं किया गया या बिल्कुल ही अभ्यर्पित नहीं किया गया

क्रमांक	अनुदान	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि	राशि अभ्यर्पित नहीं की गई
		(करोड़ रुपए)		
	राजस्व-दत्तमत			
1.	8-शिक्षा	11.00	..	11.00
2.	11-कृषि	14.42	14.12	0.30
3.	15-आयोजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	17.83	10.66	7.17
4.	16-वन एवं वन्य प्राणी	33.93	33.80	0.13
5.	20-ग्रामीण विकास	10.80	10.38	0.42
6.	23-जल एवं विद्युत विकास	26.14	0.62	25.52
7.	29-वित्त	25.85	11.92	13.93
	राजस्व-प्रभारित			
8.	29-वित्त	119.17	28.62	90.55
	जोड़	259.14	110.12	149.02
	पूंजीगत-दत्तमत			
9.	17-सड़कें एवं पुल	70.00	58.15	11.85
10.	21-सहकारिता	1.11	0.29	0.82
	जोड़	71.11	58.44	12.67
	सकल जोड़	330.25	168.56	161.69

II. उपलब्ध बचत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण दर्शाने वाले विवरण

क्रमांक	अनुदान	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(करोड़ रूपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	3-न्याय प्रशासन तथा निर्वाचन	2.80	3.47
2.	4-सामान्य प्रशासन	3.97	5.11
3.	7-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	19.67	19.76
4.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.68	23.09
5.	14-पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य	1.48	1.54
6.	18-आपूर्ति, उद्योग एवं खनिज	4.54	4.63
7.	19-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (पोषाहार सहित)	4.55	5.70
8.	21-सहकारिता	2.00	2.04
9.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	1.15	1.18
10.	27-श्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण	4.94	5.76
11.	30-विविध सामान्य सेवाएं	1.81	1.82
	जोड़:	63.59	74.10
	पूंजीगत-दत्तमत		
12.	8-शिक्षा	28.06	36.06
13.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.08	1.64
14.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	28.00	28.03
15.	31-जनजातीय विकास	10.53	10.84
	जोड़:	67.67	76.57
	सकल जोड़:	131.26	150.67

III. समग्र अत्यधिक व्यय के बावजूद निधियों के अभ्यर्पण के विवरण

क्रमांक	अनुदान	अत्यधिक व्यय की राशि	अभ्यर्पित राशि
		(करोड़ रूपए)	
	राजस्व-दत्तमत		
1.	5-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	24.34	1.38
2.	17-सड़कें एवं पुल	8.55	0.29
3.	31-जनजातीय विकास	26.26	8.97
	पूंजीगत-प्रभारित		
4.	29-वित्त	2652.50	38.38
	जोड़:	2711.65	49.02

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ.34)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

व्यय की कमी के कारण वसूलियों तथा वास्तविक समायोजित राशियों में मुख्य भिन्नताओं का विवरण

क्रमांक	अनुदान	बजट अनुमान	वास्तविक वसूलियां	भिन्नता	
	बजट अनुमानों के प्रति अधिक वसूली			राशि	प्रतिशतता
	राजस्व	(करोड़ रुपए)			
1.	10-लोकनिर्माण कार्य	113.10	151.99	(+)38.89	34
2.	13-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	36.48	52.76	(+)16.28	45
3.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	75.29	178.81	(+)103.52	137
4.	31-जनजातीय विकास	10.48	27.33	(+)16.85	161
	पूंजीगत				
5.	12-बागवानी	3.60	6.52	(+)2.92	81
	बजट अनुमानों के प्रति कम वसूलियां				
	राजस्व				
6.	17-सड़कें एवं पुल	20.00	11.71	(-)8.29	41
	पूंजीगत				
7.	17-सड़कें एवं पुल	4.17	1.83	(-)2.34	56
8.	22-खाद्य एवं भाण्डागारण	28.11	0.87	(-)27.24	97

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ.34)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से सम्बन्धित मामले

I. पुनर्विनियोजन से सम्बन्धित मुख्य मामले जो अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए

क्रमांक	अनुदान	लेखाकन इत्यादि का मुख्य/ लघु/उपशीर्ष	उपशीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजनोपरान्त उपशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत की राशि
				(लाख रुपए)
1.	01-विधानसभा	7610-202-05	13.24	28.24
2.	03-न्याय प्रशासन	2015-109-01	4.09	197.25
3.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	2056-101-02	42.99	43.04
4.	08-शिक्षा	2202-01-101-01	575.80	716.60
5.	09-स्वास्थय एवं परिवार कल्याण	2210-101-02	17.63	42.32
6.	10-लोक निर्माण	2059-80-001-05 2059-053-01	102.24 26.04	123.12 170.69
7.	28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2215-01-001-02 2215-01-001-02	130.60 1.23	1809.45 11.56
8.	29-वित्त	2049-01-200-12 2049-01-200-13 6004-04-800-30	0.01 44.30 2.12	16.00 46.55 3.13
9.	31-जनजातीय विकास	2053-796-04 2202-02-796-03 4059-01-796-03 4202-01-796-01 4702-796-04	0.58 7.07 42.85 11.11 23.00	37.00 12.64 50.08 11.65 35.00
		जोड़	1044.90	

II. अन्य शीर्षों को किए गए मुख्य पुनर्विनियोजनों के मामले जिनके कारण निम्नवत् उप-शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य हुए

क्रमांक	अनुदान	लेखा का मुख्य/लघु/उपशीर्ष, इत्यादि	उपशीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोजनोपरान्त उपशीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य की राशि
			(लाख रुपए)	
1.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	2056-101-02 2070-107-01 2070-107-02	0.01 19.08 112.62	43.00 23.37 171.41
2.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-101-01 2211-102-01 4210-01-110-01	4.75 186.26 35.12	97.22 291.15 55.00
3.	10-लोक निर्माण	2059-80-001-01 2059-80-001-03	37.78 9.75	135.70 58.69
4.	17-सड़कें एवं पुल	3054-80-001-03 5054-03-337-03	33.41 0.02	685.70 158.05
5.	23-जल एवं विद्युत विकास	2801-80-101-02	2.55	2549.84
6.	24-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2058-103-01	3.02	56.90
7.	28-जल, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4215-01-102-08	40.00	44.44
8.	29-वित्त	2049-104-01 2049-107-05 2071-01-102-01 7610-201-01	2597.25 7.49 20.00 0.41	3471.04 116.15 61.39 128.25
9.	30-विविध सामान्य सेवायें	4202-800-01	0.01	15.00
10.	31-जनजातीय विकास	2053-796-03 2202-01-796-03 2202-01-796-07 2210-03-796-03 2215-01-796-01 2406-01-796-02 4702-796-03 4059-01-796-02	1.46 82.08 27.70 0.34 19.20 2.66 13.70 8.00	35.79 303.77 27.71 18.01 58.70 17.20 26.17 12.77
		जोड़	3264.66	

परिशिष्ट-X

(संदर्भः परिच्छेद 3.2.6(क) तथा (क) (ii); पृष्ठ 56 तथा 57)

(क) मार्च 2002 के अन्त में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जिलावार व्याप्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

जिला का नाम	अप्रैल 1999 को कुल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार	पांच वर्षों के लिए लक्ष्य (कुल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का 30 प्रतिशत)	तीन वर्षों के लिए समानुपाती लक्ष्य (मार्च 2002 तक)	मार्च 2002 तक वास्तविक व्याप्ति	कमी (प्रतिशतता कोष्ठकों में)
बिलासपुर	17,448	5,234	3,140	1,117	2,023(64)
चम्बा	47,165	14,150	8,490	4,386	4,104(48)
हमीरपुर	20,179	6,054	3,632	1,764	1,868(51)
कांगड़ा	63,972	19,192	11,515	6,744	4,771(41)
किन्नौर	2,896	869	521	1,552	शून्य(-)
कुल्लू	11,432	3,430	2,058	1,432	626(30)
लाहौल एवं स्पिती	2,445	734	440	457	शून्य(-)
मण्डी	42,012	12,604	7,562	3,598	3,964(52)
शिमला	31,755	9,527	5,716	3,179	2,537(44)
सिरमौर	13,753	4,126	2,476	1,771	705(28)
सोलन	17,951	5,385	3,231	1,467	1,764(55)
ऊना	15,439	4,632	2,779	1,909	870(31)
जोड़	2,86,447	85,937	51,560	29,376	22,184(43)

स्रोतः विभागीय आंकडे

(ख) 1999-2002 के दौरान दुर्बल समूहों की व्याप्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

जिला का नाम	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की उपलब्ध संख्या				तीन वर्षों में सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	आवृत्त किए गए दुर्बल समूहों की संख्या		
	कुल	अ0जा0/अ0ज0 जा0	महिलाएं	विकलांग		अ0जा0/अ0ज0 जा0	महिलाएं	विकलांग
						(प्रतिशतता कोष्ठक में)		
बिलासपुर	17,448	7,154	2,222	292	1,117	443(40)	588(53)	3(0.27)
चम्बा	47,165	23,513	6,328	479	4,386	2,127(48)	1,270(29)	22(0.50)
हमीरपुर	20,179	7,826	3,902	295	1,764	675(38)	1,182(67)	शून्य(0)
कांगड़ा	63,972	21,469	10,421	992	6,744	3,255(48)	4,131(61)	7(0.10)
किन्नौर	2,896	2,896	334	शून्य	1,552	1,552(100)	466(30)	शून्य(0)
कुल्लू	11,432	5,532	1,630	22	1,432	684(48)	501(35)	शून्य(0)
लाहौल एवं स्पिती	2,445	2,445	542	शून्य	457	457(100)	73(16)	शून्य(0)
मण्डी	42,012	18,891	5,354	199	3,598	1,600(44)	1,975(55)	3(0.08)
शिमला	31,755	14,991	4,686	16	3,179	1,544(49)	1,626(51)	2(0.06)
सिरमौर	13,753	6,688	1,569	331	1,771	807(46)	886(50)	32(1.81)
सोलन	17,951	9,207	2,461	167	1,467	836(57)	698(48)	30(2.04)
ऊना	15,439	5,550	2,401	151	1,909	482(25)	1,127(59)	शून्य (0)
जोड़	2,86,447	1,26,162	41850	2,944	29,376	14,462	14523	99

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट-XI

(संदर्भः परिच्छेद 3.3.7(क)(ख); पृष्ठ 71)

(क) आवास निर्माण के वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी (प्रतिशतता)
			(आवासों की संख्या)
1997-98	2,709	1,843	866 (32)
1998-99	4,551	3,874	677 (15)
1999-2000	2,753	2,573	180 (7)
2000-2001	2,497	2,325	172 (7)
2001-2002	2,457	2,103	354 (14)
योग	14,967	12,718	2,249 (15)

स्रोतः विभागीय आंकड़े

(ख) नमूना जांचित खण्डों में निर्मित आवासों के वास्तविक निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी

जिला का नाम	खण्डों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धिया	कमी	प्रतिशतता
		(आवासों की संख्या)			
बिलासपुर	3	818	674	144	18
मण्डी	5	995	885	110	11
हमीरपुर	3	482	466	16	3
शिमला	4	367	305	62	17
सिरमौर	4	1,611	1,137	474	29
योग	19	4,273	3,467	806	19

स्रोतः विभागीय आंकड़े

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ परिच्छेद 3.14; पृष्ठ 84)

पैंशन के लाभों का दोहरा भुगतान दर्शाने वाली विवरणी

(1) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का दोहरा आहरण

क्र0	विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	भुगतान की प्रकृति	वाउचर नं0 तथा आहरण का मास	कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान	सरकारी लेखे में जमा की गई राशि
					(रुपयों में)		
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
1.	खण्ड चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	जून 2000 का 28 तथा जुलाई 2000 का 96	8,466	16,932	8,466	..
	लोक निर्माण						
2.	अधिशासी अभियंता, हि0प्र0लो0नि0वि0 मण्डल, भरवाई, ऊना	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	जुलाई 2000 का 529 तथा अगस्त 2000 का 632	2,849	5,698	2,849	..
	शिक्षा						
3.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बिलासपुर	मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान	नवम्बर 2000 का 52 तथा दिसम्बर 2000 का 72	4,867	9,734	4,867	..
			योग (i)	16,182	32,364	16,182	..

(ii) पैंशन रूपान्तरण का दोहरा/अप्राधिकृत आहरण

	गृह (पुलिस विभाग) / सामान्य प्रशासन (हि0प्र0 सचिवालय) /शिक्षा						
1.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, अवाह देवी, हमीरपुर	रूपान्तरण	नवम्बर 1999 का 123 तथा दिसम्बर 1999 का 99 सितम्बर 2000 का 74 एवं 73 तथा अक्तूबर 2000 का 64	82,077 3,03,634	1,64,154 6,07,268	82,077 3,03,634	.. ..
	वन कृषि एवं संरक्षण						
2. (i)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कुंगस, कुल्लू	रूपान्तरण	अक्तूबर 1999 का 371 तथा जनवरी 2000 का 234	2,99,086	5,98,172	2,99,086	
(ii)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, चम्बा	रूपान्तरण	सितम्बर 2000 का 620	..	99,999	99,999	..
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
3.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला	रूपान्तरण	फरवरी 2000 का 161 तथा मार्च 2000 का 439	3,72,238	7,44,476	3,72,238	3,72,238
	राजस्व विभाग (उपमण्डलाधिकारी (सिविल) घुमारवीं, बिलासपुर)						
4.	पंजाब नैशनल बैंक, हटवाद, बिलासपुर	रूपान्तरण	जून 2000 का 50 तथा जून 2001 का 161	1,67,193	3,34,386	1,67,193	
	लोक निर्माण						
5.	युनाईटिड कॉमर्शियल बैंक, घुमारवीं, बिलासपुर	रूपान्तरण	सितम्बर 2000 का 220 तथा अक्तूबर 2000 का 173	1,09,598	2,19,196	1,09,598	..
			जोड़ (ii)	13,33,826	26,67,652	13,33,826	3,72,238
			सकल जोड़	13,50,008	28,00,015	14,50,007	3,72,238

परिशिष्ट- XIII

(संदर्भः परिच्छेद 3.15; पृष्ठ 85)

मार्च 2002 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/पैरों का वर्षवार विखण्डन

क्र0	अवधि	विभाग का नाम					
		प्राथमिक शिक्षा		सहकारिता		गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा तथा अग्नि शमन सेवायें	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे
1.	मार्च 1995 तक	267	572	21	29	9	12
2.	1995-96	30	42	1	6	1	2
3.	1996-97	79	378	..	..	..	..
4.	1997-98	40	154	..	..	..	..
5.	1998-99	22	36	3	9	..	..
6.	1999-2000	62	272	10	44	2	2
7.	2000-2001	5	39	4	19	..	..
8.	2001-2002	54	383	1	8	2	7
	जोड	559	1,876	40	115	14	23

परिशिष्ट- XIV

(संदर्भ परिच्छेद 3.15;पृष्ठ 85)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में गम्भीर अनियमितताएं जिन पर टिप्पणी की गई को दर्शाने वाली विवरणी

अनियमितताओं की प्रकृति	प्राथमिक शिक्षा		सहकारिता		गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाएं		सकल जोड़	
	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)	परिच्छेद	राशि (लाख रुपए)	कुल परिच्छेद	कुल राशि (लाख रुपए)
आवश्यकता पूर्व निधियों का आहरण	08	245.698	01	5.27	02	18.66	11	269.628
आकस्मिक अग्रिमों का समायोजन न होना	62	118.026	01	0.01	..	..	63	118.036
संस्वीकृतियों के बिना अधिक/अनियमित व्यय	453	1973.617	08	1.08	..	..	461	1974.697
निरर्थक/अलाभकारी/निष्फल व्यय	30	59.671	03	20.37	03	4.58	36	84.621
निधियों का अपवर्तन	01	855.000	..	..	..	..	01	855.000
अधिक अदायगी, किराए/ अग्रिमों/ विविध वसूलियां की अवसूली	650	323.905	45	11.299	03	2.73	699	337.934
वास्तविक देयी रसीदें प्रस्तुत न करना	85	287.890	03	0.246	01	9.80	89	297.936
बकाया ऋण	..	..	06	765.93	..	..	06	765.93
न चलने वाली गाड़ियों सहित बेकार मशीनरी/उपस्कर	03	0.675	..	..	..	..	03	0.675
भण्डारों/नकद का अलेखांकन/कम लेखांकन	24	49.278	03	0.114	02	0.25	29	49.642
व्यय की पूर्ति न करना	..	..	..	..	01	19.67	01	19.67
भण्डारों/नकदी/निधियों का दुर्विनियोजन	11	4.908	..	..	..	..	11	4.908
अधूरे/परित्यक्त निर्माण कार्य	..	..	02	41.66	..	..	02	41.66
हानि/चोरी/गबन आदि	18	2.520	08	48.95	..	..	26	51.47
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना	06	13.222	03	17.95	..	..	09	31.172
भण्डारों की निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निपटारा न करना	17	1.133	09	2,614	01	5.60	27	9.347
खजानों/बैंकों के साथ मिलान न करना	60	65,305	02	..	..	..	62	65.305
सहायता अनुदानों का उपयोग न करना	..	..	01	3.25	..	..	01	3.25
कोष में ब्याज जमा न करना	22	3.630	..	..	..	..	22	3.630
विविध अनियमितताएं	426	1478.305	20	1765.81	10	14.91	456	3259.025
जोड़	1,876	5482.783	115	2684.553	23	76.20	2014	8243.536

परिशिष्ट-XV

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.4.(ख)(i); पृष्ठ 93)
अवास्तविक आकलन के मामलों को दर्शाने वाली विवरणी

क्र0	शीर्ष लेखा	वर्ष	विभाग द्वारा मांगा गया/वित्त विभाग द्वारा आवण्टित बजट	वास्तविक व्यय (लाख रुपए)	मांग/आवटन बजट से अधिक व्यय (प्रतिशत)
	(क) मांगे गए/आवण्टित बजट से अधिक व्यय				
	अनुदान सं0 10-लोक निर्माण				
1.	2059-लोक निर्माण				
	(i) 052-मशीनरी एवं उपकरण (आयोजनेतर)	2000-01	शून्य	7.77	7.77(100)
	(ii) 02-मरम्मत एवं भाड़ा (आयोजनेतर)	तदैव	45	59.05	14.05(15)
	अनुदान सं0 17-सड़कें एवं पुल				
2.	3054-सड़कें एवं पुल				
	(i) 01-साधारण मरम्मतें (योजनागत)	तदैव	117.00	133.71	16.71(14)
	(ii) 01-साधारण मरम्मतें (आयोजनेतर)	तदैव	2188.82	3104.28	915.46(42)
	(iii) 02-विशेष मरम्मतें (आयोजनेतर)	तदैव	1368.86	2268.45	899..59(66)
	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 800- अन्य व्यय				
3.	(i) 01-ग्रामीण सड़कें (योजनागत)	तदैव	900.00	1084.37	184.37(20)
	(ii) 02-भू क्षतिपूर्ति (योजनागत)	तदैव	शून्य	57.81	57.81(100)
	(iii) 03- कम घनत्व वाले क्षेत्रों में सड़कें (योजनागत)	तदैव	शून्य	5.59	5. 59(100)
	(iv) 80-सामान्य 001-निदेशक एवं प्रशासन 03-निष्पादन (योजनागत)	तदैव	2915.00	4549.64	1634.64(56)
	अनुदान सं0 28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास				
4.	2216-आवास 106- सामान्य पूल आवास, 05-लो0नि0 वि0 के आवासीय भवनों का अनुरक्षण तथा मरम्मत (आयोजनेतर)	तदैव	11.08	39.03	27.95(252)
	(ख) मांगे गये/ आवण्टित बजट से कम व्यय				
	अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण				
5.	2059 -लोक निर्माण, 001-निदेशन एवं प्रशासन 02-निष्पादन (आयोजनेतर)	2000-01	1283.87	1107.40	176.47(14)
	अनुदान संख्या 17-सड़कें एवं पुल				
6.	(i) 3054-सड़कें एवं पुल, 337-सड़क कार्य, 02-विशेष मरम्मतें (आयोजनेतर)	1999-2000	1133.54	994.44	139.10(12)
	(ii) 800-अन्य व्यय 01-साधारण मरम्मत (आयोजनेतर) 02-विशेष मरम्मत (आयोजनेतर) 07-सतह मरम्मत (आयोजनेतर)	 तदैव तदैव तदैव	 1787.96 1836.76 1445.60	 1602.24 963.04 1044.04	 185.74(10) 873.07(48) 401.00(28)
7.	4059 -लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 051-निर्माण,15-न्यायिक सूचना का उन्नयन (योजनागत)	तदैव	299.10	12.02	286.98(96)
	अनुदान संख्या 28-जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास				
8.	4216 -आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 106-सामान्य पूल आवासीय भवन	तदैव			
	(i) 09-जेल के लिये आवासीय भवन (योजनागत)	2000-01	44.00	22.00	22.00 (50)
	(ii) 11-लोकनिर्माण विभाग के लिये आवासीय भवन (योजनागत)	तदैव	40.00	23.18	16.82 (42)
	अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास				
9.	5054 -सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 01-ग्रामीण सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अधीन स्थापना पर व्यय (योजनागत)	तदैव	505.50	401.10	104.40 (21)

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.6 (च)(i), (ii) तथा (iii); पृष्ठ 100 तथा 101)
सड़कों/पुलों के निर्माण न करने के कारण उपयोग में न लाई गई सड़कों तथा पुलों का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी

(क) सड़कों का निर्माण न करने के कारण उपयोग न किए गए पुल

(लाख रूपए)

मण्डल का नाम	उस सड़क का नाम जिस पर पुल निर्मित किया गया था।	पुल का प्रकार तथा नदी/खड्ड/नाला जिस पर निर्मित किया गया	ए/ए तथा ई/एस का विवरण		पूर्णता का मास तथा वर्ष	किया गया व्यय
			मास व वर्ष	राशि		
कुमारसेन	करसोग परलोग सड़क	करसोग परलोग सड़क को जोड़ने हेतु सतुलज नदी पर परलोग में 63 मीटर स्टील ट्रस पुल	सितम्बर 1999	108.00	फरवरी 2002	101.96
कल्पा	गाँव बारला गियाबाँग को सम्पर्क सड़क	आर डी 0/700 पर पारला गियाबाँग गाँव को जोड़ने हेतु गियाबाँग नाला पर 50 मीटर लम्बा वाहन योग्य बैली पुल	फरवरी 1998	87.18	मार्च 2002	91.46
कल्पा	गिमथिंग बैली सड़क	आर डी 5/020 पर रेक्टा खड्ड पर 15 मीटर लम्बा बैली पुल	मार्च 2001	26.24	अगस्त 2001	22.64
कांगड़ा	पुराना कांगड़ा बोहार क्वालू सड़क	मनूनी खड्ड पर 55 मीटर लम्बा वाहन योग्य पुल	मार्च 1987	9.59	अगस्त 1997	38.91
	दादांव दुरगैला सड़क	40 मीटर आर सी सी-टी-बीम वाहन योग्य पुल	जनवरी 1996	9.59	दिसम्बर 1999	23.09
	जोड़			240.60		278.06

(ख) सडक की चौड़ाई के अनुसार पुलों का निर्माण न करने के कारण उपयोग न की गई सड़कें

मण्डल का नाम	निर्मित या निर्माणाधीन पैदल पुल का नाम	निर्मित की गई जीप योग्य सड़क जिसे पैदल चलने वाले पुल के साथ जोड़ा गया था/जोड़ा जाना था	जीप योग्य सड़क की प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति से सम्बन्धित विवरण		निर्मित सड़क की लम्बाई(कि0मी0)	सड़क को समापन/निर्मित करने का मास व वर्ष	किया गया व्यय
			मास तथा वर्ष	राशि			
काजा	टांगटी को जोड़ने के लिए अतारगू मूड सड़क पर पिन नदी पर पैदल चलने योग्य पुल (निर्माणाधीन)	पिन घाटी में टांगटी-योगना, टांगटी गोरमा एवं खार गांव से जीपयोग्य सड़क (कि0मी0 0.0 से 10/0 कि0मी0 तक)	अगस्त 1986	8.87	0/0 से 6/045	अगस्त 2001	19.19
कल्पा	गांव सुमरा के समीप स्पिति नदी पर पैदल चलने योग्य पुल (विद्यमान)	गांव सुमरा को जीप योग्य सड़क (0/0 कि0मी0 से 1/0 कि0मी0 तक)	जून 1998	7.09	0.0 से 1/150	अगस्त 2001	8.41
	जोड़			15.96			27.60

(ग) पुलों का निर्माण न होने के कारण उपयोग न की गई सड़कें

मण्डल का नाम	पुल का प्रकार तथा नदी/खड्ड जिस पर निर्मित किया जाना था	उस निर्मित सड़क का नाम जिस पर पुल निर्मित किया जाना था	प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति का वितरण		वास्तविक रूप से निर्मित की गई सड़क की लम्बाई	मास व वर्ष जब तक सड़क निर्मित की गई थी	किया गया व्यय
			मास तथा वर्ष	राशि	(कि0मी0)		
चम्बा	आर डी-0/670 ट्रेला नाला पर 30 मीटर लम्बा स्टील ट्रस्स पुल	ट्रेला भुंडरी मांगटी सड़क (0/0 से 21/0 कि0मी0)	जनवरी 1989	23.17	6.600	दिसम्बर 2000	75.03
कल्पा	रिब्बा में 40 मीटर वाहनयोग्य बैली पुल (आरडी-5/695 पर रालडांग नाला)	रारंग रिब्बा सड़क का विस्तार (4/800 से 7/0 कि0मी0)	जून 1995	28.40	4/800 से 6/365 विभिन्न स्थानों के लिए कुल लम्बाई 1.504	फरवरी 2002	14.28
सुन्दरनगर	चैल नाला पर 16.75 इफैक्टिव लम्बा आरसीसी-टी बीम पुल आरडी-0/090	वाया गडारी ल्योथी से कोट सम्पर्क सड़क (0/0 से 2/900 कि0मी0)	अगस्त 1988	8.76	1.800	जून 1999	1.40
जोड़				60.33			90.71

परिशिष्ट-XVII

(संदर्भ परिच्छेद 6.1(ग); पृष्ठ 143)

उन निकायों व प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाली विवरणी जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

क्र0	विभाग एवं निकाय/प्राधिकरण	जिस वर्ष के लेखे प्रत्याशित थे
(1)	(2)	(3)
	ग्रामीण विकास	
1.	जिला ग्रार्मण विकास अभिकरण,शिमला	2001-02
2.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सोलन	2001-02
3.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,नाहन	2001-02
4.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,बिलासपुर	2001-02
5.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,मण्डी	2000-01 से 2001-02
6.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,हमीरपुर	2001-02
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,कांगड़ा	2001-02
8.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू	2001-02
9.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,ऊना	2001-02
10.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चम्बा	2001-02
11.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,केलांग	2001-02
12.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,किन्नौर	1998-99 से 2001-02
	भाषा, कला एवं संस्कृति	
13.	भाषा, कला एवं संस्कृति अकादमी, शिमला	1998-99 से 2001-02
	समाज एवं महिला कल्याण	
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद शिमला	2000-01 से 2001-02
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, शिमला	1999-00 से 2001-02
16.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम, सोलन	1999-00 से 2001-02
	कृषि	
17.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	2001-02
18.	हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाणन अभिकरण, शिमला	2001-02
	वन खेती तथा संरक्षण	
19.	भारत जर्मनी चंगर परियोजना, पालमपुर	2001-02
	बागवानी	
20.	डॉ0 वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	2000-01 से 2001-02
	सहकारिता	
21.	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन तथा उपभोक्ता निगम, शिमला	2001-02
22.	हिमाचल प्रदेश सरकारिता यूनियन शिमला	1998-99 से 2001-02
	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	
23.	हिमऊर्जा	2000-01 से 2001-02
24.	हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रदूषण, रोकथाम एवं नियंत्रण बोर्ड, शिमला	1995-96 से 2001-02
25.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद शिमला	2000-01 से 2001-02
	आवास	
26.	हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला	2000-01 से 2001-02
	पशुपालन	
27.	हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध प्रसंघ, शिमला	2001-02
	युवा सेवाएं एवं खेलकूद	
28.	हिमाचल प्रदेश खेलकूद परिषद शिमला	1997-98 से 2001-02
29.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम, शिमला	1998-99 से 2001-02
30.	हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड, शिमला	1999-00 से 2001-02
	शिक्षा	
31.	एस.डी. सीनियर सकेण्डरी स्कूल, शिमला	2001-02
32.	डीएवी, सीनियर सकेण्डरी स्कूल, ऊना	2001-02
33.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1998-99 से 2001-02
34.	सेंट बीड्स कॉलेज, शिमला	1998-99 से 2001-02
35.	एसवीएस कॉलेज, भटोली	1998-99 से 2001-02
36.	डीएवी कॉलेज, कांगड़ा	1998-99 से 2001-02
37.	एमएलएसएम कॉलेज, सुन्दरनगर	1997-98 से 2001-02
38.	जीजीडीएसडी कॉलेज, बैजनाथ	1997-98 से 2001-02
39.	पब्लिक सीनियर सकेण्डरी स्कूल, भटोली	2001-02
40.	पब्लिक सीनियर सकेण्डरी स्कूल,थारा	2001-02

क्र0	विभाग एवं निकाय/प्राधिकरण	जिस वर्ष के लेखे अपेक्षित थे
41.	पब्लिक सीनियर सकेण्डरी स्कूल, मैहतपुर	2000-01 से 2001-02
42.	जीएवी सीनीयर सकेण्डरी स्कूल, कांगड़ा	2000-01 से 2001-02
43.	राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद सोलन	1999-00 से 2001-02
44.	डीएवी कॉलेज, दौलतपुर चौक	1999-00 से 2001-02
45.	एमएससीएम कॉलेज थुरल	1999-00 से 2001-02
46.	डीएवी कॉलेज, कोटखाई	1999-00 से 2001-02
	शहरी विकास	
47.	नगर निगम, शिमला	2000-01 से 2001-02
48.	नगर पालिका, धर्मशाला	2001-02
49.	नगर पालिका, सोलन	1997-98 से 2001-02
50.	नगर पालिका, चम्बा	2001-02
51.	नगर पालिका, कुल्लू	1997-98 से 2001-02
52.	नगर पालिका, मण्डी	2000-01 से 2001-02
53.	नगर पालिका, सुन्दरनगर	2000-01 से 2001-02
54.	नगर पालिका, नाहन	1997-98 से 2001-02
55.	नगर पालिका, नालागढ़	1997-98 से 2001-02
56.	नगर पालिका, पांवटा साहिब	1997-98 से 2001-02
57.	नगर पालिका, बिलासपुर	2001-02
58.	नगर पालिका, ऊना	2001-02
59.	नगर पालिका, हमीरपुर	1997-98 से 2001-02
60.	नगर पालिका, कांगड़ा	1997-98 से 2001-02
61.	नगर पालिका, नूरपुर	2001-02
62.	नगर पालिका, डलहौजी	2001-02
63.	नगर पंचायत, मैहतपुर	2001-02
64.	नगर पंचायत, संतोखगढ	1997-98 से 2001-02
65.	नगर निगम, रामपुर	2001-02
66.	नगर पंचायत, बद्दी	1997-98 से 2001-02
67.	नगर निगम, पालमपुर	2001-02
68.	नगर निगम, चम्बा	1997-98 से 2001-02
69.	नगर पंचायत, ज्वालामुखी	2001-02
70.	नगर पंचायत, सुजानपुर	2001-02
	मत्स्य पालन	
71.	मत्स्य पालन विकास अभिकरण, कांगड़ा	2001-02
	जोड़	

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—3381–ए0जी0/2003–17–1–2003—750 प्रतियां ।